राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का उनतालीसवां दिवस [संख्या : 22

गुरुवार,

1 अप्रैल, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री दयाराम परमार।

तारांकित प्रश्नोत्तर

सराड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ठणकावाड़ा, कुण्डा, छोड़ासर, भौराई व टोकर के तहसील मुख्यालय का निर्धारण

389. डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर के राजस्व आर आई सर्कल सेमारी की नौ पंचायतों को नवगठित तहसील ऋषभदेव में सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो कब और किस आदेश के अन्तर्गत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नौ पंचायतों में से चार पंचायतों को पुन: तहसील क्षेत्र सराड़ा में सम्मिलित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और किस आदेश के तहत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत ठणकावाड़ा, कुण्डा, छोड़ासर, भौराई और टोकर की पंचायत समिति सराड़ा लगती है? यदि हां, तो क्या तहसील कार्य के लिए ऋषभदेव और पंचायत समिति कार्यों के लिए सराड़ा जाना पड़ता है? क्या इसे प्रशासनिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से सरकार उचित समझती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन पांच पंचायतों को पुन: तहसील क्षेत्र सराड़ा में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी) : (1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.9(17)राज./1/2007/43 दिनांक 3.4.2008 की प्रति परिशिष्ट-1 पर है।

(2) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.9(17) राज./1/2007/पार्ट-1/131 दिनांक 3.10.2008 की प्रति परिशिष्ट-2 पर है।

(3) जी हां। सरकार का मत है कि इन पांच पटवार मण्डलों को वापस तहसील सराड़ा में शामिल कर दिया जाना चाहिए।

वर्तमान में जनगणना-2001 का कार्य प्रक्रियाधीन होने से जनगणना निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक इकाइयों (जिला, तहसील, ग्राम आदि) की सीमाओं में परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। अत: 31 मार्च, 2011 के बाद उक्त पांच पटवार मण्डलों को तहसील सराड़ा में शामिल कर दिया जाएगा।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कल्याण सिंह चौहान।

सारोठ, बार एवं शेखावास ग्राम पंचायत (भीम) के राशन विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

390. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) व **श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम की ग्राम पंचायत सारोठ, बार, शेखावास में कितने एपीएल व बीपीएल राशनकार्डधारी पंजीकृत हैं?

(2) क्या वर्ष 2005 से जनवरी, 2010 तक इन पंचायतों के सभी उक्त राशन कार्डधारियों को नियमानुसार राशन वितरण किया गया? यदि हां, तो प्रत्येक कार्डधारी को कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त डीलरों के विरुद्ध उक्त अवधि में वहां के उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गई थीं? यदि हां, तो कब-कब व कितनी तथा उन पर सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कब व क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर दिगम्बर सिंह।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: पोस्टपोन कर दिया।

भरतपुर जिले में कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति

391. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के किसानों को नवम्बर, 2009 से 28 फरवरी, 2010 तक कृषि कार्यों हेतु कुल कितने घंटे औसत विद्युत की आपूर्ति की गई?

(2) जिला भरतपुर के किसानों को उक्त समयावधि में कृषि कार्य हेतु कुल कितने घंटे औसत विद्युत आपूर्ति की गई?

(3) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर में विद्युत आपूर्ति एवं मांग में काफी अन्तर है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत?

(4) क्या सरकार इस अन्तर को शीघ्र समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह) : (1) राज्य में किसानों को कृषि कार्य हेतु माह नवम्बर, 2009 से दिनांक 28 फरवरी, 2010 तक प्रतिदिन औसतन साढ़े छह से सात घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है।

(2) भरतपुर जिले में भी उक्त अवधि/रबी सीजन में कृषि कार्य हेतु प्रतिदिन औसतन साढ़े छह से सात घंटे विद्युत आपूर्ति की गई।

(3) जी नहीं।

(4) जिला भरतपुर में विद्युत आपूर्ति एवं मांग में अन्तर नहीं है, इसलिए अन्तर को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में खण्ड-2 में भरतपुर जिले में भी उक्त अवधि रबी सीजन में कृषि कार्य हेतु साढ़े छह से सात घण्टे औसतन बिजली दी गयी है और यही औसत आपने खण्ड-1 में पूरे राजस्थान का बताया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि यह औसत केवल कृषि कार्य के लिए जो बिजली दी है उसका है या डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर दोनों को मिलाकर इसका औसत लिया गया है? एक तो मंत्री महोदय इस चीज को स्पष्ट करें। उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, डीग कुम्हेर से आने वाले सीनियर सदस्य ने जो नम्बर-2 में पूछा है कि भरतपुर जिले में उक्त अवधि में रबी सीजन में कृषि कार्य हेतु प्रतिदिन साढ़े छह से सात घण्टे विद्युत आपूर्ति होती है, यह एग्रीकल्चर के लिए है या डोमेस्टिक के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में साढ़े छह से सात घण्टे की बिजली देने के लिए ब्लाक्स बनाये गये थे और

(डा. जितेन्द्र सिंह)

भरतपुर जिले में दो ब्लाक थे। अध्यक्ष महोदय, शाम को रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक का एक ब्लाक दिया, दूसरा भी नाइट का ब्लाक था एग्रीकल्चर का और मार्निंग में साढ़े छह से छह-छह घण्टे के दो ब्लाक थे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि this particular section, it is only for agriculture supply.

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, जो हमारे पास फीडबैक अपने क्षेत्र से आता है उसके हिसाब से चार-पांच घण्टे से ज्यादा का एवरेज नहीं आना चाहिए। मंत्री महोदय ने इसको साढ़े छह से सात घण्टे का एवरेज बताया है। खण्ड-4 में मैंने पूछा था, नम्बर-3 में कि भरतपुर जिले में विद्युत आपूर्ति में डिमांड और सप्लाई में कितना अन्तर है तो जवाब में आया कि उसमें कोई अन्तर नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि जिस दिन बिजली की डिमांड और सप्लाई का अन्तर खतम हो जाएगा, उस दिन बिजली की समस्या राजस्थान के अन्दर समाप्त हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपने जो उत्तर दिया है, यह सही नहीं है, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज्यादा है, सप्लाई अगर डिमांड के अनुसार हो जाए तो बिजली का रोना ही बंद हो जाए। हमेशा बिजली पर, पानी पर विचार विमर्श इतने लम्बे-लम्बे समय तक चलता है। तो एक तो इसमें देखने की बात है, डिमांड और सप्लाई वास्तव में बराबर है या डिमांड तो बहुत ज्यादा है। लोग तो चौबीस घण्टे बिजली चाहते हैं, बिजली अपने को मिलती कितने घण्टे है, देखने की बात यह है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जो मीटर आते थे बिजली विभाग के, उसमें मीटर अलग होता था, उसका बाक्स अलग होता था; साढ़े तीन सौ रुपये मीटर के चार्ज कंज्यूमर से अलग करते थे और साढ़े तीन सौ रुपये बाक्स के चार्ज करते थे। जब से यह इलेक्ट्रोनिक मीटर्स आए हैं, इनमें पुश फिट मीटर्स आलरैडी इनफिट रहता है, बाक्स इसका साथ में है परन्तु आज भी उस बाक्स के कंज्यूमर से अलग से चार्ज साढ़े तीन सौ रुपये किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, यह बिलकुल गलत है। इन चार्जेज को इनको साढ़े तीन सौ रुपये कम करना चाहिए। आप कम करोगे कि नहीं करोगे, मंत्री महोदय यह बताएं।

दूसरा मेरे डीग-कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में अपनी सप्लाई सुदृढ़ हो, इसके लिए पुरानी सरकार ने जो हमारे जी एस एस स्वीकृत किये थे, एक मेरे क्षेत्र में पपरेरा जी एस एस स्वीकृत था, उसका काम भी आपकी सरकार ने आते ही बंद कर दिया। मैं समझता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, डीग का सीरियसली बहुत बड़ा, पूरे हमारे भरतपुर जिले का सबसे बड़ा गांव है,

(डा. दिगम्बर सिंह)

कम से कम 132 के वी ए के सब-स्टेशन की वहां आवश्यकता है और 33 के वी ए के कम से कम फारेर में, बाबेन, धनवाड़ा, सैथ, उबार, इनमें कम से कम 33 के वी ए के जी एस एस की आवश्यकता है। क्या, मंत्री महोदय, आपके इस प्लान में आप ये जी एस एस मेरे विधान सभा क्षेत्र में देने का मानस रखते हैं?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डीग-कुम्हेर से आने वाले सदस्य ने जो प्रथम बात फरमाई, मांग और आपूर्ति के विषय में मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा। मैंने स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए आपको अर्ज किया था और डेफिनेटली अपने एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिक में डिफरेंस है। तो इसीलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, हमारा 1,050 लाख यूनिट पर डे एक्चुअल जनरेशन है और हमारा खर्च है वह 1,350 है। तो जो 300 लाख यूनिट पर डे है, we are purchasing and maintaining the whole system. जो आपने फरमाया, अब इस सारे सिस्टम को डवलप करने के लिए infrastructure is necessary. अगर बिजली का जनरेशन, जैसी कि कल रात्रि को चर्चा हुई थी, बिजली के अन्दर जनरेशन में 2013-2014 तक we will be self-sufficient. इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सुपर थर्मल पावर स्टेशंस इलेवंथ प्लान में और ट्वेल्थ प्लान में मिलाकर एक दर्जन स्वीकृत किये हैं लेकिन इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए we need a good infrastructure of 33, 132, 220 and 765 KV, Sir.

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि भरतपुर में इकतालिस टोटल अपने ग्रिड स्टेशन्स हैं। अभी 14 स्वीकृत किये हैं, उसमें से 6 अंडर प्रोग्रेस हैं, 2 कम्प्लीट हो गये हैं। आप तो खुद ही पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के सदस्य हैं, you have got a very vocal voice there also. मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि आपने फरमाया है अपने 33 के वी ए ग्रिड स्टेशंस के लिये, हमें फर्स्ट जो हमारा 2009-10 का बजट था, 2 हजार करोड़ रुपये इसीलिये रखे थे कि गांवों का इन्फ्रास्ट्रक्चर जब तक डवलप नहीं होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये 800 ग्रिड स्टेशंस की स्वीकृति दी थी। इसमें 162 कम्पलीट हो गये हैं, 275 इसी सत्र में बनने हैं। मैंने पक्ष-प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहा था कि आप सब लोग इन्वाइटेड हैं कि अपने-अपने क्षेत्र की जो भी जेन्यूट्रन 33 के वी ए की डिमांडस है वह आप भेजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली का एक ट्रांसमिशन का क्लीयर सिस्टम है, it will pass through all over Rajasthan. तो

(डा. जितेन्द्र सिंह)

इसलिये हरेक जब तक तंत्र मजबूत नहीं होगा, हमें 3 साल का समय है, 275 बनने हैं। मैं डीग-कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, मेरा तो, हुजूर, लगाव है वहां से। मेरा अपना...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप तो मेहमान हैं हमारे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आपने जो फरमाया, I assure you, Sir, they will all be sanctioned और जो स्पेसिफिकली आपने बताया है, इसके लिये आपके आलरैडी पपरेरा में, समईखेड़ा में, तो पपरेरा का मैं कम्प्लीट करवा दूंगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह मंत्री महोदय से पूछा कि पुश फिट मीटर आने के बाद 350 रुपये अलग से चार्ज आपका विभाग कंज्यूमर्स से कर रहा है। जो पहले तो बाक्स अलग से आता था, अब बाक्स आता ही नहीं अलग से तो यह 350 किस बात के कंज्यूमर्स से चार्ज किये जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, कम से कम 350 रुपये तो माफ कराएं। आप कंज्यूमर पर जबरदस्ती बोझ क्यों लादे हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़। इनका मिलाकर साथ दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में, जो इनका दस्तावेज है उसके पृष्ठ 16 में यह संकल्प लिया था कि वे किसानों को लगातार 8 घण्टे निरन्तर और निर्बाध बिजली देंगे। नम्बर एक।

नम्बर दो, मंत्री महोदय ने 300 लाख यूनिट का जो अन्तर बताया है, आपने कहा कि हमारे पास बिजली की उपलब्धता है, 1350 लाख यूनिट की मांग है और उपलब्धता 1050 की है तो यह आपके पास गैप है। इस गैप की बिजली को आप किस-किस संस्था से बाइलेटरल एग्रीमेंट के मार्फत खरीद रहे हैं? एनर्जी एक्सचेंज के मार्फत खरीद रहे हैं ? नार्थ ग्रिड के मार्फत खरीद रहे हैं? किस-किस दर से खरीद रहे हैं ?

नम्बर तीन, क्या यह सही है कि जिस बांसवाड़ा के एटोमिक पावर प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं इसकी स्वीकृति तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई थी, पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने अपना कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया था जिसको आप बार-बार कह रहे हो कि हमने आने के बाद यह किया।

श्री अध्यक्ष: विराजें। मंत्रीजी। आप तो..

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय, यह बताएं, दिसम्बर 2008 से अप्रैल 2009 तक किसानों को कितनी थ्री फेस बिजली दी, कितनी सिंगल फेस दी, कितने गांवों को सिंगल फेस 24 घण्टे या 10 घण्टे दी ? यह कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह भरतपुर में कोटा कैसे घुस गया ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह राजस्थान की बात चल रही है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डीग-कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बाक्स के 350 रुपये एक्सट्रा चार्ज के लिये कहा है, मैं माननीय सदस्य को इसके बारे में विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसको एग्जामिन कराता हूं, Sir, you are a Member of the Public Undertakings Committee also, हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी के सदस्य हैं and we will seek your valuable advice. माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर अगर कुछ भी पोसिबिल होगा और जेन्यूट्रन है तो मैं इसका साल्यूशन निकालूंगा।

नम्बर दो, तारानगर से आने वाले हाउस के बहुत सीनियर हमारे मेम्बर ने जो फरमाया है 8 घण्टे बिजली के लिये, तो निश्चित रूप से 8 घण्टे का घोषणा पत्र में किसानों को बिजली देने का हमने संकल्प किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 घण्टे बिजली देने के लिये। it is very necessary, Hon'ble Speaker Sir कि आपके पास अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, पानी की अवेलेबिलिटी हो। कल ही की पानी, बिजली की समस्या पर चर्चा में बीकानेर और ऊपर की बेल्ट छोड़ दें तो हमारा जो सारे, नेता प्रतिपक्ष और जिनके सारे क्षेत्र हैं, कुछ एक रेतीले क्षेत्र को छोड़ दें तो 50% of the Rajasthan upto Dholpur, it has almost dried. जैसा कि माननीय सदस्य बिराजे हुए हैं, उन्होंने भी कहा, तो उन कंडिशंस के अन्दर 8 घण्टे बिजली देना फीजिबल है या नहीं, यह एक चर्चा का विषय है और जो कमिटमेंट हमने किया था साढ़े छह से सात घण्टे बिजली देने का तो अन्इंटरप्टेड बिजली देने का प्रयास किया है। थोड़ा बहुत मैं नहीं कह सकता कि कहीं हुआ हो लेकिन we tried our levels best कि राजस्थान में एटलीस्ट एग्रीकल्चर ब्लाक्स में पूरे टाइमली मिल जाए। आप जो 8 घण्टे का फरमा रहे हैं तो इसके लिये पूरा सिस्टम जब तक इम्प्रूव नहीं होगा तब तक 8 घण्टे बिजली और, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, बाड़मेर से आने वाले बिराजे हुए हैं कर्नल साहब और बहुत सारे एरिया जैसलमेर के बिराजे हुए है पीछे, तो यह सारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इतना लम्बा-चौड़ा है कि जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर 33 और 132 का इम्प्रूव नहीं होगा अन्इंटरप्टेड देना...

श्री अध्यक्ष: श्री फतेह सिंह।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया। दिसम्बर, 2008 से अप्रैल, 2009 तक कितनी...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, डिमांडस में मीटर बक्से की कोस्ट जोड़कर आती है। मीटर बॉक्स देता है या नहीं, स्पष्ट है इसमें। बाद में देखकर बताने की क्या आवश्यकता है ? आप मीटर बाक्स देते हैं या नहीं ? अगर मीटर बाक्स नहीं देते हैं तो कोस्ट किस बात की ?

जनजाति क्षेत्र के लघु व सीमान्त काश्तकारों हेतु केशवबाड़ी योजना का पुन: संचालन

392. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा महानरेगा योजना के अन्तर्गत लघु व सीमान्त काश्तकारों को जनजाति क्षेत्र में केशवबाड़ी योजना के कुए स्वीकृत कर कितने काश्तकारों को लाभान्वित किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने केशवबाड़ी योजना के अन्तर्गत लघु व सीमान्त काश्तकारों के कुएं बनाने, गहरे कराने के कार्य को बंद कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त योजना के कुएं पुन: चालू कराकर आदिवासी कृषकों को लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) जनजाति क्षेत्रों में सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 की श्रेणी संख्या-4 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के हक में 21404 कुएं स्वीकृत कर लाभान्वित किया है। जिलेवार सूचना निम्नानुसार है :-

1.	डूंगरपुर	28 काश्तकार
2.	सिरोही	3023 काश्तकार
3.	उदयपुर	5149 काश्तकार
4.	बांसवाड़ा	6788 काश्तकार
5.	चित्तौड़गढ़	6416 काश्तकार
	योग	**21404**

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

लघु एवं सीमान्त कृषकों के स्वामीत्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा विकसित करने की अनुमति सम्बन्धी प्रावधान अधिनियम में 22 जुलाई, 2009 को किया गया था, इसलिये अभी तक केवल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी पी एल परिवारों के लिये ही उक्तानुसार कुएं स्वीकृत किये गये हैं।

(2) जी नहीं। राज्य के 6 जिलों की 11 पंचायत समितियों एवं अजमेर जिले की पुष्कर घाटी क्षेत्र को केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कर दिये जाने के कारण कुएं बनाने, गहरे कराने के कार्य को बंद किया गया है। राज्य की शेष पंचायत समितियों में इस कार्य को पूर्णतया बंद नहीं किया गया है, बल्कि अतिदोहित एवं भू-जल की गम्भीर स्थिति वाली पंचायत समितियों को छोड़कर अन्य पंचायत समितियों में उपलब्ध भू-जल स्तर के मद्देनजर कुओं के खोदने/गहरा कराने के कार्य को नरेगा की गाइड-लाइन अनुसार श्रम सामग्री सीमा अनुपात 60:40 एवं वार्षिक कार्य योजना की प्रक्रिया अपनाकर इन कार्यों को करवाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जारी निर्देश दिनांक 20.08.08 की प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या 2 की शर्तों के अधीन क्षेत्र को छोड़कर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी पी एल एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं इनके उपरान्त लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु सिंचाई सुविधाओं के लिये कुओं को बनाने, गहरा कराने के कार्य नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 की श्रेणी-4 में अनुमत कार्य हैं। इन कार्यों को ग्राम सभा, पंचायत समिति व जिला परिषद् से स्वीकृत कराकर नरेगा की वार्षिक योजना में सम्मिलित होने के पश्चात् स्वीकृत कार्यों की प्राथमिकतावार वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकती है।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें 6 जिले की 11 पंचायत समितियां, उसमें यह क्लीयर नहीं किया है कि किन-किन पंचायत समितियों में कौन-कौन से जिले।

दूसरा, मेरा यह कहना था कि रोजगार गारंटी योजना के तहत जो आपने बताया, सभी जिलों में कुओं के कार्य शुरू किये गये थे और उसके बाद में अभी-अभी बांसवाड़ा जिले के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि कुओं के प्रस्ताव देने की बात आयी, जो पहले कुएं दिये थे, बांसवाड़ा जिले में हर पंचायत में 25 और 10, कुल 35 कुओं के हिसाब से स्वीकृत किये गये थे और उन कुओं के कार्य में नरेगा में जोब कार्ड के आधार पर लेबर को लगाया गया था। कुएं

(श्री फतेह सिंह)
बने भी हैं, कुओं में पानी भी आया है। कुछ कुओं में कुछ प्रतिशत में पानी की कमी रही है। लेकिन बांसवाड़ा के जिला कलक्टर ने यह कहा है कि राज्य सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया, इसलिए ग्राम सभा में प्रस्ताव ना लिये जायें और प्रस्ताव ना भेजे जायें। इसलिए हमने इस प्रश्न को लगाया है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे हम यह चाहेंगे कि क्या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर में ग्रामीण इलाका जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर कुओं के कार्य शुरू किये जायेंगे? यह क्लीयर करें कि यह जो जिले बताये हैं, वे कौन-कौन से जिले हैं जिनमें काम बंद किया है और कौन-कौन से जिले आपने चालू रखे हैं, इस नरेगा योजना के अन्तर्गत कुओं का काम में?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मैंने बताया कि सिर्फ पुष्कर वैली अजमेर, चिड़ावा झुंझुनूं, गुढ़ाना झुंझुनूं, सुजानगढ़ झुंझुनूं, रानीवाड़ा जालौर, जालौर पंचायत समिति जिला जालौर, भीनमाल जालौर, मुण्डवा नागौर, बहरोड़ अलवर, धोद सीकर, श्रीमाधोपुर सीकर, झोटवाड़ा जयपुर, ये वे ब्लाक्स हैं जिनमें हम काम नहीं ले रहे हैं, बाकी सब जिलों में इस काम को किया जा सकता है, बशर्ते कि इन काम को ग्राम सभा के द्वारा प्रस्तावित किया जाये। आपके बांसवाड़ा जिले के अन्दर जैसा कि आपको बताया है कि सबसे अधिक कुएं भी आपके यहां ही खुदे हैं। सिर्फ इसमें जो दिक्कत आयी है, जो काम बंद हैं, क्योंकि जो काम का अनुपात है नरेगा योजना के तहत, वह 60:40 का रेश्यो आपको मेनटेन करना होता है। उस काम के ऊपर अधिकांश जो राशि खर्च हो रही है इन कुओं के अन्दर, बांसवाड़ा के अन्दर जो लागत आ रही है वह मैटेरियल के ऊपर 70 प्रतिशत और लेबर पर 30 प्रतिशत आ रही है। एक कुएं की लागत दो लाख से तीन लाख रुपये आती है और इसी प्रकार से डूंगरपुर जिले के अन्दर डेढ़ लाख से ढाई लाख तक खर्चा आता है। एक पंचायत में 60:40 का रेश्यो मेनटेन होना है और एक कुएं के ऊपर भी यह रेश्यो मेनटेन होना है। इस दिक्कत की वजह से इन कामों में कठिनाइयां आ रही हैं, बाकी कहीं प्रतिबंध नहीं है। जो महात्मा गांधी रोजगार योजना है उसमें ग्राम सभा तय करती है कि किस काम को, किस कुएं के काम को या किसकी प्राथमिकता तय करनी है और उस रेश्यो को मेनटेन करना है।

अध्यक्ष महोदय, जहां पर पानी की दिक्कत है, राजस्थान की जो भू-जल की स्थिति है उसमें अधिकांश आपके ब्लाक्स डार्क जोन में हैं। मैंने व्यक्तिगत भी, जहां मैं चित्तौड़ का प्रभारी मंत्री हूं वहां लोगों ने इस बात की शिकायत की कि हमने कुएं खुदाए हैं और इनमें पानी आया है और यह

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)
सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं कि इस काम को बंद करवा दिया। मैंने सरकार के आदेश को दिखवाया और सरकार ने जो आदेश दिये हैं, वह काम बंद कराने के लिए नहीं दिये हैं उन्होंने। सरकार ने तो यह कहा है कि इसको आप देखें कि जो काम आप करवा रहे हैं उसका एक तो रेश्यो मेनटेन हो और जहां पर पानी उपलब्ध ही नहीं है वहां पर इस काम को कराकर और इतनी बड़ी राशि खर्च करके भी उसका लाभ नहीं मिले, तो यह देखना है।

माननीय सदस्य, आपके यहां इतनी संख्या में कुएं खुदे हैं, कोई इस पर प्रतिबंध नहीं है, ग्राम सभा तय करेगी। कुएं आप ज्यादा लेंगे तो उसमें दूसरे काम जो नरेगा योजना के तहत लेबर एम्प्लायमेंट के लिए दिये जा सकते हैं, उसमें ग्राम सभा तय कर ले और उसका अनुमोदन हो जाये तो आप कुएं ले लें। बशर्ते कि आप 60:40 का रेश्यो मेनटेन करें।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन यह करना था कि यह 60:40 का जो रेश्यो रखना था तो राज्य सरकार मैटेरियल का पैसा अधिक, जिस रूप में मैटेरियल का पैसा दे रहे हैं वह मजदूर को मिले और मजदूर का जो रेश्यो दिया है उसको मैटेरियल में डालें। क्योंकि हम चाहते हैं कि मजदूर को ज्यादा पैसा मिले। किसी भी निर्माण काम में, पिछली बार भी 60:40 के रेश्यो में काम कराया जाता था लेकिन वह एडजस्टमेंट करके उस काम को पूरा किया जाता था। इस बार इस रोजगार गारंटी योजना के अन्दर एडजस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा यह कहना है कि मैटेरियल का पैसा अधिक बढ़ाया जाये और लेबर का पैसा कम किया जाये। उसी रूप में नरेगा योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य जो भी आपके हो रहे हैं कुओं के अलावा, चाहे एनिकट हो या चेक डैम हो या पक्का कोई निर्माण कार्य हो, उसमें निश्चित रूप से मैटेरियल का पैसा ज्यादा लगेगा और लेबर का पैसा कम लगेगा। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैटेरियल का पैसा है उसको बढ़ाया जाये और लेबर का पैसा कम किया जाये। किसी भी रूप में मजदूर को और जगह भी मजदूरी मिल सकती है लेकिन बिना मैटेरियल के आपके निर्माण कार्य पूरे नहीं हो पायेंगे। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं उनमें अब आपका पेमेंट सीधा बैंक में जायेगा, चैक के द्वारा पेमेंट होगा। तो पंचायती राज हो या कोई भी एजेंसी हो, उस काम को पूरा करने में हिचकिचा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनमें मैटेरियल का पैसा बढ़ाया जाये और लेबर का पैसा कम किया जाये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नरेगा की गाइडलाइंस भारत सरकार तय करती है। उसमें यह स्पष्ट है कि यह रोजगार गारंटी योजना है उस पर श्रम की जो राशि है वह 40 प्रतिशत से बढ़ायी नहीं जा सकती है मगर इसमें तो हमने फिर भी रिलक्सेशन दिया। मैं खुद कह रहा हूं, आपकी जानकारी में ला रहा हूं कि अधिकांश कुएं जो खुदे हैं अगर उसको स्ट्रिक्टिली फालो कर लेते तो शायद एक भी कुआं नहीं खुद पाता। 60 प्रतिशत में तो एक भी नहीं आया। किसी पंचायत में कितने काम होने हैं यह वहां की ग्राम पंचायत तय करेगी। आप और हम और यह सदन तय करने वाला नहीं है। वह अधिकार उसको दिया है। अब कितने आदमी हैं और किसको प्राथमिकता दी जाये, अगर आप सबसे गरीब आदमी जो है उसको प्राथमिकता देकर करवाते हैं तो स्वतंत्र है वह पंचायत, उसमें कोई बीच में नहीं आयेगा मगर इसमें जो लिमिटेशन है, इस एक्ट के अन्दर प्रावधान चेंज नहीं होता है। सदन को यह अधिकार नहीं है कि उसको चेंज कर सके।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस केशवबाड़ी योजना के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में 6700 और कुछ कुएं स्वीकृत हुए हैं, यह दर्शाया है। अब प्रतापगढ़ जिला अलग हो गया जिसमें पीपलखूंट, धरियावद, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ और अरनोद सम्मिलित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन पंचायत समितियों में कितने-कितने कुएं स्वीकृत किये गये थे, कितने कुओं में पानी आया और कितने कुएं ऐसे हैं जिन पर थोड़ा और पैसा स्वीकृत करने के बाद उस काश्तकार की माली हालत सिंचाई के द्वारा सुधर सकती है? उसकी संख्या बताने का कष्ट करें।

दूसरा, क्या यह भी सही है कि जिस हिसाब से आप ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर कुएं स्वीकृत करने की घोषणा कर रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): प्रश्न मेरा यह है कि राजनीतिक भेदभाव होने की वजह से जिन्होंने सरपंच के विरुद्ध चुनाव लड़ा या मतदान नहीं किया है, उनके कुएं स्वीकृत नहीं किये गये हैं, या स्वीकृत किये हैं तो

(श्री नन्दलाल मीणा)

उनका भुगतान नहीं किया है और वे अधूरे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने कुएं ऐसे स्वीकृत हुए हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ? कितने स्वीकृत कुएं ऐसे हैं जो अधूरे हैं और उसके बावजूद भी उनको किश्त का चुकारा नहीं किया है? कृपया मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी। कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसमें आप 28 कुएं जो बता रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को तो जो रिकमंडेशन नीचे से, पंचायत से और पंचायत समिति से आनी चाहिए, वह आयी? और उसके बाद उनमें से कितने रिजेक्ट हो गये? मात्र 28 । यह जिले का आंकड़ा देखकर के भी अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि यह पूरा ट्राइबल जिला है और क्या लोगों ने केशवबाड़ी के तहत कुएं लेने की कोशिश ही नहीं की या की तो उनके फार्म सही सलामत जहां आने हैं वहां नहीं आ पाये? क्या स्थिति है?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय दोनों सदस्यों को पहले तो यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजनीतिक भेदभाव से किसी भी कुएं के लाभार्थी को रोका नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप कोई ऐसे तथ्य लायेंगे कि किसी काश्तकार को राजनीतिक कारणों से उसके भुगतान को रोका गया है तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजनीति इस योजना में कहीं आड़े नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपसे निवेदन कर दूं, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, आज 1 अप्रैल है, नया साल लगा है आज, मैं 1 अप्रैल जवाब की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, नये साल की दृष्टि से कह रहा हूं। इनमें जो कोई भी ग्राम सभा के माध्यम से आयेंगे मैं सबको ले लूंगा। आप वहां से पुष्टि करायें।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

खण्डेला में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

393. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(1) जिला सीकर में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय हैं?

(2) उक्त चिकित्सालयों में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सीकर जिले में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के खण्डेला में भी पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (श्री हरजीराम बुरड़क): (1) सीकर जिले में वर्तमान में 73 पशु चिकित्सालय संचालित हैं।

(2) सीकर जिले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

पशु चिकित्सा अधिकारी	1
पशु चिकित्सा सहायक	8
पशु धन सहायक	1
एक्सरे टेक्निशियन	1
पशु धन परिचर	23
जलधारी	12
सफाईकर्ता	19
गड़रिया	2

पदों को आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार भरा जाता है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में इस हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(4) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के खण्डेला मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय पूर्व से ही संचालित है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 73 पशु चिकित्सालयों में कितने पद सृजित

(श्री बंशीधर खण्डेला)

हैं? नम्बर दो, ये पद कितने समय से खाली हैं? नम्बर तीन, खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में और कितने पशु चिकित्सालय सरकार खोलना चाहती है? नम्बर चार, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीकर जिला पशुपालन में बहुत आगे है। इसलिए आगे आने वाले समय में सीकर जिले में पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है क्या सरकार?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग दो में बताया है कि फिलहाल नए पशु चिकित्सालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात आपने रिक्त स्थानों की कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में 225 डाक्टरों के पद खाली हैं, सीकर में सिर्फ एक है; पशु चिकित्सा सहायक के 8 पद सीकर जिले में रिक्त हैं जबकि राजस्थान में 369 पद रिक्त हैं; पशु धन सहायक का 1 पद रिक्त है जबिक राजस्थान में 715 रिक्त हैं। इस दृष्टि से अगर देखें तो सीकर जिले में नाम मात्र के पद रिक्त हैं और पूरा स्टाफ जब उपलब्ध होगा तो सारे पद भर दिए जाएंगे।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के बारे में नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने कह दिया, विचार नहीं है।

श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर के स्वास्थ्य संकुल भवन का चिकित्सकीय उपयोग

394. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के भवन में संचालित सी एम एच ओ, एड सी एम एच ओ, डिप्टी सी एम एच ओ व आर सी एच ओ कार्यालयों को नव निर्मित स्वास्थ्य संकुल भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है?

(2) क्या वर्तमान में इस भवन को परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग में लिया जा रहा है?

(3) उक्त भवन का क्षेत्रफल कितना है तथा इसमें कितने कमरे, हाल एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं?

(श्री वासुदेव देवनानी)

(4) उक्त भवन में चलने वाले परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पर गत दो वर्षो में कुल कितने प्रशिक्षण/कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा उक्त प्रशिक्षण/कार्यक्रम कितनी अवधि के थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त भवन का अन्य कोई उपयोग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार की अजमेर के जनाना अस्पताल की एक यूनिट उक्त भवन में खोले जाने की योजना है? यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)): (1) जी हां। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) एवं जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालयों को नव निर्मित स्वास्थ्य संकुल भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(2) जी हां। इस भवन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) के भण्डार (स्टोर) एवं विभाग का वेक्सीन डिपो संचालित है।

(3) उक्त भवन 2 तल का है जिसमें भूतल का क्षेत्रफल 21518 वर्ग फीट है एवं प्रथम तल का क्षेत्रफल 13842 वर्ग फीट है। उक्त भवन में हास्टल सहित छोटे-छोटे 57 कमरे, 6 हाल, 1 किचन, 7 टायलेट, 3 ब्लाक आफ टायलेट, 1 अधिकारी वर्ग एवं 1 चतुर्थ श्रेणी वर्ग का क्वार्टर उपलब्ध है।

(4) उक्त भवन में गत 2 वर्षों में आयोजित किए गए प्रशिक्षण/कार्यक्रम का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(5) जी नहीं। क्योंकि उक्त भवन का निर्माण प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु किया गया है।

(6) प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुण-अवगुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर का जैसा कि इन्होंने खण्ड तीन में

(श्री वासुदेव देवनानी)

बताया कि बहुत बड़ा भवन है जिसके प्रथम तल और द्वितीय तल को मिलाकर 35360 वर्ग फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया है। हमने इसमें पहले कुछ प्रयास किया था तो यह बताया गया था कि उसमें ये सारे कार्यालय सी एच एच ओ, एडिशनल सी एम एच ओ और बाकी इसमें कार्यालय हैं। हमारी सरकार के समय स्वास्थ्य संकुल का निर्माण हुआ और आपने अभी-अभी इसका लोकार्पण किया है। इसमें सारे कार्यालय स्थानांतरित हो गए और वह पूरी तरह खाली पड़ा है।

जैसा आपने प्रश्न के अगले खण्ड में बताया है, वहां पर इतनी बड़ी लिस्ट तो दे दी, इतने सारे प्रशिक्षण/कार्यक्रम वहां पर चले हैं और उन प्रशिक्षण/कार्यक्रमों में अजमेर के लोग ही भाग लेते हैं और अधिकांश लोग वहां पर ठहरते नहीं हैं। क्या माननीय मंत्रीजी बताएंगे कि पिछले दिनों वहां पर सी एम एच ओ और संयुक्त निदेशक और प्राचार्य, परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र में कितने दिन के प्रशिक्षण वहां आयोजित किए गए और वहां पर उस दौरान कितने लोगों ने स्टे किया? वहां पर लगभग एक ने भी स्टे नहीं किया। अधिकांश लोगों के तो मेडिकल कालेज में भी कुछ प्रशिक्षण चले हैं। वह भवन पूरी तरह बेकार है।

दूसरे खण्ड में माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहता हूं, आपने बताया कि इतने सारे वहां पर स्टोर हैं, यह आज की तारीख में आपके अजयनगर में भी है, ब्यावर में भी है और वहां से इनको कठिनाई भी हो रही है। केवल वहां पर टेम्परेरी लाए गए हैं। स्वास्थ्य संकुल इतना बड़ा है कि इसके पीछे की जमीन में सेंट्रलाइज स्टोर की भी सरकार की योजना है, जो प्रारम्भ हुई है। तो इस भवन का सरकार क्या उपयोग करना चाहती है, यह मैं आज जानना चाहता हूं।

दूसरे खण्ड में आपने कहा कि प्रस्ताव प्राप्त होने पर, इस बारे में सरकार के पास तीन पर प्रस्ताव आ चुके हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि जननी सुरक्षा योजना में अधिक से अधिक प्रसूतियां अस्पताल में हों। अजमेर में जो जनाना अस्पताल है वह शहर से 10 किलोमीटर दूर है। सारे शहर के लोग दु:खी हैं। बार-बार मांग हुई। हमारे समय में भी हमने इसका प्रयास किया, उस समय चूंकि वहां आफिस चल रहे थे इसलिए इसको कार्य रूप नहीं दे पाए। तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जनाना अस्पताल की एक यूनिट, जो बार-बार अजमेर की जनता की मांग है, आप इस

(श्री वासुदेव देवनानी)

खाली भवन में, जो बहुत बड़ा भवन है, जिसमें 57 कमरे हैं, 6 हाल हैं, वहां पर आप बनाने के बारे में क्या सोचते हैं?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पांच-छह सप्लीमेंट्री का मैं एक साथ ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। हमारे राजस्थान में खाली दो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एक हीरा बाग़ में है और दूसरा अजमेर में है। इनमें नेशनल प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग चलती है। जिसका आपने हवाला दिया है वहां इन-सर्विस ट्रेनिंग एन आर एच एम की भी चलती है, जिसमें ए एन एम, एल एस बी, एम ओ एस की ट्रेनिंग होती है इसी प्रकार से आर एच एस डी बी, स्पेशलिस्ट डाक्टर्स की भी ट्रेनिंग होती है। मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट की, टी बी की, मलेरिया की, इस तरह से हमारे वहां ट्रेनिंग होती है। मैं आपको फीगर भी बताना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर 2006-07 में 118 दिन वहां ट्रेनिंग हुई अजमेर में, 2007-08 में 90 दिन हुई, 2008-09 में 127 दिन हुई, 2009-10 में 254 दिन की ट्रेनिंग हुई। अब यह ट्रेनिंग कुछ कम इस वजह से भी हुई कि पंचायतों के चुनाव थे, स्वाइन फ्लू के इलाज में भी लोग इन्वाल्व थे।

आपने इसमें यह पूछा है कि वहां कितने दिन रेजिडेंशल और नान-रेजिडेंशल ट्रेनिंग हुई। मैंने परिशिष्ट दो में इसका जवाब दे रखा है। जैसे इंटिग्रेटेड मैनेजमेंट आफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेसेस, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग आफ लाइन सुपरवाइजर, हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग में नम्बर आफ पार्टिसिपेंट्स 206 थे और 2009-10 में वहां तीन दिन के लिए रहे। इसी तरह से इंटिग्रेटेड मैनेजमेंट आफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेसेस सुपरवाइजरी ट्रेनिंग में रेजिडेंशल में वहां 175 लोग रहे। तो यह उसके बाद ट्रेनिंग हुई। लेप्रोसी, एडोलेसेंट फ्रेंडली हैल्थ सर्विसेज, आई डी पी एंड वी पी ई पी टी, चिकनगुनिया, डेंगू, इन सारी चीजों की डिटेल मैंने आपको दे रखी है। तो यह वहां जो ट्रेनिंग होती है, यह ट्रेनिंग के अलावा वहां पर मीटिंग, जोनल मीटिंग और डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग भी वहां आयोजित कराई जाती हैं।

जहां तक मेडिकल कालेज का ताल्लुक है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वह तो मेडिकल कालेज में ही होती है। मिसाल के तौर पर एनेस्थेसिस्ट की ट्रेनिंग है वह वहां मेडिकल कालेज में है।

आपने जो ब्यावर का फरमाया है, ब्यावर से सी एम एच ओ का आफिस शिफ्ट हुआ है 2006 में। वहां जो अभी स्टोर बना हुआ है, नई बिल्डिंग में जैसे ही वहां स्टोर बनेगा, वह वहां शिफ्ट हो जाएंगे।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

आखिर में आपने जो अपनी मांग रखी है कि वहां एक यूनिट खोली जाए, तो जैसे, अध्यक्ष महोदय, सब का कहना है, पिछले दिनों में भी डिसकशन में यह आया कि मेडिकल, पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी है, इस वजह से दो जगह चलाना, नये में भी और पुराने में भी चलाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। बावजूद उसके भी मैं जैसा मैंने आखिर में यह बताया कि प्रस्ताव प्राप्त होने पर जैसा आपने कहा, जो प्रस्ताव आए हैं, हम उनको स्टडी करा लेंगे और मांग को देखते हुए अगर यह है तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो आपने लिखा है कि ट्रेनिंग हो रही हैं, वहां पर स्टे नाइट में नहीं करते हैं, खाली पड़े रहते हैं। कमरे और अब तो यह आफिसेज खुल गये, सारा भवन खाली पड़ा है, आप यदि वहां यूनिट शुरू करेंगे, अजमेर को इससे, 3 लाख की जनता को, जो शहर की जनता है, इसको बहुत बड़ा लाभ होगा और आपकी योजना का है। पूरे जनाना हास्पिटल की मैं ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल उसकी एक यूनिट यदि आप वहां पर ले आएंगे और उसके लिए एक ए एन एम या जो भी आपका स्टाफ जो वहां पर विद्यमान है, उसको आप केवल देंगे, मैं सोचता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप यदि इसकी घोषणा करेंगे, अजमेर की जनता इससे लाभन्वित होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा।

प्रतापगढ़ जिले में केशवबाड़ी योजनान्तर्गत तुरन्त विद्युत कनेक्शन

395. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम ने गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले जनजाति परिवारों को लाभान्वित करने के लिए केशवबाड़ी योजना चालू की है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या उक्त योजना के तहत चयनित परिवारों के कुएं व ट्यूबवैल के लिए तुरन्त विद्युत कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो अब तक किन-किन जिलों में कितने कुएं एवं ट्यूबवैल कनेक्शन वर्ष 2009-10 में

(श्री नन्दलाल मीणा)

दिये जा चुके हैं और आगामी वर्ष 2010-11 के लिए निगम ने जिला प्रतापगढ़ के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा है, जिससे कितने कुएं व ट्यूबवैलों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा?

(3) अजमेर विद्युत वितरण निगम में प्रतापगढ़ जिले के जनजाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले समूहों ने सामुदायिक जलोत्थान योजना के अन्तर्गत विद्युत सम्बन्ध के लिए आवेदन कब से कर रखा है और कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से (1) जी हां। केशवबाड़ी योजना अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आदेश संख्या आर.ई.अज-193 दिनांक 14.01.2010 द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में लागू की गई है।

(2) जी हां। उक्त योजना के तहत चयनित परिवारों के कुएं व ट्यूबवैल के लिए तुरन्त विद्युत कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। यह योजना उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों यथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत दिये गये कनेक्शनों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम सं.	जिले का नाम	प्राप्त आवेदन	जारी किये गये	विवरण
1	उदयपुर	0	0	
2	डूंगरपुर	41	2	चूंकि आदेश दिनांक 14.1.2010 को ही जारी हुआ है अत: लम्बित 39 कनेक्शन प्रक्रिया में हैं जिन्हें औपचारिकता पूर्ण होने पर कनेक्शन दिया जाएगा।
3	बांसवाड़ा	0	0	
4	प्रतापगढ़	0	0	

(डा. जितेन्द्र सिंह)

वर्ष 2010-11 के लिए अजमेर निगम ने जिला प्रतापगढ़ के लिए 51.66 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। वर्ष 2010-11 में जिला प्रतापगढ़ में 2000 कुओं को विद्युत कनेक्शन देना प्रस्तावित है।

(3) प्रतापगढ़ जिले के तहसील प्रतापगढ़ में ग्राम कूकड़ा एवं हरिकूकड़ा के मांग पत्र दिनांक 4.5.2009 एवं 19.11.2009 को सामुदायिक जलोत्थान योजना के तहत आवेदन प्राप्त हुए जिनके दिनांक 25.9.2009 एवं 14.12.2009 को मांग पत्र जारी किये गये लेकिन कृषि नीति अनुसार मांग पत्र नीयत तिथि तक जमा नहीं किये जाने से पत्रावलियां निरस्त कर दी गई हैं तथा ग्राम खोडवेला, ग्राम पंचायत वरकुण्डी, पंचायत समिति धरियावद में एक कनेक्शन जारी किया गया।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केवल डूंगरपुर की 41 एप्लीकेशंस विद्युत के सम्बन्ध में प्राप्त हुईं जिनमें दो दिये गये हैं, जनवरी, 2010 में यह योजना लागू हुई और उदयपुर के प्रतापगढ़ जिले में और बांसवाड़ा जिले में एक भी आवेदन इनके पास प्राप्त नहीं हुआ। अभिप्राय मेरे कहने का यह है, अध्यक्ष महोदय, कि यह योजना लागू की गई, इसके बारे में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लोगों को इसकी जानकारी मिले, इसके लिए विभाग ने क्या व्यवस्था की है?

नम्बर दो, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग 3 में यह बताया है कि प्रतापगढ़ तहसील के कूकड़ा और हरिकूकड़ा लिफ्ट योजना के बारे में हमारे पास आवेदन आए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह कूकड़ा और हरिकूकड़ा कौनसी पंचायत में हैं? प्रतापगढ़ तहसील में तो 1977 से यहां मैं आ रहा हूं, विधान सभा में, इन गांवों का नाम न तो मैंने सुना है और न इन गांवों में मैं कभी गया हूं। यह आप गांव बता दें, ये कौनसी पंचायत में हैं? अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जवाब जो दिया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष: इसका मतलब आपका ज्ञान अधूरा है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): नहीं, मेरा ज्ञान अधूरा नहीं, यह अभी फैसला बताएंगे माननीय मंत्रीजी कि किसका अधूरा है, किसका पूरा है परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि मेरा ज्ञान पूरा है, व्यवहारिक ज्ञान है। ये गांव प्रतापगढ़ जिले में यह जिला या जहां से यह लिफ्ट लगाई जा रही है, वे हैं ही नहीं।

श्री पेमाराम (धोद): कभी नया बन गया होगा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): नया बन गया होगा तो आपका कौन सा इसमें कम-ज्यादा पानी आया है क्या उधर? मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): बकड़ा का तो हो सकता है, कूकड़ा का नहीं हो सकता।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतापगढ़ से आने वाले बहुत सीनियर मेम्बर हैं हाउस के और आपने जो फरमाया कि डूंगरपुर में जो आवेदन प्राप्त नहीं हुए, 2009-10 के उसमें और उसकी जानकारी के अभाव में, मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि योजना का जो भी कार्यक्रम होता है, विभाग द्वारा समय-समय पर उनको उसके बारे में इंफार्मेशन दी जाती है। वही कारण था कि आपके आवेदन 41 प्राप्त हुए और बाकी जब डूंगरपुर से प्राप्त हो गये तो मैं समझता हूं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से प्राप्त होने चाहिए थे। डूंगरपुर वालों ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने 41 प्रस्ताव भेज दिये, जबकि आप तो बहुत सीनियर हाउस के मेम्बर हैं and probably you are one of the leading ... मेरा भी बड़ा सम्पर्क रहा है प्रतापगढ़ से, आपके वहां से, तो उसके अन्दर दुबारा 2010-11 में आपके 2 हजार कुएं स्वीकृत कर दिये गये और आपके लिए 51.66 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये गये। मैं समझता हूं आपको तो उसको तो एडवांटेज देना चाहिए और उसमें जो भी कोई रह गया हो, आपसे ज्यादा वेल-इंफोर्म्ड कोई हो ही नहीं सकता। मैं उस जिले से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं, I have got multiple relations there. तो इसलिए आप जैसे व्यक्तित्व के लिए यह इंफार्मेशन देना, मैं समझता हूं अगर आप इंफार्मेशन नहीं कर पाये तो कोई भी इंफार्मेशन नहीं कर पाएगा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा क्या व्यवस्था की गई है इसके बारे में?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): What for? काहे के लिए?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): इस प्रचार के लिए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): प्रचार के लिए आपने फरमाया कि इसको प्रचारित किया जाए तो मेरे विभाग को डायरेक्शन दे दूंगा कि वहां के जो हमारे ए.ईएन., एक्स.ईएन. हैं, वे उस क्षेत्र के अन्दर वहां पर सब को प्रचारित करें। माननीय अध्यक्ष जी...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): यह कूकड़ा का क्या है?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): यह, सर, मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि यह विभाग द्वारा इंफार्मेशन दी गई है और उसमें मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा, गांव हो सकता है, कोई मिस-प्रिंट हो, उसके बारे में मैं दावा नहीं कर रहा हूं लेकिन जिन लोगों के इनके अन्दर रह गये हैं, जिन लोगों के, मैंने कहा कि निरस्त कर दिये गये, वह रिन्युअल एप्लीकेशन दे दें and we will clear. उनको दे देंगे कनेक्शन।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा और है। अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट, धरियावद हमारी वे तहसील हैं जहां से माही निकलती है, जाखम निकलती है और जहां पर पानी लिफ्ट के जरिए गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासियों की माली हालत सुधारी जा सकती है। यदि एप्लीकेशन जलोत्थान सिंचाई योजना में नहीं आए तो कृपया आप यदि जनजाति विकास विभाग से टाइ-अप करके इस व्यवस्था को कराएं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

महानरेगा योजनान्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति के शून्य जमा खातों के संचालन हेतु राशि

396. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में महानरेगा योजना में कार्य करने वाले श्रमिकों/मजदूरों के सहकारिता विभाग के अधीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में शून्य जमा पर खाते खोले गये हैं? यदि हां, तो कितने? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में श्रमिकों के खातों के संचालन के एवज में किसी प्रकार की राशि का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो प्रति खाते कितनी व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों में खातों के संचालन के एवज में मानव संसाधन एवं स्टेशनरी पेटे राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। महानरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों/मजदूरों के सहकारिता विभाग के अधीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के शून्य जमा के कुल 27,54,156 खाते खोले गये हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(3) ग्राम सभा की पंचायत समितियों में खातों के संचालन की एवज में राशि लिये जाने के संदर्भ में भारत सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है। भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-एक में 27,54,156 खाते खोले और शून्य जमा में खोले। मैं सरकार से चाहूंगा कि पूर्ववती सरकार के समय भामाशाह योजना जिसमें बी पी एल, एस सी, एस टी और नरेगा के 1500 रुपये देकर खाते खोले गये थे, क्या इस प्रकार की कोई योजना शुरू करके आप बिना शून्य जमा ऐसी राशि देकर खाते खोलने का विचार रखते हैं? नम्बर एक।

खण्ड-दो में, यह फाइनेंस का मामला है और सारा बजट ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जाता है, उसके माध्यम से मिलता है। तो उनको पैसे को लाना, ले जाना, संचालन, स्टेशनरी, सारी व्यवस्थाएं उनके ऊपर रहती हैं। तो क्या राज्य मद से आप उन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मदद देकर के इस प्रकार से उनको मजबूत करने का विचार रखते हैं?

इसके साथ ही गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन भी नहीं हैं, व्यवस्थापक भी नहीं हैं और जहां व्यवस्थापक नहीं हैं वहां अध्यक्ष

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

काम करते हैं या अस्थायी व्यवस्थापक लगे हुए हैं। उनकी योग्यता भी जो बैंक के एल डी सी और यू डी सी होते हैं उनके समकक्ष नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां जो अनियमितताएं होती हैं, घोटाले भी होते हैं, वे योग्य नहीं रखते। इसके बारे में सरकार का क्या मानस है? क्या मानदण्ड के अनुसार खोले जायेंगे?

नम्बर तीन, यह मार्गदर्शन आपने कब चाहा है और कब तक प्राप्त हो जाएगा? ग्राम सेवा सहकारी समितियों को हम मजबूत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बिना प्रतिफल के काम कर रहे हैं। बैंकों में जब खाते खोलते हैं तो उनके मानदण्ड तय हैं, उनको प्रतिफल मिलता है सेवा के प्रति लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए आपका इतना बड़ा काम मिनी बैंक के रूप में काम हो रहा है तो इसमें सरकार को विचार करना चाहिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मांग सहकारिता से सम्बन्धित है उसके बारे में तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि वह अलग विभाग से सम्बन्धित है मगर यह सही है कि बड़ी संख्या में, 27,54,156 हमारी सहकारी के माध्यम से खाते आपरेट हो रहे हैं और जब यह बात आई कि सहकारी को इसके माध्यम से हम मजबूत करेंगे तो मैंने मेरे स्तर से भारत सरकार को लिखा है और पुन: इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखेंगे। मैं सदन की जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि इसके अलावा पोस्ट आफिस के माध्यम से नरेगा के भुगतान होते हैं और दूसरे बैंकों के माध्यम से होते हैं। भारत सरकार बैंको को भी किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करती है, न ही पोस्ट आफिस को करती है मगर अन्य योजना से यह जरूरी है कि पोस्ट आफिस को साल में एक बार 8 रुपये का भुगतान किया जाता है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था सहकारी के माध्यम से भी हो सके तो निश्चित रूप से उस सहकारी को बल मिलेगा। मैं आपकी भावना को वापस एक बार और आज इस प्रश्न से जो यहां पर उल्लेख हुआ है, पुन: इस बात को भारत सरकार की नालेज में लाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसके माध्यम से अगर हमारी सहकारिता की व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो निश्चित रूप से उसका उसको लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री सुन्दर लाल।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा कि राज्य मद से आप इन संस्थाओं के लिए या कोई ऐसी योजना चलाकर के उनको मदद देने का विचार रखते हैं या नहीं? यह पूछ रहा हूं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फिलहाल इसके ऊपर कोई विचार नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार से इसके बारे में बात करें।

श्री अध्यक्ष: श्री सुन्दर लाल।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के कृषकों को देय सुविधाएं

397. श्री सुन्दरलाल (पिलानी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अनुसूचित जाति के कृषकों को कृषि हेतु क्या-क्या सहायता दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब अनुसूचित जाति के कृषकों की हालत सुधारने के लिए सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री हरजीराम बुरड़क): (1) अनुसूचित जाति के कृषकों को देय सहायता/अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता भी बहुत बुजुर्ग हैं और मंत्री महोदय भी बुजुर्ग हैं। इसलिए थोड़ा जोर से बोलें तो सुनाई आये, सुनाई ही नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप टाइम खराब नहीं करें। बहुत कम समय बचा है।

कृषि मंत्री (श्री हरजीराम बुरड़क): (2) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कृषकों की हालत सुधारने के लिए अनवरत सहायता दी जा रही है। चालू वर्ष में दी जा रही सहायता/सुविधाओं का विवरण कार्यक्रम/योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसमें बीज के लिए एक हजार रुपये के लिए कहा तो कितने शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कब कितना दिया? यह बता दें।

(श्री सुन्दरलाल)
यदि दिये हैं तो यह बताने की कृपा करें कि झुन्झुनूं जिले में कहां-कहां दिया है?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): जवाब दे रहा हूं। जो पूछा है वह तो मैं सुन नहीं पाया। एक मिनट।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): आपको नहीं सुनता होगा, मैं तो डांट मारता हूं अच्छी। मैं तो बिना माइक सुना दूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आप विराजो एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम की सूचना हाउस को देने का मुझे अवसर दिया। 2008-09 में इस कार्यक्रम के लिए बजट का प्रावधान था वह 7.02 करोड़ था, वर्ष 2009-10 में 27.21 करोड़ था और अब इस प्रोग्राम में इस साल के बजट में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। व्यवधान नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): 2010-11 के लिए इस प्रोग्राम में 201.23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि 25.57 प्रतिशत है। जबकि सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जो लिखा गया है उसमें 17.20 प्रतिशत का प्रोविजन करने का लिखा था पर हमने इसको बढ़ाकर 25.57 प्रतिशत किया है।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): अध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि दलहन, तिलहन और सरसों में पूर्व में कितना पैसा था और उसमें से शिड्यूल्ड कास्ट वालों को दिया क्या? अनुदान दिया क्या कहीं? यह जो बीज बाजार में बिकता है, जो आप बीज देते हो वह मिलता ही नहीं। हमारे तो जैसे चाय की दुकान पर थैली रखते हैं, हरियाणा से लाते हैं और वह चाय की दुकान पर रखते हैं। तो शुद्ध बीज कोई भिजवाते हो क्या? कहीं और भिजवाते हो तो शिड्यूल्ड कास्ट वालों को कितना पाले पड़ता है? यह आप इसमें बतायें। एक-एक पूछेंगे।

श्री पेमाराम (धोद): किस-किस को दिया?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने प्रश्न पूछा, उसका पूरा विवरण आपको इसके साथ दे दिया। इसमें ऐसा कहीं नहीं पूछा था कि सरसों में क्या दिया और बीज में क्या दिया। सवाल यह है कि कुल मिलाकर के कितना प्रतिशत कृषि विभाग द्वारा इन जातियों पर खर्च किया गया है और वह मैंने कहा कि 6 से लेकर 201 तक पहुंच गये। फिर भी आप उल्टी बात कर रहे हो।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि इसमें 50 प्रतिशत कितने किसानों को अनुदान दिया है, यह बताने की कृपा करें। कृषि यंत्र खरीदने के लिए, ट्रैक्टरों के लिए...

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): ट्रैक्टरों के बारे में आपने नहीं पूछा है।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): ट्रैक्टरों के लिए न तो कोई लोन दिया....

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अब यह लाखों की संख्या एक मिनट में थोड़े ही आती है। आपने पूछा है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु क्या-क्या सहायता दी जा रही है, इसका विवरण आपको दे दिया। एक-एक योजना का पूरा विवरण आपको दिया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मंत्री महोदय, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को निर्देशित करें कि ये तैयारी करके आया करें। तैयारी के साथ ये मंत्री सदन में आया करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): इससे सम्बन्धित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है और आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं सदन में।

श्री पेमाराम (धोद): कोई आपके पास आंकड़े हैं, सूची है तो वह बताने का कष्ट करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सीधा-सीधा प्रश्न था...

श्री अध्यक्ष: कृपया माइक को छोड़ दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ...कि अनुसूचित जाति के कृषकों की हालत सुधारने के लिए सहायता देने का सरकार विचार रखती है? अनुसूचित

(डा. दिगम्बर सिंह)

जाति के व्यक्ति अगर ट्रैक्टर खरीदना चाहे तो कितना अनुदान देंगे? कोई कृषि यंत्र खरीदना चाहे तो कितना अनुदान सरकार देगी? यह सीधा-सीधा पूछा है। तो इसका तो मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दिया न।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, न तो कोई इसमें संख्या का पूछा, जो पूछा उसका पूरा विवरण दिया और उसके बाद में अलग से यह सारा विवरण दे दिया कि 2008-09 में क्या था और आज इसमें क्या है। 7 करोड़ से बढ़ाकर के हमने 201.23 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है और पिछले साल में भी 27.21...

श्री पेमाराम (धोद): दिया किसको है यह पूछ रहे हैं, प्रोविजन नहीं पूछ रहे हैं। दिया किसको? आप यह बतायें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): यह अलग-अलग नहीं है।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रावधान नहीं पूछ रहे हैं, प्रावधान कितना किया यह नहीं पूछ रहे हैं, दिया किस-किस को है यह पूछ रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): कितना फायदा दे रहे हैं यह पूछ रहे हैं। मंत्रीजी से जवाब दिलवायें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): यह प्रश्न अलग है, आप अलग से पूछिये।

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल।

प्रदेश में संविदा दन्त चिकित्सकों की स्थाई नियुक्ति

398. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) (श्री पवन कुमार दुग्गल के स्थान पर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में दन्त चिकित्सकों के कुल कितने पद सृजित हैं एवं इनमें से कितने रिक्त हैं व कितने पदों पर संविदा दन्त चिकित्सक कार्य कर रहे हैं?

(2) गत 10 वर्षों में कितने दन्त चिकित्सकों को संविदा पर नियुक्ति दी गई है? क्या राज्य सरकार इन्हें नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री अमराराम)

(3) क्या नियुक्त संविदा चिकित्सकों में से किसी चिकित्सक की सेवायें समाप्त की गई हैं? यदि हां, तो किन-किन की व किन कारणों से?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) : (1) राज्य में दंत चिकित्सकों के कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या तथा संविदा/अस्थाई दंत चिकित्सकों का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में गत 10 वर्षों में निदेशालय स्तर एवं राज्य सरकार के स्तर से चिकित्सा अधिकारी (दंत) को समेकित/अनुबन्ध पर नियुक्ति दिये जाने हेतु कोई निर्देश प्रदान नहीं किये गये। राज्य सरकार द्वारा एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी को ही समेकित/अनुबन्ध पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। उसके उपरान्त भी सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बी.डी.एस. योग्यताधारी अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा नियुक्ति दी गई थी, जिनमें से वर्तमान में पांच दंत चिकित्सक कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

चिकित्सक का नाम	पदस्थापन स्थान
डा. राजीव सिडाना	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीकरणपुर
डा. आशा रानी राठौड़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झालरापाटन
डा. चारू शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर (बांसवाड़ा)
डा. अभिषेक माथुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतारण (पाली)
डा. सुनीता यादव	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबड़ा (बारां)

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले मेडिकल/दंत कालेज में संविदा पर नियुक्त दंत चिकित्सकों की सूचना परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

जी नहीं। वर्तमान में संविदा दंत चिकित्सकों को नियमित करने की कोई नीति विचाराधीन है।

(3) जी हां। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी (दंत) को समेकित/अनुबन्ध पर नियुक्ति दिये जाने हेतु कोई निर्देश प्रदान नहीं

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

होने तथा राज्य सरकार द्वारा एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी को ही समेकित/अनुबन्ध पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान होने के कारण संविदा पर नियुक्त निम्नलिखित दंत चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं:-

चिकित्सक का नाम	पदस्थापन स्थान
डा. राजीव सिडाना	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीकरणपुर
डा. आशा रानी राठौड़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झालरापाटन
डा. चारू शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर (बांसवाड़ा)
डा. अभिषेक माथुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतारण (पाली)
डा. सुनीता यादव	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबड़ा (बारां)

वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 818/08 एवं 918/08 की पालना में उपरोक्त चिकित्सक अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य कर रहे हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले मेडिकल कालेज में संविदा पर नियुक्त दंत चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, का विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं कांस्टीट्यूशन का एक मामला उठाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। पहले मुझे व्यवस्था देने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन पांवों पर है तो बाद में मैं व्यवस्था को उठाना चाहता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री बहादुर सिंह एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से जिला भरतपुर की बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हबीबुर्रहमान एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में मुस्लिम लोगों की आर्थिक तरक्की एवं खुशहाली के लिए उन्हें आरक्षण का लाभ देने के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से राज्य के विद्युत वितरण निगमों द्वारा विद्युत सुधार की बजाय सूचना प्रौद्योगिकी पर करोड़ों रुपया खर्चा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री बंशीधर खण्डेला एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में गैस डीलर्स द्वारा नये गैस कनेक्शंस देते समय जबरन अन्य सामग्री दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर की विश्व प्रसिद्ध जलमहल झील 99 वर्ष की लीज पर एक फर्म को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य में नरेगा मजदूरों के हकों के साथ हो रहे कुठाराघात एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री ओम बिरला एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में पुरातन एवं ऐतिहासिक पानी की झीलों में हो रहे अतिक्रमण एवं उनके आसपास की जमीन को लीज पर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(8) डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर में अकाल के भीषण प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए चारा डिपो की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में इन दिनों बड़ी मात्रा में मिलावटी व नकली दवाई के विक्रय की कार्यवाही धड़ल्ले से चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री हरिसिंह रावत एवं 15 अन्य सदस्यों की ओर से सुरजीत नगर बदनपुरा (फकीरों की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने के सम्बन्ध में।

(11) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 250 रुपये करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डा. गोपाल जोशी, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री हरिसिंह रावत एवं श्री पेमाराम को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु स्वीकृत हैंड पम्प व नलकूप आदि कार्यों की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था की कमियों के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में निर्मित किये गये एन.एच. 76 के फोर लेन निर्माण में ठेकेदारों के भारी वाहनों द्वारा तोड़ी गई अन्य सड़कों का नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुखराम, सदस्य की ओर से धौलपुर में फल-फूल रहे नकली दवाओं के कारोबार को रोकने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना में बी.ओ.टी. रोड संवेदक द्वारा सड़क का संविदानुसार रख-रखाव नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से कस्बा भुसावर के चिकित्सालय में रिक्त चल रहे चिकित्सकों के पद पर पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती रोहिणी कुमारी, सदस्य की ओर से हिण्डौन जिला करौली के रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराने की आवश्यक्ता के सम्बन्ध में।

(8) श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना की कतिपय मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कर उनका डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में आवासीय भवनों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों से पार्किंग की समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(10) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर की नया गांव के पास बसी बस्ती जोगमाया की ढाणी को नियमित कर पट्टा देने के सम्बन्ध में।

(11) कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जैसलमेर में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का अभाव होने के सम्बन्ध में।

(12) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से नगरपालिका जहाजपुर में सम्मिलित दूर-दराज के गांवों को अलग कर नई ग्राम पंचायतों के गठन की कार्यवाही कराने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: उप नेता फरमा रहे हैं। बीच में आप क्या बोल रहे हैं?

व्यवस्था का प्रश्न

मंत्री द्वारा अस्वस्थतावश सदन से अनुपस्थित अनुमति पश्चात् सार्वजनिक समारोह में भाग लिया जाना

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के आर्टिकल 190 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हूं। आर्टिकल 190 के खण्ड (4) के अन्तर्गत - "If for a period of 60 days, a member of a House of the Legislature of a State is without permission of the House absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant: ..." अगर कोई माननीय सदस्य अपने यहां बिना सूचना दिये सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी मैम्बरशिप 60 दिन के पश्चात् निलम्बित कर देते हैं। इस निलम्बन से बचने के लिए राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 175 के अन्तर्गत अनुपस्थिति के लिए आवेदन का हमारे यहां विधान किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ''(1) जो सदस्य संविधान के अनुच्छेद 190 के खण्ड (4) के अन्तर्गत सदन की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्राप्त करना चाहे, वह अध्यक्षजी को लिखित रूप में आवेदन देगा।''

"(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र में उस कालावधि का उल्लेख होगा जिसके लिए अनुपस्थिति की अनुमति अपेक्षित हो और उसमें ऐसी अनुपस्थिति की अनुमति के आरम्भ होने तथा समाप्त होने की तिथि और अनुपस्थिति की अनुमति के आधार भी दर्शाये जायेंगे।

परन्तु किसी एक समय साठ दिन की कालावधि से अधिक की अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया जायेगा।''

अध्यक्ष महोदय, 12 मार्च को इस सदन में इसी नियम के अन्तर्गत आपने सदन में विनिश्चय के लिए एक प्रस्ताव रखा कि माननीय मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने जो बीमार हैं और बीमारी के कारण से सदन से दो सप्ताह के लिए अनुपस्थिति अनुमति चाही है। उसको इस सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने 'हां' मत के द्वारा स्वीकृत कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन बातें देखी जाती हैं। अनुमति 60 दिन से अधिक की ना हो; अनुपस्थिति का कारण हो, आधार बताया गया हो; और अनुपस्थिति के लिए समय सीमा दी गई हो। मैं निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने जो यहां पर अनुपस्थिति अनुमति मांगी थी, उसमें 12 मार्च से यह मांगी थी कि वे बीमार हैं और उनकी चिकित्सा वहां पर होनी है। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, 12 मार्च के बाद में 15 मार्च को उदयपुर के जिला प्रभारी मंत्री के नाते बैठक ली। कलक्टर आनन्द कुमार उसमें सम्मिलित थे। 30 मार्च को घाटोल तहसील के गोरधन पाड़ोली गांव में कृषि विभाग के कार्यक्रम में शरीक हुए। 21 मार्च को केन्द्रीय भूतल राज्य मंत्री श्री

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

महादेव सिंह खण्डेला के साथ बनास नदी पर पुल के शिलान्यास में सम्मिलित हुए। 23 मार्च को आनन्दपुरी में सुद्राव गांव में जिला प्रमुख जो उनकी पत्नी हैं, के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 25 मार्च को बागीदोरा सामुदायिक केन्द्र के नये भवन के लोकार्पण के समय वहां उपस्थित थे। 30 मार्च को केन्द्रीय आदिम जाति मंत्री तुषार चौधरी के साथ कातरिया में पोलीटेक्नीक कालेज के उद् घाटन समारोह में उपस्थित थे। पिछले सप्ताह सचिवालय में बैठे और जनजाति क्षेत्रीय विकास की बैठक ली। यही नहीं, विधान सभा में जिस दिन उनकी डिमांड्स पर चर्चा हुई, उस दिन भी वे सचिवालय में थे और सचिवालय में बैठकर काम किया और माननीय परसादी लालजी मीणा ने उनका यहां पर जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 29 मार्च को गुजरात की सीमा में भुवानपुरा में गुब्बारे में बैठकर ऊपर की यात्रा की।

कुल मिलाकर तीन बातों का इसमें खंडन हुआ। पहली बात, इस सदन को गलत सूचना दी गई, एक। नम्बर दो, इस सदन के साथ इसके विशेषाधिकार का हनन किया गया। नम्बर तीन, मंत्री परिषद् के नाते उनके जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही की गई। नम्बर चार, सदन की मजाक उड़ाई गई। घूम रहे हैं मंत्रियों के साथ, कार्यक्रम कर रहे हैं मंत्रियों के साथ, सचिवालय में बैठे हैं। नहीं आयें मंत्री; कोई आवश्यक नहीं है, मंत्री आयें कि नहीं आयें; उनकी इच्छा पर निर्भर है लेकिन सदन में यह लिख कर भेजना कि मैं बीमार हूं और बीमारी के कारण से मैं नहीं आ सकता, उसके बाद में इस प्रकार का मखौल सदन का उड़ाना, मैं समझता हूं कि ऐसी बड़ी भूल हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी मंत्री ने, हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी मंत्री ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं की होगी और इसके लिए दण्ड की व्यवस्था भी, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आपको करनी है, और किसी को नहीं करनी है।

मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस बात का निर्णय किया जाय, एस एम एस हास्पिटल के तीन वरिष्ठ डाक्टरों की एक कमेटी बनाई जाय और कमेटी बनाकर वे इस बात की जांच करें कि उनको राजस्थान के बाहर इलाज के लिए जाने के लिए किन्होंने कहा और किस इलाज के लिए उनको जाना था, किस चिकित्सक से उनको जांच करानी थी और उनके क्या बीमारी है, एक।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की एक संयुक्त समिति बनायें और वह समिति बनकर आपको रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के बाद में, अध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार प्राप्त है, इस रिपोर्ट के अन्तर्गत जो शिड्यूल 10 आफ द कांस्टीट्यूशन है, उसके अन्दर आपको अधिकार प्राप्त है, ''The Chairman or the Speaker of a House, may, without prejudice to the provisions of Article 105 or, as the case may be, Article 194, and to any other power which he may have under this Constitution, direct that any willful contravention by any person of the rules made under this paragraph may be dealt within the same manner as a breach of privilege of the House." अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा है कि जो नियम आपने बनाये हुए हैं उन नियमों के अन्तर्गत अगर उन नियमों का कोई ब्रीच होता है तो आपको ब्रीच आफ प्रिविलेज का अधिकार है और आप उस मैम्बर की मैम्बरशिप को समाप्त कर सकते हैं। इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं आयेगा राजस्थान की, हिन्दुस्तान की विधान सभाओं में कि मंत्री सदन को यह सूचित करे कि वह बीमार है, सदन उनको छुट्टी दे और सदन की छाती पर बैठ कर, प्रेस के सामने, सारी दुनिया के सामने बैठ कर वह इस प्रकार की बात करे। उसकी मैम्बरशिप समाप्त होनी चाहिए लेकिन सीधी मैम्बरशिप समाप्त करना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम चाहेंगे कि आप एक तो कमेटी बनायें, कमेटी बनायें डाक्टरों की जो इस बात की जांच करे कि बीमार थे कि नहीं, और बीमार थे तो उनको कहां इलाज कराना था। दूसरा, सदन के सदस्यों की आप कमेटी बनायें और कमेटी बनकर जांच करे कमेटी और कमेटी जांच कर आपको रिपोर्ट दे और रिपोर्ट देने के बाद में शिड्यूल 10 जो कांस्टीट्यूशन का है उसके अन्तर्गत उनकी मैम्बरशिप खतम की जाय ताकि सदन के साथ, राजस्थान की जनता के साथ किसी को मजाक करने का, उसकी अवमानना करने का ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं हो। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम कार्यवाही नहीं करेंगे तो हमारी और भी बात खराब होगी। आज राजस्थान के, 'राजस्थान पत्रिका' के फ्रंट पेज पर यह खबर छप कर गई है, सारे राजस्थान में यह खबर छपी है, और अखबारों में भी छपी है, राष्ट्रदूत, राजस्थान पत्रिका, बहुत से अखबारों में यह खबर, फोटोग्राफ छपे हैं और इसके बाद में अगर यह सदन काग्निजेंस नहीं लेगा और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि यह मामला किसी व्यक्ति के द्वेष का नहीं है, यह सदन की, उसकी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मर्यादाओं का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पर निश्चित रूप से विनिश्चय करेंगे, यह मेरी आपसे सादर प्रार्थना है। मामला संविधान के अन्तर्गत है इसलिए आप निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, यही मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, एक बार उनको । (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने एक विषय यहां सदन के सम्मुख रखा, प्रक्रिया के नियम 175 के अन्तर्गत कोई भी माननीय सदस्य जो किसी अवधि विशेष के लिए सदन से अपनी अनुपस्थिति के लिए निवेदन करता है, सदन उस पर आसन की व्यवस्था के अनुरूप अपनी सहमति जाहिर करता है, उसी के अनुरूप उनको इजाजत दी जाती है। यह बात सही है कि माननीय इस सदन के सदस्य और मंत्री मालवीयजी ने अपनी अस्वस्थता के नाम पर यहां पर आवेदन पेश किया था और उस आवेदन के चलते सदन ने सहमति दी थी और उस सहमति के अनुरूप वे यहां से अनुपस्थित हैं। समाचार पत्र के माध्यम से जिस बात को प्रतिपक्ष के...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): समाचार का माध्यम नहीं लिया है मैंने।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): उप नेता महोदय ने इस बात को, आपने भी समाचार पत्र का उद्धरण पेश किया है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं-नहीं, नहीं, पहले एक मिनट...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): एक मिनट मेरा निवेदन, पहले मेरी बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ना-ना, समाचार का मैंने नहीं लिया है, मैंने कहा, यह...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): पहले मेरी बात सुन लीजिये, निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात आ जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह मैंने कहा है, मेरी पर्सनल जानकारी में है और समाचार में भी छपा है। यह कहा है मैंने।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह ठीक है, दोनों बात आ गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस सब में चूंकि माननीय मंत्री महोदय अभी यहां पर उपस्थित नहीं हैं...

श्री अध्यक्ष: नियमों की क्या स्थिति है, आप तो वह बताओ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): नियमों के अन्तर्गत ही मैं बात रख रहा हूं। वे उपस्थित नहीं हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उनका इसमें स्पष्टीकरण आ जाय, उसके बाद ही कोई बात आये, यह मेरा निवेदन है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो करंट मार रहा है साहब, इसको तो ठीक कराओ। करंट मार रहा है यह।

श्री अध्यक्ष: आप उसको अंगुली करते ही क्यों हो?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अंगुली नहीं करता, मैं तो चालू कर रहा था साहब।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल रखा है और सरकारी मुख्य सचेतक ने कि स्पष्टीकरण, मैं समझता हूं, इसके बाद स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है...

श्री अध्यक्ष: बस, तो आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा इस सदन का सबसे बड़ा अपमान है कि वे सचिवालय में बैठे रहें और उनकी मांग यहां डिसकस हो, वे मंत्री के साथ, राजस्थान सरकार के और केन्द्र सरकार के मंत्री के साथ प्रोग्राम में जाते रहें और इस सदन की सर्वसम्मत अनुमति की जिस तरह से धज्जियां उड़ायें, मैं समझता हूं, यह किसी व्यक्ति का नहीं, सवाल इस सदन के विशेषाधिकार और सम्मान का है। इसलिए निश्चित रूप से जांच करवाई जानी चाहिए और...

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ऐसे मंत्री को मंत्री रहने का कोई हक नहीं है...

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार को उनसे तुरन्त इस्तीफा ले लेना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज, एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें। हो गई बात सारी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, एक सेकंड। मैं एक नई बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रक्रिया के नियम 175 के तहत जो अनुपस्थिति के लिए आपसे अनुमति मांगी थी, सदन ने अनुमति दी, वह अनुमति का समय भी समाप्त हुए चार दिन हो गये। मैं आपकी नालेज, आपकी जानकारी में इसलिए लाना चाहता हूं, चार दिन समाप्त होने के बाद उन्होंने न तो सदन में यह लिख कर दिया कि वे स्वस्थ हो गये हैं या अस्वस्थ हैं तो अनुमति उन्होंने आगे बढ़ाने की बात की है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा यक्ष प्रश्न सदन के सामने आ गया, यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है और यह आप जैसे व्यक्तित्व, जो विद्वान व्यक्ति आसन पर विराजे हैं..

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उनकी विद्वता की भी बात का सवाल है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

एक माननीय सदस्य: आप +++ लगा रहे हो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: +++ नहीं लगा रहे। +++ एक्सपंज कर दिया जाय। आपको कुछ कहना है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जी हां। अध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है मंत्रीजी की अनुपस्थिति की, यह बात सत्य है कि मंत्रीजी ने बाकायदा आवेदन अपना पेश किया और उस आवेदन पर आपने सदन की सहमति ली। आज जो जिस प्रकार से सारे समाचार पत्रों में छपा है उसको बेस बना करके आपने यह बात उठाई है... (व्यवधान) देखिये, बीच में मत बोलियेगा, मेहरबानी करिये। आप बोले, मैं कभी नहीं बोला हूं बीच में, हां।

श्री अध्यक्ष: बोला, आपके लिए यह कभी बीच में नहीं बोले हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं। आप उसके बाद आरोप लगाते, लगाते, लगाते आपने यह भी कहा कि वे अपनी पत्नी के साथ आदर-सत्कार में भी शामिल थे, वे मेले में भी गये, वे फलां तारीख को सचिवालय के कक्ष में भी मौजूद थे, वे वहां पर भी थे, वे वहां पर भी थे। आपने एक दस्तावेज सदन की मेज पर नहीं रखा। इसका अर्थ यह है कि आपने सारी की सारी जो कुछ बात कही वह समाचार पत्रों के माध्यम से कही, व्यक्तिगत माध्यम से नहीं कही। पहला निवेदन यह है मेरा।

दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आपने यह कहा कि सदन की समिति बनाई जानी चाहिए। सदन की समिति किन दस्तावेजों को देखकर के फैसला करेगी? कोई दस्तावेज तो हो। क्या समाचार पत्रों को देखकर के फैसला करेगी? तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जो पूर्व में प्रतिपक्ष की नेता थीं...

श्री अध्यक्ष: छोड़ो न उसको।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, साहब, मुझे बोलने दीजिये आप। मुझे आपने इजाजत दी है, इजाजत दी है मुझे बोलने की।

पूर्व में जो प्रतिपक्ष की नेता थीं श्रीमती वसुन्धरा राजे, उन्होंने कितनी बार आपको आवेदन दिया, कितने दिन के लिए दिया, क्या कारण बताये, किन कारणों से वे अनुपस्थित रहीं और उसके बाद में कितनी बार जो है उन्होंने अपने आवेदन को बढ़ाया, उनका भी जवाब आ जाए। देखिए, अध्यक्ष महोदय, आदमी बीमार होता है। लेकिन बीमारी का अर्थ यह भी नहीं होता है कि वह बिलकुल ही बिस्तर पर लेट जाए। (व्यवधान) मुझे मेरे तर्क तो दे लेने दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सच्चाई से तकलीफ होती है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बीमार होने के बाद वह सीधा का सीधा डाक्टर की एडवाइस के अनुसार काम करता है। डाक्टर उससे यह कहता है तुम्हें बाथरूम जाना है, नहीं जाना है; डाक्टर यह कहता है कि तुम्हें यह खाना है; यह खाना है; डाक्टर यह कहता है कि तुम्हें कम से कम भी एक किलोमीटर तक पैदल चलना है, पैदल चलना है; डाक्टर यह कहता है उससे कि तुम्हारा आपरेशन दस दिन बाद करूंगा। अगर इस बीच में, अहमदाबाद में आपरेशन करवाने के लिए उन्होंने तय किया, उनके पेट में अल्सर था, डाक्टर ने उनको यह एडवाइस दी कि अभी मैं आपको थोड़े दिन बाद, जो दवा मैं देना चाहता हूं उस दवा का असर देखने के बाद में मैं आपकी तारीख तय करूंगा कि आपका आपरेशन कब होगा। इस बीच में उन्होंने डाक्टर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

से इजाजत ली कि मैं क्या-क्या काम कर सकता हूं। अगर वे काम उन्होंने कर दिये तो क्या गजब कर दिया? क्या गजब कर दिया? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय मंत्रीजी की सभी बातों को स्वीकार करता हूं। मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सदन का भी, माननीय अध्यक्ष का भी और मेरा भी रास्ता प्रशस्त कर दिया है। उन्होंने पहला प्रश्न कहा कि वह कौनसा डाक्यूमेंट देखेगी समिति।

श्री अध्यक्ष: मेरा रास्ता तो मैं ढूढूंगा, आपके और इनके कहने से नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, ढूढेंगे पर मैं रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आसन को निवेदन करना है कि वह रास्ता भी आता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्यूमेंट देखेंगे माननीय मंत्रियों के जो कार्यक्रम जारी होते हैं केन्द्रीय मंत्रियों के, वे कार्यक्रम; फिर उनके कार्यक्रमों में जो लोग उपस्थित रहे, वह; उन कार्यक्रमों में और हमारे मंत्रीजी जो कार्यक्रमों में गये, वह कागज; उन कागज पत्रों में अगर महादेव सिंह खण्डेला के साथ, केन्द्रीय मंत्रियों के साथ, इनके साथ और हमारे विभाग के द्वारा की गई प्रेस विज्ञप्तियों के साथ और जिन क्षेत्रों में काम हुए हैं, उन जिला कलक्टरों ने मंत्रियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की; उनके साथ-साथ हम कौन-कौन लोग गये, यह देखने के लिए समिति बनेगी। समिति निष्पक्षतापूर्वक कार्य कर सके, हमारे माननीय मंत्रीजी के खिलाफ कोई इस प्रकार की बात नहीं आये जो गलत हो, इसलिए समिति इन सारे तथ्यों को जाकर देखेगी। एक बात।

दूसरा, आपने यह कहा कि उन्होंने अख़बार की कटिंग के आधार पर कहा। इसमें दो बात है, समाचार की कटिंग के आधार पर आरोप नहीं लगा सकते लेकिन समाचार पत्र में अगर यह छपा है कि माननीय धारीवाल जी वहां पर गये और उन्होंने इसका उद्‌घाटन किया तो वह एक जानकारी का स्रोत होता है, चैनल भी जानकारी का स्रोत है। लेकिन यह सब काम मेरी पर्सनल जानकारी में है कि वे इस दिन इन उपस्थितियों में यहां पर गये। क्योंकि मैंने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चैनल में भी खबर देखी और इसमें अख़बार में भी पढ़ी और मैंने यह जानकारी की कि कौन कहां पर गये हुए हैं।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि डाक्टर किसी को राय दे कि इतनी दूर चलो, इतनी दूर मत चलो और डाक्टर की राय के आधार पर काम होना चाहिए बिलकुल मैं आपसे सहमत हूं। इसलिए मैंने कहा, एस एम एस हास्पिटल के तीन डाक्टरों की समिति बना दी जाए जो समिति माननीय मंत्रीजी ने जो बात कही है, उसके हिसाब से मंत्रीजी का परीक्षण कर ले और वह काम हो जाए।

तीसरी उन्होंने एक बात कही कि सदन की भूतपूर्व मुख्य मंत्री, प्रतिपक्ष की नेता ने अनुपस्थिति की सूचना नहीं ली। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी नियम में साफ-साफ प्रावधान है कि 60 दिन तक किसी को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वसुंधराजी को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार के उदाहरण तो बहुत बार हुए हैं। जब अशोकजी गहलोत थे महामंत्री और यहां पर आते तो एक दिन सदन में आते थे और बाहर आकर चले जाते थे। उन्होंने पांच साल तक कभी भी अनुमति नहीं ली।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वे एक दिन तो आते थे, वे तो आती ही नहीं हैं, दर्शन ही नहीं देतीं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए, अध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न अलग है, यह प्रश्न अलग है। सदन में सूचना देकर, सदन से लेकर, मैं नहीं चाहता, गलत काम हो। इसलिए मैंने पहले कहा कि तीन डाक्टरों की समिति बनाई जाए। अहमदाबाद के डाक्टर ने कह दिया कि वहां से आप जाकर स्कार्पियों में जाएं, गुब्बारे में जाए, आपको छूट है, हम स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अहमदाबाद के डाक्टर ने कहा, वहां पर आप भांगड़ा डांस करें, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हमको स्वीकार है, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि जो सारे सुझाव जो सत्ता पक्ष ने दिये हैं वे स्वीकार हैं, सारे सुझाव जो माननीय बेनीवालजी ने दिये हैं वे स्वीकार हैं, सारे सुझाव जो माननीय धारीवालजी ने दिये हैं वे स्वीकार हैं और मंत्रीजी का स्पष्टीकरण भी आवश्यक है। इसलिए समिति जो होगी वह मंत्रीजी से स्पष्टीकरण भी ले लेगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बिलकुल ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, तीन आदमियों की नहीं...

श्री अध्यक्ष: बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, मंत्रीजी। मंत्रीजी, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। पहले इनकी बात पूरी हो जाने दें, बात पूरी हो जाने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): Let me complete. इसलिए, अध्यक्ष महोदय, अब आपके सामने विनिश्चय का एक ही मुद्दा बचा है जिस पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमत हैं कि डाक्टरों की समिति बना दी जाए ताकि जो अहमदाबाद के डाक्टर से राय ली उसकी जांच हो जाए, एक मंत्रीजी का स्पष्टीकरण ले लिया जाए ताकि कमेटी बन जाए और इस डाक्यूमेंट की जांच हो जाए। इसलिए मैं उन सारे प्रस्तावों को स्वीकार करता हूं जो संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहे हैं और जो सचेतकजी ने कहे हैं और अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि आज ही आप इसका विनिश्चय करके यह कमेटी बनायें ताकि सदन की मर्यादाओं को ध्यान में रखा जाए और किसी भी माननीय सदस्य को सदन की मर्यादा को खण्डित करने का और राजस्थान की विधान सभा की प्रतिष्ठा को और विशेषाधिकार के हनन का, समाप्त करने का और कांस्टिट्यूशन के 190 आर्टिकल का उल्लंघन करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो। मैं चाहता हूं, यह एक बहुत बड़ा निर्णय होगा और इस निर्णय में हम मंत्री महोदय मालवीयजी के साथ में भी न्याय कर सकें और सदन के साथ भी न्याय कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस बात पर कोई एतराज नहीं है किस तरीके की जांच हो। क्योंकि जिस तरीके का यह मामला आपने उठाया है और फिर यह कह दिया कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी में हैं, टी.वी. देखकर के, वहां से टेलीफोन आ गये होंगे, वहां सब कुछ और कुछ निमंत्रण पत्र भी बंटे होंगे वहां पर, तो उनकी भी शायद कापी आपके पास आ गई होगी, वगैरह-वगैरह, जो कुछ भी है, वे सब दस्तावेज आप यहां रखेंगे ही रखेंगे। एक मेरा यह निवेदन है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो एक डाक्टर, दो डाक्टर चाहे वह फिजिशियन हो, चाहे वह सर्जन हो, चाहे वह...

श्री अध्यक्ष: अहमदाबाद कहां से आ गया? वे गुडगांवा के लिए गए हैं। मंत्रीजी, यह अहमदाबाद कहां से आ गया, गुडगांवा गये हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो भी है, वह भी मैं बता रहा हूं आपको, अहमदाबाद हो, गुडगांव हो, लंदन हो, कहीं भी हो, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो ट्रीटिंग डाक्टर होता है वह ट्रीटिंग डाक्टर ही जो है वह दवा

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

उसको प्रेस्क्राइब करता है, वह ट्रीटिंग डाक्टर ही उसको फिजियोथेरेपिस्ट बताता है, वह ट्रीटिंग डाक्टर ही उसको डाइट बताता है, वह ट्रीटिंग डाक्टर ही उसको बताता है कि तेरी दिनचर्या यह-यह रहेगी, इस वक्त तू सोएगा, इस वक्त तू आराम करेगा। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए, आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस बात की जांच करवाई जाए तो मेहरबानी करके उस ट्रीटिंग डाक्टर की एडवाइस के अनुसार आप फैसला करें।

श्री अध्यक्ष: एक बात आप भूल गये। ऐसे मामले में सदन में कहीं गम्भीर प्रश्न आये तो सदन में इस तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर राय बताता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): राय दे दी न, मैंने आपको राय दे दी है कि जिस ट्रीटिंग डाक्टर से उनका इलाज चल रहा है, उस ट्रीटिंग डाक्टर ने उनको क्या-क्या सलाह दी है, उनकी सलाह लेना आपके लिए मैं समझता हूं कि हितकर रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह भी स्वीकार है। अध्यक्ष महोदय, जो उनका ट्रीटमेंट कर रहा है वह डाक्टर भी एस एम एस हास्पिटल के तीन डाक्टरों की समिति में शामिल हो जाए ताकि डाक्टर-डाक्टर बात करे तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी का यह सुझाव भी, मैं यह सुझाव इसलिए स्वीकार कर रहा हूं, मेरा किसी बात के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, स्कोर नहीं है, न कोई आलोचना है, न हम कोई मंत्रीजी का वह नहीं करना चाहते हैं। सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, इसलिए दोनों पक्षों के जो सुझाव आये हैं, अध्यक्ष महोदय, वह दोनों पक्षों के सुझाव ही आप स्वीकार लें और इनके सुझाव के आधार पर ही समिति बना दें और इनके सुझाव के आधार पर काम कर दें। ताकि आइंदा कोई सदन का अवमूल्यन नहीं कर सके। यही मेरा आपसे कहना है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आज ज्यादा मत उठाओ, बीमार हो जाएंगे वे, आपरेशन हो जाने दो। श्रीमानजी, समझो बात को। बेकार ख्वाहमख्वाह में ही उठाये जा रहे हो।

श्री अध्यक्ष: सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और तारानगर (चूरू) से आने वाले माननीय सदस्य ने तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री मालवीयजी की बीमारी को लेकर छुट्टी पर जाने के प्रकरण की चर्चा की, संविधान और विधान सभा के कार्य संचालन नियम और परम्पराओं की भी चर्चा की। सत्ता पक्ष की ओर से भी पार्लियामेंट्री

(श्री अध्यक्ष)

अफेयर्स मंत्रीजी ने अपनी बात कही। अब इस पर तत्काल मुझे निवेदन करना इसलिए सम्भव नहीं होगा कि जिस व्यक्ति के संबंध में चर्चा की जा रही है जब तक उनसे मैं स्पष्टीकरण न ले लूं, सारी स्थितियों को देख लूं तब तक किसी प्रकार का निर्णय किया जाना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मालवीयजी से भी मैं उनकी परिस्थिति क्या है, क्या नहीं है, क्या है, चर्चा करूं, स्पष्टीकरण ले लूं और समिति बना कर कोई नतीजा निकल जाए, उसकी बजाय मैं स्वयं इसको देखूंगा। यह आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हो गयी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, इसके बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, इसमें नहीं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: डॉ. गोपाल जोशी। चर्चा समाप्त।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं तो आपको इन्फोर्मेशन... अध्यक्ष महोदय, इसमें नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. गोपाल जोशी। चर्चा समाप्त। किसी भी अन्य माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। किसी अन्य माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। डा. गोपाल जोशी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री अध्यक्ष: आधा घंटा खराब हो गया। डा. गोपाल जोशी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भीषण अकाल के चलते चारा डिपो की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन

(डा. गोपाल जोशी)

प्रस्ताव के लिए इजाजत दी है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बीकानेर जिला...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा. गोपाल जोशी। माननीय सदस्य, विराजें। नहीं, कृपया विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: डा. गोपाल जोशी। माननीय जोशीजी। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): बीकानेर जिले के अन्दर... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय गोपाल जोशी।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): बीकानेर एक ऐसा जिला है, अध्यक्ष महोदय, जहां बरसात बहुत कम होती है और वहां पर अभी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में भीषण अकाल पड़ा हुआ है। उस भीषण अकाल के समय में वहां पर चारे की इतनी कमी है...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): ...कि चारा वहां पर प्राप्त नहीं हो रहा है, इस कारण से वहां की गायों को चारा नहीं मिल रहा है और इसलिए यह मैं स्थगन ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: डा. गोपाल जोशी। अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): चारा डिपो की संख्या वहां पर बिलकुल नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में साठ हजार से एक लाख तक गायें वहां पर रहती हैं और वहां का

(डा. गोपाल जोशी)

केवल बीकानेर ही नहीं, बीकानेर से बाहर भी दूध जाता है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह का मौका दिया आपने।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें। माननीय सदस्यगण, अपने-अपने स्थान पर बैठें। कृपया शांति रखें। व्यवस्था बनाये रखनी है।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): बीकानेर जिले में भीषण अकाल है और इस भीषण अकाल के समय में बीकानेर शहर में जो वहां पर गायें हैं उनके चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल मात्र एक डिपो वहां पर खुला हुआ है जिसको एक हफ़्ते के अन्दर पांच ट्रक दिये जाते हैं। ऐसा लगता है, अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं। माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं। आप इधर संबोधित करें।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): नहीं, बीकानेर शहर के अन्दर पूरे शहर में एक हफ्ते में केवल पांच ट्रक, ऐसा लगता है कि लोगों ने यह समझ लिया कि बीकानेर में तो जानवर कोई बसता ही नहीं है। जानवर कोई नहीं है, आदमी ही आदमी हैं सारे वहां।

श्री अध्यक्ष: आप कहना क्या चाहते हैं, बीकानेर में जानवर हैं, यही कहना चाहते हो न आप?

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): हां हैं, दुधारू जानवर हैं। ऐसा नहीं है, दुधारू जानवर हैं वहां पर। मैं यह कहना चाहता हूं कि बीकानेर शहर के अन्दर दुधारू जानवर हैं, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर भी दुधारू जानवर हैं और जानवर भी कम से कम साठ हजार से एक लाख के करीबन बीकानेर में दुधारू हैं। कभी एक दफा ढेबर भाई यहां पर आये थे तब उन्होंने कहा कि वास्तव में वृंदावन तो यह बीकानेर ही है जहां की राठी गायें चर करके आती हैं, जैसा मिल जाए वैसा खा लेती हैं और पतला गोबर भी देती है, तब भी शाम को दूध वे दे देती हैं। तो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में पूरे अकाल के समय में चारे का इंतजाम नहीं करना एक बहुत बड़ा अन्याय है।

एक माननीय सदस्य: पाप है।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): हां, पाप है यों सोचिये, गायों को अगर चारा नहीं मिलता है तो। तो यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस भीषण अकाल के समय में बीकानेर में कम से कम शहर की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, शहर के अन्दर एक डिपो है जिसको एक हफ्ते में पांच ट्रक दिये जाते हैं। तो उसको भी आप बंद कर दो फिर, उससे कोई फायदा नहीं हैं। वहां तो पन्द्रह-बीस डिपो खोलेंगे तो चारे की बात वहां पर हो सकती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब क्या पता, क्या समझते हैं; वहां लोग क्या करते हैं कि वहां आस-पास और आउटसाइड के अन्दर सारी गायें वगैरह रखी जाती हैं, उसके बाद में कई जगह शहर में भी गायें बहुत सी हैं, शहर में गायें दुह-दुहा करके लोग सड़क पर छोड़ देते हैं और वे सड़क पर स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं। यह एक पुलिस के लिए भी बड़ी दिक्कत की बात है। तो वैसे जानवर हैं। ऐसा नहीं है, दुधारू जानवर हैं, गायें हैं अच्छी हैं और अच्छी ब्रीड की भी हैं लेकिन उनको चारा नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि चारे का इंतजाम वहां पर ज्यादा से ज्यादा किया जाए।

वहां जो औरण हैं, औरण की जगह को भी सुरक्षित रख कर अगर वहां भी चारा उगाया जाए, अभी तो क्या है अभी तुरन्त तो उगाया नहीं जाएगा। अब जरूरत पड़ने पर कुआं खोदो तो आपको पानी मिल जाए, लेकिन कहीं से चारा मिले और चारा लाकर के वहां पर दिया जाए । वहां डिपो ज्यादा खोले जाएं और वहां की गायों को और दुधारू गायें जो हैं उनको चारा उपलब्ध कराया जाए वरना वे गायें मर जाएंगी । वहां दूसरी जगह जा नहीं सकतीं। पहले तो वहां पर सेवण घास जो आती थी अब उसके बीज भी समाप्त हो गये हैं, लोगों ने अब उगाना बंद कर दिया क्योंकि यह ट्रैक्टर से जो चलाते हैं इसके कारण से बीज समाप्त हो गया है वरना सेवण घास इतनी अच्छी प्रोटीन की और गायों के लिए सबसे अच्छी घास थी, वह घास भी बंद हो गयी है। अब इसलिए बाहर से चारा आया करता है। लेकिन वहां पर केवल मात्र एक डिपो करना यह अन्याय है वहां।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी तरह से मिनिस्टर साहब से कहकर के या जिनसे भी आप कह सकते हैं, उनसे कहकर के वहां पर चारे के डिपो ज्यादा से ज्यादा खुलवायें, ताकि वहां के जानवरों को चारा मिल सके। मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़। माननीय सदस्या, नहीं, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। आप शुरू करें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

प्रदेश में मिलावटी व नकली दवाओं की बिक्री

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं, इससे पूर्व कहना चाहता हूं कि कल आपने आसन से एक व्यवस्था दी थी कि शून्य काल के दरम्यान चूंकि माननीय सदस्य स्थगन और पर्ची के माध्यम से कई प्रकरण उठाते हैं इसलिए आफिसर्स गैलेरी के अन्दर शासन सचिव और प्रमुख शासन सचिव उपस्थित रहें। अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि आसन के द्वारा दी गई व्यवस्था चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग उसको भी नहीं मान रहा और कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाह रहा था कि हाल ही में देश में एक ख्यातनाम एन जी ओ है पिरामल हैल्थ केयर, इस एन जी ओ ने एक सर्वे किया और सर्वे में बड़े चौकाने वाले तथ्य देश में नकली और मिलावटी दवाइयों के विक्रय के बारे में आये। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर पूरे देश में प्रति वर्ष 85 हजार करोड़ का घरेलू फार्मा का बाजार है, टर्न ओवर है। यह सर्वे कहता है कि 17 हजार करोड़ की नकली दवाइयां इस देश में बिक रही हैं और प्रवर्तन एजेंसियों की रिपोर्ट यह कह रही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल से नकली दवाइयां बना कर देश के विभिन्न हिस्सों में बेची जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, इन सब हालात को देखते हुए जो ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन आफ इंडिया है, इसने ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट में एक संशोधन किया और संशोधन में जहां एक और नकली और मिलावटी दवाइयों का विक्रय करने वालों की सज़ा के प्रावधानों को सख्त किया, वहीं दूसरी ओर नकली दवाइयों की सूचना कोई व्यक्ति दे, उसको पकड़ी जाने वाली दवाइयों के मूल्य का 20 परसेंट तक की राशि नकद इनाम के रूप में देने का निर्णय भी किया। अध्यक्ष महोदय, ड्रग कंट्रोल आफ इंडिया के अनुसार राजस्थान में प्रति वर्ष 45 करोड़ रुपये की नकली दवाइयों का विक्रय होता है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इन सब बातों की चिंता चिकित्सा मंत्रीजी आपने की या नहीं की पर मैं सदन के नेता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बैठक आयोजित करके इस बात का निर्देश दिया कि राजस्थान में नकली दवाइयों के विक्रय पर आवश्यक कदम और पाबंदी लगाई जाये। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी लाखों की नकली दवाइयां पकड़ी गईं, जयपुर-दिल्ली बाइपास पर आमागढ बस्ती में यह गोरखधंधा पकड़ा गया और इसमें, अध्यक्ष महोदय, कोरस सिरप, बेनेड्रिल, स्पोराइडेक्स और ऐसी-ऐसी दवाइयां हैं जिनका उपयोग खांसी में होता है, बुखार में होता है, ये सारी दवाइयां पकड़ी गईं। दो लोग गिरफ्तार हुए एक अकरम और एक निसार। दो ऐसे व्यक्ति जो वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, वे गिरफ्तार हुए और विभाग ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे ताना-बाना किसने बुना है, कौन नकली दवाइयों के कारोबार को फैला कर हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है।

इसके साथ ही फिल्म कालोनी, जयपुर में दवाइयां पकड़ी गईं। संगरिया और गंगानगर में तो, अध्यक्ष महोदय, प्रतिबंधित नशीली दवाइयां, ऐसी दवाइयां पकड़ी गईं जिनको एक तरह से धीमा जहर की संज्ञा दी गई है और ये एन डी पी एस एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं।

अध्यक्ष महोदय, हद तब हो गई जब मेडिकल एडं हैल्थ डायरेक्ट्रेट से बी सी जी के टीकों का वितरण प्रारम्भ हुआ, वैक्सीन डिपो से। अध्यक्ष महोदय, यह बी सी जी के टीके बच्चों में टीबी का रोग नहीं हो, इसके लिये प्रतिरोधात्मक रूप में इन टीकों को लगाया जाता है और आज भी 100 में से 15 रोगी, हिन्दुस्तान में सर्वाधिक टीबी के रोगी अगर कहीं हैं तो वे राजस्थान में हैं। यह बी सी जी के टीकाकरण का जो काम है, इनकी दवाइयां निदेशालय कंपनियों से खरीद कर अलग-अलग आर सी एच ओ के माध्यम से जिलों में भेजता है और जिले वहां से उप-केन्द्र और प्राथमिक उप-केन्द्रों को भेजते हैं। अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है, वैक्सीन डिपो से जो बी सी जी के टीके जा रहे हैं, खाली वाइल्स जा रही हैं, उनमें दवाई नहीं। 10 जनवरी को वैक्सीन डिपो से बी सी जी के सिरम इंडिया इंडस्ट्री, पूना से जो टीके मंगाये गये, बैच नम्बर 03सी, 9060, यह जयपुर से जोधपुर भेजे गये। अध्यक्ष महोदय, एक दो नहीं, डेढ़ लाख टीके जोधपुर में आर सी एच ओ के आफिस में आये। आर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सी एच ओ ने ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिये और ग्रामीण क्षेत्र में जब यह मामला सामने आया और अखबारों में शाया हुआ, उसके बाद उनको वापस मंगा लिया गया।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, यह हो क्या रहा है? टीकों का इस तरह भेजना जो टीकाकरण के काम में आये और उसके बाद खाली वाइल्स भेजना, खाली शीशी को भेजना और टीकाकरण के सारे आंकडों को कागजों में दर्ज कर लेना, मैं समझता हूं, हमारे नौनिहालों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब जोधपुर का प्रकरण सामने आ गया, वहां के अधिकारियों ने यह मान लिया कि निश्चित तौर से हमसे गलती हो गई और यह कह दिया कि हम इन टीकों को वापस मंगा रहे हैं । सी एम एच ओ कहता है, हां, डेढ़ लाख खाली वाइल्स आई हैं, जिले में वितरित खाली वाइल्स वापस मंगा रहे हैं । यह खुद वहां का सी एम एच ओ कह रहा है कि डेढ़ लाख खाली वाइल्स उनको आपूर्ति हुई है । स्वास्थ्य मंत्रीजी, इस चीज को गम्भीरता से रोको। कभी तो करौली में एक्सपाइरी डेट के टीके पाये जाते हैं, कभी जोधपुर में टीकों के नाम पर आप खाली शीशी भेज देते हैं। मैं समझता हूं, इसमें सावचेती की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

दो बातें हो रही हैं। एक तरफ तो नकली दवाइयां बिक रही हैं, बड़ी संख्या में बिक रही हैं, आपका ड्रग कंट्रोलर आफ इंडिया कह रहा है कि 40 करोड़ का व्यापार हो रहा है और दूसरी तरफ आपका विभाग खाली वाइल्स भेज रहा है। इसमें मेरी आपसे प्रार्थना है, इसमें छोटे-बड़े की बात नहीं है, आप इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण करें, किस स्तर पर कैसे यह बात हुई। आपकी जो सिरम इंडिया इंडस्ट्री है, मुझे कहा कि यह कोई गवर्नमेंट आफ इंडिया का उपक्रम है या किसका है, मुझे मालूम नहीं, पर इस कम्पनी ने आपको इन्वाइस भेजा, इन्वाइस के साथ आपको टीके भेजे और टीकों में दवाई नहीं हो और वह दवाई बिना जांच किये आपने जोधपुर में भेज दी, जोधपुर से गांवों में चली गई और गांवों से वह दवाई वापस आई। मैं समझता हूं, यह छोटा-मोटा कृत्य नहीं है, आप इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण करके एक-दो को टांक दोगे तो निश्चित तौर पर सबक मिलेगा। उसके साथ ही जो नकली दवाई पकड़ गई जयपुर-दिल्ली रोड पर आमागढ़ में, उसमें इन चपरासीनुमा आदमियों को पकड़ने से क्या हुआ? गिरोह का कौन संचालन कर रहा है उसकी तह तक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाओ ताकि इन सारी चीजों का पर्दाफाश हो और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसका तो धन्यवाद पर आपने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के अनुसार आज चिकित्सा विभाग का कोई जवाब दे या नहीं दे पर कम से कम अधिकारी तो इसको नोट करके लेकर जाये जो सदन में मामला उठा है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): बैठे हैं ना यहां।

श्री अध्यक्ष: कौन बैठे हैं, शिक्षा मंत्रीजी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चिकित्सा मंत्रीजी, जवाब दो ना। यह मामला कुछ देखो तो सही, मेरी प्रार्थना है, वरना रिकार्ड में क्या जायेगा?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मंत्रीजी, कुछ तो बताइए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): कोई खास बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर यह बात है तो यह भी रिकार्ड में चली जाये कि खास बात नहीं है। बिलकुल ठीक बात है, यह कह दो, खास बात नहीं है, कोई बात नहीं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, नौनिहालों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जोधपुर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये दवाइयां गांवों में भी गई हैं, गांवों से वापस आई हैं। कई जगह दवाइयां मिली हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आप विराजिए। श्री हरिसिंह रावत।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): खरीदी हुई दवाइयां पड़ी, पहले ज्यादा खरीद ली।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जवाब नहीं दे रहे हैं क्या आप ?

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

सुरजीत नगर, बदनपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर द्वारा धोखाधड़ी

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत ज्वलंतशील मुद्दा है जयपुर में भू-माफियाओं द्वारा जनता के साथ धोखाधडी।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, स्वास्थ्य के टीकों के, इंजेक्शन के बारे में तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न खड़ा किया है, आप कृपया इसकी जांच करा लें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, कालवाड़ रोड पर बदनपुरा, फकीरों की डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर है। इसके नाम से लोगों को पट्टे जारी किये और पट्टे जारी करने के बाद उनको आज तक पजेशन नहीं दिया। यह प्रोविजनल अलाटमेंट लैटर है 21.06.2005 का और भूखण्ड संख्या है 106 जिसका माप है 45x90 और यह टोटल 450 वर्ग गज का है। राजरानी मिश्रा पत्नी एस के मिश्रा के नाम से इन्होंने यह दिया है। दूसरा पट्टा है 16.05.2004 का, भूखण्ड संख्या है 143, आबंटन संख्या 2136 इसका क्षेत्रफल है 770.7, यह कालवाड़ रोड़ पर है और सतीश कुमार मिश्रा पुत्र नाथूलाल मिश्रा के नाम से इन्होंने यह पट्टा जारी किया है। अध्यक्ष महोदय, ये पट्टा जारी करने के बाद जब ये व्यक्ति वहां पजेशन लेने के लिये गये तो यह बोलते हैं कि तुमको पैसा तो मैं अभी दूंगा नहीं न ही तुम्हें पजेशन दूंगा, अब मैं सोचूंगा, क्या करना है, क्या नहीं करना। उसने कहा, 2004 का मेरा है, मुझे घर बनाना है, घर बनाकर मुझे रहना है, आप पट्टा दीजिए। तो वह बोलता है कि पट्टे-वट्टे कुछ नहीं, ज्यादा होशियारी मत करो, आप जानते नहीं मैं कौन हूं; और धमकी देता है, वह बोलता है कि मेरे परिवार में, मेरे घर में राजनीतिक विधायक है मेरी बहन; दूसरे ने बोला, मेरे परिवार में दो-दो डी जी पी हैं, आप अगर अपना मुंह खोलोगे तो वह हश्र करूंगा कि जिंदगी में याद करोगे, पट्टा लेना भूल जाओगे, राजस्थान छोड़कर भाग जाओगे।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस टाइप का लोगों के साथ धोखा होगा तो फिर मैं सोचता हूं कि लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि गृह मंत्रीजी, नगरीय विकास मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, इसके ऊपर तत्काल कार्यवाही करें और जो इनका मेन सरगना है मुख्तयारसिंह, सुरजीत नगर क्षेत्र की विस्तृत जांच कराओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि वास्तव में क्या स्थिति है। इस भू-माफिया के खिलाफ तत्काल जांच कराओ। इस टाइप के कई ऐसे कारनामे हैं। इसके बाद सबसे बड़ा एक और भी है, पूर्व का डी जी पी भी इसमें पीड़ित है। जब मेरी बात हुई तो कहा, साहब, मैं तो पीड़ित हूं लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। इस टाइप के कितने ही लोग, सैंकड़ों लोग इसमें हैं। तो मेरा निवेदन है कि मुख्त्यारसिंह भू-माफिया है, इसकी तत्काल कार्यवाही करके इनको कब्जा दिलाएं ताकि वे घर बना सकें, यही मेरा निवेदन है।

(श्री हरिसिंह रावत)

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री और नगरीय विकास मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस पर आप क्या कार्यवाही करेंगे, इसका थोड़ा जवाब दे दें, ठीक रहेगा। मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उपरोक्त विषय में जो आपने बात उठाई है इसके बारे में जानकारी कर लूंगा लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं कि उसके खिलाफ, जिस सहकारी समिति ने आपके साथ फ्राड किया है, आपके साथ का मतलब मिश्रा, मिश्रा ही नाम बताया ना आपने, उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवायें। मेरी बात सुनिये, एफ आई आर दर्ज करवा दें। दूसरा, मैं इसकी पूरी जानकारी लेकर बता दूंगा कि इनके खिलाफ और क्या कार्यवाही हो सकती है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, इसमें दो डी जी पी का नाम भी है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वह अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर रहा है... (व्यवधान) वह व्यक्ति अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर रहा है और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके इन व्यक्तियों को डराता-धमकाता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपके पास सारी सूचना है तो लिखकर दे दें मुझे कि कौन आदमी है, कौन प्रभाव काम में ले रहा है। सारी सूचना दे दें आप मुझे, मैं जांच करवा लूंगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मुख्त्यारसिंह।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां, आप जांच करवाइये। ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी ने स्पष्ट रूप से आपको निवेदन किया है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप एफ आई आर दर्ज करा दें, पुलिस उस मामले में कार्यवाही कर लेगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले जो आते हैं, यह भू-माफिया है, बहुत सारी जगहों पर जमीनों पर कब्जा करते हैं और पहले प्लाट को एक व्यक्ति को ...(व्यवधान) चार जनों को वह प्लाट सेल कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दिया ना गृह मंत्रीजी ने, आप एफ आई आर दर्ज करा दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मैटर इतना सीरियस है कि किसी ने अपनी गाढ़ी कमाई, जीवन भर की कमाई से प्लाट खरीदा और अब उसको कब्जा नहीं मिल रहा है उस प्लाट का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी ने फरमाया है, आप एफ आई आर दर्ज करवा दीजिए, उसके बाद ये कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एफ आई आर लाज करवा रहे हैं लेकिन एफ आई आर लाज करने वाली भी पुलिस ही है ना। पुलिस एफ आई आर लाज करती नहीं क्योंकि डी जी पी उसके अन्दर इन्वाल्व हैं।

श्री अध्यक्ष: आपको ऐसा वहम है तो आप गृह मंत्रीजी को लिखकर दे दीजिए, ये उस एफ आई आर करवाने का आदेश कर देंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बस यही तो चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह कह रहे हैं कि बड़े अफसर के दबाव के बाद एफ आई आर दर्ज होने की सम्भावना इनको नहीं लगती है, मैंने कहा गृह मंत्रीजी को दे दीजिए, ये दर्ज करवा देंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको एक जानकारी दे देता हूं कि पिछले चार महीनों में ही कम से कम 1000 व्यक्ति जिनको डबल-डबल पट्टे बांट दिये गये, उनके खिलाफ केसेज रजिस्टर हुए हैं किसी बड़ी कम्पनी के खिलाफ और उनको राहत मिली। अब हमने यह फैसला किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में अलग थाना खोला जाएगा और वह थाना भी, मेरा ख्याल है, इसी अप्रैल के अन्दर-अन्दर खुल जाएगा। इसलिए आप निश्चित रहें, एफ आई आर दर्ज तो करवायें। आप एफ आई आर इसलिए नहीं करायें कि पुलिस कैसे जावे, पुलिस में आपको बिठा ले तो उसमें उसका तो कोई इलाज नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, ऐसी बात नहीं है। माननीय मंत्रीजी, ऐसी बात नहीं है। मेरा आपसे यह कहना है, बहुत अच्छा है कि आप अलग से थाना खोलेंगे...

श्री अध्यक्ष: चलिये, चर्चा समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन सवाल इसका है कि राजनीतिक प्रभाव उस पर जो आ रहा है, वह न आये, दबाया न जाए केस को।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी जानकारी में तो लाएं कि कौनसा ऐसा राजनीतिज्ञ है। (व्यवधान) ऐसे मामले में प्रभाव डाल रहा है...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इन्होंने कहा ना...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी जानकारी में तो लाएं कम से कम।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां, वह ला रहे हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं कोई व्यक्ति विशेष पर लांछन नहीं लगाना चाहता...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): लेकिन मेरा यही निवेदन है कि राजनीतिक प्रभाव से यह काम न हो, इसकी सत्यता हो जाए और उनको न्याय दिलाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन मैं निवेदन करना चाहती हूं। एक पाइंट है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम।

एक निवेदन मैं कर दूं, माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर कोई भी चर्चा करना शुरू कर दें, यह उपयुक्त नहीं होता। एक निवेदन मेरा यह रहेगा, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन की मैं इजाजत दूंगा लेकिन मेहरबानी करके एक स्लिप पर पहले मुझे लिख दें कि पाइंट आफ इन्फोर्मेशन क्या देना चाहते हैं, उसके बाहर बोलने की बात न आवे। (व्यवधान)

श्री पेमाराम।

राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाया जाना

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के बारे में समाज के उस तबके के

(श्री पेमाराम)

बारे में बोल रहा हूं जिस तबके के बारे में न तो कुदरत होती है, न अख़बार वाले कुछ लिखते हैं। उनकी नारकीय जिंदगी के बारे में, न रेडियो वाला कुछ बोलता, न कोई दूजा उसके बारे में सोचता है। आज राज्य में न्यूनतम मजदूरी 100 रुपये है। राज्य में आज न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की इसलिए आवश्यकता है कि राज्य में लगभग 56 लाख तो जॉब कार्ड बने हुए हैं जो नरेगा में काम करने के लिए जाते हैं, उसमें पुरुष भी जाता है, महिला भी जाती है। उसमें वह छोटा किसान जिसकी बारानी जमीन अकाल से चौपट हो गई, वह भी नरेगा में काम करने के लिए जाता है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी हमारे राजस्थान प्रान्त में 100 रुपये है और वह 100 रुपये भी, राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी जो बढ़ी है वह पहली दफा 1995 में, दूसरी दफा 1998 में, तीसरी दफा 1999, चौथी दफा 2004 में और पांचवीं दफा 1 मार्च, 2008 को बढ़ी, 1 मार्च, 2008 को जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, उसमें भी हमारे राजस्थान के श्रम सचिव ललितजी पंवार के नेतृत्व में एक कमेटी थी, उस कमेटी ने रिकमंडेशन भी किया था और उसकी रिकमंडेशन के अनुसार अकुशल श्रमिकों का 175 रुपये प्रतिदिन ही बढ़ाये जाने का प्रस्ताव था लेकिन उस दौरान भी तत्कालीन सरकार ने उस कमेटी की सिफारिश को नकारते हुए मात्र 100 रुपये मजदूरी बढ़ाई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इसलिए कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की सरकार एक तरफ जहां समाज के तमाम तबके का ध्यान रखती है और छठा वेतन आयोग जैसे ही लागू हुआ, उसके अगले रोज राजस्थान के कर्मचारियों के लिए भी हमारी राजस्थान की सरकार ने घोषणा कर दी, उस बात का मैं स्वागत करता हूं मगर मैं आपके द्वारा सरकार के सामने यह बात भी रखना चाहूंगा कि ये वे मजदूर हैं जिनके पास न जमीन है, न जिनके पास नौकरी है, न जिनके पास फैक्टरी है; जिनके पास कमाई करने के लिए मात्र कुछ है तो अपनी शारीरिक मेहनत, अपने परिश्रम को बेचने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उसी के आधार पर जो पैसा मिलता है मजदूरी के रूप में, उसी से अपने बच्चों की शिक्षा करवाते हैं, उसी से कपड़े पहनते हैं, उसी से खाना खाते हैं और यदि कोई सामाजिक ब्याह-शादी का काम भी होता है तो उसी से वे कारगुजारी चलाते हैं। उनकी जिंदगी, उनके पास कुछ भी नहीं है इसलिए समाज में उन्हें कर्जा भी नहीं मिल पाता।

अध्यक्ष महोदय, करोड़ों लोग हैं, 56 लाख के लगभग तो हमारे राजस्थान प्रान्त में हैं, जाब कार्ड बने हुए हैं जो नरेगा में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि न्यूनतम मजदूरी हमारे

(श्री पेमाराम)

राजस्थान प्रान्त के पड़ोसी राज्यों, दिल्ली में 1 फरवरी, 2010 को बढ़ाकर 203 रुपये कर दी, मध्य प्रदेश ने 1 अक्टूबर, 2007 को बढ़ाकर 149 रुपये कर दी, हरियाणा ने बढ़ाकर 135 रुपये कर दी, उत्तर प्रदेश ने भी 111 रुपये कर दी और हमारी केन्द्रीय सरकार ने भी न्यूनतम मजदूरी 1 अक्टूबर, 2009 को बढ़ाकर 135 रुपये कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समाज का वह दबा-कुचला तबका है जिसमें मर्द-औरत और गरीब। तमाम लोग काम करने के लिए असंगठित तौर पर काम करते हैं, श्रम मंत्रीजी भी विराजमान हैं, जिनके बारे में न कोई अख़बार लिखता है, न कोई रेडियो लिखता है, न टीवी लिखता है। उसके बारे में आप सरकार को निर्देशन दें। हमारे राजस्थान के तमाम श्रमिक संगठन सी आई टी यू, बी एम एस, इंटक, तमाम श्रमिक संगठनों में भी मिल बैठकर मीटिंग करके न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की, 250 रुपये रोजाना करने की मांग

(समय : 13.00 बजे)

की है, मैं समझता हूं कि राज्य की सरकार की तरफ से अभी मंत्रीजी, जिस तरह से छठे वेतन आयोग की तरह एक दिन में ही घोषणा कर दी, मंत्रीजी हमारे बीच में बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उनको निर्देशन देंगे तो शायद राजस्थान के करोड़ों-करोड़ों उन गरीबों का भला होगा। यही कहते हुए आपने मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। आज विधान सभा में अगर इसकी घोषणा हो जाती है तो यह बहुत ही अच्छा होगा और न्यूनतम मजदूरी बढ़ जाती है तो व्यक्तियों का जीवन स्तर ठीक हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, मैं चाहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी बढ़े।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं, आज काफी विधायी कार्य भी है..

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना संवेदनशील प्रश्न है और मानवीय प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) इतना बढ़िया प्रश्न है यह। गरीबों से सम्बन्धित प्रश्न है, मजदूरों से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: और माननीय महिला सदस्य मैच के लिये भी निवेदन कर रही हैं। तो समय बचाने की दृष्टि से मेरी ऐसी सोच है कि इनको अपन पढ़ा हुआ मान लें? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: सदन की राय से इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-4 देखें)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): गरीबों से सम्बन्धित सवाल है, जवाब नहीं आता, जवाब दिलवाया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक एक अप्रैल, 2010 को शून्यकाल में बोलने हेतु 18 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें श्लाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं :-

(1) श्री भवानी सिंह राजावत, राज्य सरकार के जनजाति विकास मंत्री द्वारा सदन की अवमानना के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मंत्रीजी पर नियंत्रण करना पड़ेगा आपको; अध्यक्ष महोदय, भंवरलालजी पर कुछ नियंत्रण तो करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, क्या हो रहा था?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं तो यही पूछ रहा था, क्रिकेट का मैच कब है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह तो अध्यक्षजी से ही पूछ लेते, व्यवस्था करने के बाद में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, तो क्या हो रहा था?

श्री अध्यक्ष: जो हो रहा था, सबने देख लिया, बैठिये।

(2) श्री बंशीधर खण्डेला, श्रीमाधोपुर से सीकर वाया जाजोत पलसाना व खण्डेला से कांवट रोडवेज की बस चलाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री कालीचरण सराफ, जयपुर के जनाना अस्पताल में डाक्टरों की लापरवाही से प्रसूता महिला की मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमराराम, ग्राम पंचायत तिड़ोकीबड़ी, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, सीकर के सरपंच को अधिक सन्तान होने पर अयोग्य घोषित होने पर भी पुन: सरपंच बनने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

श्री भवानीसिंह राजावत। (व्यवधान) श्री भवानी सिंह राजावत।

श्री पेमाराम (धोद): न्यूनतम मजदूरी जो गरीबों के बारे में है, सरकार की तरफ से कुछ तो कहें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं समझता हूं, सरकार...(व्यवधान) न्यूनतम मजदूरी, जिस पर सरकार कुछ तो कहे। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों से सम्बन्धित मामला है। (व्यवधान) गरीबों से सम्बन्धित मामला है, मजदूरों से सम्बन्धित मामला है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री भवानी सिंह राजावत। (व्यवधान) एक निवेदन कर रहा हूं। इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है और जो कुछ आप कहने वाले हैं वह सारी बातें आपके उप नेता ने भी कह दी हैं और मैं आसन की ओर से निवेदन कर चुका हूं। इसलिये समय बचेगा, यह आपसे निवेदन है।

श्री बंशीलाल खण्डेला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने मुझे बताया था कि आप स्पष्टीकरण ले लेंगे तो स्पष्टीकरण लेने के बाद में समिति बनाने का और डाक्टरों से जांच कराने का आप्शन तो खुला रहेगा ना।

श्री अध्यक्ष: जो निर्णय मुझे लेना है। (व्यवधान) जो निर्णय मुझे लेना है, आपको स्पष्टीकरण आसन से लेना है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन से स्पष्टीकरण कोई ले ही नहीं सकता। (व्यवधान) आसन तो सर्वोपरि है। आपको मंत्रीजी से स्पष्टीकरण लेना है। स्पष्टीकरण लेने के बाद में आपको विनिश्चय करना है कि कमेटी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट, प्लीज, प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कमेटी बनानी है कि नहीं बनानी है और डाक्टरों की कमेटी बनानी है, यह विनिश्चय खुला है आपके लिये।

श्री अध्यक्ष: अब मेरे पास में सारा प्रकरण आ चुका है। मंत्रीजी का स्पष्टीकरण आने दीजिए, उसके बाद में मैं निर्णय करूंगा।

श्री बंशीधर खण्डेला, बोलिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन का निर्णय हमारे लिये शिरोधार्य है...

श्री अध्यक्ष: सारी बात हो चुकी है। (व्यवधान) सारी बात हो चुकी, चर्चा हो चुकी। कुछ समय बच जाएगा। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है कि सत्र कल तक है। इससे पहले आप ऐसी व्यवस्था दें कि इस तरह की पुनरावृत्ति कोई भी न करे, मेरा इतना ही विनम्र आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: एक साथ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाइये, बात समाप्त हो गई। आगे पर्ची पर आ गये हैं। (व्यवधान) श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री बंशीधर खण्डेला। अंकित कुछ नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला। (व्यवधान) आप कृपया विराज जाएं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्रीमाधोपुर से सीकर व खण्डेला से कांवट रोडवेज बस का संचालन

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से सीकर वाया पलसाना, जाजोत पहले बस चलती थी, उसके 6 परमिट ले रखे थे, जो सीकर, अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, जाजोत, पलसाना और रानौली होते हुए सीकर जाती थी। वह बस 2001 में परमिट लिया था, 2012 तक का परमिट है। उस टाइम चली थी, उस टाइम इसकी फीजिबिलिटी थी 20-22 रुपये प्रति किलोमीटर जो रोडवेज के लिये एक अच्छी आय का स्रोत मानते हैं। लेकिन प्राइवेट बस वाले और आर.टी.ओ. और पुलिस अधिकारियों द्वारा मिलकर उन बसों को चलने नहीं दिया, आगे-आगे चलती रहीं और सबने मिलकर उस बस को बंद करवा दिया जबकि आज भी 2012 तक का परमिट है। सारी की सारी बसें, माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल परमिट के रूल के हिसाब से कोई भी प्राइवेट गाड़ी नेशनल हाइ-वे पर 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती है लेकिन बदालों की ढाणी से सीकर तक 34 किलोमीटर रुट पड़ता है, उस 34 किलोमीटर पूरे पर प्राइवेट बसें धड़ल्ले से चलती हैं, कोई रोकता नहीं है। इसलिये रोडवेज को बहुत बड़ा घाटा होता है। मैं यह आदेश चाहूंगा कि जो परमिट ले रखा है, शाहपुरा से सीकर, श्रीमाधोपुर होते हुए, उसके ऊपर बस चलाई जाए।

दूसरा मेरा एक पाइंट और है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्डेला से कांवट 22 किलोमीटर है, यह स्टेट हाइ-वे है, पहले इस पर भी रोडवेज बस चली थी। आज भी इसका परमिट है लेकिन प्राइवेट बस वाले और आर.टी.ओ. की मिलीभगत के कारण आज वे बसें भी बंद हैं। उसकी आय 22-23 रुपये प्रति किलोमीटर आई थी। तो वे भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। स्टेट हाइ-वे पर प्राइवेट बसें नगरीय सीमा से 10 किलोमीटर ज्यादा रोड पर नहीं चल सकतीं लेकिन ये पूरे के पूरे 22 किलोमीटर रोड पर सारी प्राइवेट बसें चलती हैं।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

तो, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि दोनों रूटों पर जो रोडवेज ने परमिट ले रखे हैं उस पर बस चलाने की व्यवस्था करें जिससे साधनों का दुरुपयोग नहीं हो। प्राइवेट, जब शादियां होती हैं उस टाइम प्राइवेट गाड़ियां बंद हो जाती हैं, पब्लिक परेशान होती है, छात्रों को स्कूल आने-जाने में बहुत समस्या होती है। सारी परेशानियों की जड़ है ये प्राइवेट बस वाले। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि स्पष्टीकरण हो तो मंत्री महोदय से दिलवायें कि यह परमिट लेने के बाद में ये बसें क्यों नहीं चल रही हैं। यह आर.टी.ओ. की मिलीभगत के कारण बसें नहीं चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह चाहूंगा कि इसमें कोई मंत्रीजी से जवाब दिलवायें।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। अंकित नहीं होगा। और किसी का अंकित नहीं होगा। श्री कालीचरण सराफ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको बोलना है ना? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, नहीं, मुझे बोलना है साहब, कैसे बोलूं?

श्री अध्यक्ष: बोल दिया? नहीं बोलना ना?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं तो तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष: आपका नाम बोला है। नहीं बोलना है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बोल रहा हूं, साहब। कैसे बोलूं तो?

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब कैसे बोलूं?

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर श्री अमराराम।

श्री अमराराम (श्री अमराराम बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

सदन की मेज पर रखने जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री रामलाल जाट। श्री रामलाल जाट।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वन विभाग

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वन विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या : एफ 4(8) वन/2005-पार्ट, दिनांक 2 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 विरचित किये गये हैं; एवं

(2) अधिसूचना संख्या: एफ 10 (13) वन/2004, दिनांक 13 जनवरी, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान वन उपज (आरा मशीनों की स्थापना एवं विनियमन) नियम, 1983 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री शांती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2007-08

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2007-08 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सरकार से केवल एक बात की मांग कर रहे हैं कि सब कुछ बढ़ रहा है, केवल न्यूनतम मजदूरी सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही है? अब न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाना मजदूरों के साथ अन्याय है। सरकार अन्याय कर रही है मजदूरों के साथ। सरकार मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। तो हम पूर्ण प्रतिपक्ष की मांग है कि राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए। सरकार जवाब नहीं देना चाहती इसलिए हम इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करते हैं।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री अमराराम। याचिका।

(श्री अमराराम उपस्थापन करने के लिए खड़े नहीं हुए)

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमाराम चौधरी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2010. डा. जितेन्द्र सिंह।

विधेयक पर विचार

होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2010

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री अमराराम। श्री अमराराम।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, दो-दो मिनट बोल लेते तो क्या हो जाता, साहब? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दो-दो मिनट बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप हल्ला नहीं करते तो क्या हो जाता, साहब?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह कोई बात हुई, साहब?

श्री अध्यक्ष: यह कोई बात होती है? व्यवस्था बनाये नहीं रखने देना चाहते। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): व्यवस्था कौन नहीं बनाये रखना चाहता, हमें बताइये न।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य नहीं बनाये देना चाहते और क्या? आसन बनाये रखना चाहता है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो आप, दो-दो मिनट लगेंगे साहब, यह तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

एक माननीय सदस्य: माननीय सभापति महोदय को यार-यार कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उदारमना हैं। उदारमना हैं, साहब, आप, दो मिनट में ही ...(व्यवधान) बोलो-बोलो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दो-दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप भी कभी उदार रहा करो। श्री अमराराम।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, अभी तो यह अलाउ करो। अलाउ करो, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम, बिल पर।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पर्ची पर है न?

श्री अध्यक्ष: पर्ची तो रखो आप जेब में, बिल पर बोलो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विधेयक पर श्री अमराराम ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा है कि जो नियमों की धज्जियां ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बिल पर नहीं बोलना चाहते हैं? आप बिल पर नहीं बोलना चाहते हैं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि दो-दो मिनट लगेंगे। आप अलाउ करो, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विधेयक पर श्री अमराराम। बिल पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रार्थना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुश्किल से तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप संशोधन पेश करना चाहते हैं न? बिल पर संशोधन पेश करना चाहते हैं?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह तो करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: करिये न। नहीं, अलाउ नहीं। अंकित नहीं होगा और कुछ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: और कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप संशोधन पेश करने की इजाजत के लिए बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जीरो आवर समाप्त हो गया। बिजनेस शुरू हो गया है। आप इस पर कोई संशोधन देना चाहते हैं तो दें और नहीं बोलना चाहते तो आपकी मर्जी है। श्री पेमाराम। श्री पेमाराम।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अगर बिल पर संशोधन देना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं अन्यथा फिर आप व्यवधान नहीं करें। श्री पेमाराम।

श्री पेमाराम (धोद): हां, बोलूंगा, साहब।

श्री अध्यक्ष: बोलिये-बोलिये।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं कि इस बिल को मेरी समझ में राजस्थान की जनता के बीच में एक दफा जनमत संग्रह करने के लिए भेजा जाए क्योंकि राजस्थान में केन्द्रीय सहकारी बैंक में जो जैसे सीकर का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वहां बैंक में अस्थाई कर्मचारी था भागीरथ सिंह, उस भागीरथ सिंह को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह होम्योपैथी वाला चल रहा है अभी तो।

श्री अध्यक्ष: आप काहे पर बोल रहे हैं?

श्री पेमाराम (धोद): सहकारिता वाले बिल पर।

श्री अध्यक्ष: होम्योपैथी विश्वविद्यालय पर है, आप उस पर विचार रखो।

श्री पेमाराम (धोद): साहब, यह बोल रहे थे दो माननीय सदस्य, इसलिए सुन नहीं सका था।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, चलिये। श्री पवन दुग्गड़। (अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2010. माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि दुनिया में पहला विश्वविद्यालय होम्योपैथी का राजस्थान में बनने जा रहा है। इसके लिए वास्तव में मन में बेहद प्रसन्नता है इस बात की कि हमने कम से कम इस चिकित्सा पद्धति को एक महत्व देने के हिसाब से प्रयत्न किया है।

अपने इस प्रदेश में सात होम्योपैथी कालेज हैं और इन सातों कालेजों में 515 छात्र अभी तक अध्ययनरत हैं। इसमें पहला जो सबसे प्रारम्भ में हुआ एम.पी. खूंटेटा होम्योपैथी कालेज, जयपुर, उसमें 100 सीट्स हैं। युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कालेज, अलवर 75 सीट; भारतीय होम्योपैथी मेडिकल कालेज, भरतपुर 40 सीट; स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कालेज, जयपुर 100 सीट; श्री मांगीलाल निर्वाण होम्योपैथी कालेज, बीकानेर 75; जे.आर. टांटिया चैरिटेबल ट्रस्ट होम्योपैथिक कालेज, 50 सीट; और एक उदयपुर की डीम्ड यूनिवर्सिटी राजस्थान विद्यापीठ के द्वारा जो डबोक में संचालित है, उसमें 75 सीटें हैं।

मैं सोचता हूं कि इन बच्चों की दृष्टि से यह पहला विश्वविद्यालय जो बन रहा है वह वास्तव में एक गौरव की बात है, प्रसन्नता की बात है, मैं सोचता हूं कि यह जो इस कालेज को खूंटेटा जो बना रहे हैं, यह पहला व्यक्ति है जिसने सबसे पहले, अगर होम्योपैथी कालेज, 1965 में किसी को स्टार्ट करने का सौभाग्य राजस्थान में मिला तो इसी व्यक्ति को मिला और मुझे यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी कहते हुए प्रसन्नता है कि इस व्यक्ति की साधना के कारण से पहली अगर एम.डी. की परमिशन किसी को मिली तो इसी कालेज को मिली। इसमें लगभग छह हजार अब तक राजस्थान में अपने होम्योपैथी डाक्टर बन गये। लेकिन मुझे इस बात का जरूर दु:ख है कि छह हजार जो ट्रेंड डाक्टर इसमें से निकले हैं, मात्र 180 डाक्टर राज्य सरकार की नौकरी में हैं। तो राज्य सरकार का इसके बारे में, उस व्यक्ति का तो बहुत ही योगदान है इसमें चिकित्सा पद्धति के लिए लेकिन सरकार का योगदान नहीं के बराबर है।

आज विश्व में जो नम्बर दो की चिकित्सा पद्धति है उसमें होम्योपैथी ने अपनी जगह बना ली है। सबसे बड़ा जो कारण है कि एक तो यह बहुत ही सुलभ और सस्ती है, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव इसमें नहीं होता है। तो एक ऐसी पद्धति, गरीब के लिए यदि हम इस पद्धति को आगे बढ़ायें तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति, इतनी सस्ती दवाई है कि जिससे उसका आसानी से इलाज हो सकता है, आसानी से उसको रिलीफ मिल सकती है लेकिन हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। विश्वविद्यालय बनाकर हम जरूर इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। यह पूरी एक तरह से प्राकृतिक नियमों पर निर्भर करती है। बाकी तो बुखार होता है तो उसकी दवाई तय है कि इसके यह दवाई, यह दवाई लेकिन इसकी दवाई कभी भी किसी बीमारी के नाम से नहीं दी जा सकती, इसका तो उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा व्यक्ति का, उसके शरीर का अध्ययन किया जाएगा और उसके आधार पर दवाई होगी। हर व्यक्ति के लिए उसी बीमारी के लिए भिन्न दवाई होगी। तो मैं सोचता हूं कि यह एक बहुत ही एक अच्छी पद्धति हमारे यहां विकसित हुई है।

लगभग 200 वर्ष से इस पद्धति को अपन ने आगे बढ़ाया लेकिन, मंत्री महोदय, मुझे कहते हुए बहुत ही दु:ख है इसका कि आज भी कोई होम्योपैथी मेडिकल कालेज नहीं है राजस्थान में, इतने वर्षों के बाद भी जबकि उत्तर प्रदेश में आज भी होम्योपैथी के 13 मेडिकल कालेज हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी सरकार को भी विचार करना चाहिए।

एक जो वेबसाइट अभी आपने ली थी, भारत सरकार की 8 मार्च, 2008 को जो वेबसाइट थी, उसके ऊपर फिगर अवेलेबल हुए कि एलोपैथी से सारे हिन्दुस्तान में 55 प्रतिशत लोगों का इलाज होता है और उसमें 30 प्रतिशत लोगों का आपका इलाज है वह होम्योपैथी से है और 14 प्रतिशत व्यक्तियों का इलाज है वह आयुर्वेद से और एक प्रतिशत लोगों का इलाज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हिन्दुस्तान में यूनानी पद्धति से होता है। तो इतनी महत्वपूर्ण पद्धति है। वास्तव में, यह केवल साधारण रोगों का ही इलाज नहीं करती है, गम्भीरतम जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका होम्योपैथी में जिस प्रकार का इलाज उपलब्ध है, किसी और पैथी में इलाज उपलब्ध नहीं होगा। उसमें आप देख सकते हैं, इसमें कैंसर का भी इलाज है, गठिया बाय में भी हैं, बच्चों की गम्भीरतम बीमारियां हैं, चर्म रोग है। इस प्रकार की बीमारियों का एक प्रकार से बहुत ही पुख्ता एवं मैं यह कहता हूं कि गांधीजी ने भी उस समय कहा कि हिन्दुस्तान के साधारण व्यक्ति के लिये दो ही पद्धतियां प्रभावी थीं – एक होम्योपैथी और दूसरी आयुर्वेद जिनके कारण यहां के लोगों का आसानी से इलाज हो जायेगा, गरीब व्यक्ति को भी इसका इलाज मिल जायेगा। लेकिन इस पर भी हमने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

मैं सोचता हूं, होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010, इसका एक आर्डिनेंस है, आर्डिनेंस आपका 13 अक्टूबर, 2009 को निकला और उसके बाद आप इसका विधेयक लेकर आये। इसका आप सेक्शन पढ़ें, मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, उसमें आप उनको प्रोत्साहित करो, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं लेकिन कम से कम जो सरकारी कानून-कायदे हैं, उनको अगर हमने समय रहते ठीक प्रकार से बनाने का प्रयास नहीं किया तो आज तो खूंटेटाजी जिन्दा हैं और आज के बाद वह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में यूनिवर्सिटी जायेगी तो इसका कहीं दुरुपयोग नहीं हो जाये। कानून बनाने समय उन सब बातों को बहुत गहराई से ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि आपका यह जो आर्डिनेंस निकला है, इस आर्डिनेंस के सेक्शन-8- विन्यास निधि में है इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथा शीघ्र दो करोड़ रुपये की राशि से, जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को जमा करा दी गयी है, विन्यास निधि स्थापित की जायेगी। यह है अपना अक्टूबर का आर्डिनेंस, जिसमें दो करोड़ रुपये इसको जमा करानी थी। अभी यह जो आपका विधेयक निकला है, इस विधेयक की भी भाषा पढ़ो आप। विन्यास निधि-इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, वहां भी लिखा है 'पश्चात्', छह महीने पहले आपने 'पश्चात्' लिखा, वह आज भी इसमें 'पश्चात्' लिख रहे हैं। यह दो करोड़ रुपये भी आज की तारीख में न तो जमा करने की चिन्ता की, न हमने इसके बारे में यथाशीघ्र दो करोड़ रुपये की राशि से जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को जमा करा दिये जायेंगे, यह भी जमा नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से आपने देखा होगा, इसमें सेक्शन-12 है, चेयरमैन। अब इस सेक्शन-12 को थोड़ा सा, मतलब हम बना रहे हैं, बहुत अच्छी भावना से बना रहे हैं, लेकिन बनाते समय कम से कम इसको फूलप्रूफ बनायें कि इसका मिसयूज नहीं हो। यूनिवर्सिटी के पास में वे सारे अधिकार हैं जिससे डिग्रियां देंगे, और सब चीजें देंगे। अगर उस पर हमने हमारी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया तो इसका मिसयूज होने का डर रहता है। उसको भी हमें ध्यान में लाना चाहिये। अब इसमें सेक्शन-12 है चेयरपर्सन। अब इसका जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन, राज्य सरकार की सहमति से प्रायोजक निकाय द्वारा, अर्थात् जो इस विश्वविद्यालय को बना रहा है, वह प्रायोजक है, उसके पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त किया जायेगा और वह पुनर्नियुक्त नहीं हो सकेगा। मतलब एक चेयरमैन है, वह सरकार की सहमति से बनेगा। किसकी? बनाने वाली यूनिवर्सिटी के आधार पर।

उसके बाद आप सेक्शन 22 में आओ। सेक्शन 22 में जो इसका प्रबन्ध मण्डल है, मैं सोचता हूं, सरकार इनको बिल्कुल ही आजाद छोड़ देगी, किसी भी प्रकार से उस पर अपना अंकुश नहीं रखेगी, तो यह यूनिवर्सिटी बन बहुत अच्छे परपज के लिये रही है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा? हमारा विश्वविद्यालय आज एक तरह से जिस हालत में पहुंच गया, आपको और हमको दु:ख होता है कि जब हम कालेज में पढ़ते थे, उस समय विश्वविद्यालय की क्या स्थिति थी और आज हमारे राजस्थान के राजकीय विश्वविद्यालयों की क्या दुर्गति है। हमारे पास सब कानूनी अधिकार होने के बाद भी हम उस विश्वविद्यालय को ठीक प्रकार से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अपने आपको असहाय महसूस करती है, वहां का वाइस-चांसलर जैसा चाहे वैसे उस यूनिवर्सिटी को चलाता है। हम चाहते हुए भी कुछ करने की हैसियत में नहीं रहते, क्योंकि हमारा कानून हमको इस प्रकार का अधिकार नहीं देता। इसमें भी आप वैसे ही कर रहे हो। इसमें आपने लिखा है- यह जो प्रबन्ध बोर्ड है, विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्- (क) चेयरमैन (ख) प्रेसिडेंट (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नाम निर्देशित पांच व्यक्ति, जिनमें दो व्यक्ति शिक्षाविद् होंगे। यह भी कौन करेगा? चेयरमैन ही करेगा। फिर इसके बाद 'घ' देखिये, (घ) विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबन्ध या सूचना प्रौद्योगिकी का चेयरपर्सन द्वारा नाम-निर्देशित। यह भी कौन करेगा? चेयरपर्सन। उनका समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उनको भी कौन करेगा, चेयरपर्सन। उसके बाद आप आगे चलो। (ड़) चेयरपर्सन द्वारा नाम-निर्देशित एक वित्त

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विशेषज्ञ। इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? चेयरपर्सन। मतलब एक तरह से यह घर की यूनिवर्सिटी बना ली। इस यूनिवर्सिटी पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। मैं सोचता हूं, केवल लिखा होना यह समझदारी नहीं है। यह बन रही है, उस भावना का मैं आदर करता हूं। बननी चाहिये, राजस्थान को गौरव प्राप्त हुआ है। यह दुनिया में पहला होम्योपैथी का विश्वविद्यालय बन रहा है, इसके लिये वास्तव में बधाई देना चाहता हूं लेकिन ऐसा विश्वविद्यालय मत बना दो कि बाद में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहे और विश्वविद्यालय का दुरुपयोग हो जाये। इसके बाद आगे देखिये, (च) आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा या उसका नाम-निर्देशिती, जो उप सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा। एक व्यक्ति आपका है। यानी हायर एजुकेशन का कमिश्नर, वह एक व्यक्ति स्वयं या अपने द्वारा नोमिनेटेड कोई भी डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा, वह आपका है। उसके बाद (छ) प्रेसिडेंट द्वारा नाम-निर्देशित दो अध्यापक।

यानी यह सारी की सारी बाडी, जो आप इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, विश्वविद्यालय का जो बोर्ड है, बोर्ड आफ मैनेजमेंट है, उस बोर्ड आफ मैनेजमेंट में आप सारे उन्हीं के द्वारा नियुक्त किये हुए लोगों को डाल रहे हो, सरकार की किसी प्रकार से कोई दखलदांजी नहीं है। सरकार ने तो केवल यह समझ लिया, इसकी हमें कोई आर्थिक मदद नहीं करनी, इसलिये हम बरी हो गये और बरी होकर सारे कमंडल उसके हाथ में पकड़ा दिये। वह ढंग से चलाये या गलत चलाये, हमारे हाथ में बाद में कोई अधिकार नहीं रहेगा। मैं सोचता हूं इस प्रकार का कानून बनाना अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे सभी विश्वविद्यालयों के जो अनुभव आये हैं, वे कोई अच्छे अनुभव नहीं हैं।

कारण क्या है कि समय नहीं मिला, सवेरे चार बजे तक तो पहुंचे, उसके बाद जितना जो कुछ भी देख सके, उतना इसमें से देखा। अभी इसमें और कई कमियां होंगी, इसमें एक-एक सेक्शन के अनुसार जब चलेंगे, तब उसमें कई प्रकार की कमियां उसमें दिखाई देंगी। इसमें सब प्रकार के कोर्स उनको तय करने हैं। सब प्रकार के लेक्चरर्स का सलेक्शन उनको करना है। उनकी सेवा-शर्तें उनको तय करनी हैं। विश्वविद्यालय में जिस प्रकार के अधिकार हैं, उन सारे अधिकारों का प्रयोग करेंगे। मैं सोचता हूं, मंत्रीजी, यह जो बोर्ड आफ मैनेजमेंट बनता है, उसमें राज्य सरकार के कम से कम 30-40 प्रतिशत तो लोग उसमें रखो, जो कम से कम कहीं न कहीं उसके बारे में आपको जानकारी दे सके। सरकार का उसमें कोई न कोई हस्तक्षेप तो उसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहना चाहिये। केवल आपने एक सेक्शन-44 में थोड़ा सा अधिकार जरूर लिया है और वह कब, जब शिकायत सिर से ऊपर चढ़ जायेगी, तब उसके बाद थोड़ा सा अधिकार सैक्शन 44 में आपको दिया है।

मैं सोचता हूं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। मैं आपकी भावना का स्वागत कर रहा हूं। मैं ईमानदारी से, मन से कह रहा हूं एक बहुत अच्छा काम अपन कर रहे हैं, पर कम से कम बनाते समय एक-एक चीज को बारीकी से देखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं कि बनाना बहुत अच्छा है लेकिन कम से कम कानून ऐसा बनाओ, जिस कानून के तहत राज्य सरकार पंगु न हो जाये। जिस अधिकार को न मिलने के कारण से राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जायेगी, डिग्रियां बिक जायेंगी, डिग्रियां बंट जायेंगी। आज अच्छे लोग हो सकते हैं, खूंटेटा, जिसने इस होम्योपैथी के क्षेत्र में अच्छी सेवा की है, उसका मान और सम्मान है पर उसकी आने वाली पीढ़ी, वह इसी ढंग से चलायेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कानून जो बनता है वह एक दो दिन के लिये नहीं होता है, कानून हमेशा के लिये बनता है। इसमें मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इसलिये नहीं कि गुलाबचन्द कटारिया बोल रहा है इसलिये इसको रिजेक्ट करना है, वह तो आप अपने बहुमत से कर सकते हैं, मेरे को कोई ऐतराज नहीं लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, कोई ऐसा तो संशोधन इसमें करके डालो, जिस संशोधन के आधार पर, अभी तो दिन भर डिस्कशन चलेगा, आप इसमें जहां-जहां आवश्यक समझते हो, वहां हमारे लोगों को भी, सरकारी हस्तक्षेप भी किसी न किसी तरह से इसके पाठ्यक्रम से लेकर बाकी बातों में भी कहीं न कहीं हमारा इन्वाल्वमेंट रहे, जिसके कारण से हम इसको ठीक प्रकार से कर सकें।

इसी बात के साथ इसको जनमत जानने के लिये आपसे और सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख होम्योपैथी विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 पर विचार हो रहा है और मेरा इसमें प्रस्ताव है कि इसे दो माह जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि होम्योपैथी चिकित्सा जगत के लिये एक अद्वितीय दिन है, एक नया इतिहास जुड़ रहा है। क्योंकि दुनिया का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर में खुलने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यदि इसका श्रेय किसी को जाता है तो वह तत्कालीन सरकार को जाता है, जिस सरकार ने सायपुरा, सांगानेर में 33.78 एकड़ भूमि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आबंटित की।

अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी वह पद्धति है जो जर्मनी से चली, हैनीमैन ने जिसका शुभारम्भ किया और जो प्रकृति के नियमों पर आधारित है। प्रकृति में कहते हैं कि जहर जहर की दवा, इस आधार पर लोगों ने इस पैथी को पूरी दुनिया ने स्वीकार करना प्रारम्भ किया और आज हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर एलोपैथी के बाद सर्वाधिक लोगों को अगर किसी पैथी पर विश्वास है तो होम्योपैथी के ऊपर है। इसमें भी कोई शक नहीं कि 1965 में राज्य का पहला होम्योपैथी महाविद्यालय भी जयपुर में बना, एम पी खूंटेटाजी ने बनाया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, लोगों में इसके प्रति विश्वास इसलिए बढ़ गया, मुझे तो मेरे जिले का मालूम है, स्वाइन फ्लू फैल रहा था, होम्योपैथी के चिकित्सक, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा अमर सिंहजी को, शेखावाटी चिकित्सा परिषद् के रूप में उन्होंने होम्योपैथी के चिकित्सकों को एक जगह किया और गांव-गांव में निकल गये दवा पिलाने के लिए, दवा का नाम शायद इन्फ्ल्युएंजा था, नाम मुझे पूरा ध्यान नहीं, उसका प्रभाव भी हुआ।

(समय : 13.31 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि राज्य के अन्दर छह होम्योपैथी कालेज आज चल रहे हैं पर सेंट्रल कौंसिल आफ होम्योपैथी, इसने जो मापदण्ड निर्धारित कर रखे हैं, मैं, मंत्री महोदय, यह चाहूंगा, इन सारे महाविद्यालयों का आप इंस्पेक्शन करवायें। यह जो बी एम एच एस की डिग्री है, इस डिग्री के प्रति लोगों में आस्था बढ़े, खूंटेटा होम्योपैथी कालेज की तर्ज पर इनमें भी, जो सेंट्रल कौंसिल आफ होम्योपैथी ने जो मापदण्ड तय कर रखे हैं उसके अनुसार बाकी छह कालेज हैं, वे भी इन मापदण्डों को पूरा करें, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज लगभग छह हजार चिकित्सक राजस्थान के अन्दर हैं और सरकारी सेवा में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

180 हैं। आप हमारे किये गये कार्य की वाहवाही लूट लेंगे। आपके पास बहुमत है। हम इसके अन्दर जिन-जिन चीजों पर एतराज करेंगे, उनको आप नहीं मानेंगे पर कम से कम इस बात को तो मानो, आपको पन्द्रह महीने हो गये सत्ता में आये हुए, एक होम्योपैथिक चिकित्सक को आपने नौकरी नहीं दी। आज सरकारी क्षेत्र में एक सौ और कुछ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के खण्ड 12 जिसका जिक्र अभी उदयुपर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि चेयरपर्सन राज्य सरकार की सहमति से प्रयोजक निकाय द्वारा यानी वाया रजिस्टर्ड सोसायटी जो इस विश्वविद्यालय को संचालित करेगी, उसकी सहमति से पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जायेगा। निश्चित तौर पर जो सोसायटी अपने पुरुषार्थ से, अपने धन में से धन को लगायेगी, चेयरमैन उसका बने पर इसके साथ यह प्रेसिडेंट शब्द कहां से आ गया? इस प्रेसिडेंट को जो आपके खण्ड 13 में है, सभापति महोदय, यह प्रेसिडेंट एक तरह से वाइस-चांसलर के समान इसको सारी शक्तियां दी हैं। वाइस चांसलर एक ऐसा शब्द, जिस शब्द को अगर कोई बोलता है तो लगता है कि कोई विद्वान व्यक्ति होगा पर यह प्रेसिडेंट शब्द इसलिए उपयोग किया गया क्योंकि इसकी नियुक्ति प्रबन्ध बोर्ड की सिफारिश पर तीन व्यक्तियों का पैनल करेगा। सभापतिजी, इसका चेयरपर्सन कौन होगा, यानी, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, प्रेसिडेंट के नाम पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति होगी, इसमें उसकी क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसी विधेयक के खण्ड 13(3) में कहा गया है कि प्रेसिडेंट विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक होगा और शिक्षक अधिकारी होगा, यानी सारा करतम-धर्ता वह होगा और उसकी नियुक्ति में किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं, वह विशेषज्ञ है या नहीं, इसकी बात नहीं। इसलिए मेरा पहला आपसे निवेदन है, मैं चाहूंगा कि प्रेस्डिेंट के नाम के स्थान पर आप वाइस-चांसलर का नाम लेकर आयें और इसके अन्दर कोई न कोई शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए।

इसी के 13(8) में लिखा है चेयरपर्सन जांच के आधार पर प्रेसिडेंट को हटा देगा। मतलब यह तो एक तरह से यह हो गया कि सेठजी की दुकान पर नियुक्ति दे दी और यदि मन आया कि इसको नहीं रखना, इसको हटाओ। इसलिए इस क्लाज को भी आपको निश्चित तौर पर देखना चाहिए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सेक्शन 14 में प्रो-प्रेसिडेंट, यह कौनसी पोस्ट ले आये आप? प्रो-वाइस चांसलर होता तो अच्छा भी लगता। यह जो सेक्शन 22 है जिसका जिक्र अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया कि विश्वविद्यालय का प्रबन्ध बोर्ड, ऊपर से नीचे तक अगर हम गिनते चले जाएं, चेयरपर्सन प्रेसिडेंट, प्रयोजक निकाय द्वारा निर्देशित पांच व्यक्ति और फिर चेयरपर्सन द्वारा निर्देशित एक विशेषज्ञ और फिर चेयरपर्सन द्वारा निर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ और फिर प्रेसिडेंट द्वारा निर्देशित दो अध्यापक और फिर आयुक्त महाविद्यालय द्वारा निर्देशित एक अधिकारी, यानी इस पूरे प्रबन्ध मण्डल में, मुझे लगता नहीं है कि सरकार का कोई छोटा-मोटा नियंत्रण भी रहेगा।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसके सेक्शन 43 की तरफ आप मुलाहिजा फरमायें। मंत्री महोदय, इसमें लिखा है कि प्रयोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन। मतलब एक वर्ष का नोटिस वह दे देगा, राज्य सरकार को, कर्मचारियों को और छात्रों को और विश्वविद्यालय बन्द करके चला जाएगा। कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने जमीन दी रियायती दर पर, सरकार ने सुविधा दी और उसके बाद इसी 43(2), इसमें जो सारी जायदाद होगी, वह भी प्रयोजक यानी संचालन कर रहा है उसकी रह जायेगी।

सेक्शन 33, मंत्री महोदय, कितना विवाद चला, विद्यार्थियों की फीस को बढ़ने को लेकर, कितने अभिभावक सड़कों पर निकले। आज शिक्षा के निजीकरण की हम बात करते हैं पर कम से हमें यह भी देखना पड़ेगा, निजीकरण की बात तो समझ में आती है लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण यदि हो जाएगा तो गरीब से यह शिक्षा दूर चली जाएगी। आप सेक्शन 33 में फीस कितनी होगी, प्रयोजक निकाय एक कमेटी का गठन करेगा और वह तय करेगी कि जो मर्जी हो वह फीस तय कर दो।

मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर बहुत उचित भावना के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। हम आदर करते हैं उस डाक्टर धीरेन्द्र पाल का, जिसको मैं तो कहूंगा कि राजस्थान का फादर आफ होम्योपैथी कहा जा सकता है, उनकी प्रेरणा से और उसके साथ-साथ खूंटेटा जैसे भामाशाह की प्रेरणा से यह विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है पर आज उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उसके संचालन के साथ जुडे हैं, ख्यातनाम लोग हैं, उनका सेवा का संकल्प मन में है, इच्छाशक्ति भी कुछ करने की है पर कल, यद्यपि संसार में कोई नहीं बचा; मंत्री महोदय, न राजा बचे, राजतंत्र चला गया,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लोकतंत्र में हम यहां खड़े हैं, आप और हम भी कितने दिन रहेंगे, परन्तु ये संस्थाएं जो आज हम कानून के द्वारा बनाने जा रहे हैं, ये संस्थाएं बरसों-बरसों तक खड़ी रहेंगी और इन संस्थाओं के साथ इस कानून को जो कोई पढ़ेगा, आने वाले समय में बहुत से ऐसे लोग होंगे, विकृतियां समाज में हैं, विकृत समाज के लोगों के हाथों में जब ये संस्थाएं जाएंगी तो उस संस्था को बंद करने का अधिकार भी आप उसको दे रहे हो, उस संस्था के सारे असेट्स को देने का अधिकार भी आप दे रहे हो, उस संस्था में फीस कितनी होगी, यह अधिकार भी आप उसको दे रहे हो। उस संस्था के उस वक्त के संचालक, मैं आज के संचालकों को साधुवाद दूंगा, उस वक्त के संचालक किसको नियुक्त करेंगे प्रेसिडेंट के तौर पर, यह अधिकार भी आप उसको दे रहे हो।

इसलिये निश्चित तौर पर इसमें कुछ न कुछ कमियां-खामियां सामने आई और यह कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है, यदि यह जनमत जानने के लिये परिचालित हो जाएगा, राजस्थान में बहुत से लोग हैं, इस पैथी के प्रति लोगों की श्रद्धा है, इस पैथी के प्रति लोगों के मन में अच्छी भावनाएं हैं, वे चाहते हैं कि यह पैथी आगे बढ़े, उन सबके सुझाव आ जाएंगे। अगर जनमत जानने के लिये परिचालित कर दिया तो आपकी कौनसी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आज चूंकि हमारी महिला विधायकों का महिला चिकित्सकों के साथ मैच भी है, दर्शकों की बहुत बड़ी आवश्यकता है मैच में और दर्शकों की बेहद मांग पर मैच हो रहा है, उस मैच में सब जाना चाहेंगे। इसलिये अब आप इसको जनमत जानने के परिचालन का प्रस्ताव ले आओ ताकि इसमें समय ज्यादा खराब नहीं हो। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह। (अनुपस्थित) श्रीमती अनीता सिंह (अनुपस्थित) श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 सदन में पेश हुआ, इसका तो मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि एलोपैथी के बाद हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि कोई लोकप्रिय पद्धति है तो वह होम्योपैथिक पद्धति है। क्योंकि इस पद्धति में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसलिए लोग इस पद्धति से इलाज करवाना चाहते हैं।

(श्री कालीचरण सराफ)

जैसा आदरणीय कटारियाजी ने बताया, राठौड़ साहब ने बताया कि 6 हजार डाक्टर हैं पूरे प्रदेश में होम्योपैथी के, 13 मेडिकल कालेज हैं होम्योपैथी के, अब यह बिल तो आप इसलिए ले आए कि सारी व्यूह रचना हमने हमारी सरकार के समय बना दी थी और हम यह आशा कर रहे थे कि जो मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण पढ़ा, उसमें वे होम्योपैथी निदेशालय की घोषणा करते पर उन्होंने होम्यौपैथी निदेशालय की घोषणा नहीं की, उन्होंने घोषणा की यूनानी पद्धति, यूनानी निदेशालय की। मैं कोई यूनानी पद्धति के खिलाफ नहीं हूं, यूनानी पद्धति के दो कालेज, 100 स्टूडेंट हर साल निकलते हैं, आज इसमें डिप्टी डाइरेक्टर, होम्यौपैथी पद्धति का है उसमें केवल असिस्टेंट डाइरेक्टर है। आपने वोटों को आकर्षित करने के लिए यूनानी पद्धति का निदेशालय बनाया, बहुत अच्छा काम किया पर अच्छा होता कि यूनानी पद्धति के साथ-साथ बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी होम्यौपैथी निदेशालय की घोषणा भी करते।

जैसा राठौड़ साहब ने बताया कि इसमें सेक्शन 12 में गवर्नमेंट का रिप्रजेंटेशन कम है, 33 में फीस के मामले में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा, विघटन के समय जितनी जमीन है वह उनको ही वापस दे दी जायेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछली बार हमने 9 विश्वविद्यालय के बिल राजस्थान की विधान सभा में पेश किये थे और पारित करवाये थे, उसके पीछे हमारा यह उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा निजी निवेशक, निजी भागीदारी शिक्षा के क्षेत्र में हो। उस समय कांग्रेस के माननीय सदस्य जब इधर थे तो उन्होंने दो-तीन आपत्तियां दर्ज की थीं। उन्होंने कहा था कि इसके लिए एक रेग्यूलेटरी बोर्ड बनना चाहिए और हमने, उस समय मैं शिक्षा मंत्री था, मैंने यह आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी रेग्यूलेटरी बोर्ड बनेगा। माननीय सदस्यों ने यह भी आपत्ति की थी कि जिसके पास कम से कम 50 हजार पुस्तकों की लाइब्रेरी हो उसको यह मान्यता मिले, मैंने उस समय सदन में यह भी आश्वासन दिया था कि इसके बारे में भी सरकार विचार करेगी और सरकारी प्रतिनिधि बढ़ाने के लिए भी मैंने कहा था। परन्तु मुझे बड़ी तकलीफ है, केवल झूठी वाहवाही लेने के लिए, पिछली सरकार में सब काम हो गया और आप यह विधेयक ले आए। बहुत बढ़िया, आपको वाहवाही मिलेगी पर इतनी जल्दबाजी में विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं थी। दो साल पहले जो विश्वविद्यालय के विधेयक विधान सभा में पेश हुए और उस समय जो सरकार ने आश्वासन दिये, उनको भी इसमें समाहित करते और

(श्री कालीचरण सराफ)
दो साल में आपको यह भी पता लग गया होगा कि क्या-क्या व्यवहारिक कठिनाइयां इस मामले में आयी हैं, उनको भी आप दूर करते और उसके बाद यदि बिल लाते तो वह ज्यादा ठीक रहता।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दबाजी में कोई विधेयक लाना उचित नहीं है। इसको जनमत जानने के लिए एक महीने के लिए परिचालित किया जाए और एक महीने के बाद जब सारी बातें इसमें सही हो जाएं, जो सम्बन्धित विद्वान लोग हैं, जो सम्बन्धित लोग हैं उन सब से राय-मशविरा करके और उसके बाद यदि यह बिल लायेंगे तो यह उचित रहेगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सदन के अन्दर आज होम्योपैथी विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 जो पेश किया गया है इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही यह मांग करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने से पहले राजस्थान के अन्दर दो महीने के समय के लिए राजस्थान की जनता के विचार जानने के लिए इस विधेयक को भेजा जाए तो निश्चित रूप से अच्छे सुझाव आयेंगे और अच्छे सुझाव आने के बाद इस विधेयक के अन्दर कुछ संशोधन करके, जैसा तारानगर से आने वाले हमारे माननीय विधायक महोदय ने, उदयपुर से आने वाले हमारे माननीय विधायक महोदय ने और हमारी पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और हमेशा कालेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की राजनीति करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इस विधेयक की रूपरेखा पिछली, पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर तैयार करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, मालवीय नगर से आने वाले हमारे विधायक महोदय ने जो बात आपके सामने रखी, मैं इन बातों से अपनी सहमति व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज जैसा कि तारानगर से आने वाले माननीय विधायक महोदय बता रहे थे कि स्वाइन फ्लू का कहर जब पूरे राजस्थान के अन्दर बरपा, जब पूरे राजस्थान की एलोपैथी की दवाइयां स्वाइन फ्लू की बीमारी पर असर नहीं कर रही थीं तब राजस्थान के अन्दर अगर कोई ऐसी दवाई थी जिसने स्वाइन फ्लू होने से राजस्थान के हजारों लोगों रोका तो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

वह दवाई थी होम्योपैथी पद्धति की दवाई और इस दवाई की बदौलत आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो स्वाइन फ्लू का कहर राजस्थान के अन्दर बरपा, अगर होम्योपैथी पद्धति की वह दवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर हजारों जानें उस स्वाइन फ्लू की बीमारी में लोगों की भेंट चढ़ जातीं।

माननीय सभापति महोदय, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आज विश्व के अन्दर सबसे बड़ी, दूसरे नम्बर की पद्धति है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा सबसे सस्ता और सुलभ इलाज गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मिल जाता है। माननीय सभापति महोदय, यह चिकित्सा पद्धति पूर्णतया प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, इसका सिद्धांत प्रकृति के नियम 'जहर ही जहर की दवा है', इस पर आधारित है। माननीय सभापति महोदय, इस चिकित्सा पद्धति में रोग का नाम अनुसार इलाज नहीं करके रोगी के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण और शरीर की बनावट तथा प्रकृति के गुण-अवगुण पर आधारित कर किया जाता है। लगभग 200 वर्षों में जितनी ख्याति इस पद्धति ने अर्जित की, उतनी ही राज्य स्तर पर इसकी उपेक्षा हुई जिसका उदाहरण, राज्य सरकार का एक भी मेडिकल कालेज अब तक भी स्थापित नहीं है जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अन्दर 13 सरकारी मेडिकल कालेज संचालित हैं। एक सरकारी वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान हैल्थ सर्विस मेडिकल आफिसर बुलेटिन, फैमिली एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, भारत सरकार, 8 मार्च, 2008 के अनुसार 55 प्रतिशत रोगी अंग्रेजी दवा लेते हैं जबकि 30 प्रतिशत रोगी होम्योपैथी दवा, 14 प्रतिशत रोगी आयुर्वेदिक एवं एक प्रतिशत रोगी यूनानी पद्धति से इलाज करवाते हैं।

आपने बजट के अन्दर यूनानी निदेशालय खोलने की घोषणा की क्योंकि आपको वोटों का लालच था और यूनानी पद्धति के वोटों पर आपकी नजर थी। इसका भी हम स्वागत करते हैं, हम यूनानी पद्धति के विरोधी नहीं हैं लेकिन होम्योपैथी पद्धति यूनानी पद्धति से ज्यादा बेहतर है और विश्व के अन्दर सबसे ज्यादा लोग इससे इलाज कराते हैं। आपको बजट के अन्दर इसका निदेशालय खोलने की घोषणा करनी चाहिए थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट की घोषणा की तो इसके अन्दर निश्चित रूप से इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। इस पद्धति के साथ अन्याय हुआ है। आज राजस्थान के अन्दर वर्तमान में 6 होम्योपैथी महाविद्यालय संचालित हैं, जयपुर के अन्दर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मदन प्रताप खुंटेटा, जिसके अन्दर प्रवेश क्षमता 100 है, युवराज प्रताप सिंह मेडिकल कालेज, अलवर में 75, भारतीय होम्योपैथी कालेज, भरतपुर में 40, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कालेज, जयपुर में 100, मांगीलाल निर्वाण मेडिकल कालेज, बीकानेर में 75 और गंगानगर के होम्योपैथी कालेज के अन्दर 50 की संख्या है। इन सभी कॉलेजों में साढ़े पांच वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम बी.एच.एम.एस. संचालित है, साथ ही मदन प्रताप खुंटेटा, जयपुर में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि इस विधेयक के अन्दर जो धाराएं हैं, धारा 43 है, एक महीने के अन्दर नोटिस देकर विश्वविद्यालय बंद कर के चले जायेंगे। अपन ने, सरकार ने जमीन अलाट कर विश्वविद्यालय बनाने के लिए सरकारी तौर पर योगदान दिया, उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। एक महीने का नोटिस, विश्वविद्यालय पर ताला देकर, विश्वविद्यालय बंद करके चले जाओ। दूसरी धारा-33 जिसके अन्दर आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छी शिक्षा लेने के लिए लालायित है और आज एलोपैथी पद्धति के बराबर होम्योपैथी के डाक्टरों का मान और सम्मान गांवों के अन्दर होता है क्योंकि इस पद्धति से गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अति पिछड़ा व्यक्ति भी इलाज करा सकता है। तो, सभापति महोदय, सेक्शन-33 के अन्दर फीस बढ़ाने के जो प्रावधान किये हैं इसके अन्दर कुछ भी नहीं बताया, कितनी फीस बढ़ा सकते हैं, कितनी फीस लेंगे, मनमर्जी से चाहे जो फीस बढ़ा सकते हैं। इस सेक्शन-33 का मैं विरोध करता हूं। इसलिए खुले हिसाब से इस पर चर्चा होनी चाहिए। सेक्शन-12, इसके अन्दर सरकार का प्रतिनिधित्व क्या होम्योपैथी विश्वविद्यालय के अन्दर रहेगा, इसका भी वर्णन नहीं किया गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस होम्योपैथी विश्वविद्यालय के अन्दर जो संचालक मण्डल और प्रबन्ध मण्डल में प्रेसिडेंट का जो पद किया है, इस प्रेसिडेंट नाम के अन्दर एक बड़ी बू आती है। इसलिए इस प्रेसिडेंट के पद का नाम चेंज करके इसका प्रेसिडेंट के अलावा कोई अन्य नाम इसके अन्दर होना चाहिए। होम्योपैथी निदेशालय की घोषणा करनी चाहिए।

सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर 1965 से राज्य में प्रथम मेडिकल कालेज, इस कालेज द्वारा भारत में प्रथम बार एम डी की शुरुआत जयपुर के अन्दर की गयी थी। आज होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर के अन्दर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बन रहा है, बहुत बड़े गौरव की बात है कि यह भारत का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय होगा। लेकिन यह सोच आपकी नहीं है, सोच पूर्ववर्ती सरकार की है। आप तो सिर्फ आनन-फानन में इस कानून को पास कराकर एक जनता के अन्दर यह संदेश देना चाहते हो कि हमने होम्योपैथी विश्वविद्यालय हमारे शासन के अन्दर खोला।

आज राजस्थान के अन्दर होम्योपैथी के हजारों लोग बी एच एम एस की डिग्रियां करके राजस्थान के गांव-गांव के अन्दर बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन आज तक मात्र इस डिपार्टमेंट के अन्दर 184 लोगों को ही डाक्टर बनाया गया। अगर आप ईमानदारी से होम्योपैथी पद्धति को बढ़ावा देना चाहते हो और गरीब से गरीब व्यक्ति की, जिस तरह बजट को गरीब और किसान का बताते हो, नौजवानों के हित की बात करते हो, छात्रों के हित की बात करते हो तो नौजवानों के हित की बात करो। बेरोजगारी के अन्दर जो आपने रोजगार देने की बात कही घोषणा पत्र के अन्दर, तो आज हजारों पद होम्योपैथी डाक्टरों के राजस्थान के अन्दर खाली पड़े हैं। आप इन पदों की घोषणा करें। मेरा आपसे आग्रह है कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की बात घोषणा पत्र में देने से काम नहीं चलेगा और विश्वविद्यालय खोल कर आप राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जब तक विश्वविद्यालय का उचित प्रबन्धन नहीं होगा, राजस्थान के अन्दर नई नौकरियां नहीं लगेंगी। होम्योपैथी पद्धति को इनके डाक्टर बढ़ावा देंगे और अच्छे डाक्टर आज निश्चित रूप से गांवों के अन्दर बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस विधेयक के पारित होने से पहले राजस्थान के अन्दर होम्योपैथी डाक्टरों के कितने पद सृजित करेंगे, कितने होम्योपैथी डाक्टरों की नई भर्ती करेंगे, इस मामले में आपको राजस्थान की जनता हेतु सदन के अन्दर घोषणा करनी चाहिए, मंत्रीजी, कि कितने पद लेंगे।

विश्वविद्यालय विधेयक को पारित करने से पहले दो माह के लिए राजस्थान की जनता के विचार और सुझाव लेने के लिए भेजना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि यह ऐतिहासिक बिल आपके हाथ से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थान की विधान सभा में पेश हो रहा है। राजस्थान को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और जयपुर को, जयपुर में भी सांगानेर विधान सभा क्षेत्र को कि विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय यहां पर स्थापित हो रहा है। सांगानेर में, जयपुर में, राजस्थान में।

सभापति महोदय, प्राइवेट विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा करने में एक बात और कहूंगा कि राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला राज्य है जिसने सारी विधिक बाधाओं को पार करके राजस्थान में प्राइवेट विश्वविद्यालयों के निर्माण की, स्थापित होने की प्रक्रिया प्रारम्भ की और हम इसमें सफल हुए। यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि पिछली सरकार ने इसका श्रीगणेश किया। इसका अगर अपन इतिहास देखें, बाद में जब दूसरे बिल आयेंगे उन पर अपनी बात रखूंगा लेकिन इतिहास देखें हिन्दुस्तान में प्राइवेट विश्वविद्यालयों का और एक समीक्षा करें हम, अमेरिका में सोलह करोड़ की जनसंख्या है, 900 विश्वविद्यालय हैं, हिन्दुस्तान में कुल मिला कर 311 विश्वविद्यालय सरकार 120 करोड़ लोगों के लिए बना सकी। किस प्रकार से हम पूर्ति कर सकते हैं?

ज्ञान आयोग ने जो सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में बना, उन्होंने 1500 विश्वविद्यालय 2020 तक हिन्दुस्तान में बनें, इस बात की कल्पना की। उसके बिना काम नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए हम यह बात कह सकते हैं कि आज 85 परसेंट हायर एजुकेशन, बारहवीं के बाद पढ़ने वाले लोग चाहे इंजीनियरिंग में जा रहे हों, चाहे मेडिकल में जा रहे हों, चाहे टेक्निकल में जा रहे हों, चाहे एम बी ए में जा रहे हों, चाहे होम्योपैथी में जा रहे हों, चाहे और किसी काम में जा रहे हों, आज 85 परसेंट हायर एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में है, 15 परसेंट सरकारी सेक्टर में है। सरकार के पास जो 15 परसेंट है उसकी भी जो हालत आज खराब है उसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। पच्चीस साल से राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने कोई नई नियुक्ति नहीं की। सारी फैकल्टीज खाली हैं, कुलपति हम नहीं बना सकते, नई भर्ती नहीं कर सकते, नया काम नहीं कर सकते और सारे विश्वविद्यालय जर्जर हालत में हैं और वे भी इस हालत में हैं कि कम्पीटिशन के जमाने में, ज्ञान के जमाने में हमारे खटारा जो विश्वविद्यालय हैं, लोग मांग करते हैं कि गरीब लोग कहां पढ़ेंगे? गरीबों को इनमें पढ़ाकर खटारा ही रखना चाहते हो क्या? इसके बजाय तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गरीबों को पैसा देकर पढ़ाने का काम सरकार करे, वह गरीब के लिए ज्यादा लाभदायक होगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर आए और प्राइवेट सेक्टर इसलिए आना आवश्यक है कि हमने जब विश्वविद्यालय बनाना शुरू किया था, अब तक राजस्थान में बीस विश्वविद्यालय बन गये, बीस से भी ज्यादा हो गये, 13 तो सरकारी हैं, 14 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, बीस प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालय आ गये। वे विश्वविद्यालय कैसे काम करेंगे? उदाहरण के लिए उदयपुर में हमने एक विश्वविद्यालय प्रारम्भ किया, उसमें नई टेक्नीक जो आयी है उसको पढ़ाने के लिए अध्यापकों की आवश्यकता थी। विज्ञापन निकाले और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी ने दो लाख रुपये महीने पर एक प्राध्यापक की नियुक्ति की। सरकार कर सकेगी क्या? सरकार के कानून, कायदे, नियम बंधे हुए हैं, उसके हिसाब से सरकार करती है।

मैं इस विषय पर तो बाद में जब दूसरे बिल आयेंगे तब जाउंगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसका इतिहास कहां से शुरू हुआ। सबसे पहले कांग्रेस के मुख्य मंत्री थे श्रीमान अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ में, उन्होंने प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना का काम प्रारम्भ किया था। प्रोफेसर यशपाल ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सारे जो विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में खुले थे, उन सबको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद में यह राजस्थान सरकार पहली है जिसने प्राइवेट विश्वविद्यालय चालू किये और इसके लिए हमने कुछ शर्तें रखीं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन शर्तें दी थीं, उनमें सबसे पहली शर्त थी कि कोई व्यक्ति प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं खोलेगा। तो हमने उसमें प्रावधान किया कि एक संस्था जो शैक्षिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखती है, रजिस्टर्ड संस्था है, प्राइवेट कम्पनी है, वह ही इसमें काम कर सकेगी, कोई व्यक्ति यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकेगा। एक प्रावधान हमने किया।

दूसरा इसमें आया कि उसका इन्फ्रास्ट्रैक्चर क्या है, इसलिए हमने तय किया कि सरकार जमीन नहीं देगी, सरकार को तीस एकड़ जमीन उस विश्वविद्यालय के पास है, इस बात की कल्पना करनी पड़ेगी, सरकार को देखना पड़ेगा। उसके बाद यह नहीं कि दुकान खुल जाए, इसलिए तय किया कि इतने स्क्वायर फीट का कन्स्ट्रक्शन होगा, वह तय किया। उसके बाद तय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किया कि फैकल्टी कैसी होगी तो फैकल्टी इस प्रकार की होगी, यह हमने उसमें तय किया। उसके बाद हमने तय किया कि फैकल्टी होगी लेकिन फैकल्टी के साथ-साथ पुस्तकालय कैसा होगा, कम्प्यूटर की शिक्षा कैसी होगी, लेबोरेटरीज कैसी होंगी, खेल के मैदान कैसे होंगे और वह काम वह संस्था नहीं करेगी, उसके लिए तीन कुलपतियों की समिति होगी, जिसके सामने वह अपनी एप्लीकेशन देगी, फिर वह जाएगी, फिर वह रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट देने के बाद सरकार तय करेगी कि इतना सारा ढांचा उन्होंने तैयार कर लिया और तैयार करने के बाद में यह विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने स्थापित किये और इसके बाद विश्वविद्यालय का एक्ट आएगा।

अब यहां बार-बार यह प्रश्न उठता है, इसका कोर्स क्या होगा, यह अपने आप कोर्स कर लेंगी। हमने नियम में प्रावधान किया था और न्यायालय ने भी किया कि यू जी सी, जो बिलकुल एकदम बेकार बाडी है जिसको ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, जिसने भारत की शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया, भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है, सबसे पहले मैंने शिक्षा मंत्रियों की

(14.00 बजे)

मीटिंग में मांग की थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ए आई सी टी ई, यह जो सारे संगठन हैं वे एकदम रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक हैं और अब भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है कि इनको समाप्त किया जाना चाहिये, इन्होंने यू जी सी ने कुछ मापदण्ड तय कर दिये कि यह कोर्स, यह कोर्स, यह कोर्स, वह कोर्स को लागू करो। उस कोर्स के अलावा आप पढ़ा नहीं सकते। उस कोर्स के अलावा नहीं पढ़ा सकते तो फिर यह विश्वविद्यालय बना क्यों रहे हैं? ज्ञान को सीमित करना चाहते हैं? नालेज को सीमित करना चाहते हैं?

फिर प्रश्न आया कि सरकार के आदमी इसमें होने चाहिये। क्यों होने चाहिये सरकार के आदमी? सरकार का आई ए एस अफसर या सरकार का आर ए एस अफसर क्या पढ़कर इतना विद्वान हो जाता है कि कोई विश्वविद्यालय को नियमित कर सकेगा, उसका संचालन कर सकेगा? सरकार का नियंत्रण होना चाहिये, सरकार की निगरानी होनी चाहिये, इसके लिये मैं सहमत हूं लेकिन सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप प्राइवेट सेक्टर में होगा, सभापति महोदय, अलग-अलग मांग होती है जिसमें प्राइवेट समाज, संस्थाएं स्कूल खोलती हैं और सरकार को निर्देश देती हैं कि इतना अनुदान दो, इतना रुपया दो, तो आकर विरोध करते हैं, वह सरकार का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिये। उसी प्रकार जब एक संस्थान अपनी यूनिवर्सिटी बना रही है तो हमने तय किया था

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि निगरानी आयोग एक होना चाहिये पूरा उच्च शिक्षा का, निगरानी आयोग गठित करें जो नार्म्स को देखे और नार्म्स के आधार पर इन संस्थाओं को नियंत्रित करे। यह संस्थाएं निश्चित रूप से चलनी चाहिये।

इसमें एक प्रावधान नहीं है, वह प्रावधान, माननीय मंत्री महोदय, होना चाहिये। सरकार उन लोगों को जिनके खुद के पास पढ़ने के लिये पैसे नहीं हैं लेकिन जिनके पास योग्यता है इन क्षेत्रों में, उनकी पढ़ाई के लिये रिजर्वेशन निश्चित रूप से होना चाहिये। वह गरीब आदमी जो योग्यता रखता है, वह गरीब आदमी जो इसमें पढ़ने के लायक है तो सरकार एक टैस्ट लेकर इन संस्थाओं में उन लोगों को भर्ती कराए और उनके लिये पैसे देने की व्यवस्था सरकार करे।

इस कानून में, माननीय मंत्रीजी, कमी है। डाक्टर साहब, इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने प्राइवेट विश्वविद्यालय बुलाये हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो सरकार के भरोसे पढ़ना चाहते हैं? तो क्या सरकार के भरोसे पढ़ने वाले इन विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ेंगे? इसलिये 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, कुछ भी आप करें, इस प्रकार की व्यवस्था जरूर करें कि वे जाकर इनमें पढ़ सकें और सरकार इस प्रकार का फंड बनाए। सभापति महोदय, यह बनना चाहिये, काम चलेगा नहीं। इस काम को चलाने के लिये आवश्यक है कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे।

सभापति महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालय जो बने हैं पहले उनको राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गयी। राजस्थान पहला राज्य है जिसने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमे जीते और जीतने के बाद राजस्थान में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक और प्रार्थना करना चाहूंगा। राजस्थान में एक क्लाज इसमें डालने की आवश्यकता है जो मैं नहीं डाल सका। आप लोग मेरी बात सुन लो। नहीं तो मामला गड़बड़ है..(व्यवधान) आप बाद में कर लेना अपनी बात।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी ही तैयारी कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप मेरी तैयारी भी कर लो लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि इसमें एक कमी मेरे से भी रह गयी,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कालीचरणजी से भी रह गयी, जो कमी रही हो उस कमी को दूर करना चाहिये हमको। हमेशा सब विश्वविद्यालयों का सारा लेखा-जोखा या उनका वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान की विधान सभा में रखते हैं। इनमें हमने ऐसा कानून नहीं बनाया कि इनका वार्षिक प्रतिवेदन हम राजस्थान की विधान सभा में रख सकें। यह अगर इस एक्ट में अपन जोड़ देंगे तो राजस्थान की विधान सभा को इसमें सोचने का, इस पर बहस करने का, इसके ऊपर जांच करने का या इसके बारे में कुछ कहने का अधिकार प्राप्त होगा। वह निश्चित रूप से होना चाहिये।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें हमारे कंट्रोल के लिये बहुत सी बातें हैं जिससे हम इन पर नियंत्रण कर सकते हैं, बेनियंत्रित नहीं हो सकतीं। आपके विधेयक का खण्ड 29, विधेयक का खण्ड 30, 31, 41 और 42, ये चारों-पांचों खण्ड हमको इतने अधिकार देते हैं कि राज्य सरकार चाहे तो इनको अच्छी प्रकार से नियंत्रित कर सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी होम्योपैथी का विश्वविद्यालय आपके पास आ रहा है। यह एक तरह से चिकित्सा का विश्वविद्यालय है, जनरल विश्वविद्यालय जो बने हैं, वे अलग हैं और यह विश्वविद्यालय अलग है। तो इस विश्वविद्यालय के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाक्टर पाल और डाक्टर खुंटेटा, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, इन लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिये ही नहीं, सेवा करने के लिये बहुत वर्षों से मेडिकल कालेज चला रखा है। यूनिवर्सिटी बनाने में सरकार से कोई योगदान नहीं लिया उन्होंने। सारा काम करके विश्वविद्यालय उन्होंने खड़ा कर दिया और दुनिया भर के लोग यहां पर पढ़ाई के लिये आयेंगे तो जयपुर के लिये गौरव की बात होगी। इस विश्वविद्यालय को हम जितना अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं, हमको प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करना चाहिये इस विश्वविद्यालय के अन्दर।

सभापति महोदय, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि राजस्थान में, मैं यूनानी का डायरेक्टरेट बनने के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मुझे दुःख इस बात का होता है कि हम किसी न किसी चीज को किसी धर्म के आधार पर बांट लेते हैं। उर्दू के लिये हम कह देते हैं, मुसलमानों की भाषा है। क्यों उर्दू मुसलमानों की भाषा है? उर्दू सारे हिन्दुस्तान की भाषा है। हिन्दुस्तान में जन्मी है, हिन्दुस्तान में बड़ी हुई है, हिन्दुस्तान में पली है। यह हिन्दुस्तान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में ही जन्मी है। यह कोई अरब से आयी हुई है क्या? कोई विदेश से आयी हुई है? हिन्दुस्तान में ही जन्मी है। हमारे यहां तो पहले एक कहावत थी जो हम बचपन में पढ़ते थे कि खड़ी बोली को अगर साड़ी पहना देते हैं तो वह हिन्दी हो जाती है और बुर्का पहना देते हैं तो वह उर्दू हो जाती है। इतना सा ही फर्क है उसमें। इसलिये हम उसको अलग क्यों कर देते हैं?

इसी प्रकार यूनानी का मुझे तो याद है, बचपन में हमारे जब फोड़े होते थे तो दवाइयां नहीं थीं, जर्रे कहते थे, वह जर्रे आया करते थे और कांगली जलाकर कांगली बनाकर लगा लेते तो वे ठीक हो जाते थे। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति हो और चाहे अपनी एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, किसी एक धर्म के लिये, व्यक्ति के लिये नहीं बनी हैं। इसलिये हमको यूनानी को भी प्रोत्साहित करना चाहिये, होम्योपैथी को भी प्रोत्साहित करना चाहिये और होम्योपैथी का डायरेक्टरेट भी निश्चित रूप से अलग से खोलना, जिसके शायद आपने आदेश भी किये होंगे, डायरेक्टरेट अलग से खुले, इस पैथी का भी, हमारा विचार है।

इस पैथी के जन्मदाता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हेनीमैन की अगर पुस्तक किसी ने पढ़ी हो तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि बहुत कम आदमी होते हैं जो यह बात स्वीकार करते हैं कि मैंने ही पैदा की, मैंने ही पैदा की। आज हेनीमैन को होम्योपैथी का जनक माना है। जब उनसे पूछा गया कि आपने इस पैथी को निकालने की प्रेरणा कहां से ली तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी प्रेरणा का आधार चरक था। चरक दुनिया के सबसे बड़े व सबसे पहले फिजिशियन हुए हैं। सुश्रुत दुनिया के सबसे पहले सर्जन हुए हैं। एनाटामी सबसे पहले आयुर्वेद में रखी गयी है। होम्योपैथी का जनक स्वयं स्वीकार करता है कि उसकी प्रेरणा का स्रोत भारत से है और वह चरक है। चरक एक ऐसा व्यक्ति था, माननीय सभापति महोदय, 5,500 जड़ी बूटियों के पास जाकर एक-एक का वर्णन जिसने लिखा कि यह इस काम की है, यह इस काम की है। वह कैसे किया, उसको अब विज्ञान सिद्ध कर रहा है। उन्होंने उसको लेबोरेटरी में टैस्ट करके नहीं किया। हमारे यहां पर आज कई बार कुछ बातें हमारी दुनिया स्वीकार करे, हम स्वीकार नहीं करते। उस व्यक्ति के पास यह गुण था, चरक जाकर जिस पौधे के पास खड़ा होता, उसकी पूजा अर्चना करता, फिर उसको पूछता कि हे पौधे, मैं मानव की सेवा करना चाहता हूं, तेरे में क्या गुण है, तू मानव को क्या देगा, किस प्रकार होगा और फिर हाथ जोड़कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उसको तोड़ता। 5,500 जड़ी-बूटियों का वर्णन किया गया, चरक के द्वारा इस प्रकार की बात कही गयी है, वह सारा हमारा इसमें लिखा हुआ है, उसके आधार पर आयुर्वेद बनी। फिर चरक से प्रेरणा लेकर हेनीमैन ने होम्योपैथी की स्थापना की। यूनानी पैथी आयी। यूनान की यह बहुत बड़ी कल्चर रही है। ग्रीक की भी रही है।

यूनान की आज, उस वर्णन में मैं नहीं जाना चाहता हूं, रही है लेकिन इस विश्वविद्यालय को बनाने में हमको और भी कुछ काम करने होंगे। इस विश्वविद्यालय के लिये, सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिये हमको राज्य नियामक आयोग का गठन करना होगा। हमारे ये सारे विश्वविद्यालय दुकानों में नहीं बदल जाएं, कुछ लोगों की व्हिम्स का शिकार न बन जाएं या दूसरी-तीसरी पीढ़ी में आने के बाद कमाई का साधन नहीं बन जाएं इसलिये नियामक आयोग के माध्यम से निगरानी का काम हमको जरूर करना चाहिये। यह इसमें कमी है। हमको नियामक आयोग उच्च शिक्षा में निश्चित रूप से बनाना चाहिये।

मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आपने जो इसमें शब्दों का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं, बिलकुल अनुचित है। कल आपका विधेयक आयेगा, मैं बोलूंगा। किसके पास शब्दों की कमी है? प्रेसिडेंट लिखा है, चेयरपर्सन लिखा है, यह शब्द अपन क्यों लिखते हैं? मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब एक बहुत धनवान आदमी कंगाल होता है। हमने अभी पुणे यूनिवर्सिटी में डिक्शनरी बनाने का काम चालू किया तो उसमें 'अ' शब्द से संस्कृत में कितने शब्द लिखे हैं, डिक्शनरी बनाने का काम किया। 65 लाख शब्द आ गये, सभापति महोदय। 65 लाख शब्द आ गये खाली 'अ' से। वेबसाइट को बंद कर दिया कि कितने शब्द लिखेंगे। जो देश दुनिया में शब्दों को पैदा करने वाला है, देने वाला है, प्रेसिडेंट हुआ, चेयरपर्सन हुआ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यह आप? अगर किसी को नहीं पता था तो मुझे ही पूछ लेते, मैं ही बता देता। हिन्दी में आप कानून ला रहे हो। क्या होता है प्रेसिडेंट? भारत का प्रेसीडेंट भी प्रेसिडेंट और यहां का प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट, एक ही हैं। आपके पास शब्द नहीं हैं? कंगाल हो गये हो शब्दों में? आपने कुलपति को हटाया, उप कुलपति को हटाया। कल आप बिल ला रहे हो, मैं इस पर अपने विचार रखूंगा लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह कंगाली दूर करो आप। एक लाख शब्द बनाकर के बता सकता हूं मैं आपको, लिखो आप। प्रेसिडेंट का शब्द नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। What do you mean by Chairperson? क्या शब्द लगाया है आपने इसमें? मजाक बनाकर के रख दिया है।

सभापति महोदय, कल एक उदाहरण आया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। आमेर में, जयपुर में एक दिलाराम का बाग़ है। दिलाराम कौन था? जब आमेर बसा तो उस दिलाराम ने मेहनत करके उस बाग़ को बनाया। बाग़ बनाते-बनाते उसका एक हाथ दब गया, उसकी हालत खराब हो गयी। वैद्यों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि हाथ काटना पड़ेगा। उसका हाथ कट गया। महाराजा ने कहा कि इतना बढ़िया इस दिलाराम ने बाग़ बनाया है, इसलिए उस बाग़ को दिलाराम का बाग़ नाम दे दिया। अब हमारे एक अंग्रेजी पढ़े हुए अफसर वहां चले गये। वे वहां गये तो उसका वह लगा हुआ खंड या पट्ट टूट गया था। उन्होंने पढ़ा दिलाराम का बाग़, तो उन्होंने उसको तो पढ़ा नहीं, अंग्रेजी पढ़े हुए थे तो उस पर लगा दिया दिल-आराम का बाग़। दिल 'डीआईएल' अलग कर दिया और 'एआरएम' अलग कर दिया और बाग़। अब वह सारा खाका ही बदल गया। वह दिल-ए-आराम का बाग़ हो गया। कहां दिलाराम जिसने अपना हाथ कटा लिया, पैर कटा लिया, उसने इतना बड़ा बाग़ बना दिया और दिल आराम। अंग्रेजी पढ़कर यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, बे निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। वह हीन-के-हीन की स्थिति पैदा हो गयी।

जिस देश के लोगों ने व्याकरण को पैदा किया, पाणिनी को पैदा किया, सारी दुनिया की भाषाओं की जननी को पैदा किया, उस देश के लोगों को शब्दों की कमी आ गयी। आज आप प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन, क्या-क्या शब्द यूज कर लिये। मैंने वह नहीं दिया संशोधन क्योंकि टाइम नहीं था, रात बहुत हो गयी थी। आप इन शब्दों पर पुनर्विचार करें। यदि शब्दावली की जरूरत हो तो आप एक कमेटी बनायें, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, इन शब्दों का परिवर्तन करें। यह अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी रखें ना, वह आपका अंग्रेजी में रूपांतरण है, उसमें रखें; आथोराइज्ड-वर्सन-इन-इंग्लिश आप लिख रहे हो, उसमें रखिये। इन शब्दों को आप हटाइये। भाषा की खिचड़ी मत बनाइये। भाषा का व्याकरण होता है ना, वह एक मात्रा को कम अधिक करने पर पुत्र उत्पत्ति का उत्सव मनाता है। यह हमारे नियम हैं।

सभापति महोदय, मैं इस कानून का स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपको सौभाग्य मिला है कि आप इसको पायलेट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जिस प्रकार की भावना से आप बिल लेकर आये हैं, उस बिल में आप दो काम कर सकते हैं। या तो इसको आप प्रवर समिति को सौंप दें, नहीं तो जनमत जानने के लिए सौंप दें। यदि जनमत जानने की भी आप आवश्यकता नहीं समझें तो आप कम से कम जो सुझाव आये हैं, जैसे गुलाबजी कटारिया ने सुझाव दिया कि हमारा हस्तक्षेप क्या है इसमें, उसके बारे में विचार करें। चाहे सरकार ऐसे लोगों को भी नियुक्त कर सकती है जो सरकारी अफसर नहीं हों, आप अगर समझते हो कि होम्योपैथी के बहुत अच्छे डाक्टर हैं तो दो-तीन डाक्टरों को सरकार अपनी तरफ से नियुक्त कर दे ताकि एक बात का सेफगार्ड हमारे लिए हमेशा के लिए बन जाये कि आज तो ये काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी किस प्रकार की हो, इसका काम और इन शब्दों का काम और बाकी इसका नियामक आयोग बनाने का काम और हो। ये काम अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात होगी। हमेशा के लिए मैं आपसे बार-बार निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाषाओं की विकृति पैदा कर देते हैं, जिस प्रकार की भाषा है, मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब हम बजट भाषण लिखते हैं तो इस प्रकार के शब्द उसमें अंग्रेजी के लिख देते हैं कि वह अंग्रेजी का लिखना ही जरूरी है। आये नहीं, क्या बात हुई यह। कोई शब्द आपके पास नहीं हो, धीरे-धीरे शब्द प्रचलन में आ गये हैं, सारे शब्दों का प्रचलन आने वाला है, कुछ शब्द आ भी जायें तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है लेकिन जो हमारे पास शब्द उपलब्ध हैं, इन शब्दों का प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, मैं कल इस विधेयक का बहुत जोर से विरोध करने वाला हूं जो आप लेकर आये हैं, आप इनको परिवर्तन करें। कुलपति नहीं रखें, उप-कुलपति नहीं रखें। आप समझते हैं कि वह सरकार के बराबर नहीं होना चाहिए, मत करिये, और बहुत से शब्द हैं, उन शब्दों को आप रखिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसकी भावना का स्वागत करता हूं, बिल का स्वागत करता हूं और यह जो बातें मैंने आपको कही हैं, उनका मंत्री महोदय ध्यान रखेंगे, मुझे यह बात निवेदन करनी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आगे के लिए भेजो।

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह जी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, होम्योपैथी विश्वविद्यालय के बारे में हाउस के माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन,

(डा. जितेन्द्र सिंह)

सम्मानीय बहुत सीनियर हाउस के हमारे मेम्बर उदयपुर से पधारने वाले कटारिया साहब, सम्मानीय तारानगर से पधारने वाले राजेन्द्र राठौड़ साहब और हमारे जौहरी बाजार से, अब चेंज हो गयी, मालवीय नगर हो गयी, कालीचरण जी और बेनीवाल जी और सबके बहुत महत्वपूर्ण सजेशन इस बारे में आये।

सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी की मेडिसन को जिन्होंने स्टार्ट किया, he was Dr. Hahnemann डा. हैनीमन बेसिकली एलोपैथ थे। उन्होंने जब साइड इफेक्ट्स देखे कि एलोपैथी में बहुत साइड इफेक्ट्स आते हैं, he was a German doctor. उन्होंने होम्योपैथी का इन्वेंशन किया। जैसे माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, माननीय तारानगर से आने वाले हमारे हाउस के बहुत सीनियर मेम्बर, हमारे सीनियर मेम्बर माननीय कटारिया साहब, सबने कहा कि होम्योपैथी, I myself am a doctor और मैं स्वयं प्रशंसक हूं इस होम्योपैथी का कि सर्टेन डिजीजेज जो बहुत लोंग स्टैंडिंग डिजीजेज होती हैं और आदमी थक जाता है एलोपैथी में डाक्टर्स चेंज करते हुए, मल्टीपल डिजीजेज, स्किन डिजीज तो ऐसी बीमारी है कि पूछिये मत, it takes a lot of time. उसके बाद में जो अल्टीमेट रिजल्ट आया होम्योपैथी का, वह अपने आप में बड़ा विलक्षण था।

डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन ने चरक के लिए कहा, मैं अपना छोटा सा उदाहरण आप कहें तो बताऊं, मुझे एक बार मेडिकल इंस्टीटयूट, म्युनिख जाने का मौका मिला। 10-12 वर्ष की बात हो गयी। मैं जब जा रहा था देखने के लिए कि उनकी कार्यविधि क्या है, मेरे साथ एक जर्मन दुभाषिया भी था। मैं डिपार्टमेंट के सामने से गुजर रहा था, पैथोलॉजिकल लैब के सामने से तो उस पर लिखा हुआ इंग्लिश के अन्दर डिपार्टमेंट ऑफ चरकोलॉजी, जर्मन में था और फिर इंग्लिश में था। मैं थोड़ी देर रूका और मैंने दुभाषिया से कहा, well Sir, I don't know you whether know much about English or not, it should the Department of Serology. डिपार्टमेंट आफ सिरोलॉजी का मतलब है रक्त की जांच। तो वह मेरी तरफ देखकर के मुड़ा, उसने कहा, Sir, Charak was a great Indian Physician and in an honour to Charak, we have named the department as the Department of Charkology.

मुझे दु:ख है इस हाउस में कहते हुए कि चरक और सुश्रुत और जो माने हुए हमारे धनवंतरि जो बहुत तगड़े हमारे सर्जन और फिजिशियन थे, हम उनको भूल गये और हम उस एलोपैथी की तरफ भाग गये। मैं समझता हूं कि जो पद्वति उन लोगों ने बनायी, अनफोर्च्यूनेटली उनका एक अलग स्टैंडर्ड है

(डा. जितेन्द्र सिंह)

जैसे कि अभी बात हो रही थी, माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य ने कहा कि स्वाइन फ्लू फैला और डब्ल्यु एच ओ ने उसके अन्दर अपनी गाइड लाइन दी। डब्ल्यु एच ओ ने यह कहा कि of course, the dymoflu is the treatment for the swine flu लेकिन अगर कोई दूसरी पद्धति अख्तियार करना चाहता है तो हमें आपत्ति नहीं है। This is unfortunate on our part कि हमारे जो ग्रेट फिजिशियंस थे उन्होंने अपना पेटेंट नहीं करवाया, ड्रग्स का पेटेंट। एक अलग बुखार है, आप रिसर्च कर रहे हैं हल्दी पर, most of the persons of Europe, उनकी पापुलेशन का more than 20% are suffering from rheumatoid arthritis उसके लिए ह्यूमिडिटी, कोल्ड वैदर चाहिए। दवाओं को खा-खाकर परेशान हो गये, nothing is affected. They are doing research on our Haldi. हल्दी के लिए रिसर्च कर रहे हैं। कार्डियोलॉजी वाले लहसुन पर रिसर्च कर रहे हैं, रेड मीट ईटर्स और उनके कॉलेस्ट्रोल डिपोजिट हो रहा है, they have got colon cancer. मीट ईटर्स और रेड मीट ईटर्स के कॉलोन कैंसर हो रहा है, वे परेशान हो रहे हैं कि क्या करें। तो अपनी आयुर्वेद की जो ड्रग्स हैं उन पर यूरोप में ट्राई हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपका सब्जेक्ट था, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको इससे खुशी होगी, माननीय लीडर आफ अपोजिशन, होम्योपैथी के बारे में जो कहा गया है, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार माननीय हमारे मिनिस्टर आफ हैल्थ, उन्होंने होम्योपैथी के डाइरेक्टरेट की घोषणा कर दी है, वह प्रारम्भ हो जाएगा।

नम्बर टू आपने जो बताया कि होम्योपैथी के अन्दर हमारे लोगों को जोब्स नहीं मिल रहे हैं, होम्योपैथी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, of course, there is no government college in Rajasthan, लेकिन उसके बाद भी 77 होम्योपैथी के डाक्टर थे उनको 2009-10 में एम्प्लायमेंट दिया है। 2007-08 में आपके वक्त में आपने जाब दिया था उनको। अभी टोटल 32 सीट्स वेकेंट हैं क्योंकि 2007-08 के अन्दर एस सी, एस टी और ओ बी सी के छात्र नहीं मिल पाए। इसके अलावा 47 जो होम्योपैथी के रेगूलर डाक्टर्स हैं उनको 2009 से आर पी एस सी से लेने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, हमारे होम्योपैथी प्लस, आयुर्वेद प्लस, यूनानी के कामन में आपको बताना चाहूंगा कि 322 नर्सिंग कम्पाउंडर लिए गए हैं, 21 गवर्नमेंट के और फोर्थ क्लास 133 हैं।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, कोई भी अगर इन्फ्रास्टक्चर नहीं होगा तो कहीं भी हम उनको जाब नहीं दे सकेंगे क्योंकि allopathy was there, आयुर्वेद विश्वविद्यालय बना तो वह उनके रूल्स और रेग्यूलेशंस बन गए हैं, यूनिवर्सिटीज और कालेजेज के लिए रूल्स एंड रेग्यूलेशंस बना दिए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, कोई इन्स्टीट्यूशन स्टार्ट होता है तो फिर उसके बाद आटोमेटिकली उनके रूल्स का निर्माण होता जाता है।

अब मैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय उदयपुर से पधारने वाले हाउस के बहुत सीनियर हमारे मेम्बर हैं, उन्होंने सेक्शन 8 में फरमाया था, वह मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि 2 करोड़ आलरैडी डिपोजिट, हमारा आर्डिनेंस जारी होने के पहले 2 करोड़ डिपोजिट हो चुके थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): भाषा तो आपकी लिखी हुई है, मैंने तो आपकी भाषा ही पढ़ी है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): दो करोड आलरैडी डिपोजिट हो चुका है।

प्रबन्ध मण्डल के बारे में एक साइन आफ इंटेरोगेशन था कि प्रबन्ध मण्डल के अन्दर हमारे पास जो व्यवस्था है, वह नहीं है। प्रबन्ध मण्डल में गवर्नमेंट ने कमिश्नर आफ कालेज एजूकेशन को रख रखा है। लेकिन यह जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और रूल्स और रेग्यूलेशंस बने हैं तो इसके पूर्व में 13 विश्वविद्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर बना कर उनके नियम और हाउस में बिल पारित कराए थे, आइडेंटिकल, उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया और उसमें मोस्टली यह प्रबन्ध मण्डल की व्यवस्था जैसी आपने बताई, उसी के अनुसार रखी।

सेक्शन 32 में और जैसा कि माननीय सीनियर हाउस के मेम्बर्स ने प्रश्न उठाया कि आखिर कंट्रोल होगा क्या विश्वविद्यालय के अन्दर, तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि वाइस-चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी के, हैडेड बाई राजस्थान यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मेकेनिज्म किस तरह का हो, फीस स्ट्रक्चर क्या हो, उसके लिए वाइस-चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी के, हैडेड बाई हिम, एक कमेटी का गठन किया गया है जो जून तक अपनी रिपोर्ट देगी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय का, जैसा आपने कहा कि प्राइवेट

(डा. जितेन्द्र सिंह)

विश्वविद्यालय में छात्रों के हितों का किस तरह से ख्याल रखा जाए, आपने भी फरमाया था, और रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर।

माननीय सभापति महोदय, पूरे विश्व में राजस्थान हमारा या भारत हमारा एजुकेशन का केन्द्र रहा है, हमारे यहां का नालंदा विश्वविद्यालय और हमारे पूरे मिडल-ईस्ट में, मैं समझता हूं कि यू एस ए के अन्दर जब वे अपने सिरों पर कलंगी लगाकर जब रेड इण्डियन्स घोड़ों पर दौड़ते थे, तब यहां पर हेन सांग ने लिखा कि हिन्दुस्तान एशिया का और पूरे साउथ ईस्ट एशिया का और वर्ल्ड का एक केन्द्र था, नालन्दा विश्वविद्यालय में माने हुए विद्यार्थी होते थे। लेकिन this is our misfortune, आज हमारे विश्वविद्यालयों का स्तर, आज हमारे विद्यार्थी भाग रहे हैं, कोई तो आस्ट्रेलिया भाग रहा है, मेरी सिस्टर रहती है वहां, वह कहती है, क्या हो गया है हिन्दुस्तान वालों को, क्यों थर्ड क्लास सिटीजन बनने के लिए दूसरे देशों में आ रहे हैं? क्या हमारे कालेजेज का स्टेंडर्ड ऐसा नहीं है? We have got the best, Sir. We have got the best institutions here in India, as डीम्ड पिलानी है, हमारी यूनिवर्सिटी है, बिट्स है, हमारा महिलाओं का कालेज है। माननीय सभापति महोदय, हमारा राजस्थान आज की तारीख में पूरे भारत में यूनिवर्सिटी का जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें Rajasthan is the leader, इसमें सहयोग रहा है, आप मिनिस्टर रहे हैं एजुकेशन के, डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, हमारे सारे हैं, this is a collective decision. हमारा काम है एजुकेशन में राजस्थान को फोरफ्रंट पर लाना। और उसके अन्दर आज हमारे पास 14 गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे पास 13 प्राइवेट सेक्टर में हैं, 5 के बिल हाउस में ला रहे हैं, और पाइप लाइन में 30 और हैं। राजस्थान का आज हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, नेशनल स्टैंडर्ड हैं, उनके अनुसार हमारे पास आज 50 विश्वविद्यालय होने चाहिए। आज हमारे यू एस ए के पास 1,500 यूनिवर्सिटीज हैं, यू के के पास 950 हैं, आस्ट्रेलिया में 350 हैं, भारत में 350 हैं, यानी we are still far behind.

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन ने कहा, कि निश्चित तौर पर आज गवर्नमेंट के पास इतना लम्बा-चौड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, यह हमारी यूनिवर्सिटीज को और हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को टोटल फंडिंग नहीं कर पाता है। हमें सजेस्ट करते हैं कि एस एफ एस कोर्स चलाइए, यह चलाइए। माननीय सभापति महोदय, विदेशों में

(डा. जितेन्द्र सिंह)

इसीलिए, विदेशों में हमारे जो एच आर डी मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट आफ इण्डिया के, उन्होंने भी भारत में बाहर की यूनिवर्सिटीज को इन्वाइट किया कि आप भारत आइए, भारत में आइए और यहां प्रारम्भ कीजिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में, सभापति महोदय, that is in private sector. वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है या अन्य जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वे अधिकतर प्राइवेट सेक्टर में हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि भारत की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी राजस्थान में बनने जा रही है। जैसा कि लीडर आफ अपोजिशन ने कहा, जैसा कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उदयपुर से सीनियर हमारे हाउस के माननीय सदस्य हैं कटारियाजी, उन्होंने फरमाया, this is a great feather in the cap of Rajasthan कि आज होम्योपैथी का विश्वविद्यालय राजस्थान में चालू हो रहा है। इसके अन्दर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाक्टर गिरीन्द्र पाल और डाक्टर्स खूंटेटाज, fortunately, Khunteta brothers are our teacher and physician Dr. Keshav Pratap Khunteta, he is a leading personality of Homeopathy. राजस्थान इसके अन्दर लीडिंग बनेगा।

निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा योगदान नहीं है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसने करोड़ों रुपए खर्च करके अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर बना लिया, इस पर ज्यादा डिले नहीं करें, इसमें ज्यादा डिले करने से आर्थिक नुकसान होगा और आने वाले हमारे विभिन्न विश्वविद्यालय जो बड़ी तेजी से राजस्थान में आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, हमारे पास मणिपाल यूनिवर्सिटी वाले आ रहे हैं, पूरे साउथ इंडिया वाले आ रहे हैं तो इसको पारित करने में देर करेंगे तो नैचुरली उन लोगों को इस बात से धक्का लगेगा। इसलिए मैं हमारे पूरे हाउस को कहूंगा और स्पेशली हमारे डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, सम्माननीय वेरी सीनियर लीडर, कटारियाजी, तारागनर से आने वाले माननीय सदस्य को, इस तरह के अच्छे विश्वविद्यालय का बिल है, इसको विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2010 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(श्री सभापति)

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहली बार उनको ना कहने का मौका मिला है। अगर मत विभाजन करा लें तो इनको ना पक्ष की लाबी में भी आना पड़ेगा। देख लो, फैसला कर लो।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 48 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. जितेन्द्र सिंह ।

विधेयक का पारण

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमित से प्रस्ताव करता हूं कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, भावना हमारी कितनी भी अच्छी हो लेकिन जितने भी नये विश्वविद्यालय आ रहे हैं, ये सब उन परिवारों से आ रहे हैं जो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वे सब लोग जो अपने उद्योगों को छोड़कर शिक्षा को उद्योग बनाने के मानस से जिस ढंग से आ रहे हैं उससे सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं इसको रिकार्ड पर इसलिए लाना चाहता हूं कि अगर कभी भविष्य में आपको और मुझे इस बारे में सोचना पड़ा तो मैं जो कह रहा हूं, यह परिवारवाद जो आ रहा है, आपने देखा होगा, वनस्थली से ज्यादा पुराना, अच्छा इंस्टीट्यूशन कौनसा हो सकता है? इन्होंने समर्पित भाव से देश की आजादी के साथ शिक्षा में इतना बड़ा पौधा लगाया और वास्तव में जितनी सेवा उन्होंने की, उनका जितना गुणगान करो उतना कम है लेकिन आज की तारीख में सारे के सारे परिवार भर्ती हो गये, प्रोफेसर से लेकर के, रीडर से लेकर, बाकी सारे के सारे देखिए, राजस्थान विद्यापीठ जन्नू भाई से ज्यादा मैं सोचता हूं शिक्षा को समर्पित राजस्थान में कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जिन्होंने उस ग्रामीण क्षेत्र में उस आदिवासी की शिक्षा के लिए झोला डाल कर, एक-एक आदमी को घुमाकर उस ट्राइबल एरिया में उसने एजुकेशन का प्रचार किया। लेकिन आज जन्नू भाई नहीं हैं और आपने देखा होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, दोनों की मान्यता खतरे में पड़ी हुई है आज की तारीख में। उसका कारण है कि अगर वाइस-चांसलर बनेगा तो उनके परिवार का ही बनेगा, प्रोफेसर बनेगा तो उनका ही भानजा और भतीजा बनेगा, उनके ही परिवार के लोग नौकरी लेंगे। तो यह क्या नौकरी लेने के लिए नई कोई ब्रांच तैयार कर रहे हैं क्या? और ऐसे सचेत रहना चाहिए।

मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मैं जो कुछ भी देख रहा हूं, इसमें जितने विश्वविद्यालय हैं, आप इन सब का बैक-ग्राउंड उठाकर देख लें, ये सब उद्योगपति हैं। इन्होंने आजकल अपनी फैक्टरियां बंद कर दी हैं, उन्होंने सोचा, एक ओर नई फैक्टरी एजुकेशन के नाम से एक व्यवसाय मिल गया है। यह सेवा का संकल्प नहीं है। देश की आजादी के पहले जो शिक्षा से जुड़े थे न, वे सेवा का संकल्प लेकर के जुड़े थे और उन्होंने वास्तव में समाज का उठाने का प्रयास किया। इन्होंने तो व्यवसाय भी बना लिया और शिक्षा भी देंगे। वे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अच्छे लोग भी होंगे, मैं नहीं कह सकता हूं कि जैसे मेरे यहां यूनिवर्सिटी है, सिंघानिया की, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई एतराज की बात नहीं है लेकिन यह जो कुछ आ रहे हैं न, इसको व्यवसाय बनाने की दृष्टि से आ रहे हैं। इसलिए इस पर अंकुश रखने के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर केवल आपने यही सोचा, अगर केवल आपने यही सोचा, इन सारे के सारे लोगों को उठाकर देखो, ये किसको शौक आ गया कि एक ही दिन में 20 करोड़ और 50 करोड़ रुपया खर्च करके लोगों को शिक्षित करने का सोच रहे हैं?

फिर जो विषय जिन्होंने कहा, मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर यह शिक्षा का इसी ढंग से चला न तो समाज दो टुकड़ों में बंटेगा, गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं ले सकेगा और पैसे वालों का बच्चा शिक्षा लेगा। कभी लोग किसी कारण से लड़े होंगे और झगड़े होंगे लेकिन भविष्य में जाकर के आप देखिएगा, वह गरीब का, ठेले वाले का बच्चा इस इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जा सकेगा। आप अगर कानून बना रहे हो, न तो कम से कम उस गरीब के टेलेंटेड बच्चे को आरक्षण का आधार दीजिए। जो 25 परसेंट आपने कहा है, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब, चाहे वह ओ बी सी हो, अगर उसमें टेलेंट है, उस बच्चे को जाने का हक है उसमें और उसके खर्चे को सरकार उठाये, इसकी व्यवस्था करे। लेकिन केवल इन पूंजीपतियों को सौंपकर अगर, आपने देखा कि नये बड़े-बड़े पूंजीपति तैयार करोगे और गरीब का बच्चा, वह दूर से इसी तरह देखेगा, एक दिन आग लगा देगा इस देश को और भविष्य में सचेत रहिए, मैं आपको आज कह रहा हूं, यह शिक्षा का जिस प्रकार से व्यवसायीकरण हो रहा है न, यह शिक्षा का व्यवसायीकरण कभी न कभी उस बच्चे के मन में घुटन पैदा कर देगा जिसके बाप के पास पैसा नहीं है, इसलिए काबिलियत होने के बाद भी वह उसमें शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। तो यह मैं सोचता हूं कभी तो वर्ग भेद हुआ था पैसे वाले और गरीब के बीच में, अब वर्ग भेद नहीं, अब संघर्ष होगा उस पढ़े-लिखे और अनपढ़ के बीच में। दोनों के बीच में लगेगा, आपको और मुझे नहीं लगता कि जिसके पिताजी 10 लाख रुपये कैपिटेशन फीस दे सकते हैं, वह डाक्टर बनकर आ सकता है लेकिन उसका योग्य लड़का क्योंकि उसके पास 20 लाख रुपया खर्च करने के लिए नहीं है इसलिए उसका बच्चा डाक्टर नहीं बनेगा, वह तो कम्पाउंडर भी नहीं बन सकता। यह जो वर्ग भेद है न, इसको अगर कानून का फर्मा नहीं पहनाओगे न, तो आज आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कितने ही खुश हो जाओ और यह कहो कि दुनिया की सारी शिक्षा आ जाएगी, मैं उस शिक्षा को बेकार समझता हूं जो समाज की सेवा नहीं करती और केवल पढ़े- लिखे जानवर पैदा करते हैं, मैं उस शिक्षा को शिक्षा नहीं समझता हूं। शिक्षा इंसान पैदा करे, उसके अन्दर यह भाव पैदा हो कि वास्तव में शिक्षा के आधार पर समाज की सेवा करूंगा।

मुझे इस बात का बहुत दुःख है और कष्ट है, हम जितने लोग यहां पढ़े-लिखे बैठे हैं, हम सब को पढ़ाया किसने? समाज के उन सब गरीब लोगों ने पढ़ाया है। उनके पैसे के टैस्ट के एक-एक पैसे से पढ़ा हुआ, यूनिवर्सिटी और कालेज में आप और मैंने शिक्षा प्राप्त की है। ये जितने आफिसर बैठे हैं न, ये भी किसी न किसी में पढ़े हैं। पिताजी ने तो कपड़े और फीस दिलाई होगी, पढ़े तो वे हैं न। लेकिन पढ़ने के बाद अगर उस सामान्य गरीब के बारे में इनका सोच बदल जाए, इनका विचार बदल जाए, फिर क्या मतलब है उस शिक्षा का और क्या अर्थ निकलने वाला है उस देश का? मैं सोचता हूं, देश की तरक्की का नहीं, इसलिए इसमें राइडर लगाइए, किसी भी तरह से उस गरीब के बच्चे का हक नहीं मरना चाहिए। जो टेलेंटेड बच्चा है, केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण या उसकी झोंपड़ी छोटी होने के कारण से उसको अगर शिक्षा से वंचित रखा न तो यह बहुत बड़ा घातक बन जाएगा देश के लिए। इसकी पूरी व्यवस्था करते हुए आप कानून पास करो।

हमने तो स्वागत किया है इसका कि यह पहला विश्वविद्यालय बन रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन स्वागत करते हुए भी इन पर राइडर डालिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये सारे के सारे व्यवसायी बनकर और समाज को तोड़ डालें और हम देखते रह जाएं सारे के सारे राजनेता, मैंने इसलिए इसका विरोध किया था। मैंने जनमत जानने के लिए भेजा तो मैं कोई इसके विरोध में नहीं हूं, मैंने तो आपका स्वागत किया है कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय हमारे यहां बन रहा है, इससे बड़ा गौरव राजस्थान को क्या प्राप्त होगा? उसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है लेकिन इस पर राइडर डालिए, कानून को सख्त बनाइए। जहां अपन हाथ डाल सकें, जहां इसको ठीक कर सकें और उन सब गरीब बच्चों को चाहे वह किसी भी जात और बिरादरी का हो लेकिन टेलेंटेड बच्चा है, उसे वहां पढ़ाया जाएगा, उसकी फीस अगर सरकार को भरनी हो तो सरकार भरेगी, क्यों नहीं भर सकती है, तब जाकर के इसका उपयोग होगा। इसलिए मैंने इस बात को कहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं हमारे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसमें तीन बातें लिखी थीं। उसमें एक बात यह भी थी कि यह विश्वविद्यालय केवल कमाने के स्रोत नहीं बनने चाहिए। हमको इसको दो कैटेगिरी में बांटकर देखना होगा, एक तो उन उद्योगपतियों को जिन्होंने अपना स्वयं का पैसा लगाकर इस सारे राजस्थान में एक शिक्षा की अलख जगाई। आज, सभापति महोदय, झुंझुनूं जिले से आप आते हैं, झुंझुनूं जिले को सबसे अधिक शिक्षित होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह बिड़लाओं के ट्रस्ट के द्वारा आजादी के पहले सारे गांव-गांव तक उन्होंने इस प्रकार खोले, शेखावाटी के हर गांव में उन सेठों ने जिनका कोई लेना-देना नहीं था, व्यवसाय नहीं था, उन्होंने सारी जगह स्कूल, कालेज खोलकर शिक्षा को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया, वे लोग हैं। एक ये दूसरे लोग हैं जो अपने मां-बाप द्वारा इस प्रकार की की गई कार्यवाही को आज व्यवसाय के रूप में बदल कर कमाना चाहते हैं।

जब यह बिल लाये तो हमारे सामने दोनों प्रश्न पैदा हुए, इसका क्या किया जाए। इस बात से हम इस जमाने में यह मानकर नहीं चल सकते कि पचास-पचास और सौ-सौ करोड़ लगाकर जो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, वे कोई सेवा करने के लिए बना रहे हैं। केवल सेवा के लिए तो नहीं बना रहे हैं। इस बात को हमको मानकर चलना चाहिए, वे लोग अर्थोपार्जन के लिए ये विश्वविद्यालय लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसमें हमको, सरकार को यह भूमिका निभानी पड़ेगी कि हम यह तय करें कि हमारे बच्चे जो पढ़ने लायक हैं इन विश्वविद्यालयों में, चाहे वे शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, चाहे वे शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं, चाहे वे ओ बी सी के हैं, चाहे वे गरीब, जनरल कास्ट के भी हैं, उन लोगों के बच्चे जो टेलेंटेड हैं, उनको भी इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का मौका मिले। इसलिए सरकार को यह जो भी पद्धति विकसित करें, एडमिशन में, उसमें अगर यह इस प्रकार के लोग आते हैं तो सरकार अपने पैसे से, पैसा देकर वहां पर उनको बिठाने की व्यवस्था करे। जब सरकार विश्वविद्यालय खोलने से बच रही है, जब सरकार से सारा काम आ रहा है तो इन लोगों की हमने व्यवस्था नहीं की तो ये विश्वविद्यालय जरूर हमारे लिए खतरनाक हो जाएंगे और हमने यह व्यवस्था कर ली कि इसमें पढ़ने के लायक जो योग्य बच्चे हैं उनको हम निश्चित रूप से डाल देंगे तो ये विश्वविद्यालय हमारी शिक्षा की क्रांति के केन्द्र बन जाएंगे। इसलिए हमको इस बात को सोचना पड़ेगा।

साथ-साथ, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इन विश्वविद्यालयों के साथ-साथ अगर हमने सरकारी विश्वविद्यालयों को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मजबूत नहीं किया, उनका धरातल अगर हमने मजबूत नहीं किया तो कम्पीटिशन नहीं कर पाएंगे और कम्पीटिशन नहीं कर पाएंगे तो एकाधिकार की प्रवृति पैदा होगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे 14 के 14 जो राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं, आज अगला बिल जो आएगा, कल भी जो बिल आएगा, तब चर्चा करेंगे, आप हमें बताएं कि इनमें कितने पद हैं, कितने पद खाली हैं, कितने पदों की आप भर्ती करेंगे और यू जी सी के हिसाब से आपके पास कितने पद होने चाहिए। सरकार अगर यह कोड़ा लेकर जाएगी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, आपको यह फैकल्टी बनानी पड़ेगी, आपको यह फैकल्टी बनानी पड़ेगी, आपको यह काम करना पड़ेगा तो सरकार को अपने गिरीबान में भी झांक कर देखना पड़ेगा कि उसने जो 14 विश्वविद्यालय बना रखे हैं जिसमें गरीब के बच्चे को पढ़ाते हो, उनकी पढ़ाने की आपने क्या व्यवस्था कर रखी है। दोनों काम साथ-साथ नहीं चलेंगे। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' नहीं चलेंगे। जब सरकार को व्यवस्था करनी है तो पहले सरकार अपना माडल तो बनाकर दिखाये। सरकार का हमारा माडल ही जब बेकार होगा, हमारी यूनिवर्सिटीज ही जर्जर हो जायेंगी तो हमने यह ठेका भी नहीं ले रखा है कि उन जर्जर यूनिवर्सिटीज में गरीब के बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा दें।

मैंने शिक्षा मंत्री के रूप में देखा है, आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में कौनसा ऐसा प्रोफेसर है जो क्लास लेता है? उनको एक बार इतना कह दिया था कि रजिस्टर पर दस्तखत करने हैं तो उस पर तो स्ट्राइक करके चले गये। कितने लोग आते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेक्चरर, 77-80 हजार रुपये आप वेतन दे रहे हो। छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद सबसे बड़ा उनका लागू हो गया है लेकिन आज कोई क्लास राजस्थान यूनिवर्सिटी में या और किसी विश्वविद्यालय में लगातार लगती हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम यह कह कर नहीं चल सकते कि सरकार का विश्वविद्यालय बन गया तो ठीक ही है और सरकार के विश्वविद्यालय में सब लोग पढ़ लेंगे। हमको इन विश्वविद्यालयों से प्रतियोगिता करने के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों के ढांचे को भी मजबूत करना पड़ेगा।

हमने जैसा पहले भी आपको कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं पर तीन बातों की व्यवस्था प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। नम्बर एक, राज्य सरकार के द्वारा एक निगरानी आयोग या नियंत्रित करने वाला आयोग या संचालन करने वाला आयोग बनना चाहिए जो इन विश्वविद्यालयों को नियंत्रित

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर सके। नम्बर दो, इनके प्रवेश लेने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भी नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और वह सारी प्रक्रिया खुली होनी चाहिए। उनमें गरीब लोगों के बच्चों के लिए 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, जितना भी आप रिजर्वेशन कर सकते हो वह रिजर्वेशन होना चाहिए। और इनकी फैकल्टी ठीक से चले, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर हमारे लिए ये प्रतियोगिता के केन्द्र बनेंगे और राजस्थान हिन्दुस्तान में शिक्षा में अग्रणी बन पायेगा। इसी के साथ इस विधेयक को पारित करने में हम सहमत हैं और इसे पारित करने में हम सरकार का साथ दे रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, पूरे राजस्थान में पापुलेशन बढ़ने के साथ शिक्षा का दायरा बढ़ रहा है। नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, नई यूनिवर्सिटीज आने का पूरे राजस्थान की जनता स्वागत भी करती है लेकिन जिस ढंग से यूनिवर्सिटीज को पावर मिल रही है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सेज खड़े करेंगी और कोर्सेज खड़े करने के साथ राजस्थान तो विकास के रास्ते पर जायेगा लेकिन कहीं न कहीं मेरा निवेदन इतना ही है कि जो सुधार की बात आ रही है, वे सुधार यदि राजस्थान के हित में निश्चित रूप से होंगे और इसलिए होंगे कि यदि ये सुधार हम करेंगे, मेरिटोरियस बच्चों को चांस मिलना चाहिए। पहले जितने कालेजेज खुले हुए हैं उन कालेजेज में हमने राइडर तो लगा रखे हैं लेकिन वे राइडर मानते नहीं हैं। इस तरह के कालेजेज जो मेरिटोरियस स्टूडेंट को साइडलाइन करके अपनी मर्जी से एडमिशन देते हैं, वे कालेज केवल हमारे राज में ही नहीं खुले हैं, हर राज में खुले हैं लेकिन उन कालेजेज की बाढ़ तो आ गई और उन कालेज के बाद अब यूनिवर्सिटीज की बाढ़ आयेगी और इस यूनिवर्सिटीज की बाढ़ में मेरिटोरियस स्टूडेंट तो साइड में खड़ा हो गया है, अब इन यूनिवर्सिटीज को डिग्री बांटने की पावर मिलने जा रही है। इनके कोर्सेज अपने होंगे, डिग्री इनकी होगी, कानून इनका होगा और पावर्स इनके हाथ में रहेगी। जो यूनिवर्सिटीज सरकार के संचालन में चल रही हैं वहां भी हम पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वहां भी दिक्कत आती है। लेकिन यह भी तय है कि सरकार सबको इतनी बड़ी तादाद में शिक्षा नहीं दे सकती, आज यूनिवर्सिटीज की जरूरत है और राजस्थान को इससे फायदा होगा। परन्तु फायदा पूरा तब पहुंचेगा जब सरकार आज ही पूरे इनको नियंत्रण में इतना रखे कि वे गड़बड़ नहीं कर पाये। जिस

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

तरह से मेडिकल का मामला आता है, जो पी एम टी फाइट नहीं कर रहा, वह एडमिशन ले रहा है। बाद में यह बात खुलती है। यहां तक ये लोग जो यूनिवर्सिटीज लाते हैं तो पहले तो लाते हैं कानून के दायरे में और बाद में यह उम्मीद करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में सरकार कोई इंटरफीयर ही नहीं करे क्योंकि यह तो हमारी हो गई, हम इसके मालिक हो गये। हायर एजुकेशन में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये यूनिवर्सिटीज आ रही हैं उसका पूरा राजस्थान स्वागत कर रहा है लेकिन इसमें राइडर हमारा होना चाहिए। मैं तो इतना कहूंगा कि सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि यदि योग्यता पर, योग्यता के नाम पर बेइमानी होती है तो जो गरीब का बेटा है जो योग्य है लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें आपको आगे बढ़कर राइडर लगाने चाहिए जिससे बेईमानी नहीं हो, ईमानदारी हो और उस ईमानदारी का फायदा हर व्यक्ति को समानता से मिले। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, यह अच्छा बिल है इसका समर्थन भी करते हैं और इसका विशेष कारण यह है कि आज हायर एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। प्राइवेटाइजेशन की ओर निश्चित रूप से जाना भी चाहिए क्योंकि जो बच्चे टेलेंटेड हैं उनको यहां अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है और वे अच्छी एजुकेशन लेने के लिए विदेशों में जाते हैं। भारत का पैसा भारत का बच्चा, राजस्थान का पैसा, राजस्थान का बच्चा बाहर जा रहा है। वह वहां जाने से बचेगा और यहीं पर उनको स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में भर्ती होने की इजाजत मिलेगी, अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे लेक्चरर्स, अच्छे सब्जेक्ट चूज करने की छूट मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में आने चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ ये व्यवसायिक केन्द्र न बन जाएं, इसके बारे में भी सरकार को निश्चित रूप से चिंतित होने की आवश्यकता है।

एक रिपोर्ट आई थी, अखबारों में छपी थी कि जितना पैसा भारतवर्ष से बाहर जा रहा है उच्च शिक्षा के लिए, उतने पैसे में सैकड़ों विश्वविद्यालय यहां खुल जाएं, अपने बच्चे यहां आ जाएं, अच्छे प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि साउथ एशियन रीजन के अन्य जो कंट्रीज हैं उनके बच्चे भी यहां पढ़ने के लिए आ सकते हैं। भारतवर्ष में टेलेंट की कोई कमी नहीं है, प्रोफेसर्स की कोई कमी नहीं है, लेक्चरर्स की कोई कमी नहीं है, सब्जेक्ट की कोई कमी नहीं है पर बात सुविधा की है कि हमारे यहां सुविधाओं

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

की कमी है, हमारे यहां एक्ट की कमी है। आज प्राइवेट विश्वविद्यालय आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका स्वागत करना चाहिए और उनका स्वागत करते हुए उन पर नियंत्रण होना चाहिए कि उनका सिलेबस ठीक हो। अच्छे सिलेबस, अच्छे सब्जेक्ट, उनमें पढ़ाई के लिए व्यवस्था और उन व्यवस्था के रूप में अच्छे मेरिटोरियस विद्यार्थी उनमें पढ़ें। केवल गरीबी इसका आधार नहीं है कि केवल गरीब के बच्चे ही पढ़े, मेरिटोरियस बच्चे, पढ़ने-लिखने वाले योग्य बच्चे चाहे वे पैसे वालों के हों या गरीब के हों। गरीब का बच्चा यदि कमजोर है, पढ़ने-लिखने में कमजोर है तो उसका कोई अधिकार नहीं है कि वह जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करे। उसका यह अधिकार है कि वह प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करे और उच्च शिक्षा सरकार के संरक्षण में प्राप्त करे। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो पैसे वाले का भी है तो उसको भी पैसा बाहर खर्च करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वह यहीं पढ़े, यहीं पर उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, यहीं पर उसको अच्छे सिलेबस प्राप्त हो, यही पर वह शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा कर सके, राजस्थान की सेवा कर सके, इस बात के लिए भी निश्चित रूप से इस प्रकार के विश्वविद्यालय खोलने की प्रेरणा मिलती है।

माननीय सभापति महोदय, यह होम्योपैथी का विश्वविद्यालय खुल रहा है। होम्योपैथी विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जर्मनी से यह होम्योपैथी आई थी, आज जर्मनी में विश्वविद्यालय नहीं है लेकिन राजस्थान में वह विश्वविद्यालय खुल रहा है, यह तो अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सारे विश्व भर के होम्योपैथी के विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आयेंगे, अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, डिग्री प्राप्त हो सकेगी और एलोपैथी की एक नई विधा यहां होम्योपैथी के रूप में स्थापित हो सकेगी। मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जितेन्द्र सिंहजी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): समर्थन किया है। समर्थन किया है।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, और भी माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, यह जो एक्ट हम ला रहे हैं, शायद हम कम्पनी एक्ट को मानकर के ही इस एक्ट को इस रूप में रख रहे हैं। कम्पनी एक्ट में तो निजी क्षेत्र की पूरी सुविधा होती है

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

लेकिन इसमें हम प्रत्येक संस्था के लिए अलग एक्ट ला रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं यह बात छिपी हुई है कि इस संस्थाओं को सामाजिक उत्तरदायित्व भी ग्रहण करना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए आवश्यक है, जैसा कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की, अभी तक भी हमारी राष्ट्रीय आरक्षण नीति के बारे में इसमें एक शब्द नहीं कहा गया है। हम एक्ट ला रहे हैं, विधायिका एक्ट पास कर रही है, सरकारी विश्वविद्यालय में जहां हमारे द्वारा नियुक्त वाइस-चांसलर होता है वहां भी हमारी विधायिका का प्रतिनिधि होता है पर इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार से हमारी जो समय-समय पर आने वाली नीतियां हैं उन नीतियों को भी उन संस्थाओं में लागू किया जाए। जब विधायिका अलग एक्ट लाकर के उनको ऐसा करने के लिए पावर दे रही है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने की कोई न कोई इसमें व्यवस्था की जाए और उसके लिए पहली आवश्यकता नियामक आयोग की है। नियामक आयोग के बिना कोई भी संस्था हमारी नीतियों के अनुसार नहीं चलेगी। अगर ऐसा हमने किया और किसी ने भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय मानक हैं उनको डिस्टर्ब करने के कारण से अगर अयोग्य ठहरा दिया गया तो सारे विश्व में हमारी बदनामी होगी और इसके लिए फिर हम जिम्मेदार होंगे। इसलिए किसी न किसी रूप में इस एक्ट में यह प्रावधान किया जाए कि सरकारी नीतियां, चाहे वह आरक्षण नीति हो, चाहे जल नीति हो, चाहे प्रदूषण नीति हो, चाहे पर्यावरण नीति हो, यह मेरा निवेदन है। हम केवल शैक्षिक और आर्थिक आजादी दे रहे हैं। हम उसको सोशल रूप में किसी भी चीज को सिस्टेमेटाइज करने के लिए वह चाहे शिक्षा हो, चाहे संस्कृति हो और चाहे अन्य गतिविधियां हों, कल यह कैसे रोक पायेंगे? कल अगर कोई गतिविधि उसके साथ आती है, अगर विदेश से कोई फैकल्टी आती है और उसके माध्यम से कोई न कोई अराष्ट्रीय गतिविधि चलती है तो उसमें कौन से प्रोविजन हैं जिसके कारण से हम निरीक्षण कर पायेंगे? इस कारण से मेरी प्रार्थना है। मैं समर्थन तो करता हूं इसका लेकिन इसमें एक चीज जोड़ी जानी चाहिए कि सरकारी नीति में जब-जब भी आवश्यकता हो, जहां-जहां भी आवश्यकता हो, मैं नहीं कहता कि हर रूप में थोपी जाये, लेकिन जहां भी आवश्यकता हो और जितनी आवश्यकता हो, उसका प्रावधान इसमें किया जाये। इतना निवेदन है।

श्री सभापति: जितेन्द्र सिंहजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, होम्योपैथी विश्वविद्यालय के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो गई। कुछ एक बिन्दु बाद में आये। माननीय हमारे बहुत सीनियर हाउस के मेम्बर उदयपुर से कटारिया साहब, माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन ने जो आरक्षण के प्रावधानों के बारे में कहा गरीब बच्चों के लिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि सेक्शन-32 में आरक्षण का प्रावधान, गरीब बच्चों को सरकार से पढ़ाने का सुझाव बहुत अच्छा है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी, अभी पूर्व में भी एस.सी. एस.टी. ओ.बी.सी. और माइनोरिटी के जो अच्छे मेधावी छात्र हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति का अलग से प्रावधान है और अभी स्पेशल ओ.बी.सी. में गुर्जर, बंजारा हैं, उनको भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 25 करोड़ रुपये देकर प्रोत्साहित किया है कि उनके गरीब बच्चे भी पढ़ें। और भी हमारे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन सबका अपना, बिलकुल आपका कहना सही है, they need crutches and help. एजुकेशन के लिए तो वह सुझाव अच्छा है लेकिन इसमें वित्त की आवश्यकता है और जो भी सरकार अभी कर पा रही है, वह कर रही हैं उनके लिए।

सेक्शन-5 में प्रताप सिंहजी साहब ने जो फरमाया था, उसमें विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति का प्रावधान है और सेक्शन-32 में प्रवेश का प्रावधान मेरिट से ही है। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिन्दु हैं।

आपने भी विराट नगर से आने वाले माननीय सदस्य, जो स्वयं कालेज में प्रोफेसर रहे हैं, आपकी भी ओपिनियन बहुत अच्छी है लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि प्राइवेट सैक्टर में राजस्थान के अन्दर वही लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, आते हैं। शिक्षा, शिक्षित होना या इंटेलिजेंट होना या पढ़ा-लिखा होना दूसरी बात है, करोड़ों रुपयों का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एक तरह से लोग, निश्चित रूप से वे लोग आते हैं इसके अन्दर लेकिन जैसा कि आपने अभी अपनी चिंता व्यक्त की, सरकार ने वाइस चांसलर, राजस्थान यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है and that Committee will regulate the mechanism of functioning of private universities. वह जून तक उसका है। आपके जो बहुमूल्य सुझाव हैं, वह मैं उस कमेटी को दूंगा ताकि वह जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में, they can be added in it.

तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 को पारित किया गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जनमत जानने के लिए हमारे प्रस्ताव हैं। उसमें तो जनरल हम तीनों के ऊपर मिलाकर बोल लेंगे, फिर जो क्लाजवाइज अमेंडमेंट होगा, वह क्लाजवाइज ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना (झुंझुनूं) विधेयक, 2010, एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010, डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। श्री जितेन्द्र सिंहजी।

विधेयक पर विचार

श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना (झुंझुनूं) विधेयक, 2010

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना (झुंझुनूं) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: गुलाब चन्द कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जितने भी आपके विधेयक हैं, लगभग एक ही पैटर्न पर हैं। मैंने पिछली बार भी आपको कुछ कहा, अब मैं आपको फिर बता रहा हूं। यह जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपका श्रीधर विश्वविद्यालय, झुंझुनूं है, इसमें जो ट्रस्ट है, यह मेरठ का ट्रस्ट है कोई। इसका राजस्थान में एजुकेशन का क्या अब तक का रोल है, इसमें हमको कम से कम कहीं नहीं मिल पाया। कम से कम जब आप जवाब दें, तब जरूर यह बतायें कि मेरठ का यह जो ट्रस्ट है, जो यहां आकर विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है, इसका पुराना एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है।

फिर मैं आपको उसी लाइन पर ले जाना चाह रहा हूं जिसके बारे में मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बोलना है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि जिस प्रकार से आपने इसमें जो सूची हमको दी है, आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय में आपकी शैक्षणिक सुविधाएं हैं, उसमें जो पुस्तकें हैं, आयुर्वेद की, शिक्षा की, विधि की या अभियांत्रिकी की, प्रबन्धन की, विज्ञान की, सामान्य सन्दर्भ पुस्तकें, अन्य पुस्तकें हैं, इस विश्वविद्यालय में सारी मिलाकर जो आपने हमको सूची दी, वह 1,653 पुस्तकें हैं। मैं सोचता हूं, जो सूची आपने हमको दी है, उसका है। अब यह विश्वविद्यालय है और इसके लिए 1,653 की कुल पुस्तकों की सूची जो आप हमको दे रहे हैं, मैं सोचता हूं, अपन सेकंडरी और हायर सैकंडरी की भी जब मान्यता के लिए जाते हैं तो उसकी लाइब्रेरी के लिए भी हजारों की संख्या में पुस्तकें मांगते हैं। हो सकता है, इसको पहली बार आपने दिया होगा इतना।

फिर जो कोर्स यह प्रारम्भ कर रहे हैं, यह कोर्स के बारे में भी आपको देखना चाहिए। कई बार ये जितने विश्वविद्यालय बन रहे हैं, ऐसे-ऐसे कोर्स जिनमें नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना होती है, उन कोर्स को चलाने में इनकी ज्यादा रुचि रहती है। उसका कारण क्या है, उसके कारण से ज्यादा से ज्यादा बच्चों की फीस आ जाती है और उनको भर्ती करने के लिए काफी सुविधा रहती है।

ये विश्वविद्यालय नहीं खुले, यह मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, पर मेरा यह अभिप्राय जरूर है कि इसमें इस प्रकार का राइडर जरूर हो। विशेषकर कम से कम जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने देखा होगा कि राजस्थान में कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको अपन ने जमीन एक-एक रुपये में टोकन में दी है और आज की तारीख में आपका बच्चा और मेरा बच्चा है, वह भर्ती हो सकता है क्या? यह जो दुर्लभजी वाला अस्पताल जब बनाया था, दुर्लभजी ने जिस भावना से बनाया, इसको आपने एक रुपये टोकन में जमीन दी। आज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई वहां गरीब इलाज करा सकता है? मेरे यहां उदयपुर में अमेरिकन अस्पताल खोला। हमने सरकारी बंगले तोड़कर के उसको एक रुपये के टोकन में जमीन दी। आज कोई भी गरीब का इलाज तो छोड़ दो, अगर चला गया ना तो जो बिल बनकर आता है, उससे वह चक्कर खाता रहता है। तो यह जो जिस तरह से अपना रहे हैं, सेवा के नाम से जिस ढंग से प्रवेश कर रहे हैं, ये सेवा के नाम पर सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? जितनी पुरानी संस्थाएं हैं, आपने देखा होगा कि बच्चों की भर्ती की बात तो छोड़ दो, अगर आप टेलीफोन करो तो उसका प्रिंसिपल चार दिन तक तो आपका टेलीफोन रिसीव ही नहीं करे। आप कितने ही मंत्री होंगे, आप कुछ भी होंगे। अगर केवल बात करना चाह रहे हैं, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, वह तो बाद की बात है, तो एक ऐसी सुपरक्लास बन गई। आज केवल स्कूल एजुकेशन की यह हालत है।

तो इसके ऊपर किसी न किसी तरह से, कोई न कोई ऐसा राइडर जरूर लगना चाहिए। कम से कम और कुछ नहीं हो, इसको मर्जी आये दो लाख फीस लो, कोई चिंता की बात नहीं है पर साल के अंत में कम से कम आडिटेड सी.ए. से, उनका खर्चा और बैलेंस तो आये। यानी कम से कम इनको कहीं न कहीं ऐसा पाबंद करो। वह अगर 20,000 फीस ले रहा है, कोई बात नहीं, वह 20,000 रुपये फीस ले, पब्लिक स्कूल के नाम से ले या यूनिवर्सिटी के नाम से ले, एक लाख रुपये ले, कोई चिंता नहीं लेकिन साल के अंत में बताओ तो सही कि एक लाख का खर्चा कहां हुआ और आमदनी कितनी हुई। इस यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में, आपकी सीडलिंग यूनिवर्सिटी को जाकर देख आना, वहां प्रोफेसर को कितनी तनख्वाह मिल रही है, लेक्चरर को कितनी तनख्वाह मिल रही है? आज भी 12,000 और 16,000 रुपये में वहां नौकरी कर रहे हैं, 15,000 रुपये में कर रहे हैं। जहां एक तरफ आप यह तो सोचते हैं कि वहां नौकरी करने वाले की सुरक्षा क्यों नहीं हो सकती है, उसको पे-स्केल क्यों नहीं लागू हो सकती है? हमारे यहां प्रोफेसर को 80,000 रुपये मिलेंगे और वहां अगर कोई प्रोफेसर जाकर रहेगा...तो यह क्या है? यह शोषण का नया केन्द्र नहीं बन रहा है क्या? बच्चों का शोषण होता है अधिक फीस से और अध्यापकों का शोषण होता है कम पेमेंट से। उसके बाद भी अगर हम उसको, किसी तरह से नहीं, निश्चित रूप से ठीक है, आप अपने हिसाब से बिल पास करायेंगे क्योंकि जिस ढंग से आया है, हम भी इसको एक-एक लाइन नहीं पढ़ पाये, इसमें कहां से क्या सुधार करें और क्या अमेंडमेंट दें लेकिन जो भावना है वह यह है कि इसको दोनों तरह से, चाहे जितनी फीस लेना हो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उतनी फीस लें, मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन फीस का हिसाब साल के अंत में आना चाहिए कि संस्थान ने कितनी तो फीस ली और कितना उन्होंने खर्चा

(15.00 बजे)

किया उस बालक के ऊपर और कितना उनका स्टाफ का पेमेंट किया और क्या उन्होंने विस्तार और विकास किया। कोई एतराज की बात नहीं। लेकिन इसको कमाई का धंधा बनाकर दो करोड़ रुपये हर साल का कमाकर अपने घर में रखकर एक नया इंस्टीट्यूट खड़ा करने का धंधा अगर चलेगा न, तो यह शिक्षा की भावना के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो जायेगा। शिक्षा तो एक सेवा का काम था, शिक्षा के पीछे मानसिकता यही थी कि हम किस तरह समाज की सेवा कर सकें। शिक्षा जब व्यवसाय का रूप ले लेगी तो उसमें पढ़ने वाले वह चाहे डाक्टर होगा, चाहे इंजीनियर होगा न, वह जाते ही जेब काटेगा क्योंकि वह कहेगा कि मैं तो बीस लाख रुपये देकर के भर्ती हुआ हूं और मेरे पिताजी ने कहां-कहां से कर्जा लिया, उसके बाद वह जाकर के पहले दिन से ही कतरना शुरू करेगा तो समाज में क्या होगा, समाज में शोषण होगा उस गरीब का।

इसलिए इन सब चीजों को, हैं ना, यह तो अपन इतनी जल्दी में भाग रहे हैं कि अपन एक-एक बिन्दु के ऊपर इसमें ठीक प्रकार से विचार करने का हमारे पास समय नहीं है और उसके कारण से ये मजबूरी समझो या कुछ भी समझो, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसके बारे में जरूर कहीं न कहीं कानूनी पाबंदी बननी चाहिए और हर साल हमारी कोई न कोई इंस्पेक्शन टीम इन यूनिवर्सिटीज और इन सारी संस्थाओं में जानी चाहिए और वर्ष के अंत में अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए कि संस्था ने इन-इन नियमों का पालन किया और इन-इन नियमों का पालन नहीं किया। जब तक आप इसकी परमिशन नहीं देंगे न, तब तक वह आपके और मेरे किनारे-किनारे घूमेंगे और जब इनको परमिशन मिल जायेगी न, दो-चार साल बाद खड़े हो जायेंगे, फिर डाक्टर साहब, स्वयं कभी टेलीफोन करके देखना, यह कोई आपको रेस्पांस देंगे? आपको और मेरे को रेस्पांस नहीं दे सकते तो उस गरीब के बच्चे को कौन रेस्पांस देगा। उसको तो फाटक में ही नहीं घुसने देगा। तो उसके मन में कितनी पीड़ा होगी।

इसीलिए मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं, भावना बहुत अच्छी है, होनी चाहिए, हमारे प्रदेश को तरक्की करनी चाहिए, हमारे बच्चों का शिक्षण होना चाहिए लेकिन शिक्षा को व्यवसाय का स्वरूप देकर के शोषण का केन्द्र, नौकरी करने वालों का भी शोषण और अध्ययन करने वाले का भी शोषण, ऐसे नये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

शोषण करने वाले केन्द्र खड़े नहीं हो जाएं, इससे सावचेत रहकर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

वैसे तो इसमें सारे का, आपने जितनी फैकल्टियां बनी हैं, यह सारे की सारी फैकल्टियां, अब एक में, एक में, सारे नये-नये कोर्स चलाते हैं, जो कहीं नहीं होते हैं वे कोर्स चलाते हैं, हमारा रेगुलर कोर्स यहां कोई नहीं चलेगा। जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढाई होगी न, उसमें एक भी नहीं चलेगा; वे कोर्स चलेंगे जो हमारी यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकती; वे सारे के सारे कोर्स खोलेंगे, नये-नये; और डिग्री कैसे बिकेगी और कैसे दी जायेगी, क्या परीक्षा का सिस्टम होगा, परीक्षा ठीक हो रही या नहीं हो रही, बच्चे का स्टैंडर्ड ठीक है या नहीं है, देश की बाकी यूनिवर्सिटीज के कम्पीटिशन में हमारा बच्चा कम्पीट कर पायेगा या नहीं कर पायेगा, इन सब चीजों का देखने के लिए जब तक कोई आपका मेकेनिज्म नहीं होगा तब तक आप भले ही पढ़े-लिखे लोगों की भीड़ इकट्ठी कर देना, लेकिन आप उस प्रकार का भाव पैदा नहीं कर सकेंगे जिस शिक्षा के आधार पर हम भाव पैदा करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इसको जनमत जानने के लिए अपनी ओर से रखा है।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह । श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महादय, तीन निजी विश्वविद्यालयों के विधेयक सदन के सामने विचारार्थ हैं और सभापति महोदय, ये सारे वे विधेयक हैं जिनको पहले आर्डिनेंस के जरिये, सरकार ने आर्डिनेंस जारी किये, रिप्लेसिंग बिल लेकर आये है। सभापति महोदय, जब हम चर्चा करते हैं राजस्थान की शिक्षा की और राजस्थान की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की यात्रा जब हमारा विद्यार्थी पूरी करता है तो उसका प्रतिशत निकल कर आता है सात। यानी सत्तानवे प्रतिशत विद्यार्थी..

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये आंकड़ें कहां से लाये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अपनी शिक्षा को कहीं न कहीं बीच में छोड़ देते हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सदस्य, आंकड़ों का सोर्स तो बतायें। कल मेरे से पूछ रहे थे, आप भी तो बतावें।

एक माननीय सदस्य: आपने ही तो दिये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बाद में आप दोनों मिल लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, एक नेशनल नालेज कमीशन बना था, नेशनल नालेज कमीशन, जिसको ज्ञान आयोग भी कहते हैं, पूरे देश के अन्दर लक्ष्य रखा था उच्च शिक्षा के अन्दर, हमारे विद्यार्थी जो आज सात फीसदी हैं, बढ़कर पन्द्रह फीसदी हो और इसी ज्ञान आयोग ने यह प्रतिपादित किया था कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। आज आस्ट्रेलिया जिसकी जनसंख्या पूरे राजस्थान के बराबर है, 329 यूनिवर्सिटी उसमें हैं और आज कितनी बड़ी संख्या में हमारे यहां के विद्यार्थी आस्ट्रेलिया जाते हैं और उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में जो व्यवहार हो रहा है वह हमसे कोई छिपा हुआ नहीं है। बुद्धि की कोई हमारे विद्यार्थी में कमी नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को कहना पड़ा, अमेरिका के छात्रों सावधान हो जाओ, हिन्दुस्तान के विद्यार्थी आ रहे हैं। पर, सभापति महोदय, मैं इसका तो स्वागत करता हूं कि निजी विश्वविद्यालय आ रहे हैं पर उसके साथ-साथ कुछ सावचेती की भी जरूरत है। मैं सरकार का ध्यान उन तीन विश्वविद्यालयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, 17 मार्च, 2008 को इसी सदन के अन्दर राजस्थान के तीन विश्वविद्यालय भरतपुर, सीकर और अलवर, इन तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की यहां घोषणा हुई थी। सभापति महोदय, कहते हैं हाकिम बदल जाता है परन्तु हुक्म नहीं बदलता, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित किये गये विश्वविद्यालयों को बंद करने का जो पाप आप कर हो, मंत्री महोदय...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): खोले ही नहीं तो बंद कैसे करते?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के उन गरीब लोगों के साथ अन्याय है...

एक माननीय सदस्य: यह बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं-नहीं। (व्यवधान) असत्य वचन कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जो आज निजी विश्वविद्यालयों की भारी-भरकम फीस नहीं दे सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बता दें, सभापति महोदय, जिसको सरकार..

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जोर से बोलने से थोड़े ही सच्ची बात हो जायेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इंदिरा गांधी नहर परियोजना आज कितने वर्ष बीत गये, आज भी वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूर्ण नहीं हुई। माही का प्रोजेक्ट ले लें, सूरतगढ़ के थर्मल पावर का प्रोजेक्ट ले लें। अब पिछली सरकार ने इसकी घोषणा कर दी...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): तो शिक्षा पर बोल रहे हैं कि माही पर बोल रहे हैं? कहां जा रहे हो? सबजेक्ट से इतर बोल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय। सबजेक्ट पर बोलें तो अच्छा लगेगा। आप बहुत विद्वान हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, इनको क्या बीमारी हो गई, जरा देखिये इन्हें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माही पर जा रहे हैं, आप नींद में हो क्या? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इलाज करिये, सभापति महोदय, इनका। कोई बीमारी हो गई इनको, इलाज करें इनका।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, उसको दूसरी भाषा में नूरा कुश्ती बोलते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, रघु शर्माजी का कोई इलाज करिये, कोई बीमारी हो गई इनको।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का इलाज हो। आप जीतते हो तो हमारे लिए शुभ हो इसलिए आपको हम छेड़ते ही नहीं हैं। लंकेश जीतता, बी जे पी की सरकार नहीं बनती, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। यह आप तो शुभ-शुभ हो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सदस्य, मेरे जैसे सीधे-साधे आदमी से क्या है? आदमी भी देखा करो। कोई दूसरा बोले उसके सामने खड़े हो। हम तो कभी-कभी बोलते हैं, सीधे-साधे लोग हैं।

तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था...

श्री सभापति: आपकी नूरा कुश्ती को सारा सदन जानता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पिछली सरकार अध्यादेश लेकर आई और शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, भर्तृहरि विश्वविद्यालय, अलवर और बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का और 2008-09 के बजट के अन्दर एक-एक करोड़ का प्रावधान किया। आर्डिनेंस लेकर आई, आर्डिनेंस राजभवन में गया, राजभवन में आर्डिनेंस के जाते ही उस पूरे आर्डिनेंस को जो तीनों विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का था, उसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम प्रारम्भ हो गया और उसमें कमी-खामी निकाल कर, सिंडीकेट के अन्दर महामहिम राज्यपाल का प्रतिनिधि, यह कमी निकालकर वापस भेज दिया। हमारी ही सरकार के समय में राज्यपाल महोदय की उस कमी को स्वीकार करते हुए उसे अमेंड करते हुए वापस राजभवन को भेजा और राजभवन से वह वापस आया, उस समय वह हुकुमत बदल गई। आज भी आर्डिनेंस, सभापति महोदय, ओ एस डी उस वक्त नियुक्त कर दिये गये थे, भूमि के चयन करने के लिए कमेटी बन गई थी, सीकर के अन्दर कटराथल, कौन सा गांव है वह, कटराथल, वहां भूमि का चयन हो गया था और उसके बाद मैं समझता हूं, सरकारी क्षेत्र में इन विश्वविद्यालयों को रोकना एक तरह से अन्याय है। निश्चित तौर पर आपको इस बात पर करना चाहिए। आप जिन अध्यादेशों पर बिराजे हुए हैं न, मंत्री महोदय, उनसे थोड़ा हटें, उन अध्यादेश को लेकर आयें, यह तीनों विश्वविद्यालयों के लिए भी आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए।

इसमें शक नहीं, सभापति महादय, मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं, विगत वर्षों में, मैं इसके लिए बधाई मेरे पड़ोसी कालीचरणजी को देना चाहता हूं, इन्होंने जो प्रयास किये, राजस्थान एजुकेशन हब के रूप में दुनिया के सामने है, वह राजस्थान को एजुकेशन हब मानने लग गई। आज निश्चित तौर पर चाहे वनस्थली विद्यापीठ की बात कर लें, मोदी शिक्षण संस्थान की बात कर लें, बिट्स की बात कर लें, आज निजी क्षेत्र के अन्दर जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, मैं समझता हूं कि उनका कोई सानी नहीं और इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो विश्वविद्यालय हैं जिन विश्वविद्यालयों के विधेयक अभी आपके विचारार्थ हैं, इसमें भी कोई यह नहीं कि आनन-फानन में आ गया हो, लम्बी यात्रा की। पहले यह प्रवर समिति में गया, लोगों ने इसको चुनौती दी सिंगल बेंच में हाई कोर्ट में, उसके बाद डबल बेंच में गये और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह कर कि आप निजी विश्वविद्यालय के एक-एक बिल का पारण करोगे, यह कहकर यह बिल आया। इसी कारण से एक-एक बिल आज हमारे सामने विचारार्थ है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें निजी विश्वविद्यालय यू जी सी के मापदण्ड पूरा करें, यह एक तरह से मैंडेटरी है और जैसा कि उद्देश्य और कारणों के कथन में साफ लिखा है, यह निजी विश्वविद्यालय विधेयक क्यों लेकर आया जा रहा है, विश्वस्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन की सुविधा के सृजन के लिए। विश्वस्तरीय। इसलिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह यू जी सी के मापदण्ड के अनुसार होना चाहिए...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): चेयर की तरफ तो देखो, माननीय सदस्य। आप उधर चले जाते हैं, घूमते-घूमते पता नहीं कहां?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इसमें राज्य सरकार ने जांच समिति बनाई और जांच समिति के अन्दर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति को रखा; आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा को रखा; निदेशक आर.ए. पोद्दार कालेज, जयपुर, वह कालेज याद करिये, वह बात पुरानी सन् 57 की; प्राचार्य, इंजीनियरिंग कालेज, झालावाड़; और निदेशक, कृषि अनुसंधान, दुर्गापुरा। अब यह कमेटी, इतनी भारी-भरकम यह इंस्पेक्शन कमेटी है। इसके निरीक्षण के बाद अगर मंत्री महोदय कमी-खामी रह जाए और फिर यू जी सी के मापदण्ड पूरे नहीं हो या उसके बाद यह बात चली कि फैकल्टी पूरी नहीं हुई, जिस फैकल्टी के अन्दर एक प्रोफेसर, दो रीडर और तीन लेक्चरर होने चाहिए, मुझे क्षमा करना...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मंत्री महोदय से आंख से आंख मिलाकर के बात मत करो आप, चेयर को करो, धमका रहे हो क्या आप मंत्रीजी को?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यह यू जी सी के द्वारा जब कोई निरीक्षण हो, उस समय तो कागजों के अन्दर फैकल्टी पूरी कर लें और उसके बाद जिस तरह अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, हम अध्यापकों की संख्या सीमित कर दें, उनका वेतन सीमित कर दें, मंत्री महोदय, बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। शिक्षा के सार्वजनिकीकरण और शिक्षा के व्यवसायीकरण, इनमें बहुत झीना पर्दा है। अगर आपने सावचेती नहीं की तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय आ रहे हैं....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सदस्य, आपका रुतबा रहा, हम जानते हैं लेकिन चेयर की तरफ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार-बार। मंत्रीजी की तरफ क्यों?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): केकडी से आने वाले माननीय सदस्य, नया खाता मत खोलो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह तो कल ही खोल दिया, माननीय, आपने; मैंने नहीं खोला है, आपने खोला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, केदारनाथ फाउंडेशन नई दिल्ली, नई दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई हैं जो विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं। श्रीधर मेरठ की संस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में भाव जाग्रत हो गया कि राजस्थान में अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय शिक्षा देनी है और उसका उद्देश्य यह है कि वहां के बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को विदेश नहीं जाना पड़े। एन आई आई टी इन्स्टीट्यूट आफ इन्फोर्मेशन नई दिल्ली, मतलब ज्यादा संस्थाएं वे हैं जो संस्थाएं किसी-न-किसी तौर पर यहां राजस्थान के लोगों से संबंधित नहीं हैं। सभापति महोदय, संगरिया में विद्यापीठ है, केशवानंद जी जो राज्यसभा सदस्य रहे, पूरा जीवन ही निकाल दिया उन्होंने, उन्होंने एक-एक चंदा करके, काश्तकारों से एक-एक बोरी मांगा करते थे गेहूं की। उस गेहूं को इकट्ठा करके बेचा करते थे। आज ऐसी संस्थाओं की जरूरत है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है।

मैं निवेदन करूंगा सेक्शन-12 के अन्दर चेयरमैन की नियुक्ति का प्रावधान है और इसमें भी वही बात रख दी। इसमें प्रयोजक निकाय राज्य सरकार की सहमति से पांच वर्ष की कालावधि के लिए चेयरपर्सन का चयन करेगा। अब यह श्रीधर ट्रस्ट मेरठ वाले जिसका जिक्र किया, अगर वह सेठ जी ऐसे नाम आपको भेज दें जिनका कोई लेना-देना नहीं है शिक्षा के जगत में, व्यवसाय की दृष्टि से इसका संचालन करे तो मैं समझता हूं, वह उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए यह विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान किया है और जो हम इनेक्ट कर रहे हैं, वह सारा उद्देश्य हमारा विफल हो जाएगा।

इसी तरह सेक्शन-12(4) में चेयरपर्सन प्रबंध बोर्ड की अध्यक्षता करेगा और सेक्शन-12(5) में वह प्रेसिडेंट की नियुक्ति भी कर देगा। मतलब आप चेयरपर्सन को कौन-कौन से अधिकार दे रहे हैं। सेक्शन-13 में प्रेसिडेंट की नियुक्ति प्रबन्ध बोर्ड की सिफारिश पर तीन व्यक्तियों के पैनल में से चेयरपर्सन करेगा। सेक्शन-13 में चेयरपर्सन तीन व्यक्तियों का जो पैनल आएगा उनमें से एक को प्रेसिडेंट बना देगा और यह जो प्रेसिडेंट है जिसके बारे में, जिन शब्दों के चयन के लिए उप नेता महोदय कह कर गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमें तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रेसिडेंट सुन..., हमारे केकडी से आने वाले माननीय सदस्य के नाम के आगे लिखा करता था, प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन, यह इसके अन्दर जो मैनेजमेंट बोर्ड और उसका सर्वेसर्वा जो होता है...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप दोनों मिलकर के खोल लो एक यूनिवर्सिटी, ठीक रहेगा। दोनों खिलाड़ी रहे हैं पुराने।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आगे की सोचो, आगे की। सुनो, मिलकर के खोल लेते हैं न...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, सैक्शन-13(2) में जो प्रेसिडेंट है वह विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक यानी चीफ एग्जीक्यूटिव और शैक्षणिक अधिकारी होने की बात आपने रखी है...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इतनी पढ़ाई आपने पहले कर ली होती न तो आपका जीवन सुधर जाता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सैक्शन-14 के अन्दर प्रो-प्रेसिडेंट की नियुक्ति की बात है। इसकी नियुक्ति भी चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट मिलकर करेंगे। सैक्शन-22 के अन्दर जो प्रबन्ध बोर्ड है जो सारा वह विश्वविद्यालय को संचालित करेगा, उसके अन्दर कौन-कौन है? एक तो आपका चेयरपर्सन हो गया, एक आपका प्रेसिडेंट हो गया, फिर आपके प्रयोजक निकाय, मतलब जो इसके कर्ताधर्ता पांच व्यक्तियों को वह नामजद कर देगा। फिर चेयरमैन नामजद कर देगा एक विशेषज्ञ को और चेयरमैन साहब फिर नामजद कर देंगे एक वित्त विशेषज्ञ को। आपका एक अधिकारी, आर.ए.एस. स्तर का अधिकारी, उसको आप इसमें भेज रहे हो। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर रेग्यूलेटरी कमीशन की बात कही है और आपने तो पहले भी बात कही थी, उच्च शिक्षा सुधार आयोग का गठन करेंगे। आपका पुराना पढ़ रहा हूं मैं, उच्च शिक्षा सुधार आयोग अगर जो कुछ वह सारा एग्जामिन करता और रेग्यूलेटरी कमीशन कोई होता तो मैं समझता हूं, जिस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है वह उद्देश्य निश्चित तौर पर होगा।

अब सैक्शन-29 के अन्दर आपने परिनियम यानी रूल्स बनाने और उसके संचालन के सब कुछ करने का अधिकार आप उसको दे रहे हैं और इसमें जो अकेडमी काउंसिल है, उसके अन्दर वह प्रेसिडेंट, जिसको नियुक्त करेगा चेयरमैन, वह अकेडमिक काउंसिल का चेयरमैन होगा। मतलब आज आप चार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को सर्वेसर्वा बना रहे हो। उसकी शैक्षणिक योग्यता कुछ हो या नहीं हो, वह इसमें पूरा चीफ एग्जीक्यूटिव बनेगा। तो किस तरह काम चलेगा?

उसके साथ ही फिर मैं कह रहा हूं, इसके सेक्शन-43 में जो प्रयोजक निकाय है, वह एक वर्ष का नोटिस देकर विश्वविद्यालय को विघटित कर सकता है, बंद कर सकता है। उसको एक वर्ष का नोटिस देना है, विद्यार्थी को एक वर्ष का नोटिस देना है, शिक्षकों को एक वर्ष का नोटिस देना है। अगर इस तरह विश्वविद्यालय बंद करके चले जाएंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, आज विश्वविद्यालय जहां खोले जा रहे हैं कल वह शहर के नजदीक आ जाए, जमीन की कीमत अरबों में चली जाए, सेठ जी का मन बदल जाए, सेठ जी अचानक एक वर्ष का नोटिस दे दें, विद्यार्थी बेचारा पढ़ रहा है, उसका क्या होगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके अन्दर निश्चित तौर पर सावधानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी जिस पुस्तकालय का जिक्र उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था, श्रीधर के अन्दर मात्र 1,653 पुस्तकें, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में। आप मेरे गांव के सेकंडरी स्कूल की लाइब्रेरी में चले जाएं, उसके अन्दर भी इससे ज्यादा पुस्तकें मिल जाएंगी। इसका मतलब कहीं-न-कहीं खोट है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर आज हमारे राजस्थान में टेलेंट है, हमारे विद्यार्थी जो आस्ट्रेलिया और दूसरी जगह जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको यहां अगर अच्छे स्तर की शिक्षा मिलेगी तो वहां नहीं जाएंगे पर आवश्यकता इस बात की है कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रावधान है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रावधानों को आगे बढ़ायें और उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर ठीक काम करे तो उसके बाद इसको पूरे विश्वविद्यालय का दर्जा हम दें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

उसके साथ ही जिस तरह की आशंका है, हालांकि आपने इसके अन्दर प्रोविजन में लिया है कि राज्य सरकार नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था, आप याद कर लें, आप तो चिकित्सक हैं, सही उदाहरण देते हैं लोग, संतोकबा का उदाहरण सही है और संतोकबा के अन्दर भी यह था कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए 10 फीसदी शय्याएं आरक्षित रहेंगी, आउट डोर के अन्दर 20 फीसदी जो आउट डोर में पेशेंट आएंगे उनको मुफ्त में देखा जाएगा। सभापति महोदय, उन सीढ़ियों पर कोई गरीब आदमी चढ़ नहीं सकता। इसलिए इसमें स्पष्ट तौर पर प्रावधान करें, बी.पी.एल से चयनित जो विद्यार्थी होंगे, उसमें से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इतने लोगों की भर्ती करेंगे, उनकी फीस इतनी-इतनी होगी, उनको यह-यह सुविधा देंगे तब तो इन विश्वविद्यालयों के साथ गरीब का नाता जुडेगा वरना निश्चित तौर पर ये विश्वविद्यालय सेवा के क्षेत्र में कम और व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे।

जिस तरह की बात कर रहे हैं, जो कैम्पस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, जो बहुत लम्बे-चौड़े विश्वविद्यालयों में होने चले हैं, सभापति महोदय, आज आप दूसरे देशों में यूनिवर्सिटी में चले जाएं, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी का नाम कितना है, इस बात को लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ टाइ-अप हो जाता है और बच्चों को लगता है कि कैम्पस इंटरव्यू में मेरा सलेक्शन हो जाएगा, मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए इस तरह का कोर्स, बिलकुल नया कोर्स प्रारम्भ करेंगे, उस कोर्स को विश्वविद्यालयों के अन्दर कहेंगे अत्याधुनिक जीवन में शिक्षा को प्रतिपादित करने के लिए यह कोर्स है, नया कोर्स इंट्रोड्यूज कर देंगे और उसके साथ कहेंगे, इसमें निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी। मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों की सावधानी आप करें।

मैं इस मौके पर मेरे पड़ोसी कालीचरण जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि ये वह शख्सियत हैं जिन्होंने इस राजस्थान विधान सभा में पहले निजी विश्वविद्यालय के विधेयक को पारण करने का काम किया था। आप इनसे कुछ शिक्षा लें, रेग्यूलेटरी कमीशन आप बनायें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये जो आज आप सुझाव दे रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, वे जो बिल आपने रखे थे, क्या उनमें प्राविजन किया था क्या? यह भी जानकारी दिलवा दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपको क्या? अच्छा काहे पर बोल रहा हूं मैं? किस चीज पर बोल रहा हूं? यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं जिन चीजों पर इतनी देर से बोल रहा हूं, आप ज्यादा तेज बनते हो, मेरे को नाम बताओ कि मैं काहे पर बोल रहा हूं? यह क्या तरीका हुआ? ये इस पूरे सदन को पार्क बना रखा है। यह केन्द्रीय पार्क है? ये सेन्ट्रल पार्क है? घूमते-घूमते आ जाओ और आकर हमें डिस्टर्ब करो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... हमें भी पता है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कौन किसको डिस्टर्ब करता है, सारी जिन्दगी हो गयी आपको इस हाउस को डिस्टर्ब करते। हर रोज आप डिस्टर्ब करते हो हर माननीय सदस्य को, चाहे पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो। कमाल कर दिया। रिकार्ड बना दिया आपने। आपने रिकार्ड बना दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आज आपकी तैयारी अच्छी है। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पड़ोसी का ध्यान रखें।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, मंत्री महोदय, आप जो बिल लेकर आये हो, राजस्थान में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खुलें, कोई एतराज नहीं है पर इसके साथ-साथ जो सावधानी बरतने के लिए मैंने आपसे आग्रह किया, निवेदन किया है, उन सावधानियों को बरतो और उसके साथ इसलिए जरूरी है कि आज आप जनमत जानने के नाम पर प्रवर समिति को सौंप दें और उस प्रवर समिति में आपके पास आपके दल में जो कई ऐसे माननीय सदस्य हैं जो विश्वविद्यालय छात्र संघों से संबंधित रहे हैं, जो विश्वविद्यालय के अध्यापक भी रहे हैं, उन सबकी एक कमेटी बना दें और प्रवर समिति में सौंप दो। दुबारा अपन मिलेंगे तब प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के विचार सुनना चाहते हैं इस बिल के ऊपर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बिल के लिए आपकी बुद्धि समझने लायक नहीं है और अगर समझने लायक होती तो यूनिवर्सिटी जैसे गम्भीर विषय पर...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हम तो आपके विचार सुनना चाहते हैं। आपने कहा कि कुलपति मैं बनूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरे विचार बहुत सात्विक हैं, आपका चेयरमैन बनने वाला हूं दोनों जो यूनिवर्सिटी खोलोगे । बहुत सात्विक विचार हैं।

श्री सभापति: श्री कालीचरणजी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, जो आज तीन निजी विश्वविद्यालयों के बिल आदरणीय मंत्रीजी ने यहां पारित करने के लिए प्रस्तुत किये हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में तो मुझे यह गौरव हासिल हुआ कि सबसे पहले निजी विश्वविद्यालयों के बिल मैंने यहां प्रस्तुत किये और वे पारित हुए। आज की आवश्यकता भी है।

जैसा तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हमारे उप नेता जी ने कहा, कटारिया साहब ने कहा, वर्तमान में हमारे देश में सात प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का यह लक्ष्य है कि 2015 तक पन्द्रह प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करें और उसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल नालेज कमीशन ने 1500 यूनिवर्सिटीज हिन्दुस्तान में होनी चाहिए, इस बात का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में हमारे यहां 357 यूनिवर्सिटीज हैं और 1500 होनी चाहिए। राजस्थान में 14 यूनिवर्सिटीज हैं, 15-16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। यहां लगभग 50-60 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। यह बात इसलिए, माननीय सभापति महोदय, नेशनल नालेज कमीशन ने कही कि आज यदि विश्व के प्रमुख देशों की हम बात करें तो कनाड़ा में 948 यूनिवर्सिटी, अमेरिका में 746 यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में 971 यूनिवर्सिटी और आस्ट्रेलिया, जैसा कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान जितना हैं, वहां 339 यूनिवर्सिटीज हैं और मेक्सिको जहां हमारे देश की पाँच प्रतिशत जितनी पापूलेशन नहीं है, वहां आज 229 यूनिवर्सिटीज हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी राजस्थान में इसलिए लाये कि यहां एजुकेशन हब का निर्माण हो। आज कर्नाटक में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आज महाराष्ट्र में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आज केरला में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आज तमिलनाडु में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। हमारा बच्चा वहां पढ़ने के लिए जाता था तो हमारा करोड़ों रुपया वहां माइग्रेट होता था। माननीय सभापति महोदय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का अनुभव कोई खराब नहीं है। हम देख रहे हैं, आज पिलानी में बिट्स, निवाई में वनस्थली, लक्ष्मणगढ़ में मोदी इंस्टिट्यूट हैं। आज इन इंस्टिट्यूशंस की स्थापना से कितने लोगों को रोजगार मिला। इसके कारण वहां प्राइवेट होस्टल्स बन गये, प्राइवेट होटल चल रहे हैं, प्राइवेट रेस्टोरेंट चल रहे हैं। आज हमारे लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर जब

(श्री कालीचरण सराफ)

भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो निजी विश्वविद्यालय राजस्थान में आने चाहिए, इस बात को ध्यान में रख कर निजी विश्वविद्यालय के विधेयक यहां पर पारित कराये गये, पर, माननीय सभापति महोदय, जैसे मैंने पूर्व में कहा, उस समय हमारे सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष में थे और हम सत्ता में थे तो उस समय के विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने, बी.डी. कल्ला साहब ने, सी.पी. जोशी साहब ने, संयम जी लोढ़ा ने, हरिमोहनजी शर्मा ने कई सुझाव यहां पर, बहुमूल्य सुझाव दिये थे और उस समय शिक्षा मंत्री के नाते मैंने उनको आश्वस्त किया था कि राजस्थान की सरकार, उन्होंने यहां पर यह सुझाव दिया था कि इन सब विश्वविद्यालयों को रेग्यूलेट करने के लिए नियामक आयोग होना चाहिए और मैंने उस समय यह आश्वस्त किया था कि यहां पर नियामक आयोग सरकार बनायेगी।

इसी प्रकार से समृद्ध लाइब्रेरी होनी चाहिए, जैसे अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आज एन आई आई टी विश्वविद्यालय में केवल 2,191 किताबें हैं उनके पास जो इसमें बिल में लिखी हुई हैं। ऐसे ही के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी में 5,243 किताबें हैं और श्रीधर यूनिवर्सिटी में 1,653 किताबें हैं। इतनी कम किताबों की संख्या से वे किस प्रकार से अच्छी शिक्षा जो यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाएंगे उनको दे पाएंगे, मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए मिनिमम कितनी किताबें होनी चाहिए, आप उसकी संख्या पचास हजार रख सकते हैं, चालीस हजार रख सकते हैं, तीस हजार रख सकते हैं पर एक कोई मिनिमम संख्या समृद्ध लाइब्रेरी के लिए हो, इस बात पर भी निश्चित रूप से आपको राइडर लगाना चाहिए।

इसी प्रकार से सरकार के प्रतिनिधि की बढ़ोतरी की जहां तक बात है, अभी केवल एक प्रतिनिधि सरकार का उसमें है मैंने उस समय आश्वस्त किया था कि सरकार का प्रतिनिधित्व इसमें बढ़े, इस बात की हम कोशिश करेंगे, इस बात का हम प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से जैसे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा अंकुश रहे निजी विश्वविद्यालयों पर, इसलिए कम से कम उनका वार्षिक प्रतिवेदन, एन्यूअल रिपोर्ट विधान सभा में निश्चित रूप से पेश होनी चाहिए। जो कटारिया जी ने शंका जाहिर की, यह बात बिलकुल सही है कि आज हम उनको कंसेशनल रेट पर जमीन भी देते हैं, सारी सुविधाएं भी उनको देते हैं। संतोकबा दुर्लभजी का इन्होंने उदाहरण दिया।

(श्री कालीचरण सराफ)

वहां दस प्रतिशत गरीबों के लिए इलाज की सुविधा की जाएगी, इस प्रकार का आरक्षण था परन्तु आज वहां कोई गरीब मरीज जाना चाहे तो वहां उसको इलाज की सुविधा नहीं मिलती, वह गेट के अन्दर ही नहीं घुस सकता।

तो यह हमें निश्चित करना होगा और यह राइडर लगाना होगा कि ये जो निजी विश्वविद्यालय हैं, इनमें कम से कम दस प्रतिशत या बीस प्रतिशत, जो भी आप तय करें, हमारे एस सी के स्टूडेंट्स, हमारे ओ बी सी के स्टूडेंट्स, एस टी के स्टूडेंट्स और जनरल कास्ट के गरीब लोग हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, इन लोगों को उनमें प्रवेश मिल सके और नि:शुल्क प्रवेश मिल सके और यदि वे नि:शुल्क नहीं करें तो सरकार उनकी व्यवस्था करे। इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के साथ हम निजी विश्वविद्यालयों को राजस्थान में ला रहे हैं, उसमें हम सफल होंगे।

मैं कोई ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि सबने बात कह दी, मैं तो केवल इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि पांचों राइडर जो मैंने बताये हैं, ये इसमें शामिल करने के लिए और इसके अलावा भी जो अच्छे सुझाव हों, उनको हम इसमें शामिल कर सकें। इसलिए यह कोई बहुत हाबड़-तोबड़ का मामला नहीं है कि साहब, आज यदि ये बिल पास नहीं हुये तो क्या पता, क्या कोई भूकम्प आ जाएगा। तो ये पांचों जो मैंने सुझाव दिये हैं, इसके अलावा जो और माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, इनके साथ इनको जनमत जानने के लिए एक बार भेजें, एक महीने आप उसको परिचालित करें और उसके बाद फूलप्रूफ बिल यहां पर लायें तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य होगा। आप बिल लाये हैं, उसके लिए तो आपका स्वागत है पर इन राइडर्स के साथ इनको लायेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसलिए मैंने जनमत जानने के लिए कहा है। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इनको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं), एन आई आई टी विश्वविद्यालय नीमराना (अलवर), डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय निवाई (टोंक) के विधेयक पारित करने के लिये आज सदन में रखे गये हैं। सबसे पहले तो इन विधेयकों को पारित करने से पहले मैं आपके मार्फत उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

दिलाना चाहूंगा कि ये जो विश्वविद्यालय लेकर आ रहे हैं, श्रीधर विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं, एन आई आई टी विश्वविद्यालय नीमराना, डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय निवाई, (टोंक), सभापति महोदय, श्रीधर विश्वविद्यालय का मेरठ का रजिस्ट्रेशन है और मेरठ उस राज्य में आता है जहां सबसे ज्यादा फर्जी डिग्रियों का कारोबार अगर देश में होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। इसलिए इस विश्वविद्यालय को जो लोग लेकर आ रहे हैं, जो लोग इस विश्वविद्यालय के मालिक और संचालक हैं, उनका शिक्षा के क्षेत्र में कभी जुडाव रहा या नहीं रहा या एक दम से ही राजस्थान की चिंता उन लोगों को सताने लग गई कि वे शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में आकर राजस्थान के लोगों को आगे लाना चाहते हैं? सभापति महोदय, जो नई दिल्ली की संस्था का विश्वविद्यालय है, इन दोनों विश्वविद्यालयों की पूरी पड़ताल करके, इनके रजिस्ट्रेशन की पूरी पड़ताल करने के बाद ही अगर इन विधेयकों को सदन में पारित किया जाये तो राजस्थान आपका ऋणी होगा। मैं पुरज़ोर शब्दों में मांग करता हूं कि इन तीनों विश्वविद्यालयों के विधेयक 2010 हैं, इनको जनमत जानने के लिये 2 महीने तक राजस्थान की जनता के सामने भेजे जायें।

सभापति महोदय, जैसा कि हमारे तारानगर से आने वाले विधायक जी बता रहे थे, आज राजस्थान में या पूरे हिन्दुस्तान में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक बालक/बालिका पहुंचते हैं तो उनका प्रतिशत मात्र 7 है। जबकि नेशनल नालेज कमीशन द्वारा 2015 तक इस प्रतिशत को बढा कर 15 करने की बात कही गई है। सभापति महोदय, वर्तमान में हमारे देश में मात्र 357 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, जबकि नेशनल नालेज कमीशन के अनुसार 1,500 विश्वविद्यालय पूरे हिन्दुस्तान में होने चाहिये। आज अपना पड़ोसी जो मुल्क है जहां शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अमेरिका, इंग्लैंड को मानते हैं, अपने यहां से लोग अध्ययन करने के लिये अमेरिका और इंग्लैंड जाते हैं। आज अमेरिका में 746 विश्वविद्यालय, इंग्लैंड में 971 विश्वविद्यालय, कनाडा में 948, और तो और, आस्ट्रेलिया और मेक्सिको जिनकी जनसंख्या का प्रतिशत हिन्दुस्तान की जनसंख्या का 5 प्रतिशत है, वहां भी 339 और 229 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

इसलिए प्राइवेट विश्वविद्यालय राजस्थान में लाने की शुरुआत पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्रीजी जो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मालवीय नगर से जीतकर यहां आये हैं, वरिष्ठ सदस्य कालीचरणजी ने राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय का पहला विधेयक पेश किया। इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में शिक्षा का क्षेत्र बढाने के लिये पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान को शिक्षित करने की दिशा में जो कदम उठाया, एक नई शुरुआत की थी। उसी आधार पर अगर आप पूरी जांच-पड़ताल करके और जनमत जान कर इन विधेयकों को पास करते हो तो निश्चित रूप से हमारा समर्थन आपको पूरा मिलेगा।

सभापति महोदय, आज पूर्ववर्ती सरकार ने, जैसा कि हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये और ग्रामीण अंचल के छात्रों को पूरी सही शिक्षा देने के लिये तीन विश्वविद्यालय राजस्थान में स्थापित करने के लिये प्रस्ताव करवाया था, तीनों विश्वविद्यालय जिनको जमीन अलाट कर दी गई, एक-एक करोड़ रुपये राजस्थान सरकार ने दे दिये और एक-एक ओ एस डी की नियुक्ति करने के बाद भी आज राजनीतिक रूप से उन तीनों विश्वविद्यालयों में न तो कोई बजट का प्रावधान किया, तीनों विश्वविद्यालयों का क्या भविष्य होगा, न इस बात के बारे में राजस्थान की जनता को बताया गया।

सभापति महोदय, नवलगढ़ से जो माननीय सदस्य जीत कर आये थे, वे जीत कर बसपा से आये थे और आज राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने वोट ही नवलगढ़ क्षेत्र में इस बात के लिये थे कि अगर मैं चुनाव जीत कर राजस्थान की विधान सभा में जाऊंगा तो आपका जो शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर है, इसको चालू कराने की पूरी जवाबदारी लेकर आये थे। यहां आने के बाद चुपचाप ये +++ और शेखावटी क्षेत्र के लोगों का विश्वविद्यालय का जो सपना था, उन छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा माननीय सदस्य करके यहां आये थे।

सभापति महोदय, राजस्थान पूर्ववर्ती सरकार के टाइम शिक्षा के क्षेत्र में एक हब बनने जा रहा था और यह पूर्ववर्ती सरकार की ही देन है कि निजी क्षेत्र में लोग पैसा लगाने के लिये आज राजस्थान में आ रहे हैं। आज आप जयपुर को हेरिटेज सिटी बनाने की बात करते हो लेकिन यह हेरिटेज का जो सपना था, हेरिटेज की जो सोच थी, वह हमारी पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री वसुंधरा जी की सोच थी, पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच थी।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, आज राजस्थान विश्वविद्यालय सहित पूरे राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कालेजों में जब आपकी पूर्व की सरकार 1998-2003 में आई तो आपने राजस्थान के इतिहास में एक साथ 10 गुणा फीस पूरे राजस्थान के छात्रों की बढ़ाई और दूसरी बार अभी 28 मार्च को जो सिंडिकेट की बैठक थी, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया और 10 परसेंट राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों की और बढ़ा दी गई। एक ओर आप राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त कालेजों में लगातार फीस बढ़ाते जा रहे हो, दूसरी ओर प्राइवेट विश्वविद्यालय लगातार खोलते जा रहे हो।

मैं आपसे मांग करता हूं कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों में 25 प्रतिशत आर्थिक पिछड़े, चाहे वह किसी भी जाति का हो, अगर इंटेलीजेंट लड़का है तो 25 प्रतिशत उनको आरक्षण ओ बी सी, एस टी, एस सी, विकलांग के अलावा उन गांव के गरीब छात्रों को जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको 25 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिये और गवर्नमेंट उनके पूरे खर्चे का भरण करे, गवर्नमेंट उनका पूरा खर्चा दे, यह मैं मंत्रीजी से मांग करता हूं ।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं क्योंकि मेरठ से एक मोदी आया था और उसने नागौर में फर्जी रजिस्ट्रेशन करा कर पांच साल प्रदेश को लूटा। इसलिए ध्यान रखना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, इन विश्वविद्यालयों के ऊपर सरकार का नियंत्रण रखने के लिये विश्वविद्यालय नियामक आयोग बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सांगानेर से आने वाले हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता घनश्याम जी तिवाड़ी ने जैसा कि दो बार आपको निवेदन किया था कि विश्वविद्यालय नियामक आयोग जब तक नहीं बनेगा तब तक निजी क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय हैं उन पर सरकारी नियंत्रण नहीं रहेगा और एक बार अगर सरकारी नियंत्रण हट गया, एक बार जब स्वाइन फ्लू का टाइम था तब हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने एक आदेश जारी किया कि स्वाइन फ्लू से राजस्थान में कहर बरपा है इसलिए प्राइवेट स्कूल वालों से आह्वान किया कि निजी शिक्षण संस्थाएं 5-7 दिन की छुट्टी कर दें लेकिन शिक्षा मंत्रीजी के आदेश की धज्जियां इसी जयपुर में उडीं और जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल वालों ने शिक्षा मंत्रीजी के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए एक, एक दिन भी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

स्कूल बंद नहीं रखा। अगर प्राइवेट सैक्टर में विश्वविद्यालयों पर अपना नियंत्रण नहीं रहेगा, सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा तो बहुत बड़ी दुर्दशा होगी, फर्जी डिग्रियां बांटी जायेंगी। ये यू पी और दिल्ली से आने वाले लोग फर्जी डिग्रियों का एक नया कारोबार यहां स्थापित कर देंगे। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज इन तीनों विश्वविद्यालयों में जो सरकार का एक-एक प्रतिनिधि आर ए एस रखा है, मैं मांग करता हूं कि जिस संबंधित क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय आते हैं, जिन विधान सभा क्षेत्रों में ये विश्वविद्यालय आते हैं, वहां का एम एल ए इस संस्था का आमंत्रित सदस्य हो और वहां का एम पी भी इसका आमंत्रित सदस्य होना चाहिये, यह मेरी ओर से मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, इसमें ऐसे-ऐसे नाम रखे गये, ऐसे-ऐसे पदनाम रखे गये चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, इससे तो ऐसा लगता है कि यू पी ए की चेयरपर्सन +++ हैं तो ये तीनों विश्वविद्यालय चेयरपर्सन के हिसाब से उनके ही विश्वविद्यालय होंगे या पर्दे के पीछे से +++ इनकी वाइस चेयरमैन होंगी। इसलिए मैं दो महीने के लिये इसे ...(व्यवधान)...

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आपको भाषा का ज्ञान नहीं है। 'Chairperson' doesn't mean that everybody is a chairperson.

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ...(व्यवधान) आपको ऐसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य, आपको भाषा का ज्ञान नहीं है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ...(व्यवधान) किस तरह से बोल रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, ये समर्थन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं मैं इस बात को मानता हूं लेकिन सावधानी बरतनी चाहिये। यह सावधानी कौनसी है, मुझे यह एक बात अवगत करा दें जो बोलने वाले थे?

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी तिवाडी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, यह बार-बार ... (व्यवधान) सुझाव थे, मापदण्ड थे, वे उन्हीं का खुलासा करें। यह बात, मतलब

(श्री मदन प्रजापत)

समर्थन भी करना और दिखावा करना, आंतरिक मंशा ये समर्थन में हैं, जो भी नोर्म्स ...(व्यवधान) मंत्री महोदय लाए, ये इनके साथ में हैं, यह इनकी भावना से अवगत हुआ।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के बड़े सीनियर नेताओं से कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, whether your MLA is a Graduate or a Post-Graduate? He does not know the meaning of 'chairperson'. How he relates the things! It's very shameful.

श्री सभापति: विराजिये, श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, इसीलिए मैंने शुरू में जब पहले बिल पर बोला था तो मैंने कहा था कि अंग्रेजी शब्द मत रखो। यह चेयरपर्सन नहीं जानते, अंग्रेजी को बहुत लोग नहीं जानते। सभापति महोदय, आप मुझे क्षमा करेंगे, अगर कोई हिन्दी वाला आदमी जाए, वह अंग्रेजी, आपका नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत वह अगर हिन्दी नहीं जाने और केवल अंग्रेजी जाने, तो क्या पढ़ेगा? उसका अर्थ ही बदल जाएगा, सारा का सारा अर्थ बदल जाता है। सुरेन्द्र जी जाड़ावत, का मतलब दूसरा है, सुरेन्द्र जी जडवत का मतलब दूसरा होता है। तो यह इसलिए मैंने कहा कि इसको मिक्स मत करो। वैश्य और वैसे का, जो पढ़ते हैं लिखते हैं न अपन अंग्रेजी में, तो हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर और हमारी बात, उसकी व्याख्या हम करें तो ठीक है। इसलिए पढ़ने में उनको दिक्कत हो गई होगी। तो मैं समझता हूं, लैंग्वेज का इसीलिए ध्यान रखने के लिए मैने इसमें विरोध किया था। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिये, जो आवश्यक नहीं हों हमारे लिए।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, आज भी वे स्टूडेंट लीडर के रूप में, परन्तु माननीय विधायक बन चुके हैं वे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा कहा कि राजस्थान पायोनीयर स्टेट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मामले में दो बातें बड़ी उभरकर आ रही हैं हमारे सामने। दोनों बातों के पीछे अपने तर्क और तथ्य भी हैं। जब मैंने पहला बिल पायलेट किया था इस संबंध में, उस समय मैंने इन सारी बातों का जवाब दिया था। मैं इसलिए आज इस जगह पर प्रतिपक्ष में खड़ा हूं, खड़े होकर मैं इस बात को नहीं कह सकता कि यह बिल गलत है। यह बिल सही है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आना भी सही है और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्राइवेट यूनिवर्सिटी का खुलना भी ठीक है और हम जानते हैं अच्छी तरह से। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी बजट में घोषणा की, उसमें मन में तकलीफ होती है। हमें इस बात की तकलीफ नहीं कि कुछ लोगों को विदेश भेजेंगे, इस बात की तकलीफ है कि आजादी के 60 साल बाद भी हमको यह कहना पड़े कि हम बाहर पढ़ने जाएंगे।

हमारा यह एवरेज, आप देखिये कई लोग मांग करते हैं, सरकार करें बहुत बड़ी बात है, आज एवरेज क्या है? हायर एजुकेशन का यूरोप का एवरेज 40 प्रतिशत है और हमारे देश का एवरेज 11 प्रतिशत। और हमारे राजस्थान का एवरेज है 8 प्रतिशत। जितने लोग प्राइमरी स्कूल में भर्ती होते हैं हायर एजुकेशन में 8 प्रतिशत जाते हैं। कितना कम प्रतिशत है। इसका कारण यह था कि पहले हम सीकर में, सीकर के गांव से पास करके राजस्थान यूनिवर्सिटी में आकर भर्ती हो जाएं, समझ लो, बहुत बड़े आदमी हो गये। इसलिए राजस्थान के हर एक जिले में कम से कम एक यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। हमारे यहां आज हालात क्या है? एस के कालेज सीकर, जिसमें मैं भी पढ़ा हूं, आज दस हजार विद्यार्थी हैं। सांस लेने की जगह नहीं है। सांस नहीं ले सकते खड़े होकर। क्लास कहां से लगेगी? पढ़ायेगा कौन? राजऋषि कालेज अलवर। क्या स्थिति है आज उसकी? कितने लोग पढ़ पाएंगे उसमें? महारानी जया कालेज भरतपुर, गवर्नमेंट कालेज अजमेर, ये सारे जो बड़े-बड़े कालेज हैं, यूनिवर्सिटी बनने लायक हैं। हम यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे, हम उनको कालेज चला रहे हैं। हमारे यहां साम्राज्यवाद की प्रवृति, सामंती प्रवृति समाप्त नहीं हुई है। यह एफिलिएशन क्या है? क्यों एफिलिएशन की आवश्यकता है? एफिलिटेड यूनिवर्सिटी। क्या मतलब है एफिलिटेड यूनिवर्सिटी का? एक विश्वविद्यालय परीक्षा लेने के लिए 40-40, 50-50, 100-100 कालेजों को संघटक कालेज करके रखता है। शिक्षा का ढांचा सुधारेगा कहां से?

इसलिए हमने सोचा था कि एक यूनिवर्सिटी सीकर में होनी चाहिये, शेखावाटी विश्वविद्यालय; एक विश्वविद्यालय हमने अलवर में सोचा था; एक विश्वविद्यालय हमने भरतपुर में सोचा था। आज भरतपुर को आपने डिविजनल प्लेस क्यों बना दिया? और भरतपुर में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? राज्य सरकार कम से कम ये तीन विश्वविद्यालय तो खोले। आज सीकर, झुन्झुनूं, चूरू के बीच में सीकर में विश्वविद्यालय बनना था, जिसकी जगह भी तय हो गई थी,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जिसका एक्ट भी बन गया था, जिसके लिए एक करोड़ का प्रावधान भी कर दिया गया था, जिसका ओ एस डी भी लगा दिया गया था। सभापति महोदय, मुझे कहते हुए दुःख है कि उसके लिए बार्गेनिंग की गई। आज इस पवित्र सदन में मैं कहना चाहता हूं, जब हमने तीन बिल बनाकर भेजे दिये तो +++ फिर हमने बिल में चेंज किया केबिनेट में, केबिनेट में चेंज करके राज्यपाल को अधिकार दिये और राज्यपाल को अधिकार दिये +++ यह जब यूनिवर्सिटी की स्वायता की बात आती है ना, माननीय मंत्रीजी, आप इसको ध्यान करिये, यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक स्वायत्ता के मैं पक्ष में हूं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): गवर्नर के बारे में चर्चा कर सकते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, कर सकते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय सभापतिजी, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि गवर्नर के कार्यकलापों के बारे में सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। नियम तो पढ़ो। पढ़े-लिखे होते तो विधान सभा में क्यों आते, आप ही की तरह खेती करते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): इसलिए मेरा अर्ज करना है, ये विद्वान सदस्य हैं...

श्री सभापति: बिराजिये, उप नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं, बोलने का सवाल नहीं है। यदि ऐसा प्रोसीजर है तो डिस्कस नहीं किया जा सकता। सभापति महोदय, आप अपनी रूलिंग दे दीजिए।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): इसमें बैठने की क्या बात है?

श्री सभापति: विराजें, बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आप देखिये, किताब दीजिए, साफ है, गवर्नर के मामले को डिस्कस नहीं किया जा सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यहां राज्यपाल के नाम से चिढ़ने की जरूरत नहीं है। इस सदन में राज्यपाल का संदेश आता है, राज्यपाल महोदय का संदेश पढ़कर सुनाते हैं, इस सदन में राज्यपाल को धन्यवाद का प्रस्ताव भेजा जाता है, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होती है और राजस्थान की विधान सभा में तो अनूठा रिकार्ड बनाया हुआ है। राजस्थान की विधान सभा में डाक्टर सम्पूर्णानंद जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर तीन दिन तक राजस्थान की विधान सभा में बहस हुई है। यह तो राजस्थान में ही नहीं, बिहार राज्यपाल के कंडक्ट पर हुआ। कौनसा हिन्दुस्तान का स्टेट है जहां पर राज्यपाल के कंडक्ट के ऊपर बहस नहीं की गई? बहस की गई है। राज्यपाल के, उस कंडक्ट पर जो कंडक्ट कैबिनेट में है और कैबिनेट उसमें बनाकर भेजे, उस पर चर्चा की जा सकती है।

निश्चित रूप से इसलिए मैंने कहा, मैंने चर्चा की और मैं तो यहां तक पक्ष में हूं कि राज्यपाल महोदयों को जितने अधिकार हम देते हैं एक्ट के अन्दर, उस प्रकार का अधिकार देने की आवश्यकता को मैं अच्छा नहीं समझता हूं और उसमें किसी प्रकार की यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता पर असर नहीं पड़ता। आज आपके तीन विश्वविद्यालय नहीं बने, +++ इसलिए नहीं बनाये विश्वविद्यालय। यह अधिकार किसने दिया था? संविधान निर्माताओं को पता नहीं था कि इस प्रकार के राज्यपाल बन जाएंगे और वे दस्तखत नहीं करेंगे। कल एप्रोप्रिएशन बिल पर दस्तखत करने से मना कर देंगे तो क्या होगा?

तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तीनों विश्वविद्यालयों के बारे में सरकार की क्या नीति है, मुझे यह बतायें और अगर तीनों विश्वविद्यालय नहीं खोलना चाहते तो कम से कम आप लेकर आते तो कोई विश्वविद्यालय प्राइवेट वाला उस सेक्टर का तो लाते जो उन स्थानों पर खोले जहां आप नहीं खोलना चाहते।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब ये बनाये थे हमने, बिल आ रहा था, तब केवल हमने यह तय नहीं किया था कि जनरल या आर्ट, कामर्स, साइंस पढ़ाने वाले जो कालेज हैं उन कालेजों को खोल देंगे, उन यूनिवर्सिटी को खोल देंगे। उन विश्वविद्यालयों को खोलने से कोई मतलब नहीं है। हम यह चाहते हैं कि इनमें कोई विशेषज्ञता हो, विशेषता हो जो इस प्रकार की एजुकेशन लेकर आए जो राजस्थान में नहीं हो, कोई टेक्निकल नोहाऊ नयी लेकर आए। मंत्रीजी, जवाब दें तब बताएं कि तीन विश्वविद्यालय हैं के.एन. मोदी वाला, नीमराना वाला और टोंक वाला, इन तीनों विश्वविद्यालयों में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

फैकल्टी में कौनसी ऐसी चीजें हैं जो राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं हैं और वे इन विश्वविद्यालयों में आ रही हैं, जिसके लिये इन विश्वविद्यालयों का खुलना हमारे लिये जरूरी है।

तीसरी बात जो आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने जब विश्वविद्यालय बनाये थे, तब हमने कहा था कि राज्य सरकार इनको कोई जमीन नहीं देगी। राज्य सरकार 30 एकड़ जमीन देखेगी, राज्य सरकार इतना कंस्ट्रक्शन देखेगी, राज्य सरकार यह देखेगी। आप बताएं कि ये तीनों विश्वविद्यालय स्वयं के स्रोत से बन रहे हैं या राज्य सरकार की मदद से बन रहे हैं? क्योंकि अगर हम राज्य सरकार की मदद से बनाना चाहें तो हमारे विश्वविद्यालय हैं, उनकी मदद करेंगे हम। इनकी क्यों करेंगे? इसलिये पहला आप इस बात का भी स्पष्टीकरण करें, क्या करना चाहते हैं।

चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार भारत सरकार के सामने यह मुद्दे क्यों नहीं उठाती? यह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यह ए.आई.सी.टी.ई. और मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया, इन लोगों का जिस प्रकार का ढर्रा और ढांचा है सहायता देने का, वह बहुत पुराना ढर्रा और ढांचा है और उनको बदलने की आवश्यकता है। हायर एजुकेशन के बारे में, जो हमारे मंत्री हैं कपिल सिब्बल जी, आजकल वे जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब कैब कमेटी की मीटिंग हुई थी और कैब कमेटी की मीटिंग में जो दो कानून बनाने के लिये बात हुई थी, उसमें एक कमेटी के चेयरमैन कपिल सिब्बल साहब थे, तब मेरा उनसे मिलना हुआ। एक कमेटी का चेयरमैन मैं था। आज जिस प्रकार की हायर एजुकेशन के बारे में विचार कर रहे हैं और हायर एजुकेशन में...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): एक मैं, माननीय सदस्य, माफी चाहता हूं, रूल्स की बात कर रहे थे, रूल है 272 ।

एक माननीय सदस्य: बाद में कर लेना।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं, बाद का सवाल नहीं है। चूंकि माननीय गवर्नर साहब सर्वोच्च बाडी हैं हमारे, उनके बारे में सदन में कोई चर्चा या कोई बात हो तो उसके बारे में उसी टाइम पर कार्यवाही से निकालना, नहीं निकालना, यह साफ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कोई नहीं निकाल सकता। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं, मैं धमकी भरे शब्द न तो बोलना चाहता हूं। मैं तो रूल्स एंड प्रोसीजर है, कांस्टीट्यूशन बना हुआ है, आप भी हवाला देते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बता दिया मैंने कांस्टीट्यूशन तो।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा तो इसमें साफ निवेदन है। (व्यवधान) नहीं, यह चूंकि राज्यपाल के कंडक्ट के ऊपर यहां डिस्कशंस में आपने अर्ज किया है, इसलिये मेरा, माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। 272 (11) में आप पढ़िये, राष्ट्रपति तथा किसी राज्य के राज्यपाल...यह आचरण के बारे में आक्षेप करना, राज्यपाल ने दस्तख्त नहीं किया, यह बहुत गम्भीर मामला है और ऐसी परिपाटी यदि बन गई, इसके ऊपर आपने अलाऊ किया तो मैं जहां तक समझता हूं, यह बहुत गलत परम्परा हो जाएगी। मैं लम्बा नहीं बोलना चाहता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नियम कौनसा है?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नियम 272 (11) __.. (व्यवधान) पढ़ना पढ़ा है मुझे कॉलेज जाकर। आप बात करते हो। (व्यवधान) यह मैं इसलिये नहीं कहता कि आपकी सरकार के टाइम गवर्नर ने क्या किया, आप क्यों चुप रहे। सवाल यह है कि आज की तारीख में आप गवर्नर के कंडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, +++ आप कुछ भी करिये, साफ लिखा है, ''राष्टपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के आचरण के ऊपर आक्षेप नहीं करेगा।'' यह उनके कंडक्ट के ऊपर आक्षेप है। कोई भी गवर्नर हो, मेरा विनम्र निवेदन है, सभापति महोदय, इस सारी कार्यवाही को, जो गवर्नर के मामले में है, उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (व्यवधान) इसी के साथ में, चूंकि यह गम्भीर मामला है, इसको देखकर करेंगे। यही मेरे को अर्ज करना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। उप नेता महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, राज्यपाल के व्यक्तिगत आचरण की हम यहां चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन राज्यपाल महोदय के जो ऐसे काम, जो राज्य सरकार के काम में किसी प्रकार की बाधा हों तो उसमें चर्चा होती है। राजस्थान की विधान सभा में तो तीन दिन तक उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का, जौहरी बाजार के गोली काण्ड के बाद चर्चा हो चुकी है। स्वर्गीय रामप्रसाद जी लढ़ढा थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बनी थी और जांच हुई थी। इसलिये वह तो सारा का सारा रिकार्ड के अन्दर, बहुत से ऐसे उदाहरण मैं दूंगा। लेकिन मैंने तो सिर्फ इतना ही आग्रह किया है कि बिल पर दस्तखत करने से पहले +++ वे शर्तें लगाकर के हमने भेज दी थीं। यह अखबारों में भी आ गया था। यह विधान सभा में मैंने पहले बोलकर भी कह दिया था और राज्यपाल महोदय जब आये +++ वह भी राजस्थान की विधान सभा में अंकित है, इसी विधान सभा में अंकित है। इसलिये वह राज्यपाल के उस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सभापति महोदय, नहीं बनता है।

मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि ये विश्वविद्यालय जो हैं, उनके अन्दर जो कोर्सेज की मैंने बात कही है, वह विशेष कोर्सेज कौन-कौन से हैं जो ये विश्वविद्यालय लेकर आ रहे हैं? इसके बारे में आप, मंत्री महोदय, हमको बताएंगे, एक बात। दूसरी बात, आप यह बताएंगे कि इन विश्वविद्यालयों में जो कमेटी गई थी जांच करने के लिये, उन जांच कमेटियों की रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, कितना भवन उन्होंने बनाया, कितना और किया।

एक बात और देखने की है, सभापति महोदय, आज के जमाने में आप ऐसे लोगों को नियुक्त किया करो जो आज के जमाने को जानें। यानी ये यूनिवर्सिटी गयी और जैसे हमारे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि 1,520 किताबें हैं, 2,530 किताबें हैं, 2,000 किताबें हैं, आज के जमाने में जो कमेटी किताबों के बारे में रिपोर्ट करे, जिस कमेटी को यह पता नहीं है कि आज के जमाने में एक अलमारी में दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की किताबें रहती हैं, वह कम्प्यूटर की व्यवस्था है कि नहीं है, मैं खुद आश्चर्यचकित रहा, मैंने एक किताब के बारे में जानकारी की, मेरे बच्चे ने अपने घर पर बैठे-बैठे अपने इंटरनेट से एक दूसरे देश की यूनिवर्सिटी के अन्दर मिलाकर वहां से उस किताब का पन्ना निकाल कर उसको काट कर मुझे दे दिया। जमाना यहां तक आ गया है कि सारे के सारे पुस्तकालय एक अलमारी में ही सिमट कर रह गये। उस समय किताबें गिन रहे हैं ये। तो, महाराज, भेजो उनको ना जो थोड़ा बहुत टेक्निकल नोहाऊ भी जानें, जो देखें कि इस जमाने में क्या-क्या होना जाना और क्या-क्या नहीं होना जाना। यह फलां कुलपति भेज दिया, यह कुलपति भेज दिया। यह कुलपति तो ठीक है, ये कैसे बनते हैं, ये अपन सब जानते हैं पर भेजें ऐसे जो सब्जेक्ट की नालेज तो रखें, ज्ञान तो रखें, जो आकर तो बतायें हमको कि किस प्रकार की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, एक।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिये मैं चाहता हूं कि राजस्थान में इन विश्वविद्यालयों की स्थापना हो, राजस्थान में विश्वविद्यालय बनें और राजस्थान में प्राइवेट विश्वविद्यालय आयें, इन सबका अपन को स्वागत करना चाहिए। हम स्वागत करते हैं, आपका साथ देंगे लेकिन तीन बातें जो मूल रूप से उभर कर आई हैं, उन तीन बातों के लिये सरकार को अपना मानस बनाना चाहिए। पहला सबसे बड़ा काम है, हमारा निगरानी का आयोग, उच्च शिक्षा निगरानी नियामक आयोग जरूर राज्य सरकार को बनाना चाहिए जो इसको रखे, एक। दूसरा, इसमें परीक्षा और प्रवेश, इनके देने सम्बन्धी काम नियामक आयोग तय करे, और हम राज्य के गरीब लोगों को, इंटेलीजेंट बच्चों को, केवल गरीबी के कारण से, पैसे की कमी के कारण से इन क्षेत्रों से बाहर नहीं रह जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था भी इनको करनी चाहिए। आप यह भी बताएं कि इन विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार से किसी प्रकार की मदद मिली हो तो।

एक मैं आपको, जब खण्डश: विचार होगा तो, सभापति महोदय, एक नियम है हमारे यहां। आपने फटाफट 2 से लेकर 40 तक, कोई संशोधन नहीं, पारित नहीं किया जाए; खण्डश: विचार में जब हम विचार करते हैं तो हम डिलीट करने के लिये कह सकते हैं और डिलीट करने के कहने के लिये हमको संशोधन देने की आवश्यता नहीं है। हम खड़े होकर उसका प्रस्ताव कर सकते हैं। इसलिये आप जब खण्डश: विचार करें तो मैं यह 11 जो विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, इनमें चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट और प्रो-प्रेसिडेंट जो हैं, इस सम्बन्ध के अन्दर मैं चाहूंगा, प्रोवोस्ट, अब यह प्रोवोस्ट क्या है, मैं नहीं समझा। आप बता दो, क्या होता है प्रोवोस्ट? (व्यवधान) यही तो है चेयरपर्सन अलग है, प्रेसिडेंट अलग है, प्रो-प्रेसिडेंट अलग है और प्रोवोस्ट अलग है। प्रोवोस्ट है तो हमारे पास, अगर शब्द नहीं हो तो क्या प्रोवोस्ट? आप अंग्रेजी ज्यादा जानती हैं ना?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आपसे कम जानती हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो प्रोवोस्ट को मैं हनुमानजी से पूछूंगा, फिर वही बता पाएंगे, प्रोवोस्ट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसका अर्थ पप्पू होता होगा, लास्ट वही बचा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रोवोस्ट का मुझे पता नहीं है। इस बारे यह जो शब्द हम यहां पर डाल रहे हैं, यह एक्ट बनाने की थीम के खिलाफ है। हम कानून जो बनाते हैं ना, यह कानून की मंशा के खिलाफ है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कानून बनाते समय अनुवाद के शब्दों को देखते हैं और कानून में ही इस प्रकार के शब्द आयें। बोलचाल की भाषा में कोई शब्द आ जाए, स्टेशन आ गया, फलाना आ गया, ढीकणा आ गया, वह ठीक है, यह कानून में ही शब्द आयें। यह जो कानून लिखने वाले, इनकी बड़ी-बड़ी डिक्शनरियां पड़ी हैं। मैं डिक्शनरियों का नाम लेता हूं, एक तो डाक्टर विर्की, बहुत बड़ी डिक्शनरी है, जिसमें अंग्रेजी से हिन्दी शब्दों का एक-एक नहीं, 10-10 अनुवाद किया हुआ है। इसी प्रकार यहां भाषा विभाग में कलानाथ जी शास्त्री थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने बहुत सारे शब्दों को किया है। इसलिये शब्द हमारे पास में पर्याप्त हैं। यह गलती जिन्होंने ...(व्यवधान) पता नहीं क्या, प्रोवोस्ट का क्या हुआ है। तो वह प्रोवोस्ट का तो...इसलिये मैं चाहता हूं कि इन शब्दों के बारे में आप पुनर्विचार करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): संगरिया से आने वाली माननीय सदस्या, आप बताओ।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मैं क्या बताऊं, बड़े बैठे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, ठीक है, मान लिया। तो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून बनाने वालों को, आपने कैसे मजाक बना दी, कि चाहे जैसे वह करें, फिर अपन उस शब्द को स्वीकार क्यों कर लें? हमारी जब कैबिनेट बैठे, कैबिनेट में बिल आये, तब उन शब्दों को स्वीकार नहीं करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया और मैं 3-4 बातों का मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय : 16.00 बजे)

श्री सभापति: श्री ओम बिरलाजी। (अनुपस्थित)

श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तीनों पर एक साथ ही। माननीय सभापति महोदय, आज जो निजी विश्वविद्यालय हैं, मैं समझता हूं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण और निजीकरण आज क्योंकि हमारे देश में अनिवार्य शिक्षा का कानून आज 01 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। यह महामहिम के बारे में जो भी है इसको विलोपित कर देना आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं-नहीं, कैसे कर देना? कौन से, रूलिंग दिखाता हूं मैं आपको। आप रिजर्व कर लें यह व्यवस्था। आप नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, आप, अध्यक्ष की व्यवस्था को सभापति नहीं बदल सकते। यह थोड़े ही है, मैं डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी के बारे में, यहां पर सतीशचन्दजी द्वारा तीन दिन बहस हुई है। बिहार की विधान सभा में। कैसे कर रहे हो? ऐसे नहीं कर सकते। आप रिजर्व करके देख लीजिए। काट देंगे कैसे? गवर्नर ने दस्तखत नहीं करे। हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि गवर्नर ने दस्तखत नहीं करे तो आप काट देंगे? यहां चर्चा कर रहे हैं।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आप आसन को धमका रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने गवर्नर को कहा था, यहां पर राज्यपाल महोदय जब आये तो मैंने यहां पर खड़े होकर कहा था। आप सुन लीजिए।

श्री सभापति: मैं देखकर कर दूंगा। मैं देखकर तो करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, रिजर्व करके आप, हां, रिजर्व करिये ऐसे विषय को आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): रिजर्व तो रखें लेकिन नियमों का हवाला जो इसमें दिया हुआ है, पुरानी व्यवस्थाएं क्या हैं, उनको तो जरूर दिखवाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, दोनों देखें। नियमों का हवाला देखें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): हां, जरूर दिखवाइये लेकिन जो नियम हैं, उन नियमों का हवाला दिया है माननीय सदस्य ने, उसको दृष्टिगत रखते हुए वह देखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नियमों का हवाला देकर मैंने जो दिया है कि यहां पर विशेषाधिकार हनन पर तीन दिन तक राजस्थान की विधान सभा में राज्यपाल के कंडक्ट पर बहस हुई है। एक। बिहार में बूटा सिंहजी के कंडक्ट पर बहस हुई है। बिहार में जो सिद्दीकी जी थे, उनके कंडक्ट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर बहस हुई। झारखंड में हुई है और आज हिन्दुस्तान के इन गवर्नर्स के ऊपर...और यहां पर जब महामहिम आये थे, इस विधान सभा में मैंने खड़े होकर कहा था, +++ वह राजस्थान की विधान सभा में अंकित है। इसलिए, सभापति महोदय, इनके केवल व्यक्तिगत आचरण पर हम चर्चा नहीं कर सकते। गवर्नर के नाते, जब वे गवर्नर बन जाते हैं और जब राष्ट्रपति शासन होता है तो उनकी सीधी आलोचना होती है। अपन धन्यवाद प्रस्ताव उनके नाम से देते हैं, राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल का अपने को धन्यवाद आता है। अपना संवाद होता है राज्यपाल के साथ में। इसलिए राज्यपाल पर यहां चर्चा हो सकती है।

श्री सभापति: मैं देखकर करूंगा। श्री अमराराम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देखकर ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, एक और उदाहरण देता हूं। यहां पर जब वह धर्म परिवर्तन वाला विधेयक आया था न, उस पर जब बहस हुई थी, उस समय भी मैंने यहां पर राज्यपाल के शब्दों के बारे में कहा था और सी.पी. जोशीजी ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। फिर स्पीकर ने व्यवस्था दी थी कि नहीं, ये शब्द रहेंगे। मैंने यह कहा था कि राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किये और यह मैंने उठाया था यहां पर। इसलिए राज्यपाल के ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, अपन नहीं कर सकते। देख लूंगा। देख लेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, तय रूप से आज जहां अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू हुआ है और हमारी विधान सभा में निजी विश्वविद्यालयों का कानून लेकर हमारे मंत्रीजी आये हैं। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान शिक्षा के मामले में, पूरे देश में हमारी गिनती नीचे से होती है। जनसंख्या वृद्धि में जरूर हमारा नम्बर पहला है लेकिन शिक्षा के मामले में हमारा नीचे से है। उन अशिक्षित, कुछ मुट्ठी भर लोगों को इस शिक्षा को व्यवसाय बनाकर, मैं समझता हूं कि आज से पहले कुछ लोग थे, इस शिक्षा को निजी हाथों में या अनुदानित शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ संस्थाएं थीं, कुछ लोग थे लेकिन आज जो विश्वविद्यालय के रूप में लेकर आ रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, हमारा अनुभव क्या है, राजस्थान का? चार सौ से अधिक पूर्ववर्ती सरकार ने, जितने शायद 60 साल

(श्री अमराराम)

में राजस्थान में महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय नहीं खुले, पांच साल में चार सौ से ज्यादा बी.एड., निजी महाविद्यालय खोले। उनकी शायद राजस्थान विश्वविद्यालय ने उनकी मान्यता में जितने मापदंड रखे थे, उनकी एक कमेटी बनाकर जांच करवायी। चार सौ से ज्यादा जो बी.एड. कालेज, निजी महाविद्यालय थे, उनमें से मात्र 30 या 32 ऐसे थे जिनके भवन, खेल मैदान, शिक्षक, सब अगर मापदंड देखें तो 400 से ज्यादा हैं, उनमें से केवल मात्र 30 या 32 महाविद्यालय थे। बहुत से महाविद्यालय तो ऐसे थे जो एक कमरे में चलते थे। केवल एडमिशन लेते हैं और परीक्षा दिलवाकर केवल डिग्री बांटते हैं। यह हालत राजस्थान में, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें बड़ा फख्र है कि इस राजस्थान की विधान सभा में पहला निजी विश्वविद्यालय का बिल पायलट करने का मुझे सौभाग्य हुआ, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? यह जिम्मेदारी, शिक्षा देने की, प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक और हायर एजुकेशन तक सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार यह कह कर पिंड नहीं छुड़ा सकती कि सरकार के पास संसाधन नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को इस कमाई के माध्यम से, आज हालत क्या है राजस्थान में? सबसे बढ़िया अगर कोई व्यवसाय है तो शिक्षा और निजी चिकित्सालय। आज चाहे वह दुर्लभ जी हो या दूसरे कोई हों, आज जहां हम जिनको कह रहे हैं कि हमने टोकन मनी पर लेकर दिया था, माननीय सभापति महोदय, उदाहरण है यही गोपालपुरा के पास बिड़ला का, जिसकी पिलानी की बात कर रहे हैं। इसी जे.डी.ए. ने 103 बीघा जमीन इस शर्त के साथ दी थी, इसी जयपुर में गोपालपुरा बाइपास के पास 103 बीघा कि वह हार्ट हास्पिटल बनाएगा। 14 साल हो गये, कोई हार्ट हॉस्पिटल की तो बात छोड़िये, ए.एन.एम. भी नहीं है। यहां केवल एक, 103 बीघा जमीन, जहां आज जयपुर में जमीन की कीमत है, एक वर्ग गज जमीन की कीमत है एक लाख रुपया, वहां 103 बीघा जमीन, केवल हार्ट हॉस्पिटल के नाम से दी गयी। जो शर्तें जे.डी.ए. ने लगायी थीं एक भी शर्त पूरी नहीं हुई। लेकिन किसी सरकार की हिम्मत है कि वह जमीन, हजारों-करोड़ों की जमीन सरकार वापस ले ले।

माननीय सभापति महोदय, इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब पचेरी कला, पूर्ववर्ती सरकार ने एक झुन्झुनूं की पचेरी कला का एक विश्वविद्यालय कानून पास करके शुरू किया था। हजारों, 40-43 हजार

(श्री अमराराम)

विद्यार्थियों को चीट किया। एम.एड. की कोई उसको मान्यता नहीं यू.जी.सी. से। उसके बाद में एडमिशन लिये, परीक्षाएं दिला दीं, रिजल्ट निकाल दिया और उनको कोई मान्यता नहीं है।

आज जो हालत कर रखी है, मैं समझता हूं कि आज क्या हालत है, केवल एक मात्र मेडिकल कालेज है, महात्मा गांधी मेडिकल कालेज राजस्थान में। यह अब पूरा सदन में आ गया, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, जिन्होंने पी.एम.टी., आर.पी.एम.टी. पास नहीं की, उनको लाखों रुपये लेकर गैर कानूनी तरीकों से एडमिशन दे दिया। आज क्या हालत है? निम्स विश्वविद्यालय, 23 विद्यार्थी, उस निम्स विश्वविद्यालय का जो दर्जा हमने पूर्ववर्ती सरकार में दिया, 23 विद्यार्थी थे जिन्होंने कहा कि हम दो साल तक राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा दे रहे थे, हम उसी से देंगे। 23 के 23 विद्यार्थी होम एग्जाम में फेल हैं।

इसलिए आज जो व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, अभी हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय कह रहे थे कि सीकर का विश्वविद्यालय है, मैं समझता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की भी मंशा थी नहीं, वरना वे ही राज्यपाल जिन्होंने निजी विश्वविद्यालय के कानून पर तो दस्तखत कर दिये और सीकर, अलवर और भरतपुर के विश्वविद्यालय पर, क्योंकि वह पूर्ववर्ती सरकार भी नहीं चाहती थी कि उस शेखावाटी में विश्वविद्यालय खुले, इसलिए आखरी बजट सत्र में घोषणा की। अब कब होगा, मुझे पता नहीं लेकिन आज भी वहां केवल जो शेखावाटी, सबसे ज्यादा शिक्षा में, मैं समझता हूं कि झुंझुनूं जो ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमने तो ओ.एस.डी. भी नियुक्त कर दिया था।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आज भी बैठा है। आज भी बैठा है। कालीचरणजी, वह ओ.एस.डी. जे.एम. जेठाला, आज भी बैठा हुआ है लेकिन विश्वविद्यालय नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): विश्वविद्यालय नहीं है तो यह तो ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप आज जो निजी विश्वविद्यालयों के कानून, पचेरी का कानून ला सकते हैं, निम्स के लिए कानून ला सकते हैं, लाकर यहां पास कर दिये, राज्यपाल ने दस्तखत भी कर दिये ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं किये तो इसका तो क्या इलाज था हमारे पास?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, आपके पास सब इलाज था। राज्यपाल अगर रिटर्न करता है तो कैबिनेट वापस अगर उसको संशोधन करके भेजती है तो राज्यपाल इस बात के लिए बाध्य है कि उसको दुबारा ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं-नहीं, उन्होंने रिटर्न नहीं किया। अमरारामजी, उन्होंने रिटर्न नहीं किया, उन्होंने अपने पास रख लिया। भेजा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): रिटर्न किया, अपन ने ठीक करके भेजा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, रिटर्न किया उन्होंने। उन्होंने रिटर्न किया और रिटर्न में जो उन्होंने सुझाव दिये थे उन सुझावों को मानकर, उनको स्वीकार करके वापस भेज दिया तो फिर भी दस्तखत नहीं किये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मान लिया अपन ने, फिर भी नहीं किये दस्तखत।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमारी नीयत में खोट नहीं था, खोट तो उधर है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): खोट इधर भी थी और इधर भी थी।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए उस शेखावाटी के साथ अन्याय हुआ। मैं समझता हूं कि ये निजी विश्वविद्यालय, जिस तरह से लूटने की छूट देंगे, चाहे वह अस्पताल की आज संतोकबा दुर्लभ जी की आप बात कर रहे हैं, आज राजस्थान, मैं समझता हूं कि इसी राजधानी में जो निजी विद्यालय हैं उनकी क्या हालत है? हम कोई भी निर्देश दे दें, वे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आज जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में लूट करने का काम किया है, माननीय सभापति महोदय, आज उनकी ही हालत नहीं है, हमारे खुद के विश्वविद्यालयों की हालत यह है कि आज जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर में विश्वविद्यालय है लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही तक के बच्चों को अजमेर विश्वविद्यालय में आना पड़ता है। जोधपुर विश्वविद्यालय में है। आज क्या हालत है? जोधपुर में पांच विश्वविद्यालय हैं, बीकानेर में तीन विश्वविद्यालय हैं और शेखावाटी, जो शिक्षा में सबसे अग्रणी है, वहां एक भी विश्वविद्यालय नहीं है।

(श्री अमराराम)

इसलिये वहां के विद्यार्थियों को आज भी, जो जोधपुर में जयनारायण विश्वविद्यालय है, वह केवल कैम्पस का है; उसके बाहर जोधपुर जिले में जो महाविद्यालय हैं, उनका एफिलिएशन अजमेर विश्वविद्यालय के साथ है। इससे ज्यादा और क्या घोर अन्याय होगा?

इसलिये, सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा, यह जो कानून लेकर आये हैं, कुछ लोगों के लिये व्यवसायीकरण, और निश्चित रूप से जब व्यवसायीकरण होगा तो कुछ मुट्ठी भर लोग, जिनका पहले भी अधिकार रहा है, उस शिक्षा पर पहले भी अधिकार रहा है, आगे भी यह करके और पुख्ता अधिकार कर देंगे कुछ लोगों का, यह मैं समझता हूं। टेलेंट की बात करते हैं तो जब तक सरकार के विश्वविद्यालय नहीं होंगे, सरकार खुद नहीं करेगी तो प्रोविजन भले ही कर दें, कोई भी निजी विश्वविद्यालय, सही कह रहे थे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जब यह कानून पास हो जायेगा तो वे किसी को भी तवज्जोह देने वाले नहीं हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस तरह की घालमेल हो रही है, आज क्या हालत है, हमारे विश्वविद्यालयों में जो आज पद रिक्त हैं, हमारी सरकार जानबूझकर इस सोच के साथ वहां प्रोफेसर के, लेक्चरर्स के पद इसलिये नहीं भरती, जिस तरह से हमारे महाविद्यालयों में नहीं भरे जाते, आज राजस्थान के विद्यालयों में एक लाख पच्चीस हजार पद इसलिये रिक्त हैं कि वे अभिभावक मजबूर होकर निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजें। यही हालत आज उच्च शिक्षा में है, चाहे महाविद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय। आज एक भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, जहां प्रोफेसर पूरे हों। क्योंकि सरकार की मानसिकता ही यह है कि अगर पद खाली होंगे तो अभिभावकों को मजबूर होकर उन निजी विश्वविद्यालयों में भेजना होगा। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

जहां तक आम सार्वभौमिक शिक्षा, जो कानून सार्वजनिक शिक्षा के लिये बना है, अगर हम चाहते हैं कि इसको मजबूत किया जाये, बुद्धिमान लड़कों को उच्च शिक्षा मिले, तो सरकारी होना चाहिये।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पेमाराम जी।

माननीय जितेन्द्र सिंहजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चार यूनिवर्सिटीज के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई और माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन ने, उदयपुर से आने वाले सीनियर मेम्बर कटारिया साहब, तारानगर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य राजेन्द्र राठौड़ साहब, मेरे स्वयं के जिले से पधारने वाले दांतारामगढ़ से माननीय अमराराम जी, माननीय कालीचरण जी ने अपने बहुत वेल्यूएबल विचार रखे।

सभापति महोदय, being a doctor, I can say that the God has provided grey matter equally. He may be a son of a king or he may be a son of a farmer. जब भगवान ने बुद्धि का निर्माण किया तो चाहे गरीब किसान का बेटा था, चाहे किसी शहंशाह का बेटा था, इसमें फर्क नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, this is the example that कालीदास निपट मूर्ख थे और कालीदास जी को जब उनकी पत्नी ने प्रताड़ित किया, उसी कालीदास ने अभिज्ञान शांकुतलम् और मेघदूत जैसी रचनाएं कीं। This is suggestive that भगवान ने जो ब्रेन दिया, इक्वल दिया है। लेकिन उसको कल्टीवेट कैसे करें, बच्चे का दिमाग तो आटे की तरह है, उसको जो भी रूप देना चाहेंगे, दे देंगे जैसे शिल्पकार मूर्ति को रूप देता है।

माननीय सभापति महोदय, अच्छे इंस्टीट्यूशंस जहां आयेंगे तो स्पर्धा होगी। माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय अमराराम जी साहब भी जानते हैं, मैं 10-11 साल पहले हायर एजुकेशन मिनिस्टर था, मेरे पास एक सज्जन आये और उन्होंने कहा, मेरा बगड़ में गर्ल्स कालेज है, उसका आल राजस्थान एथ्लेटिक्स का फंक्शन हो रहा है, आप वहां पधारे। मैं वहां गया। जाहिर है, शेखावाटी के कालेज होंगे तो बड़े सेठों के होंगे, तो मैंने वहां देखा। उनका कार्यक्रम बड़ा शानदार था, बड़ा सुंदर भवन था। मैंने पूछा, सेठजी, क्या करते हो? बोले, डाक्टर जी, कलकत्ता में एक परचूनी की दुकान है। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। मैंने कहा, इतना बड़ा भव्य कालेज आपने बना रखा है। उसकी आंखों में आंसू आ गये। उसने कहा, डाक्टर जी, मेरी घरवाली के कैंसर हो गया और वह मरती-मरती बोली कि न मैं पढ़ी, न आप पढ़े, काफी सेठों ने कालेज बनवा दिये, आप भी बनवा दो, मैंने, डाक्टर साहब, उसकी याद में यह कालेज बनाया है।

माननीय सभापति महोदय, this reflects कि आज शेखावाटी का जो गरीब व्यक्ति भी है, यह तो मजबूरी है कि आज कालेज खोलने के लिये, विश्वविद्यालय खोलने के लिये अर्थ चाहिये, पैसा चाहिये। आप सही है

(डा. जितेन्द्र सिंह)

अमराराम जी साहब जो फरमा रहे हैं, he is not wrong. गवर्नमेंट कालेजेज के अन्दर, मुझे गर्व है कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के एस.एम.एस. मेडिकल कालेज से था, घनश्याम जी को गर्व है कि आप एस.के. कालेज सीकर से पढ़े हैं। बहुत सारे हमारे आनरेबल मेम्बर बैठे हैं, जो मिनिस्टर भी रहे हैं, राजेन्द्र राठौड़ मिनिस्टर रहे हैं, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। दो हमारे साथी, केकड़ी से आने वाले रघु शर्मा और प्रतापसिंह जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। और भी बहुत सारे बैठे हुए हैं जो डिफरेंट हैं। हमारे जो गवर्नमेंट कालेजेज हैं, गवर्नमेंट कालेजेज का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, विश्वविद्यालय का इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह कमजोर है। आज भी जो दुनिया की टाप लेवल टीम, माननीय सभापति महोदय, आपको बताना चाहूंगा, डाक्टर कुली, बाइ-पास सर्जरी के वर्ल्ड में रिकार्ड है उनका, उनकी फिफ्टी परसेंट जो बाइ-पास सर्जरी की टीम है, वह एस.एम.एस. मेडिकल कालेज जयपुर की है। इसलिये हमारे आउटपुट आ रहे हैं, हमारे जो छात्र आ रहे हैं, जो इसरो का ग्राउंड कंट्रोल हैड है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला है, डा. एस. पाल, वह पूरे इसरो, बैंगलोर का he is heading. वह पारीक है। He is Head of the Ground Control Unit. और जिसने अपना फर्स्ट सैटेलाइट बनाया था, उसके अन्दर डा. रामरतन, वह भी मेरे विधान सभा क्षेत्र का है, जिसने 800 किलोमीटर से नीचे कैसे फोटोग्राफी की जा सकती है, वह लालटेन की बत्ती में बैठकर, उसने पिलानी से एम.टेक किया था and he is heading at Ahmedabad. आज की तारीख में, सभापति महोदय, आई.ए.एस., आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये, 70 प्रतिशत, सब ग्रामीण क्षेत्र के हैं। कान्वेंट कालेजेज के स्टूडेंट का और उनका रेशो देख लीजिये, बहुतायत में हमारे स्टूडेंट्स हैं।

माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप तो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर रहे हुए हैं, माननीय अमराराम जी साहब, आपको भी बताना चाहूंगा कि आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिये, हर घर के पेरेंट्स यह कहते हैं कि बेटा डाक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, आई.आई.टीयन हो जा, आई.ए.एस. बन जा, आर.ए.एस. बन जा। बहुत पूअर हैं, सर, बहुत बुरी हालत है। तो फर्स्ट टाइम, हम लोगों ने इंट्रोड्यूज किया है कि हमारे जो 126 गवर्नमेंट कालेजेज हैं जिनमें साइंस नहीं है, उनमें साइंस खुले। इसी सत्र से पी.एम.टी., पी.ई.टी. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कोचिंग क्लासेज चालू की है वहां पर कि हमारे बच्चों को फायदा मिले। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वहां साइंस के टीचर नहीं देकर उस बच्चे का भविष्य और बिगाड़ोगे। पहले हमने यह किया, हमने साइंस खोली। साल भर में एक टीचर भी नहीं था। उस बच्चे का भविष्य बिगाड़ दिया।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): We will do.

साइंस सब जगह नहीं थी। हम जहां-जहां सब्जेक्ट नहीं है, हम उतने ही खोल रहे हैं जितनी हमारी पाकेट है। हम हमारे बजट के हिसाब से, अभी भी हम 11 जगह साइंस खोल रहे हैं और 6 जगह कामर्स खोल रहे हैं, along with budget and lecturers. उसके लिये नहीं खोल रहे, वह सबके लिये खोल रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, इसलिये हम नये कालेजेज क्यों नहीं खोल रहे हैं, पुराने कालेजेज को स्ट्रेन्थन करेंगे।

दूसरा, सभापति महोदय, ..(व्यवधान) मैं उसी सब्जेक्ट पर आ रहा हूं। आपकी उसी बात पर मैं आ रहा हूं कि हमारे बच्चों का क्या भविष्य हो। हमारे शेखावाटी के अन्दर और राजस्थान के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, टोटल इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ 15 लाख है. Three lakh are from Rajasthan और उसमें झुंझुनूं, सीकर, ये जिले हैं। तो इसी सत्र से यूनिवर्सिटी में डायरेक्शन देकर मिलिटरी साइंस सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं। यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात बता रहा हूं, प्राइवेट की नहीं बता रहा हूं, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। यह मैंने एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बताया है आपको, बाकी मैं इस पाइंट पर इसलिये आ रहा हूं कि अपनी चर्चा हो गयी थी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सरकार क्या कर रही है और प्राइवेट में क्या कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन ने कहा कि ये विश्वविद्यालय हैं, इनमें गवर्नमेंट का क्या योगदान है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ये स्वयं अपने सोर्सेज से बनी हैं और गवर्नमेंट ने इनको अपनी ओर से कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है। इन्होंने लैंड अपनी ली है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, सर, तीस एकड़ लैंड मिनिमम एक यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए। गवर्नमेंट की अपनी खुद की जो मनी है, दो करोड़ रुपये डिपोजिट रहते हैं गवर्नमेंट के पास, म्यूनिसिपल एरियाज होते हैं उनको दो करोड़ और आउटसाइड रूरल में होते हैं, उनसे एक करोड़ लेते हैं। लाइब्रेरी के लिए अलग से दस लाख रुपये के फंड की

(डा. जितेन्द्र सिंह)

उनको बुक्स रखनी चाहिए। तो यह इनिशियल स्ट्रक्चर है और जब यह इनिशियल स्ट्रक्चर जब हो जाता है तो हमारे पास प्रोसेस है, सभापति महोदय, कि जो टीम हमारे यहां से जाती है, वह एल ओ आई जारी करती है। वह उनका सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर देखकर और राज्य सरकार के जो प्रावधान हैं नियंत्रण सम्बन्धी 8, 29, 30, 34, 35, 39, 44, यह एन्डोमेंट फंड के रूप में जो राशि है, वह परमानेंट गवर्नमेंट के पास में रहती है।

विश्वविद्यालयों के परिनियमों का राज्य सरकार से अनुमोदन कराना, विश्वविद्यालय के अध्यादेश राज्य सरकार से अनुमोदन कराना, परीक्षा अनुसूची के अनुरूप परीक्षाएं नहीं कराये जाने पर राज्य सरकार को विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने की शक्ति, परीक्षा परिणाम अन्तिम तारीख से तीस दिन के अन्दर घोषित नहीं करने पर विश्वविद्यालय को निर्देश, विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करना, वार्षिक लेखे एवं बैलेंस शीट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना, राज्य सरकार को विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति, राज्य सरकार को विश्वविद्यालय से सूचना मंगवाने की शक्ति, विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था और कुप्रशासन के आधार पर विश्वविद्यालय की जांच कराने की शक्ति। सभापति महोदय, उप नेता प्रतिपक्ष ने जो पाइंट्स बताये थे, उनमें सेकंड था कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर आखिर सरकार का क्या कन्ट्रोल रहेगा। दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यही कहा। अधिकतर ने, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यही कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर गवर्नमेंट का क्या कन्ट्रोल रहेगा और उनके सब्जेक्ट्स क्या हैं।

सभापति महोदय, ये जो विश्वविद्यालय आयेंगे, अगर ये पचास-पचास करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वे स्पर्धा में नहीं ठहरे, आज हमारे अन्य स्टेट, जैसा कि सम्मानीय कालीचरण जी साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में हमसे पचास साल ज्यादा एडवांस हैं, वे राज्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मामले में। वहां हिन्दुस्तान की ही नहीं, एशियन स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज हैं। आज राजस्थान में जब से प्राइवेट सेक्टर का हब स्टार्ट हुआ है अच्छे-अच्छे विश्वविद्यालयों का, तो वे सब दौड़-दौड़ कर यहां आ रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स का माइग्रेशन बन्द हो गया है। आज, उप नेता प्रतिपक्ष, जो हमारे स्टूडेंट्स जाते थे कर्नाटक, महाराष्ट्र, वे सब यहां रुकने लग गये। चाहे वे मेडिकल कालेज खुले हों, चाहे इंजीनियरिंग कालेज खुले हों, प्राइवेट सेक्टर के

(डा. जितेन्द्र सिंह)

अन्दर। प्राइवेट सेक्टर के अन्दर भी रेग्यूलेटरी मेकेनिज्म उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, the working of the university, control of their fee, सरकार को पता था इस बारे में, तो गवर्नमेंट ने एक समिति का गठन किया है headed by the Vice-Chancellor of Rajasthan University और 30.06 तक वे अपनी रिपोर्ट इसमें दे देंगे। जो वेल्यूबल मेरे पास इन्फार्मेशंस आई हैं, that I will include into that. I will also recommend and I will also suggest regarding all the important, जो भी आपने सजेशंस दिये हैं, बहुमूल्य सजेशंस दिये हैं। मैं समझता हूं कि जब स्पर्धा होगी तब बेटर रिजल्ट्स आयेंगे।

आज एच आर डी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि बाहर के विश्वविद्यालय आयें भारत के अन्दर। जब तक निवेश नहीं होगा, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह मेडिकल और यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन है, इसमें पैसा होगा, पैसा आ गया, मैं गलत नहीं कर रहा, they are turning into industries. They are turning into industries, Sir, but we cannot check it. But we are controlling. आप गलत नहीं कह रहे हैं। मैं एग्री करता हूं आपसे लेकिन with better results. पहले बाई-पास सर्जरी सिर्फ बाम्बे हास्पिटल में होती थी या ह्यूस्टन में होती थी। आज अकेले जयपुर में आधा दर्जन हास्पिटल्स में बाइ-पास सर्जरी होती है और दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आज जयपुर में चीपेस्ट बाइ-पास सर्जरी होती है। इंग्लैंड में 20 लाख रुपये लगते हैं, यहां सिर्फ एक लाख रुपये में बाइ-पास सर्जरी होती है। एस.एम.एस. में 60 हजार में ही हो जाती है।

तो आज ऐसा नहीं है, आज कहने का मतलब है कि स्पर्धा हो गयी। जब स्पर्धा होगी, जब काम्पीटिशन होगा और अगर अच्छे नम्बर्स नहीं आयेंगे, यदि यूनिवर्सिटी को सरवाइव करना है, प्राइवेट सेक्टर में इन विश्वविद्यालयों को सरवाइव करना है, they will come out with अच्छे सब्जेक्ट, हमारे जो भी बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जायेंगे और उनके पास अच्छे सब्जेक्ट नहीं होंगे तो कोई पढ़ने के लिये नहीं भेजेगा, अगर कोई काम्पीटेंट यूनिवर्सिटी नहीं होगी। आज अगर मैं इसी यूनिवर्सिटी की बात करूं, बिगोदना की, सेठजी का एग्जाम्पल इसलिये दे रहा था, सेठजी का एग्जाम्पल मैंने इसलिये ही दिया था, यह शिक्षा के साथ जो यह चलकर आ रहा है, वह यहां पर तब तक जिंदा नहीं रह सकता, तब तक कि वे अपने बेटर रिजल्ट्स नहीं देते, क्योंकि उनको टीचर्स तो एक्सीलेंट ही रखने पड़ेंगे। आज हमारे शेखावाटी के लोगों ने यहां पर

(डा. जितेन्द्र सिंह)

आकर इंजीनियरिंग कालेज खोल लिये। मैंने जा-जाकर उन इंजीनियरिंग कालेजेज को देखा है और they are few of the best engineering colleges in Jaipur, जिनका कोई काम नहीं था, कोई लेना-देना नहीं था शिक्षा से। इसलिये मैं समझता हूं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर है और इन्फ्रास्ट्रक्चर में अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, क्योंकि सरवाइव तो तभी होगा जब अच्छे स्टूडेंट्स निकलेंगे और उनको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा।

तो मेरा आपसे आग्रह है कि आपने जो महत्वपूर्ण बिन्दु बताये हैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) विश्वविद्यालय खोलें, अच्छी बात है, हमारे बच्चे यही पढ़ेंगे, बाहर नहीं जायेंगे, कम खर्चे में पढ़ेंगे पर अलवर, भरतपुर और सीकर के विश्वविद्यालयों का क्या हुआ? उनके लिये भी कृपा करें। पूर्वी राजस्थान उपेक्षित है आपके द्वारा। कोई भी सरकार आई है 62 साल में, पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सीकर जैसे एरिये की उपेक्षा की गई है। आप कृपा करें, वहां भी अनुमति दें और उसका विधेयक लाकर उनको फिर से चालू करें। विधेयक पहले रखा हुआ है, ओ.एस.डी. बैठे हुए हैं। अलवर, भरतपुर और सीकर के विश्वविद्यालयों के बारे में बतायें कि करना है कि नहीं करना है? आपकी नीयत है या नहीं है? आपकी नीयत नहीं है तो भी आप बता दें और नीयत है तो भी बता दें। इस बारे में खुलासा करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने फैक्चुअल पोजीशन बताई थी शेखावाटी विश्वविद्यालय, भरतपुर और अलवर के बारे में। उस समय एक एक करोड़ रुपये और ओ.एस.डीज. रखे गये थे। मैं समझता हूं, that was at the end of the House. लास्ट हाउस होगा, जिस समय यह डिक्लेयर किया गया था। एक-एक करोड़ में तो मैं नहीं समझता, सभापति महोदय, ...(व्यवधान)... मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि उसी समय यह बजट एक करोड़ की जगह पचास करोड़ कर देते तो हमारे सिर पर तो नहीं छोड़कर जाते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आपको यह भी याद दिला दूं, इन्होंने जाते-जाते दो यूनिवर्सिटीज खोली थीं कोटा और बीकानेर, उनमें यह श्रीमानजी एक-एक लाख रुपये देकर गये थे, वे तो हमने खोल दीं और एक- क करोड़ रुपये देकर गये तब भी आपने नहीं खोलीं।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): सर, ऐसा है ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वह बात कांग्रेस और बी जे पी की नहीं होती। जैसे आप दोनों को एक-एक लाख रुपये देकर गये तो हमने तो खोलीं। हम एक-एक करोड़ देकर गये, उनको तो खोलो। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं आपको यह अर्ज करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय मंत्रीजी, हमारे पर बहुत कृपा कीजिये, कांग्रेस-बीजेपी मत कीजिये। कोई पक्ष-विपक्ष मत कीजिये। आपके विश्वविद्यालय खुलना चाहिये कि नहीं खुलना चाहिये, टीकाराम जी जूली साहब? (व्यवधान)

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): दूसरे विश्वविद्यालय खोलने से पहले बीकानेर का जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय खोला है, उसमें स्टाफ ही नहीं है, पहले उसमें स्टाफ तो लगाओ। नये विश्वविद्यालय मांग रहे हो आप। वहां स्टाफ तो पूरा करो, साहब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपके यहां यदि खुलता है तो मुझे आपत्ति नहीं है, पर हमारे पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा हो रही है। बात इतनी है। आप बताइये, आप खड़े होकर समर्थन करिये, यह मेरा कहना है।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपने जो फरमाया यूनिवर्सिटीज के बारे में, उस समय आर्डिनेंस भी जारी नहीं हुआ था। हमारी सरकार उस पर पुन: विचार कर रही है और वह मैटर पेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि matter is closed.

माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा पक्ष और प्रतिपक्ष से और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना, झुन्झुनूं विधेयक, 2010 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना, झुन्झुनूं विधेयक, 2010 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 48। कोई संशोधन नहीं प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डिलीट करने के लिए ग्यारहवां।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, मुझे बोलना है।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो, छोड़ देता हूं। (व्यवधान) नहीं बोल सकता हूं डिलीट करने के लिए।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, आप तो नियमों की सब ज्यादा जानकारी रखते हो।

खण्ड-2 से 48 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये गये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: अनुसूची 1 व 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, मैं बोलना चाहता हूं इस पर।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड – 2 से 48 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड – 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गईं।

खण्ड – 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड – 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 47 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गईं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं जरा यह चाहता हूं कि यह खण्ड एक, प्रस्तावना सूत्र यह जो है, यह तो खण्ड एक है। तो आपने 2 से 47 पहले पास करा लिया और एक को बाद में क्यों पास करा रहे हो? नहीं, क्यों करा रहे हो पास? मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि भाई, यह कारण तो बताना पड़ेगा न। खण्डश: विचार होता है तो खण्ड 1 से लेकर 48 तक हैं। तो आपने 2 से लेकर 48 पास करा लिया, कोई नहीं है उसमें संशोधन, एक में भी कोई संशोधन नहीं है। तो यह खण्ड एक, प्रस्तावना, नाम, सूत्र है, इसको बाद में क्यों लिया जाता है, सरकार स्पष्ट करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ये विद्वान सदस्य बैठे हैं, बताओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बताओ, बताओ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपकी विद्वता से पूरा जमाना परिचित है। इसलिए क्यों आप मेरे से उलझना चाह रहे हैं? आप जब से विद्वान बने हैं, मैं तब से आपको जानता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. जितेन्द्र सिंह जी श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010; एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010; डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, बोलो एक साथ ही।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह मोदी आप वाला है या इन वाला है? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान में तीन विश्वविद्यालय अभी जो प्रस्तावित किये गये हैं उनके एक्ट को हम पारित कर रहे हैं। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में 77 हजार की आबादी पर एक कालेज है और हमारे झुन्झुनूं, जहां से माननीय मंत्रीजी आते हैं, वहां 23 हजार पर एक कालेज है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में, मैं कहूंगा कि सबसे अधिक पुरुषों की तुलना में लड़कियां पढ़ती हैं तो 100 के बदले 117 लड़कियां पढ़ती हैं। वहां आप विश्वविद्यालय नहीं खोलना चाहते, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने निवाई का विश्वविद्यालय प्रस्तावित किया है, सीकर का जो एस.के. कालेज है उसमें दो लाख किताबें हैं और यहां 5,243 किताबों के आधार पर आप विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थिति, हम प्रतियोगिता पैदा कब कर पायेंगे, हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसको तो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं; 61 प्रोफेसर की पोस्ट हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में और 527 कालेजों पर एक प्रोफेसर है। इससे ज्यादा दुर्गति पब्लिक सेक्टर की नहीं हो सकती। राजस्थान विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है और उसके द्वारा बनाया हुआ पाठ्यक्रम अगर जायेगा सारे विश्व में तो हमारे निकलने वाले छात्रों की क्या दुर्गति होगी, इसका आकलन कर सकते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह राजस्थान सरकार का डाक्यूमेंट है, इसमें रीडर और प्रोफेसर में केवल एक हजार रुपये का अन्तर है। उन पदों को हम खाली क्यों रखना चाहते हैं? इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हो गयी, यह जो स्थिति पैदा हुई है, उसको ठीक किया जाय और जो हमारे पब्लिक सेक्टर के विश्वविद्यालय हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालयों के बराबर लाया जाए।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

इतना बड़ा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अभी कहा गया भरतपुर का जो जयश्री कालेज है उसका कैम्पस और एम.डी. विश्वविद्यालय, अजमेर का जो कैम्पस है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। धौलपुर और भरतपुर के जो दोनों मिला कर कालेजेज हैं वे कोटा विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय के दोगुने से भी ज्यादा हैं। हम क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जैसलमेर का विद्यार्थी जोधपुर आयेगा और फिर अजमेर आयेगा और बाड़मेर का विद्यार्थी जोधपुर आ कर के फिर अजमेर आयेगा, अगर मार्क शीट लेनी है। वहां आजादी के समय से बना हुआ विश्वविद्यालय मौजूद है, जोधपुर, उसमें जोधपुर डिविजन के आठ जो जिले हैं उनको क्यों नहीं लेना चाहते? आठों के आठ, यह आज राजस्थान के रिकार्ड पर है कि सबसे कम महिला शिक्षा अगर उच्च शिक्षा में है तो जोधपुर डिविजन में है और वहां से माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था है, इस प्रकार का असंतुलन है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं, अभी शिक्षा मंत्रीजी यह संकल्प व्यक्त करें कि अगली बार जब विधान सभा होगी तो निश्चित तौर पर जोधपुर विश्वविद्यालय में आठ के आठ जो जिले हैं उनके विद्यार्थी उनसे एफिलिएटेड होंगे, ऐसे हम करेंगे वरना तो नाम लेते रहेंगे और हम यह लायेंगे, वह लायेंगे।

अभी आपने यह डाक्यूमेंट दिया है निवाई का, इसमें 355 वर्ग मीटर में आप छात्रावास बनायेंगे और 67 सब्जेक्ट होंगे, 61 कमरे होंगे, 19 लेबोरेटरी होगी। यह कौनसा विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 70 के लगभग सब्जेक्ट हैं और 19 लेबोरेटरी स्थापित करने के आधार पर, प्रयोगशालाओं के आधार पर हम अनुमति दे रहे हैं। यह क्या स्थिति है? आप इसको देख लीजिए, कैसे विश्वविद्यालय आयेंगे। जो अभी दांतारामगढ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक-एक कमरे में कालेज चलते हैं, ऐसे विश्वविद्यालय अगर चलाना चाहते हैं तो इस राजस्थान को हम पिछड़ा करेंगे।

आज बी.एड. कालेजों की संख्या, टेक्निकल कालेजों की संख्या, टेक्निकल कालेजों की सीटों की संख्या, इंडिया में पिछले पांच साल में कहीं न कहीं हमारा अच्छा स्थान पैदा हुआ, उसको इस प्रकार से आप मत धकेलिये।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

जो स्थिति है, उसको स्वीकार करते हुए जिस प्रकार के सब्जेक्ट खोले जा रहे हैं, उनके लिए आप कोई प्रावधान नहीं करें, एकेडमिक कौंसिल का कोई प्रावधान इस रूप में नहीं है, कौन एकेडमिक कौंसिल में होगा, किस प्रकार की एकेडमिक कौंसिल होगी, इसका प्रारूप इसमें नहीं दिया गया है। एकेडमिक कौंसिल होनी चाहिए लेकिन नये सब्जेक्ट ला रहे हो, उसमें कौन एकेडमिक कौंसिल में होंगे अगर यह होता तो 19 लेबोरेटरी नहीं होतीं। एकेडमिक साइड में यह जो टेक्निकल साइड के सब्जेक्ट हैं, नये सब्जेक्ट हैं, वे सब्जेक्ट तो हैं 70 और लेबोरेटरी बनेंगी 19 । अगर इस प्रकार के लोगों से आप निरीक्षण करा कर विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो हमारा राजस्थान का भविष्य ठीक नहीं है। मैं डाक्यूमेंट के आधार पर कह रहा हूं।

इसमें जो प्रावधान किया गया है, भरतपुर का कालेज, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा उसके बारे में कह रहा हूं, अगर भरतपुर को आप कालेज बनायेंगे जैसे महारानी कालेज है, वहां कालेज मौजूद हैं, सीकर को बनायेंगे वहां इस प्रकार का कालेज मौजूद हैं, अलवर को बनायेंगे वहां आर्टस कालेज अलग है, लॉ कालेज अलग है जैसे महाराजा कालेज है, महारानी कालेज है, सब सरकारी कालेज हैं तो विश्वविद्यालय के कालेज बन गये। इस प्रकार का ढांचा खड़ा कर सकते हैं। न ऐसा हमने अजमेर में किया, न ऐसा हमने जोधपुर में किया, न हम अलवर, भरतपुर में करना चाहते हैं। आखिर किसलिये ओ आई सी बैठा रखा है आपने वहां? वह अस्सी हजार रुपये पर मंथ लेता है। ओ आई सी का कोई काम नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अब तो विराज जाओ, बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, 500 ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अजी, बहुत हो गया, आपका ज्ञान देख लिया सारा। (व्यवधान) विराजो, पिण्ड छोड़ो, महाराज।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं, जिस विश्वविद्यालय के आप वो रहे हो ....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): किसके?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उस विश्वविद्यालय की दुर्गति मत होने दीजिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कौन से विश्वविद्यालय के?(व्यवधान) आपके ज्ञान से लाभान्वित हो गये। कौन से विश्वविद्यालय के?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): जिससे आप पढ़े हो, जिससे आपने पीएच. डी. की है। जब आप स्टूडेंट थे तब मैं प्राध्यापक था उस विश्वविद्यालय में, जिसकी बात मैं कर रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सारा ज्ञान तो ये तारानगर वाले ले गये। (व्यवधान) मेरे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मेरा केवल इतना निवेदन है कि कम से कम ये जो तीन विश्वविद्यालय हैं, 529 कालेज हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, अगर सीकर और झुन्झुनूं चले जाएंगे, उसमें से 83 और 79 कालेज जायेंगे, 142 कालेज चले जायेंगे। इसी प्रकार से अगर भरतपुर जाएगा, धौलपुर जाएगा तो 82 कालेज चले जायेंगे, राजस्थान विश्वविद्यालय में 250 कालेज रह जायेंगे। इस कारण से महत्ता आवश्यकता है कि इस प्रकार का प्रावधान किया जाए।

पिछले सत्र में मैं बोला था, उसी प्रकार के नियामक की व्यवस्था और जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर की प्रतियोगिता में लाने के लिए आवश्यक है, चाहे और चीजें टाल दी जाएं लेकिन शिक्षा को मत टालिये। शिक्षा के माध्यम से पीढ़ी पैदा होती है, इस शिक्षा को संतुलित करने के लिए आज भी हम यह कहें कि 33 परसेंट लड़कियां जोधपुर ग्रामीण में पढ़ती हैं और झुन्झुनूं में 117 लड़कियां पढ़ती हैं 100 के मुकाबले। उस स्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है और बैलेंस्ड ग्रोथ आवश्यक है, बजट प्रावधान में भी यह आवश्यक है कि बैलेंस्ड ग्रोथ हो, स्टेबल ग्रोथ हो और प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो। इस प्रकार की आवश्यकता है। इतना ही आपके सम्मुख निवेदन है।

श्री सभापति: डाक्टर परम नवदीप।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल है। 29 मार्च को मैंने प्रक्रिया के नियम 119 के तहत निंदा प्रस्ताव दिया था जिसमें माननीय सदस्य तारानगर से जो आते हैं, उनके लिए यह कहा गया था कि 25 मार्च को उन्होंने सदन में गलत तथ्य पेश करके सदन में बोलने के अधिकार का दुरुपयोग किया। मुझे व्यवस्था चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन का इस तरह का दुरुपयोग मैंने देखा नहीं।

श्री सभापति: मैं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर इनको आप व्यवस्था दे रहे हो तो मुझे भी बोलने का मौका दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं संविधान के आर्टिकल से सिद्ध कर दूंगा कि मुझे भी बोलने का अधिकार है। यह पुस्तिका आपने दी है, इससे सिद्ध कर दूंगा कि मुझे भी बोलने का अधिकार है। (व्यवधान) यूं चलते-चलते आप सदन का दुरुपयोग करना चाहते हैं, यह कभी नहीं होगा। यह इस तरह की आपत्ति कर रहे हो ना...(व्यवधान) करना पड़ेगा, देखना आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय, सचेतक महोदय। आपके द्वारा दिया हुआ प्रस्ताव अध्यक्ष जी ने अग्राह्य कर दिया है, सूचना भी आपको भेज दी है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): डरा रहे हो, धमकी देते हो, महिला समझ कर धमकी देते हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): डरने वाला कोई नहीं है यहां।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): कैसे समझ लिया कि आपकी धमकी से डर जायेंगे हम?

श्री सभापति: श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं फिर आपको सचेत कर रहा हूं, बोर्ड आफ मैनेजमेंट का जिस तरह से आपने गठन किया है, वह पूरा-पूरा उस यूनिवर्सिटी को चलाने वाले व्यक्ति की मंशा के आधार पर ही है। राज का तो केवल हायर एजुकेशन के कमिश्नर के द्वारा अपाइन्टेड एक व्यक्ति है। अब यह आपका एन्यूअल अकाउंट जो पेश होगा? वह कहां पेश होगा? इसको आपने देखा होगा, डिटेल, यह जो 40 सेक्शन है ''Annual accounts and audit. The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management. ...'' बोर्ड आफ मैनेजमेंट के डायरेक्शन में आडिट रिपोर्ट तैयार होगी। ''...and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.''

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मतलब अपाइंट भी वही करने वाला, देखने वाला भी वही है। राज के पास इसका क्या है, इसको देखना है। ''(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Board of Management." किसको करेगा बोर्ड आफ मैनेजमेंट को। ''(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observation of the Board of Management shall be submitted to the Sponsoring Body." जो यूनिवर्सिटी चला रहा है उसको देगा। फिर आप आगे देखिये, हमने तो क्योंकि यहां से रात को चार बजे गये तो पूरा डिटेल, एक-एक पाइंट नहीं देख सके लेकिन लगता यह है कि हमारी कोई कसावट ही नहीं है। ''(4) copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub section (1) shall also be presented to the State Government. "स्टेट गवर्नमेंट को भी दें। ''The advice of the State Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Board of Management." बोर्ड आफ मैनेजमेंट की बात है ''The Board of Management shall issue such directions, as it may deem fit and compliance shall be reported to the State Government." आपको तो खाली कम्प्लायंस रिपोर्ट भेज देंगे। यह है आपका उस पर अधिकार।

मतलब बोर्ड आफ मैनेजमेंट जो आपने बनाया, अभी आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन मैं अगर कहीं दस-पन्द्रह साल जिंदा रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी में कई यूनिवर्सिटी आपकी ऐसी साबित होंगी जो एक तरह से व्यवसायिक बनकर खड़ी हो जाएंगी। कौन होंगी, कौन नहीं होंगी, मैं इस पर आज अपनी बात नहीं कहूंगा पर आपने जिस प्रकार से कानून बना कर के सारे के सारे हथियार बोर्ड आफ मैनेजमेंट को दे दिये और बोर्ड आफ मैनेजमेंट, एक तरह से सरकार की तरफ से बिल्कुल पंगु बनाकर के रख दिया जिसका कोई नहीं है। यह जो कुछ भी साल का आडिट भी करेंगे न, बैलेंस शीट, पैसा कितना आया, कितना गया, उसकी भी खाली आपको तो एक सूचना दे देंगे, जो उनको ठीक लगेगा। अगर यही अधिकार देकर के आप देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं, आपने इसमें ऐसा कहा, कालेज है, जब आप इतना करने जा रहे हो तो कम से कम जो वहां नौकरी करेंगे चाहे वह लेक्चरर होगा, चाहे रीडर होगा, चाहे प्रोफेसर होगा, उसको प्रोटेक्ट करने का कहा है, न उसकी सैलेरी प्रोटेक्ट होगी, उसका सलेक्शन का क्या तरीका होगा। मतलब यह तो एक यूनिवर्सिटी बना देगा पचास करोड़, बीस करोड़ रुपया खर्च करके। मर्जी आए जिसको भर्ती करेगा, मर्जी आए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिसको नौकरी देगा, मर्जी आए जितनी सैलेरी देगा। उनकी मजबूरी है, जिसको नौकरी करनी है वह झक मार करके करेगा।

मैंने पिछली बार एजुकेशन के टाइम पर कहा, मैं आज भी कह रहा हूं आपको, राजस्थान में वन थर्ड से ज्यादा एजुकेशन आज प्राइवेट स्कूलों से हो रही है लेकिन प्राइवेट स्कूल के अध्यापक की सैलेरी को देखा है कभी? यह जिस मिनिमम वैजेज की बात करते हैं, मेरी गारंटी है, राजस्थान में सत्तर परसेंट टीचर जो आज प्राइवेट स्कूलों में हैं वे मिनिमम वैजेज को कवर नहीं कर रहे हैं, 105 रुपये भी कवर नहीं करते हैं। महीने में तीन हजार का भी नहीं मिलता है, 800, 1200 और 1500 में नौकरी करते हैं। जब इतना कानून बनाते हैं तो क्या हम उन लोगों के प्रोटक्शन के लिए इस कानून में कोई प्रावधान नहीं रख सकते? क्या हम उनकी इच्छा पर छोड़ देंगे कि वे जैसा चाहेंगे, यानी एक शिक्षा की दुकान का मामला हो गया कि जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे। केवल एक आपको दिखाया कि हम एजुकेशन में चमत्कार कर देंगे। काहे का चमत्कार करेंगे, चमत्कार करने के पीछे आखिर कहीं न कहीं राइडर चाहिए।

हमको तो इतना समय मिला नहीं कि इसके एक-एक बिन्दु को पढ़ा जाए और आप इसको पास करा कर ले जाना चाह रहे हैं। ले जाइये लेकिन इससे आपको यह लगेगा कि जितने भी लोग आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। इनको एक दिन का भी एजुकेशन का अनुभव नहीं है, केवल उनकी जेब में पैसा है। इसके कारण से बिल्डिंग बना करके आपको दिखा रहे हैं कि यह हमारी बिल्डिंग और यह हमारी जमीन। इसके आधार पर आज एजुकेशन को बेच दोगे? जिसकी एजुकेशन में कोई जानकारी हो, जो एजुकेशन में कुछ काम करते हों, उन्हें दिया जाए तो समझ में आ सकता है लेकिन केवल बिल्डिंग देख करके, आप उसके आधार पर एजुकेशन सुपुर्द करने जा रहे हो, यह कोई अच्छी चीज नहीं हो रही है।

आप करोगे, क्योंकि जब बहुमत है और हां करेंगे तो हो ही जाएगा, ना मैं उसको रोक सकता हूं, ना मैं उसको कर सकता हूं लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आखिर यह प्रोविजन आपको कम से कम उनकी सेफ्टी के लिए भी डालना चाहिए था, जो वहां नौकरी करेगा। सेठ की मर्जी आए, जब सवेरे कहेगा कि चल, कल से मत आना। वह कहां जाएगा? लेक्चरर की सर्विस का क्या होगा? क्या होगा, किस तरह से प्रोटेक्ट होगी उसकी सर्विस? यानी ना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हम सर्विस करने वाले को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ना जाने वाले स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। उसकी मर्जी आए जो करेगा और हम पूरा का पूरा अधिकार उसको पकड़ा रहे हैं, केवल इस खुशी में जैसे कोई राजस्थान में सारे धन्ना सेठ आकर के यूनिवर्सिटियां खोल करके हमारी एजुकेशन को जमीन से उठा कर आसमान में पहुंचा देंगे। एजुकेशन जमीन से आसमान पर ऐसे नहीं पहुंचती है, यह आसमान तक पहुंचती है जो सेवा का संकल्प लेकर आते हैं। आज मेरे विद्या भवन का मुकाबला कोई राजस्थान में किसी के पास है? लेकिन विद्या भवन को यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये लोग एक-एक खांचे में बैठ करके यूनिवर्सिटी बनाकर के अपना काम करने जा रहे हैं। कौन कहां का रहने वाला, कहां जाकर जमीन मिल गयी, जहां जमीन मिल गयी वहीं यूनिवर्सिटी बना रहा है। तरीका क्या है?

अगर इसके बाद भी सदन के सभी लोग चाहते हैं, करिए। कोई चिन्ता की बात नहीं लेकिन मैं सोचता हूं कि न तो इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट का भला होगा, न इसमें नौकरी करने वाले का भला होगा। उस एक परिवार का भला जरूर होगा जिसने पैसे लगाकर एक अच्छी फैक्टरी खोल दी। सारे तो परिवार के बच्चे-बच्ची अध्यापक बनकर लग जायेंगे या नौकरी करेंगे आराम से। बहुत अच्छा है। करिये।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, जो विधेयक पेश किया गया है, पक्ष-विपक्ष सभी ने कहा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वाकई शिक्षा माफिया ही पैदा कर रहे हैं। यदि शिक्षण संस्था सरकारी होती, सरकारी महाविद्यालय होता तो निश्चित तौर पर उसके गरीब-अमीर, तमाम के बच्चों को पढ़ने की सुख-सुविधाएं मिलतीं, छात्रवृत्ति मिलती और उसमें नौकरी करने वाले जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के बारे में तो अभी कटारिया जी ने बता दिया लेकिन इनमें यह कहीं प्रावधान नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट का, शिड्यूल्ड ट्राइब का, दलित जिनका वोट लेकर आये हैं, उनका आरक्षण होता, उनके कर्मचारियों की भर्ती होती तो निश्चित तौर पर उनको रोजगार मिलता। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। सचेतक महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय कार्य सूची के पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची पारित होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, इसलिये इस विधेयक से एक तो शिक्षा माफिया पैदा होंगे और एक घराने को जनता को लूटने के लिये पूरी छूट दे दी और वह भी कानूनन छूट दे दी। मर्जी में आए उतनी फीस वसूल करेगा, मर्जी में आए उस अध्यापक को रखेगा, मर्जी में आए उस छात्र को दाखिला देगा और मर्जी में आए उसको पढ़ायेंगे। यह कोई जरूरी नहीं कि उसमें जो टीचर रहेंगे वे ट्रेंड हैं कि नहीं। उसे कोई चैक करने वाला नहीं। उसकी बिल्डिंग क्या होगी, उसका खेल मैदान क्या होगा।

यही नहीं, सबसे बड़ा कोई हो रहा है तो भारत देश में जो संविधान द्वारा प्रदत्त शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के लिये आरक्षण का जो प्रावधान है, निजी विश्वविद्यालयों में इन प्रावधानों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। न तो उनके बच्चे को शिक्षा मिलेगी, उसमें जो कर्मचारी भर्ती किये जायेंगे, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों और अध्यापकों की भी उपेक्षा होगी। क्योंकि यह सिर्फ एक शिक्षा माफियाओं, एक घराने के पक्ष में कानून लाया जा रहा है, आम जनता की उपेक्षा हो रही है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति: डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, मुझे व्यवस्था दीजिये। मुझे व्यवस्था नहीं दी गयी।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, क्या व्यवस्था ?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मैंने प्रक्रिया के नियम 119 के तहत निन्दा प्रस्ताव दिया था 29 मार्च को और मुझे अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं मिली। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजो। आपने जो निन्दा प्रस्ताव रखा, माननीय अध्यक्ष जी ने उसको अग्राह्य कर दिया और आपको सूचना उन्होंने भिजवा दी है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मेरे पास सूचना अभी तक नहीं आयी। मेरे पास सूचना अभी तक नहीं आयी।

श्री सभापति: नहीं आयी, आप अध्यक्ष जी से..(व्यवधान) उप नेता महोदय।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मेरे पास सूचना नहीं आयी। सभापति महोदय, मेरे पास सूचना नहीं आयी।

श्री सभापति: आप पूछ लें, नहीं आयी है तो और आप मिलना चाहें तो अध्यक्ष जी से आप मिल लें। बाकी आपका प्रस्ताव अग्राह्य करके आपको भिजवा दिया गया है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): एक और बात, सभापति महोदय। अभी आसन के सामने माननीय सदस्य ने एक महिला को धमकाया। प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने इस तरह अंगुलियां दिखाकर धमकाया।

श्री सभापति: विराजो। विराजो आप।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): यह पाइंटेड है।

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, आपकी उपस्थिति में, प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता की उपस्थिति में, माननीय गुलाब जी कटारिया की उपस्थिति में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मेरे जैसा आदमी धमका सकता है किसी को? मेरे जैसा आदमी धमका सकता है किसी को ?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): जिस तरह मुझे धमकाया गया और प्रतिपक्ष भी निन्दा नहीं करता उसकी, तो यह बहुत गलत बात है। महिला पर अन्याय है।

श्री सभापति: विराजो आप, माननीय सदस्या। विराजो अब।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य हमसे बड़े हैं, हम मानते हैं पर हमें धमकी नहीं दे सकते। हम उनकी धमकी से डर नहीं सकते।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप विराजो।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, अन्याय मेरे साथ हुआ है। अन्याय मेरे साथ हुआ है।

श्री सभापति: आप विराजो। आपने कह दिया। आपने कह दिया ना।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): अन्याय मेरे साथ हुआ है, आत्मा मेरी जली है, माफी मंगवाइये इनसे।

श्री सभापति: आप विराजिये। प्लीज आप विराजो तो सही। बैठो। माननीय सदस्या, विराजो। विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह गम्भीर विषय है। प्रतिपक्ष के सचेतक जी से आशा करते हैं कि वे नियम और परम्पराओं की जानकारी देंगे। वे खुले आम इस प्रकार से अगर किसी महिला सदस्य को धमकाने के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो यह न सिर्फ निन्दनीय है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको प्रताड़ना दी जाए और उनको क्षमा मांगनी है इसके लिये, आपकी ओर से निर्देशित किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आपको उम्मीद है कि मेरे जैसा आदमी किसी को धमका सकता है? मेरे जैसा आदमी...

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): क्या मैं असत्य बोल रही हूं? क्या मैं असत्य बोल रही हूं?

श्री सभापति: विराजो। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): इसीलिये तो मानने में आ रहा है कि आप जैसे आदमी हैं वह। इसीलिये तो सारी बात गले से उतर रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सदस्य हैं 200, इसलिये कोई धमकाने वाली बात ही नहीं है।

श्री सभापति: डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी 3 घण्टे से अधिक हो गये इन चारों विश्वविद्यालयों पर चर्चा होते हुए और जो दो इम्पोर्टेंट इश्यु उठाये थे कि विश्वविद्यालय में रेग्यूलेटरी मेकेनिज्म क्या होगा, इसके बारे में मैंने स्पष्ट कर दिया।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

धारा 40 के बारे में उदयपुर से आने वाले हमारे सीनियर मेम्बर आफ दी हाउस ने कहा था, तो जो उनका बोर्ड आफ मैनेजमेंट है उसमें हमारी गवर्नमेंट की ओर से कमिश्नर, कालेज एजुकेशन उसके मेम्बर हैं।

नम्बर दो, यह जो सारे का सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर हम यूनिवर्सिटीज का लाये हैं, यह 2007 में निजी विश्वविद्यालय की जो आपने स्थापना की थी, it is identical. वह आपने फरमाया था, वह का वह है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हमारी गवर्नमेंट लेकर आती तो क्या हम मतलब उस पर बोल नहीं सकते, यहां कमी है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): नहीं-नहीं, आफ कोर्स, सर। मैं उसके लिये कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। हमने अच्छा ही समझकर...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यानी हम वोट के समय हमारी सरकार के साथ हाथ खड़ा करते, यह तो समझ में आ सकता है लेकिन कोई अगर बिल आने वाला है, विधेयक बन रहा है तो उसके बारे में कहें, हमारी सरकार भी लाती तो क्या उसमें कोई कमियां हैं, तो उसको इस सदन में रखना हमारा अधिकार नहीं है क्या ?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आफ कोर्स, सर, वह है लेकिन आप जैसे इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर रहे, तो बहुत अच्छा है, we should adopt it as such. लेकिन फिर भी उसके अन्दर जो धारा 40 है, उसमें आपने यह कहा कि उनको क्या अधिकार होगा, तो वार्षिक लेखे और बैलेंस शीट उनको राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होगी। उनको, they have to, गवर्नमेंट के सामने जो भी उनकी बैलेंस शीट होगी वह प्रस्तुत करनी होगी। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सरकार का तो कोई योगदान है नहीं, न जमीन है, न पैसे में है, एवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो है लेकिन फिर भी ...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जमीन में तो कंसेशनल रेट पर किये हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): वह स्वयं की है। नो, सर। कोई नहीं है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे आग्रह करूंगा कि बहुत इसमें चर्चा हो गयी और आलरेडी रेग्यूलेटरी मेकेनिज्म के लिये हमने वहां वाइस-चांसलर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। विराजो आप।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): एक कमेटी बना दी है।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि-

एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

डा. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि-

-श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना, (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010;

-एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010; व

-डा. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010

-को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना, (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010;

एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010; व

डा. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010

पारित किये गये।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 । श्री परसादीलाल मीणा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 जो मंत्री महोदय ने रखा है, सहकारिता की भावना तो यह थी कि एक सबके लिए और सब एक के लिये

(समय : 17.00 बजे)

लेकिन राजस्थान में तो मैं समझता हूं कि सहकारिता जिसके कब्जे में आ गयी, उसी की है, बाकी किसी की नहीं है। यह जो हालत है सहकारिता की, वह सबको मिलकर के सहकारिता के माध्यम से करना चाहिए। इस देश में चाहे गुजरात हो, चाहे केरल हो, वहां सहकारिता के माध्यम से बहुत बड़ा सबल ग्रामीण क्षेत्र के तबके को मिला है। चाहे वह डेयरी हो या कोई दूसरे संस्थान हों, उनसे उनका काया-कल्प हुआ है। लेकिन हमारे राजस्थान में सहकारिता को कुछ लोगों की बपौती बनाकर के रखा गया है।

सभापति महोदय, 7 प्रतिशत ब्याज पर जो ऋण देने का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह बहुत कम राशि पर है। यह वैद्यनाथन कमेटी की शर्तें जिसके अनुसार एम.ओ.यू. राजस्थान की सरकार ने 2006 में किया है, जिसके अनुसार यह संशोधन लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो घोषणाएं की हैं, राजस्थान के उस ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसान को जो सहकारिता के माध्यम से 7 प्रतिशत पर ऋण मिलता है, इस देश में बड़ी-बड़ी कंपनियों को 2 से 4 प्रतिशत पर ऋण मिलता है। ऋण भी वह मिलता है, जिस तरह से कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक व्यापारी ग्रेनाइट का जिस पर 2 करोड़ रुपया है। उस गरीब आदमी के लिए जो मिलता है वह 7 प्रतिशत की घोषणा के बाद में भी जितना लोन दिया जाता है और नये सदस्यों को आज भी 7 प्रतिशत पर नहीं दिया जाता है।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे तमाम किसानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार ना केवल 7 प्रतिशत पर दें, बल्कि मंत्री महोदय यह भी बतायें कि नाबार्ड से सहकारी बैंकों को और भूमि विकास बैंक को किस दर से लोन मिलता है और हम किसान को कितने प्रतिशत पर देते हैं? जो 7 प्रतिशत तय रूप से किया है, उसका केन्द्रीय सरकार ने पुनर्भरण किया है या नहीं किया है?

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के 27 जिलों में आज भी अकाल है। सहकारी बैंक और भूमि

(श्री अमराराम)

विकास बैंक, दोनों हमारी सरकार के नियंत्रण में हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि सीकर, चूरू, नागौर में आज की तारीख में भी जिन किसानों के बकाया हैं, उन किसानों के ट्रैक्टर और जमीन को नीलाम किया जा रहा है। जब राजशाही थी, उस वक्त भी अगर अकाल पड़ता था तो किसान के बैल और जमीन को कभी नीलाम नहीं किया जाता था। आज उस किसान की हमदर्द होने का दावा करने वाली सरकार इस बात को देखे। आज किसान की जिस तरह की हालत अपने परिवार और पशुओं को बचाने में हो रही है, आज किसान बाजरे और जौ से महंगा चारा खिला रहा है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा, यह बिल तो आपका बहुमत है आप पास करेंगे ही लेकिन उस किसान को जो अकाल की मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है और ऊपर से आपकी बकाया के नाम से, जब तक उसकी खरीफ की फसल नहीं आये, किसी भी किसान की जमीन या उसके कृषि उपकरण नीलाम नहीं किये जायें। आज किसान के बैल के रूप में ट्रैक्टर है। हो सकता है, उस समय बैल से खेती होती थी लेकिन आज अधिकतर खेती ट्रैक्टर से होती है। इसलिए किसी भी किसान की अगली फसल जब तक नहीं आती है, तब तक बकाया नहीं ली जाये।

सभापति महोदय, कोई भी किसान उस ग्रेनाइट वाले या फैक्टरी वाले की तरह नहीं है कि वह जमीन छोड़कर के भाग जायेगा। उसकी जमीन है। लोन देने में भी जिस तरह का भेदभाव है, किसान को तो लोन वह मिलेगा, अगर 15 लाख की जमीन होगी तो 5 लाख का लोन मिलेगा, जो पूंजीपति है वह अगर कारखाना लगायेगा तो उसको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि विकास हो। मैं समझता हूं कि किसान भी लोन लेकर के विकास करता है लेकिन तीन गुनी प्रोपर्टी वह गिरवी रखेगा, उसके बाद में उसको लोन मिलेगा।

सभापति महोदय, सहकारिता का मतलब भी यही था लेकिन इस वैद्यनाथन कमेटी के माध्यम से जो शर्तें आयेंगी उससे उस बैंक को भी लाभ के आधार पर, केवल मुनाफे के आधार पर कोआपरेटिव बैंकों को चलायेंगे तो जो गांव का गरीब जिनमें आज भी 30 प्रतिशत भूमिहीन हैं, जो सिंचित इलाका है वहां 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग गंगानगर और हनुमानगढ़ में हैं, अगर केवल मुनाफे के आधार पर करेंगे तो बड़े-बड़े लोगों को लोन देंगे। यह जो वैद्यनाथन कमेटी के आधार पर संशोधन लेकर आये हैं, उससे यह जो सहकारिता की

(श्री अमराराम)

भावना थी उस गरीब के लिए कि एक-सबके-लिए और सब-एक-के-लिए, वह भावना आगे नहीं बढ़ेगी।

सभापति महोदय, जब आपने प्राथमिक भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक के चुनाव करा दिये तो अपेक्स बैंक के भी जब चुनाव कराकर कमान उन जन-प्रतिनिधियों के हाथ में देंगे, ब्यूरोक्रेट्स की बजाय चुने हुए प्रतिनिधि उन बैंकों में होंगे तो वे जनता की बात सोचेंगे।

इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये जिससे यह जो वैद्यनाथन का एम ओ यू राजस्थान की सरकार ने किया है, वह राजस्थान की जनता के हित में है या कुछ मुनाफाखोरों ने इन बैंको को केवल मुनाफे के आधार पर चलाने के लिए इन शर्तों को लिया है, आम जनता इससे वाकिफ हो सके और उसके बाद इसको पास किया जाये।

श्री सभापति: श्री पेमाराम जी।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, भारत देश जब आजाद हुआ और सहकारी आंदोलन चला, वह इस बात को लेकर के चला कि जो देश का गरीब है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट निवेदन करूं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समअप करना।

श्री पेमाराम (धोद): वह तो समाप्त ही है। बहुमत है उधर, यूं ही हाथ खड़े करवा लेते। वरना तो जब बात है तो रखेंगे।

श्री सभापति: आज कई माननीय सदस्यों को अपने...

श्री पेमाराम (धोद): बिलकुल शोर्ट में।

श्री सभापति: आप शोर्ट ही करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): कोई फर्क नहीं है दोनों में।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): फर्क कैसे नहीं है, मैं दांतारामगढ़ से हूं, ये धोद से हैं। फर्क तो है ही।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, जिस गरीब के लिये आजादी के दौरान सहकारिता आंदोलन चला था, वह आज उनका ना होकर के जिनका कब्जा है... मैं आपको उदाहरण दूंगा, यह वैद्यनाथन कमेटी की बात छोड़िये,

(श्री पेमाराम)

इससे पहले भी जिन लोगों को कब्जा हो गया, मुझे पूरे राजस्थान का अनुभव तो नहीं है लेकिन हमारे सीकर के बैंक में करोड़ों रुपयों का पहले भी घपला हुआ और कानून की खामियों का ही परिणाम था कि उसका कोई कुछ भी नहीं कर पाये।

सभापति महोदय, मैं बता रहा हूं कि एक भागीरथ सिंह नाम का कर्मचारी था, कब्जा हो गया। कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। वह ऊंचे रसूख रखने वाले राजनेताओं का चहेता है। इसलिए उसे बिना कोई कानून-कायदे के, सारे कानून-कायदे तोड़कर के जिस तरह से रेगुलर कोई कर्मचारी रिटायर होता है, उसका वेतन-भत्ता दिया जाता है। यदि यह बिल आ गया तो आम गरीब की बात छोड़िये, वहां मनमर्जी का सौदा होगा, मनमर्जी की दुकान होगी, मर्जी में आयेगा उसको ऋण देंगे और मर्जी में आयेगा उसको दुत्कार करके भगा देंगे। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को ध्यान होगा कि जब आप पिछली बार सहकारिता मंत्री थे 2001 में, यह राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक आपके समय में ही पास हुआ था। आपने ही इस हाउस में इसको पॉयलेट किया और सहमति के आधार पर किया। लेकिन आपने देखा होगा कि वैद्यनाथन कमेटी के आधार पर आप फिर इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं।

मैं यह सोचता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2010 में जो आपने उद्देश्य दिये हैं, भारत सरकार ने प्रोफेसर ए.के. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के समक्ष उनकी लघु अवधि सहकारी साख संरचना के पुन:प्रवर्तन के लिए एक वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव रखा था। इस पैकेज में राज्यों की लघु अवधि सहकारी साख संरचना को वित्तीय सहायता के लिए व्यवस्था थी जो भारत सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी। यह इसका आधार था। राजस्थान सरकार ने पैकेज स्वीकार करते हुए जो वैद्यनाथन ने पैकेज दिया, उस पैकेज को आपने स्वीकार किया 14.11.2006 को और भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पैकेज के भाग के रूप में राज्य की लघु अवधि साख संरचना में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्रियान्वित किये जाने वाले विधिक सुधारों को समाविष्ट करते हुए सहायता के लिए निबंधनों और शर्तों का उपबंध किया गया था। आगे लिखा है, दिनांक 14.11.06, जिस दिन आपका समझौता हुआ था, त्रिपक्षीय हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के खण्ड 9 के अन्तर्गत राज्य सरकार से यह अपेक्षित था कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 को संशोधित किया जाए और उसी के तहत आप यहां यह संशोधन लेकर आए हैं।

अब आप इसको देखिए, आप लोगों ने कानून बनाया, संशोधन की तरह भी नहीं है, यह तो पूरा का पूरा कानून ही बन गया। अब आप चलिए, 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 2 में संशोधन हुआ, एक; फिर उससे आगे चलिए आप, 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 5 में संशोधन हुआ; फिर उससे आगे चलिए, पूरा का पूरा एक तरह से परिवर्तन हो गया, 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 15 में संशोधन हुआ; फिर उसके बाद 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 27 में संशोधन हुआ; फिर उसके बाद 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की नई धारा 27-क के अन्तर्गत अंत:स्थापित किया गया; फिर आगे चलिए, 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 28 में संशोधन हुआ, मूल अधिनियम की धारा 28 में फिर संशोधन; फिर उसके बाद 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 29 में संशोधन हुआ; उसके बाद 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 30 में संशोधन हुआ, फिर आपने इसमें 30-क जोड़ा, फिर उसके बाद 30-ख नया जोड़ा। मतलब एक तरह से आपका पूरा का पूरा ही 2001 में आपने जो कानून यहां पर पास करवाया, यह सारा का सारा यहां बदलना पड़ा। उसके बाद आपने किया 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 44 में फिर संशोधन हुआ; फिर 47 क में संशोधन; फिर उसके बाद 48 में संशोधन; फिर उसके बाद 49 में संशोधन; उसके बाद 50 में संशोधन। तो यह संशोधन क्या, यह तो एक तरह से पूरा का पूरा नया ही ढांचा आपको वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों पर लाना पड़ा।

मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जहां-जहां सहकारिता सफल हुई, वहां-वहां किसान को वास्तव में बहुत राहत मिली और जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सहारा मिला। लेकिन अपने राजस्थान का देखें तो जितनी भी अपनी हाउसिंग सोसायटीज बनती हैं जो अपने यहां बैन कर दी 1999 के बाद

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन आपको पता है, आपके डिपार्टमेंट को पता है कि हाउसिंग सोसायटीज आज भी वर्क कर रही हैं। उनका पट्टे देने का बैन किया, उससे पहले का डाल करके आज भी प्लाट कट रहे हैं। आपकी हाउसिंग सोसायटीज के आधार पर कितने लोगों के साथ चीटिंग हुई होगी, इसकी कोई सीमा ही नहीं, संख्या ही नहीं, जितनी चाहो...। मैं समझता हूं कि उन सबके खिलाफ कार्यवाही करने के बाद भी, इसी तरह से आपने देखा होगा कि क्रय-विक्रय सोसायटीज हैं जो खाद -बीज-दवाइयां बांटती हैं, इनके बारे में हर बार विधान सभा में सवाल उठते हैं कि इनमें गुणवत्ता की दृष्टि से जो चीज मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। उसके ऊपर अपन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकते।

यह जो सहकारी बैंक हैं, नाबार्ड की भी यह इच्छा है कि किसान को कम से कम सस्ता लोन मिले और सस्ते लोन के लिए आपने देखा होगा कि दस प्रतिशत से घटते-घटते सात प्रतिशत का रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि किसान को वास्तव में मदद करना चाहते हैं तो किसान को, सब प्रकार से चारों तरफ से घिर जाता है, मौसम से भी है, उसकी चारों तरफ से परेशानियां हैं, फसल पैदा हो, न हो, होने के बाद खराब हो जाए, यह उसके जीवन के साथ खिलवाड़ है, मैं इस सदन में इस बिल के माध्यम से यह मांग करता हूं कि अब जो किसान को उसकी खेती के लिए, वह कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है, और कोई चीज खरीद रहा है, उस पर आप बढ़ा दो, उसके ऊपर ब्याज रख लो लेकिन सामान्यत: जो खाद-बीज खरीदता है, उस पर तो कम से कम चार प्रतिशत लेकर भी उस किसान को मदद करने की कोशिश करो ताकि वह थोड़ा-बहुत भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

यह केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, अब हिन्दुस्तान के कई राज्यों ने किसानों को कर्जा चार प्रतिशत पर देने का शुरू किया है। अब आप देखिए, अपने भूमि विकास बैंक के क्या हालात हैं, कितने भूमि विकास बैंक राजस्थान में नफे में है, कितनों की स्थिति दयनीय है, जर्जर हो गई? जो किसान को वास्तव में मदद करता है। वैद्यनाथन कमेटी का जो अप्रोच था, वह यही था कि किस तरह से किसान को हम शोर्ट टर्म लोन में मदद करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। लेकिन आपने देखा होगा कि राजस्थान में जितने भूमि विकास बैंक हैं, आज की तारीख में जब आप जवाब दें तो बता देना कि कितने तो हैं जो प्रोफिट में हैं और कितने आज दिवालिया हो चुके हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से आपने देखा होगा कि जितने भी सहकारी बैंक आपके लोन देते हैं, लोन देने में आर बी आई की आपके रेस्ट्रिक्शन हैं कि उसके अगेंस्ट में मूल पूंजी इस बैंक में कितनी रखें लेकिन आपके कितने बैंकों की तरलता का जो होता है, रिजर्व फंड होता है एक तरह से काम करने का कि किस तरह लोन देंगे, इतना कम से कम हमारे पास पैसा रहेगा, कितने बैंक इसकी पालना करते हैं? और कितने बैंक इसकी पालना नहीं करने के कारण से उनको कई बार घाटा होता है और कई इसके कारण से दिवालिया हो गए। कितना अमाउंट रख कर बाकी का लोन देना था, जो उनकी डिपोजिट पूंजी थी, जिसको रखकर उनको व्यापार करना था, वह पैसा भी निकाल कर लोन में ठोक दिया और दिवालिया हो गए। राजस्थान में कितने सहकारी बैंक हैं जो इस तरह से लोन देकर...

अब सबसे बड़ा कारण है, सहकारी बैंक और ये सब सफल क्यों नहीं होते हैं, मुझे इसका एक जो कारण समझ में आया कि जितने भी आपके सहकारी चुनाव होते हैं, उसमें आपने चुनाव लड़ने वाले को तो बाध्य कर रखा है कि वह तीन साल तो कम से कम उससे व्यवसाय करता हो, लेन-देन करता हो, किसी न किसी प्रकार से उसमें लगा हो, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा। यहां तक तो ठीक है लेकिन आपका वोटर क्या है? इस वोटर के लिए क्यों नहीं कर सकते कि जो व्यवसाय नहीं करे, वह आपका वोटर नहीं रहे? ये जो कलाकार लोग हैं वे इस पर कब्जा करके बैठे रहना चाहते हैं। ये जेब से पैसा लगाकर सदस्य बनाते हैं और सदस्य बनाकर वापस कुण्डली मारकर उसी जगह बैठ जाते हैं। क्या इतना सा परिवर्तन करने में हमें दिक्कत है क्या? मैं सोचता हूं कि जब चुनाव लड़ने वालों के बारे में अपन ने राइडर तय कर दिया कि यही लोग चुनाव लड़ सकेंगे जो तीन साल से व्यापार कर रहे हों या लेन-देन में उन्होंने समय-समय पर खाद बीज लिया, उसका पैसा भी जमा कराया होगा, आपके साथ किसी प्रकार का बैंक में लेन-देन चलता है, वही व्यक्ति एलिजिबल होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अगर इस कोआपरेटिव सिस्टम को सुधारना चाहते हो तो यह जो बाहर के लोग आकर जबर्दस्ती सदस्य बनकर, वोट देने वाली ताकत बनकर चाहे जिसको बना देते हैं और चाहे जिसको हटा देते हैं, इसके कारण से सही चुनाव नहीं हो पा रहे, मैं चाहूंगा कि इसमें आप अमेंडमेंट करें। इससे सदस्य संख्या कम हो जाएगी तो हो जाएगी, इसकी कोई चिंता की बात नहीं लेकिन वह व्यक्ति तो हो जो बैंक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से लेन-देन करता हो। बैंक को जानता कुछ नहीं, केवल पैसे जमा कराए और वोट का अधिकार। वोट डालकर सारे के सारे सिस्टम को एकदम से फेल कर देते हैं।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि राजस्थान में सहकारी बैंकों में कितने मामले भ्रष्टाचार के सामने आए। पिछली बार भी आप इसके मंत्री थे, जब कभी भी हम इसके बारे में बात करते थे, मतलब लोगों ने भ्रष्टाचार उजागर किया लेकिन वह वहीं का वहीं दफन हो गया, आज दिन तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। कोई उसकी मोनिटरिंग नहीं करता है कि आखिर हमारे बैंक में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो केसेज हमने आइडेंटिफाई किये, जिनके खिलाफ हमने कार्यवाही शुरू की, वह कार्यवाही आखिर कहां जाकर दफन हो गई, आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए।

मेरी आपसे यही है कि आपने 2001 में एक्ट बनाया था, वह एकदम इस वैद्यनाथन कमेटी के आधार पर और आपने शोर्ट टर्म लोन को लेकर सारी की सारी धाराओं में संशोधन किया है। मैं सोचता हूं कि इसकी थोड़ी डिटेल समझाएं, मैं सोचता हूं कि जब इतना ही संशोधन करना था, धाराएं ही धाराएं बदलनी थीं तो कम से कम नया एक्ट लाकर के बनाते तो मेरी मन की कुछ भावनाएं थीं उनको भी डालकर करते तो कम से कम उस गरीब किसान के लिए तो वरदान हैं ये सहकारी सोसायटी, अगर ठीक ढंग से काम करें और ठीक ढंग से करें तो निश्चित रूप से इसे देखकर जब आप जवाब दें तो मेरे इन सवालों को भी साथ मिलाकर दें। मैं इतना चाहता हूं कि इस पर विस्तृत चर्चा हो और इसी प्रकार से लोगों का फीडबैक आए, इसके लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वैद्यनाथन समिति देश में उस समय बनी थी जब पूरे देश की सहकारी संस्थाएं जर्जर हालत में थीं और सहकारी आंदोलन दम तोड़ रहा था। सब-एक-के-लिए और एक-सबके-लिए के आधार पर महाराष्ट्र को छोड़कर करीब-करीब देश के हर हिस्से में सहकारी समितियां बंद होती जा रही थीं। सहकारी क्षेत्रों के बैंकों को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को 14.11.2006 को राजस्थान की सरकार ने माना और उसी के अनुसार 241 करोड़ रुपए केन्द्र से प्राप्त हुए। आवश्यक संशोधन हुए नहीं, आप अलग-अलग संशोधन लेकर आए हैं और मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समझता हूं कि इसमें काफी ऐसे हैं जो मात्र औपचारिकता के लिए हैं और इनके सारे संशोधन होने के बाद आपको 500 करोड़ के लगभग राशि मिलेगी।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर वैद्यनाथन समिति ने एक तरह से दम तोड़ती सहकारी समितियों को पुनर्जन्म तो दिया है परन्तु इसके साथ-साथ हमें आपको इस बात को भी समझना चाहिए कि आज राजस्थान के अन्दर सहकारी आंदोलन, जिस आंदोलन के रूप में चलना चाहिए था, उस आंदोलन के रूप में क्यों नहीं चल पाया। यह सही है कि चाहे ग्रामीण सहकारी समितियां हों और चाहे क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हों, इन समितियों में चुनाव करके शीर्ष पदों पर पहुंचने के लिए जिस तरह जो इस चीज के जानकार लोग हैं, बैंक के अन्दर, इनका पूरा का पूरा बैंक चलता है, निश्चित तौर पर इसमें आप एक संशोधन लेकर आएं कि बैंक शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। कुछ परिभाषाओं के बारे में भी आप लेकर आए हैं, मैं उनका तो स्वागत करता हूं पर निवेदन करना चाहूंगा कि मात्र वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिश से पैसा हमारे पास आ जाए, इससे राजस्थान का सहकारी आंदोलन मजबूत नहीं होगा। एक आमूलचूल परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिन चीजों पर उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है कि आज सहकार और सहकारी समितियां, ग्रामीण सहकारी समिति से लेकर और शीर्ष बैंकों तक जिस तरह आपाधापी का वातावरण बना है और जिस तरह आज भ्रष्टाचार इनमें पनपने लगा है, मंत्री महोदय, आप सक्षम हो, इसमें अंकुश लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप यह धारा 15 के अन्दर जो संशोधन लेकर आए हैं, निश्चित तौर पर इसमें उन्हीं लोगों को जो सोसाइटी के सदस्य हों, उनको आप अधिकार दे रहे हैं पर आपको मालूम है कि किस तरह का वातावरण रहता है? सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए लोग मारे-मारे फिरते हैं पर सदस्य लोग बनाते नहीं हैं। इसमें और पारदर्शिता किसी प्रकार से आ सकती है और निश्चित तौर पर इस पर आपको सोचना चाहिए।

धारा 27 के अन्दर जो आप नई धारा लेकर आए हैं, धारा 27 क, संबंधित बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की योग्यता के मानदंड रिजर्व बैंक द्वारा नियत किये जाएंगे, मैं समझता हूं, यह निश्चित तौर पर एक स्वायत्तता की ओर बढ़ने वाला कदम तो है ही, पर इनको जब हटाने की कोई बात होगी, निश्चित अहर्ताओं के बिना अगर कोई नियुक्त हो गया तो उसको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रिजर्व बैंक की, राष्ट्रीय बैंकों की सलाह से हटाओगे, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं क्योंकि इसको आप यह तो कह सकते हो कि इनकी नियुक्ति के अन्दर हम रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय बैंकों के जो निर्धारित मापदंड हैं, उनको लेकर तो आप नियुक्ति कर सकते हैं पर इनको हटाने की प्रक्रिया में भी शामिल करना ठीक नहीं है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब लम्बी-चौड़ी कोई बात है नहीं, आप सब लोग जाना भी चाहते हैं, सभापति महोदय, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए और मूलभूत भावना जो सहकारी आंदोलन की है, उस मूलभूत भावना को हम किस तरह राजस्थान में मजबूत करें, इसके बारे में निश्चित तौर पर दल चाहे प्रतिपक्ष का हो, चाहे सत्ता दल का हो, सब को मिलकर कोई न कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए। वरना क्या कारण है, आज गुजरात के अन्दर बात चलती है, महाराष्ट्र के अन्दर बात चलती है, सहकार और सहकारिता के माध्यम से वहां के किसान को कितना फायदा मिलता है और हमारे सहकार और सहकारिता की बात चाहे हम कर लें, सब इन कागजों तक सीमित रहती है। मंत्री महोदय, आपने वादा किया था हर ग्राम पंचायत पर ग्राम सहकारी समिति के गठन का, आप उन वादों पर भी देखें।

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बात चली थी कि केन्द्र सरकार ने देश में काश्तकारों को ऋण माफी योजना दी और राजस्थान में भी 7 फीसदी किसानों को इसका फायदा मिला पर मैं यह जानना चाहता हूं, आपने किसान के खाते में तो अपलेखन कर दिया, किसान के खाते में तो उसका जो ऋण माफी पैसा था, आ गया, क्या आपको नाबार्ड से और भारत सरकार से जो पैसा आना चाहिए, वह पैसा आपको मिला? आपको वह पैसा, सभापति महोदय, 40-42 फीसदी मिला है। उसी का परिणाम है कि वैद्यनाथन समिति जहां एक ओर इन सारी संस्थाओं को वित्तीय सुदृढ़ता देना चाहती है, वहां दूसरी ओर भारत सरकार की ऋण माफी योजना जिसकी बहुत बड़ी वाहवाही हुई, ऋण माफ किया, हमने इतने हजार करोड़ और पांच वर्षों में उसको किया, आज वह पैसा नहीं आने के कारण वास्तविकता यह है, मंत्री महोदय, कि गांवों में सहकारी समितियां न तो अल्पकालीन ऋण बांट सकती हैं। न दीर्घकालीन ऋण बांट सकती हैं, न बीज और खाद के लिए ऋण बांट सकती हैं। इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि राजस्थान की सरकार कुछ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

न कुछ अपने स्वयं के संसाधनों से एक पैकेज दे ताकि ये जो सारी समितियां हैं ये अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री परसादी लाल जी मीणा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी जो आपके विचारार्थ बिल सदन में आया है, भारत सरकार, नाबार्ड और राजस्थान सरकार के बीच में 14 नवम्बर, 2006 को वैद्यनाथन कमेटी का पैकेज जो पूरे हिन्दुस्तान की स्टेट्स को दिया जाना था, भारत सरकार ने, संस्थाएं कमजोर हो गई थीं, उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण, उनको किस तरह और प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए एक पैकेज, सर्वे करके पूरे हिन्दुस्तान में और सारी राज्य सरकारों को कहा गया था कि हम इन शर्तों पर अगर स्टेट अपने अधिनियम में, अपने एक्ट में इस तरह संशोधन कर दे जो उन्होंने सुझाव दिये, उसके अनुसार अमेंडमेंट करेंगे तो हम आपको, यह सब स्टेट्स को अलग-अलग एक तरह से ऑफर दिया, स्टेट्स से बात की। हमारी भी स्टेट ने एक एम ओ यू किया। 14 नवम्बर, 2006 को भारत सरकार, नाबार्ड और राज्य सरकार का एम ओ यू होने के बाद, यहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी उस एम ओ यू का अनुमोदन किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर अंडरटेकिंग दे तो हम 25 परसेंट पैसा, एम ओ यू में कुल राशि 433.57 करोड़ भारत सरकार को देनी थी, राज्य सरकार को जो उसमें हिस्सा था वह 18.4 करोड़ देना था, इस तरह कुल 451 करोड़ का यह पैकेज था, बाकी 73 करोड़ की जो हानि थी बैंकों में, संस्थाओं में, वह सहकारी संस्थाओं को वहन करनी थी।

पैकेज की पिछली सरकार के समय भी काफी कोशिश की गई, कई बार बातचीत की गई पर जो उनकी एम ओ यू की शर्तें थीं, चुना हुआ संचालक मण्डल हो, ये सब चीजें थीं, अमेंडमेंट हमारे एक्ट में हो, अंडरटेकिंग देंगे, देगी सरकार तो हम 25 परसेंट राशि देंगे। अंडरटेकिंग भी दे दी गयी, उसके बाद भी... फिर हमारे स्टेट की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको टर्न-डाउन कर दिया, फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी के हस्तक्षेप से दुबारा यह पैकेज हुआ। 2008 में आपकी कैबिनेट ने जो हम उसमें संशोधन लेकर आए, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, जो हमने एम ओ यू में साइन किया था, वही करते हम

(श्री परसादीलाल)

इनमें पैकेज लेने के लिए, वही चीजें हमने इसमें डालीं, एक भी चीज को हमने इधर से उधर नहीं किया।

आपने कहा, 2001 में हमने एक्ट बनाया था, सलेक्ट कमेटी और हाउस की सर्वसम्मति से वह बिल बना, पास हुआ था। उसके बाद यह वैद्यनाथन पैकेज के कारण हमको यह संशोधन लेकर आना पड़ा। बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत अच्छी शर्तें हैं, जैसा कि आपने कहा, विभिन्न धाराओं में ये संशोधन इतने सारे कर दिये, इसमें माननीय सदस्य, नाबार्ड की जो शर्तें थीं कि अब सीईओ में भी सरकार का बहुत हस्तक्षेप होता है, राजनीतिक आधार पर सीईओ वगैरह लगाये जाते हैं बैंकों में, उन चीजों को कैसे..., नाबार्ड जो पैकेज इतना सारा दे रहा है, बहुत सारा पहले राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण घाटा हो चुका, संस्थाएं घाटे में थीं, ऋण नहीं दे सकती थीं, इतना बढ़िया पैकेज भारत सरकार हमको दे रही थी तो उनकी कुछ शर्तें थी। उन शर्तों के अनुसार ही हमने यह संशोधन जो आपके समय केबिनेट ने पास किया था, 2008 में आपकी केबिनेट ने पास किया, चुनाव आने के कारण उसको लागू नहीं कर सके, पैसा नहीं मिल सका। अभी 2009 में इसकी 3 साल की अवधि थी एम ओ यू की, 14 नवम्बर को समाप्त होने जा रहा था। अगर हम यह आर्डिनेंस नहीं लाते, मंत्रीमण्डल के सामने वापस लेकर नहीं जाते, माननीय मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में जब हम यह बात लाये, उन्होंने तुरत-फुरत में कैबिनेट की एक सब-कमेटी बनाई धारीवाल जी की चेयरमैनशिप में, बुरड़क साहब भी उसमें थे, हमने उसकी तुरत-फुरत में रिपोर्ट देकर इसका हमने एक आर्डिनेंस जारी करके और हमें खुशी यह है कि हमको बहुत बड़ा पैकेज, 75 परसेंट पैसा हमको अब तक मिल चुका है और हम ज्यों ही यह बिल पास करेंगे, जितना भी पैसा बाकी है, वह सारा का सारा पैसा भारत सरकार हमको दे देगी। इसका यही उद्देश्य था। जो आशंकाएं आपने व्यक्त कीं, आपको सब पता है, आपकी केबिनेट में पास हुआ है। इसलिए ऐसी कोई इसमें बात नहीं है।

इसमें जो भी अभी आपने कहा, कटारिया जी ने, जो सक्रिय नहीं हों उसको वोट देने का अधिकार नहीं हो। यह बायलाज में है, हम आपके सुझाव को लागू कर देंगे। ठीक बात है, जो संस्थाओं में केवल वोट लेने के लिए, वोट देने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, जो तीन साल का व्यवसाय नहीं करे, संस्था से लेनदेन नहीं करे, उनको भी हम इस उप-नियम में हमारे संशोधन कर देंगे।

(श्री परसादीलाल)

आपने कहा कि 4 प्रतिशत तक इसकी इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए। जो रेगुलर सदस्य जो टाइम पर चुकारा करते हैं, उनको भारत सरकार ने दो प्रतिशत की छूट दी है। चार प्रतिशत में हमको मिलता है, सी सी बी हैं, हमारी जी एस एस हैं, हमारे अपेक्स बैंक हैं, हम सात प्रतिशत पर इसको लोनिंग करते हैं। हमें खुशी है कि आपकी सरकार के समय भी जो 11 प्रतिशत से 7 प्रतिशत आया, उसका दो प्रतिशत भारत सरकार देगी और दो प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट हमारी संस्थाओं को देगी। तीन साल में हमको पैसा नहीं दिया, इसके कारण से करीब 100 करोड़ रुपये का हमारी सहकारी संस्थाओं को घाटा हुआ। इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमको और इस लोन को कैसे ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा किसानों को जिनके क्रेडिट बने हुए हैं, उनको हम कैसे सबको इनके साथ दें तो उसके लिए 30 करोड़ रुपये अभी हमारी बैंकों को अनुदान के रूप में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी बजट में दिये हैं। उससे हम 6 करोड़ तक का लोन किसानों को जो हमारे 29 लाख क्रेडिट कार्ड हैं, हम उन सबको लोन की व्यवस्था कर सकेंगे। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे।

आपकी भावना में भ्रष्टाचार के मामले भी हैं। बहुत पुराने मामले हैं, इतने सारे मामले आते हैं। इलेक्टेड बोर्ड हैं, बोर्ड के, सरकार के सामने कोई फाइलें नहीं आतीं फिर भी जानकारी में आता है। आडिट होती है, हमारे रजिस्ट्रार ऑडिट करते हैं, उन पर कार्यवाही करते हैं और एक लम्बी प्रक्रिया में ऐसे मामले उलझ जाते हैं। बहुत सारे मामले इस सरकार के पास आकर भी पेंडिंग हो जाते हैं। जब अभी दुबारा मुझको जब यह विभाग मिला तो बहुत सारी फाइलें थीं, कम से कम 500 फाइलें हमारे पास पेंडिंग थीं। ऐसे मामले जो कि केवल स्टे ले ले कि मेरे से वसूली नहीं की जाए, मेरे से यह रिकवरी नहीं हो, मेरी कुर्की नहीं हो, हमने उन सबके स्टे निरस्त कर दिये। हम यहां से, किसी भी सरकार के लेवल से, कोई भी जिसके रिकवरी बाकी है, भ्रष्टाचार का मामला है, एक भी किसी कार्यवाही में मेरे आने के बाद कम से कम मैंने एक भी केस में कोई स्टे नहीं दिया है। हमने कहा कि इन भ्रष्टाचारियों से, जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, इनसे सख्ती से वसूली करें।

इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि इस विभाग को किस तरह, जैसी कि भारत सरकार की भावना थी, वैद्यनाथन कमेटी के पैकेज की भावना थी, यह 435 करोड़ का जो पैकेज मिला है इसका सदुपयोग हो, किसानों को

(श्री परसादीलाल)

सहायता मिले, संस्थाएं मजबूत हों। तो हमारी भावना कटारिया जी की भावना के साथ है।

भूमि विकास बैंकों की बात है, दूसरे बैंकों की बात है, हमने गत वर्ष, मैंने डिमांड के समय कहा था कि हम सारी सहकारी संस्थाओं के चुनाव करा देंगे। एक भी संस्था ऐसी नहीं है, अपेक्स बाडी को छोड़कर के, हमने सारे चुनाव करा दिये। इस चुनाव की इलेक्शन अथारिटी एक तरह से अब रेगुलर प्रोसेस है। जैसे 2006 में इलेक्शन हुए, 2011 में जी एस एस के इलेक्शन वापस हो जायेंगे। अभी अमराराम जी कह रहे थे कि अपेक्स के चुनाव नहीं हुए, अपेक्स के चुनाव भी करायेंगे पर उसमें हमारे सामने एक समस्या आ गई कि एस सी, एस टी, ओ बी सी और महिलाओं के अपेक्स बाडी में रिजर्वेशन बाईलाज में नहीं हैं। अब हमने बाईलाज में अमेंडमेंट करने की कार्यवाही शुरू कर दी, उसके लिए हमको तीन महीने का समय चाहिए। हमें एक महीना उसको नोटिस दिये हुए हो गया, बाईलाज में ज्यों ही अमेंडमेंट होगा तो हम चुनाव के इस कार्य को भी करा देंगे।

हम चाहते हैं कि सहकारी संस्थाएं राजस्थान में अच्छा काम करें। राठौड़ साहब ने कहा जैसे, हर ग्राम पंचायत स्तर पर जी एस एस होनी चाहिए। आपके समय भी हर ग्राम पंचायत पर जी एस एस खोलने का आपकी कैबिनेट का फैसला था। पर उसमें अड़चन यह आ रही थी कि उसमें शेयर मनी 15 लाख थी। हमारी कैबिनेट का चिंतन शिविर हुआ, उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी उस शेयर मनी को घटाकर 7 लाख कर दिये। हम चाहते हैं कि अगर 7 लाख भी कोई जी एस एस, कोई 500 सदस्य मिलकर नहीं दे सके तो फिर वह सोसाइटी चलना असम्भव हो जाएगी।

इसलिए इस चीज को हमने शामिल करते हुए अमेंडमेंट किया, सब आपको जानकारी है। इसलिए अमेंडमेंट जो भी किये, बैंकों की प्रशासनिक व्यवस्था को, संचालक मण्डल के मामले में अभी कहा कि आर बी आई से नियोक्ता सम्बन्धी कोई फाइनेंस की गड़बड़ी होती है, कोई शिकायत होती है तो आर बी आई के निर्देश पर उस संचालक मण्डल को हटाया जा सकता है। इसलिए किया कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। जो निर्वाचित जन-प्रतिनिधि हैं उनको भय रहेगा कि अगर हमने इसमें कोई वित्तीय अनियमितता की तो आर बी आई हमको रिकमंड कर सकता है। वहां पर उसको हटाने की कार्यवाही आर बी आई की सिफारिश पर सरकार ही करेगी। दूसरी जो बात थी

(श्री परसादीलाल)

कि आर बी आई ने जो निर्देश दिया उसके जो भी डायरेक्शंस हैं, हमारे सारे बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस लेना जरूरी है। अब तक हमारे किसी भी बैंक के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं था, हमारी 15-16 बैंकों ने बैंकिंग लाइसेंस ले लिया। हम चाहते हैं कि जो कम्पीटिशन में, मार्केट में जो दूसरे बैंक आये उनके कम्पीटिशन में हमारे बैंक भी खड़े हों, वैसा बिजनेस वे भी करें। इसलिए हम कहते हैं कि पालिटिकल हस्तक्षेप कम से कम हो। सरकार के पहले तीन प्रतिनिधि होते थे, अब सरकार का एक ही प्रतिनिधि रहेगा। पालिटिकल हस्तक्षेप कम हो। सरकारी हस्तक्षेप कम हो। जो निर्वाचित संचालक मण्डल है, आप माननीय सदस्यों को खुशी होगी कि पहले एम डी को तीन लाख तक सैंक्शन करने की पावर थी, ब्रांच मैनेजर को 50 हजार की थी और चेयरमैन को पांच लाख तक की थी, हमने सबके पावर सीज कर दिये और निर्वाचित जो संचालक मण्डल है 11 सदस्यों का चाहे वह भूमि विकास बैंक हो, चाहे सी सी बी हो, संचालक मण्डल के बिना 10 रुपये की फाइल भी बैंकों में अब सैंक्शन नहीं हो सकती। इससे सबकी जानकारी में रहेगा, फर्जी या बोगस लोनिंग पर रोक लगेगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और मिलीभगत करके जो लोनिंग होती थी उस पर रोक लगाने की हमने पूरी कार्यवाही की है।

इसलिए यह विधेयक जो लाया गया है, वैद्यनाथन कमेटी का जो पैकेज मिलेगा उससे हम लोन जो किसानों को देना चाहते हैं, उसमें और ज्यादा हमको सहायता मिलेगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा सहकारिता का सुदृढ़ीकरण होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री सभापति)

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 21 – कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 21 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 21 स्वीकार किये गये।

खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

विधेयक का पारण

श्री परसादीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय?

जो पक्ष में हो, हां कहे।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हो, ना कहे।

अनेक माननीय सदस्य : ना।

श्री सभापति: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, राजस्थान सहकारी सोसाइटी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ना-ना, ना पक्ष। दुबारा पूछो आप।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.38 बजे शुक्रवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

श्रीगंगानगर जिले की सहकारी संस्थाओं को भू-आबंटन

399. श्री दौलतराज नायक (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2007-08 में सहकारी संस्थाओं की भूमि का आबंटन किया गया था? यदि हां, तो आबंटन कौन-कौनसी तहसील में कब एवं किस नियम के अनुसार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आबंटित भूमि का विधि परीक्षण कराया गया? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में उक्त भू-आबंटन हेतु नीति/नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीगंगानगर जिले की तहसील रायसिंहनगर में दिनांक 27.8.2008 को 26 व्यक्तियों को और दिनांक 05.09.2008 को 47 व्यक्तियों को राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आबंटन और विक्रय) नियम, 1956 के नियम 9-बी के उपनियम (8) के अनुसार सहकारी संस्थाओं की भूमि का आबंटन किया गया था। आबंटियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त भूमि आबंटन का विधिक परीक्षण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा कराया गया था। विधिक परीक्षण में उक्त आबंटन विधि विपरीत पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने हेतु राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की गयी है।

(3) राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आबंटन और विक्रय) नियम, 1956 के नियम 9-बी के उप नियम (8) के प्रावधान उचित एवं पर्याप्त है। अत: अलग से कोई नियम बनाया जाना आवश्यक नहीं है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	आबंटी का नाम	नाम चक	भूमि का विवरण जो आबंटन की गई	आबंटन दिनांक	विधि परीक्षण हुआ है या नहीं	यदि परीक्षण हुआ है तो उसके क्या परिणाम रहे	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राकेश कुमार पुत्र श्री दौलत राम	31 एनपी	2.908 है.	27.08.08	हां	उक्त प्रकरणों में विधि परीक्षण के बाद आबंटन विधिनुसार नहीं होने के कारण स्टेट की ओर से श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये।	वर्तमान में माननीय आर.ए.एस. के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है।
2.	सम्पत राम पुत्र श्री कैशरा राम	31 एनपी	1.798 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
3.	कृष्ण लाल पुत्र श्री देव चन्द	30 एनपी	5.591 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
4.	इन्द्राज पुत्र श्री तीलू राम	27 एनपी	3.836 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	नक्षत्र सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह	27 एनपी बी.	1.644 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
6.	भादरराम पुत्र श्री फताराम	27 एनपी ए.	3.795 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
7.	हनुमान पुत्र श्री सहीराम	27 एनपी ए.	5.162 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
8.	पदम सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह	31 एनपी	2.909 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
9.	राजविन्द सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह	27 एनपी ए.	3.669 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
10.	बलदेव पुत्र श्री डालू राम	30 एनपी	3.542 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
11.	गुरचरण सिंह पुत्र श्री गजन सिंह	30 एनपी	3.670 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
12.	जसवन्त सिंह पुत्र श्री मुखराम	30 एनपी	2.760 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
13.	मुखराम पुत्र श्री सुरजाराम	30 एनपी	3.720 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
14.	सोहन लाल पुत्र श्री गोपाल राम	30 एनपी	3.655 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
15.	मदन लाल पुत्र श्री मनीराम	31 एनपी	2.575 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
16.	राजा राम पुत्र श्री मूलाराम	31 एनपी	4.682 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
17.	जगदीश पुत्र श्री मुखराम	30 एनपी	2.758 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	ज्ञानी राम पुत्र श्री ख्यालीराम	30 एनपी	4.554 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
19.	भजन लाल पुत्र श्री धन्नाराम	31 एनपी	2.552 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
20.	चाहर लाल पुत्र श्री गोपाल राम	30 एनपी	3.037 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
21.	भागीरथ पुत्र श्री मनीराम	31 एनपी	2.563 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
22.	बद्री प्रसाद पुत्र श्री दुलाराम	27 एनपी ए.	3.669 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
23.	मुखराम पुत्र श्री रामप्रताप	27 एनपी ए.	3.861 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
24.	हनुमान पुत्र श्री सुरजाराम	27 एनपी ए.	4.429 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
25.	सुलोचना पुत्र श्री लेखराम	27 एनपी ए.	5.012 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
26.	हेतराम पुत्र श्री मोमन राम	27 एनपी ए.	5.389 है.	27.08.08	हां	—do—	—do—
27.	गनीराम पुत्र श्री उमाराम	29 एनपी	1.582 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
28.	चानण देवी पुत्र श्री लेखराम	29 एनपी	1.708 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
29.	साधुराम पुत्र श्री कालुराम	29 एनपी	3.288 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
30.	शक्ति सिंह पुत्र श्री मनीराम	29 एनपी	2.785 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	रोशनी देवी पत्नी श्री शक्ति सिंह	29 एनपी	1.771 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
32.	श्योपत राम पुत्र श्री उमाराम	29 एनपी	1.594 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
33.	हनुमान पुत्र श्री दुलीचन्द	30 एनपी	3.163 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
34.	गुलाब चन्द पुत्र श्री दुलीचन्द	30 एनपी	3.164 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
35.	सुभाष पुत्र श्री फरसा राम	30 एनपी	4.682 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
36.	दीनदयाल पुत्र श्री गिरधारी	30 एनपी	6.804 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
37.	महावीर पुत्र श्री बृजलाल	30 एनपी	4.680 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
38.	प्रेमचन्द पुत्र श्री मनीराम	30 एनपी	6.971 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
39.	गणपत राम पुत्र श्री गोरीशंकर	31 एनपी	5.377 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
40.	राजाराम पुत्र श्री भैरा राम	31 एनपी	3.644 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
41.	भूपराम पुत्र श्री मनफूल राम	31 एनपी	4.263 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
42.	विनोद कुमार पुत्र श्री केशरा राम	31 एनपी	1.784 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
43.	रणजीत पुत्र श्री कृष्ण लाल	30 एनपी	4.239 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	भादर राम पुत्र श्री भैरा राम	31 एनपी	2.277 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
45.	त्रिवेणी देवी पत्नी श्री श्रवण कुमार	30 एनपी	6.325 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
46.	सुरजा राम पुत्र श्री नानू राम	31 एनपी	2.907 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
47.	गोपी राम पुत्र श्री दाना राम	31 एनपी	2.507 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
48.	महावीर प्रसाद पुत्र श्री करणी राम	31 एनपी	2.062 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
49.	ताराचन्द पुत्र श्री धनाराम	31 एनपी	2.746 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
50.	बजरंग पुत्र श्री सुलतानराम	30 एनपी	2.199 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
51.	ओमप्रकाश पुत्र श्री रावताराम	30 एनपी	1.418 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
52.	भजनलाल-कृष्ण लाल-पृथ्वीनाथ पुत्र श्री धनाराम	31 एनपी	2.316 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
53.	द्रोपती देवी पत्नी श्री कालू राम	27 एनपी ए.	3.492 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
54.	गोपाल पुत्र श्री बीरबल 31 एनपी	31 एनपी	1.076 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
55.	दलीपगर पुत्र श्री सुलतानगर	30 एनपी	2.202 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	मदन लाल पुत्र श्री रावतगर	30 एनपी	2.366 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
57.	रेशमा देवी वगैरा पत्नी श्री पतराम	31 एनपी	2.250 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
58.	सुभाष पुत्र श्री बद्रीराम	31 एनपी	3.847 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
59.	कृष्णा देवी पुत्र श्री कृष्ण लाल	30 एनपी	4.075 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
60.	हंसराज पुत्र श्री मनफूल राम	31 एनपी	3.922 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
61.	कृष्ण लाल पुत्र श्री मनीराम	31 एनपी	2.085 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
62.	हंसराज पुत्र श्री धनाराम	31 एनपी	2.442 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
63.	सीता राम पुत्र श्री धनाराम	31 एनपी	2.202 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
64.	राधाकिशन पुत्र श्री मुला राम	31 एनपी	4.567 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
65.	प्रेम कुमार पुत्र श्री मोमन राम	31 एनपी	3.162 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
66.	जगदीश पुत्र श्री सहीराम	29 एनपी	2.024 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—
67.	मुलखराज पुत्र श्री मूलचन्द	27 एनपी ए.	2.581 है.	05.09.08	हां	—do—	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	कृष्ण लाल पुत्र श्री नत्थुराम सूर्य प्रकाश पुत्र श्री कृष्ण लाल	30 एनपी	2.733 हैट.	05.09.08	हां	—do—	—do—
69.	हंसराज पुत्र श्री सुलतानगर	30 एनपी	2.193 हैट.	05.09.08	हां	—do—	—do—
70.	लालचन्द पुत्र श्री पेमा राम	31 एनपी	3.783 हैट.	05.09.08	हां	—do—	—do—
71.	नेतराम पुत्र श्री बीरबल	31 एनपी	1.011 हैट.	05.09.08	हां	—do—	—do—
72.	रामप्रताप पुत्र श्री मनीराम	31 एनपी	3.172 हैट.	05.09.08	हां	—do—	—do—
73.	लालचन्द पुत्र श्री बीरबल राम	31 एनपी	1.076 हैट.	05.09.08	हां	—do—	—do—

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सतर्कता समिति द्वारा दर्ज प्रकरण

400. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियंता पद तक के लिए विजीलेंस हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त अभियन्ताओं को प्रतिमाह कितने-कितने विजीलेंस के लक्ष्य निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009-10 में जोधपुर जिले के पंचायत समितिवार विजीलेंस कमेटी द्वारा कितनी-कितनी विजीलेंस जांच कहां-कहां की गई तथा कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा कितनी राशि की वसूली की गई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में विजीलेंस जांच के कितने प्रकरण दर्ज हुए तथा कितनी राशि वसूली गई एवं विद्युत छीजत में कितनी कमी हुई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत निगमों के अन्तर्गत बिजली चोरी रोकने के लिए सतर्कता एवं पवस शाखा में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारियों के लिए सतर्कता जांच (Checking) में निगमवार निम्नानुसार मासिक लक्ष्य निर्धारित किये हुये हैं :—

पद का नाम	जयपुर		अजमेर		जोधपुर	
	सतर्कता शाखा	पवस शाखा	सतर्कता शाखा	पवस शाखा	सतर्कता शाखा	पवस शाखा
कनिष्ठ अभियंता	-	15	-	15	-	15
सहायक अभियंता	60	15	60	15	60	15
अधिशाषी अभियंता	60	10	60	10	60	10

सतर्कता जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, अति. मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों के लिये अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हुये हैं, किन्तु उक्त अधिकारियों द्वारा आकस्मिक चैकिंग किये जाने पर कोई रोक नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जोधपुर जिले में वर्ष 2009-10 में फरवरी, 2010 तक की गई विजीलेंस, प्रकरणों की संख्या एवं वसूली गई राशि का पंचायत समितिवार विवरण प्रपत्र "अ" पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में विजीलेंस के प्रकरण, वसूल की गई राशि एवं विद्युत छीजत में हुई कमी का विवरण प्रपत्र "ब" पर उपलब्ध है।

प्रपत्र "अ"

क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम	की गई विजिलेन्स के दर्ज प्रकरणों की संख्या		वसूल की गई राशि (लाखों में)
		संख्या	दर्ज एफ.आई.आर. की संख्या	
1.	मण्डोर	822	14	8.7
2.	लूणी	427	30	2.8
3.	बालेसर	351	5	9.32
4.	शेरगढ़	682	4	17.92
5.	बिलाड़ा	1161	34	23.25
6.	भोपालगढ़	613	24	5.81
7.	औसियां	3325	29	34.46
8.	फलौदी	1166	4	36.48
9.	बाप	513	0	14.37
10.	जोधपुर शहर वृत	4686	13	107.86
	कुल योग	**13746**	**157**	**260.97**

प्रपत्र "ब"

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	पंचायत समिति का नाम	की गई विजिलेन्स के प्रकरणों की संख्या	दर्ज एफ.आई. आर. की संख्या	वसूल की गई राशि (लाखों में)	छीजत की कमी (प्रतिशत में)
1.	बिलाड़ा खण्ड	बिलाड़ा	1161	34	23.25	**2.99**
2.	जिला खण्ड, जोधपुर	मण्डोर	49	Nil	1	
3.		लूणी	70	Nil	1.83	
		कुल योग	**1280**	**34**	**26.08**	

धरियावद में नरेगा योजना में कार्यरत श्रमिकों का बकाया भुगतान

401. श्री नगराज (धरियावद) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद के खण्ड धरियावद एवं सलूम्बर में वर्ष 2009-10 में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि श्रम पेटे तथा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में कितनी राशि सामग्री पर व्यय की गई? विवरण कार्यवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009-10 में कितने-कितने श्रमिक किस-किस मद में नियोजित किये गये तथा उक्त श्रमिकों का कितना भुगतान किया जा चुका है और कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि काफी श्रमिकों का भुगतान अन्य योजना एवं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में अब तक बकाया चल रहा है? क्या सरकार उक्त श्रमिकों का भुगतान समय पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में खण्ड धरियावद एवं सलूम्बर में वर्ष 2009-10 (फरवरी, 2010 तक) में मदवार श्रम व सामग्री मद में व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री

राशि लाखों में

क्र. सं.	मद/योजना	धरियावद खण्ड व्यय राशि		सलूम्बर खण्ड व्यय राशि		कुल व्यय	
		श्रम	**सामग्री**	**श्रम**	**सामग्री**	**श्रम**	**सामग्री**
1.	MGNREGA	2392.90	1086.36	233.12	96.60	2626.02	1182.96
2.	MLALAD	10.60	15.90	0.72	4.28	11.32	20.18
3.	SFC	0.00	0.00	0.41	2.23	0.41	2.23
4.	TFC	0.00	0.00	2.39	17.08	2.39	17.08
5.	BRGF	30.46	45.69	9.11	31.22	39.57	76.91
6.	TADA	39.20	58.69	0.00	0.00	39.20	58.59
	Total	**2473.16**	**1206.64**	**245.75**	**151.41**	**2729.84**	**1357.95**

(2) वर्ष 2009-10 में योजनावार नियोजित श्रमिकों को किये गये भुगतान व बकाया भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :-

ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री

मद	धरियावद			सलूम्बर			योग		
	नियोजित श्रमिकों	श्रमिकों को भुगतान किया गया	बकाया श्रमिक भुगतान	नियोजित श्रमिकों	श्रमिकों को भुगतान किया गया	बकाया श्रमिक भुगतान	नियोजित श्रमिक	श्रमिकों को भुगतान किया गया	बकाया श्रमिक भुगतान
MGNREGA	38788	2403.83	0	110906	233.12	0	149694	2626.02	0
MLALAD	1470	10.6	0	109	0.72	0	1579	11.32	0
SFC	0	0	0	51	0.41	0	51	0.41	0
TFC	0	0	0	510	2.39	0	510	2.39	0
BRGF	2870	30.46	0	859	9.11	0	3729	39.57	0
TADA	415	39.20	0	0	0	0	415	39.20	0
Total	**43543**	**2484.09**	**0**	**112435**	**245.75**	**0**	**155978**	**2729.84**	**0**

ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री

(3) महानरेगा योजना के तहत फरवरी, 2010 तक का भुगतान किया जा चुका है, मार्च, 2010 तक का भुगतान प्रगति पर है।

बहरोड़ में पशुपालन हेतु ऋण

402. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में पशुपालन हेतु किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना ऋण पशुओं पर दिया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में पशुओं पर दिया गया ऋण पशुओं की मौत होने पर किस-किस व्यक्ति का माफ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु अधिक से अधिक पशुपालकों को ऋण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी राशि तथा कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना व पोप योजना में पंचायत समिति बहरोड़ में 164 एवं नीमराना में 138 कुल 302 पशुपालकों को पशुओं हेतु ऋण दिया गया है। ग्राम पंचायत वार सूची एवं ऋण राशि की सूचना परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) शून्य

(3) जी हां। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत चयनित बीपीएल परिवारों को पशुपालन हेतु योजना के प्रावधानों के अनुसार निरन्तर रूप से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में मिलावटी देशी घी निर्माता एवं विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही

403. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक कहां-कहां पर कितनी-कितनी मात्रा में नकली घी बरामद हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप कसाना)

(2) उक्त नकली घी बेचने एवं बनाने वाले कितने लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा नकली घी बेचने एवं बनाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नकली देशी घी निर्माता व विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत नमूने मानकों के अनुरूप अथवा मिलावटी/मिसब्राण्ड ही घोषित किये जाते हैं। नकली शब्द का उपयोग अधिनियम में नहीं किया गया है। प्रदेश में जनवरी 2009 से जनवरी 2010 तक खाद्य निरीक्षकों द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान मिलावट का संदेह होने पर 810 घी के नमूने भिन्न स्थानों से जांच हेतु लिये गये जिनमें से जांच बाद 153 नमूने अपमिश्रित/मिसब्राण्ड पाये गये। विभाग के खाद्य निरीक्षकों द्वारा उक्त अवधि में कोई घी सीज नहीं किया गया है। जांच हेतु लिये गये नमूनों के मालिक का नाम व स्थान का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) प्रदेश में जनवरी 2009 से जनवरी 2010 तक विभाग के खाद्य निरीक्षकों के द्वारा 810 घी के नमूने जांच हेतु लिये, जिनमें से 53 नमूने अपमिश्रित/मिसब्राण्ड पाये गये। अपमिश्रित/मिसब्राण्ड पाये गये प्रकरणों में से 74 में दोषियों के विरुद्ध चालान/अभियोग माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। शेष 79 के विरुद्ध अभियोग दायर करने की कार्यवाही अनुसंधान में है अनुसंधान पूर्ण होते ही वाद दायर करने की कार्यवाही कर दी जावेगी। अपमिश्रित/मिलावटी पाये गये प्रकरण व उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) अपमिश्रित/मिसब्राण्ड घी बनाने एवं बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पीएफए एक्ट 1957 बनाया गया है जिसमें निहित प्रावधान अनुसार विभाग द्वारा निदेशालय मुख्यालय, जोन मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय पर 84 खाद्य निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है। जिनके द्वारा घी व अन्य खाद्य सामग्री बेचने व बनाने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच कर मिलावट का संदेह होने पर पीएफए एक्ट के तहत नमूनीकरण की कार्यवाही की जाती है।

810 घी के नमूने जांच हेतु लिये गये थे, जिनमें से 153 नमूने अपमिश्रित/

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

मिसब्राण्ड पाये गये। अपमिश्रित/मिसब्राण्ड पाये गये प्रकरणों में से 74 में दोषियों के विरुद्ध चालान/अभियोग माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। शेष 79 के विरुद्ध अभियोग दायर करने की कार्यवाही अनुसंधान में है। अनुसंधान पूर्ण होते ही वाद दायर करने की कार्यवाही कर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त सभी सम्भाग मुख्यालयों पर आम जनता में मिलावट के प्रति जागरूकता पैदा करने व खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच मौके पर ही कर परिणामों से अवगत कराने हेतु मोबाईल जांच प्रयोगशाला प्रारम्भ की गई है व सभी जिलों में इस प्रकार की चल प्रयोगशालायें स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा जांच व्यवस्था सुदृढ़ीकरण व पीएफए एक्ट में निर्धारित समय सीमा पर जांच रिपोर्ट जारी करने हेतु विभाग द्वारा स्थापित 6 जन प्रयोगशालाओं में पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के अतिरिक्त 33 और जन विश्लेषक (प्रशिक्षु) की नियुक्ति कर दी गई है।

(4) जी नहीं। मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पीएफए एक्ट 1954 बनाया गया है। जो केन्द्र के साथ-साथ सभी राज्यों में लागू है। जो मिलावटी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त है। पीएफए एक्ट 1954 केन्द्रीय अधिनियम है जिसमें संशोधन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ की चरागाह एवं सिवाय चक भूमि का सीमाज्ञान

404. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायतों में चरागाह/सिवाय-चक जमीनों का सीमाज्ञान नहीं होने के कारण नरेगा का कार्य बाधित (बंद) हो गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चरागाह/सिवाय चक भूमि का सीमाज्ञान अविलम्ब करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में चरागाह भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा स्थगन आदेश ले रखा है? यदि हां, तो कौन-कौन सी ग्राम

(श्री गोपाल मीणा)

पंचायत में? क्या उक्त स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने हेतु तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध चरागाह/सिवाय चक भूमि के सीमाज्ञान हेतु ग्राम पंचायत द्वारा तहसील कार्यालय में आवेदन करने पर नियमानुसार सीमाज्ञान करा दिया जायेगा।

(3) जी नहीं। चरागाह भूमि पर किसी ने स्थगन नहीं ले रखा है।

(4) चरागाह एवं सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरण सामने आने पर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में प्रावधान हैं और उक्त धारा के अन्तर्गत अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा

405. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में उच्च शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे में पदों का स्तर एवं पदोन्नति किस प्रकार से है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह रचना सामान्य प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे ठीक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) **विश्वविद्यालय का प्रशासनिक ढांचा**

महामहिम राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति

कुलपति

- कुल सचिव → उप कुल सचिव → सहायक कुल सचिव → अनुभागाधिकारी
- परीक्षानियंत्रक → उप कुल सचिव → सहायक कुल सचिव → अनुभागाधिकारी
- वित्त अधिकारी → उप कुल सचिव → सहायक कुल सचिव → अनुभागाधिकारी

विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक ढांचा

कुलपति

↓

संकाय अधिष्ठाता

(कुलपति द्वारा नियुक्त)

- विषय विभागाध्यक्ष/ प्रोफेसर → एसोसिएट प्रोफेसर → सहायक प्रोफेसर
- पुस्तकालयाध्यक्ष → उप पुस्तकालयाध्यक्ष → सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
- निदेशक शारीरिक शिक्षा → उप निदेशक शारीरिक शिक्षा → सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा

आयुक्तालय स्तर पर प्रशासनिक ढांचा आयुक्त

आयुक्त

- संयुक्त निदेशक पांच पद → उप निदेशक तीन पद → सहायक निदेशक ग्यारह पद
  - मुख्यालय पर 5 पद
  - सम्भाग स्तर पर 6 पद
- मुख्यलेखाधिकारी एक पद → लेखाधिकारी एक पद → सहायक लेखाधिकारी चार पद → लेखाकार दो पद → कनिष्ठ लेखाकार सात पद
- उप विधिपरामर्शी एक पद → मुख्य विधि सहायक एक पद
- समन्वयक एन.एस.एस. एक पद

(उच्च शिक्षा मंत्री)

महाविद्यालय स्तर पर प्रशासनिक ढांचा

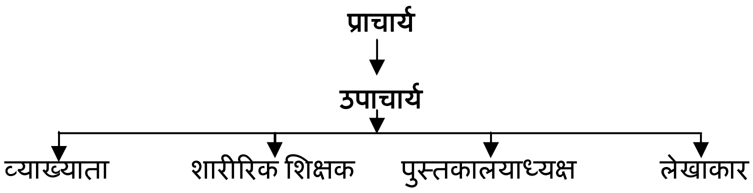

उक्त पदों पर पदस्थापित अधिकारियों के भर्ती/पदौन्नति प्रक्रिया की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

परिशिष्ट "अ"

1. विश्वविद्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों की भर्ती/पदौन्नति निम्नानुसार की जाती है :-

(1) कुलपति-विश्वविद्यालय प्रमुख-कुलाधिपति महोदय द्वारा नियुक्त सर्च कमेटी की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त।

(2) कुल सचिव-विश्वविद्यालय का प्रमुख का प्रशासनिक अधिकारी-कोटा विश्वविद्यालय कोटा एवं महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। इस विभाग के अधीन सभी विश्वविद्यालयों यथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय सिण्डीकेट/प्रबंध मण्डल द्वारा किया जाता है।

(3) अतिरिक्त कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप कुल सचिव तथा सहायक कुल सचिव-विश्वविद्यालय द्वारा सीधी भर्ती से चयनित किये जाते हैं।

(4) वित्त अधिकारी-राज्य लेखा सेवा का अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(5) अनुभागाधिकारी-मंत्रालयिक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

(6) सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पुस्तकालयाध्यक्ष सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा, उप निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं निदेशक शारीरिक शिक्षा सभी सीधी भर्ती से चयनित किये जाते है।

विभागाध्यक्ष वरिष्ठता अथवा चक्रित क्रम से चुने जाते हैं।

आयुक्तालय कालेज शिक्षा/महाविद्यालय में भर्ती/पदोन्नति

(ए)	व्याख्याता/सहायक निदेशक/ समन्वयक (एन.एस.एस.)	सीधी भर्ती से।
(बी)	उपाचार्य	व्याख्याता के पद से पदौन्नति
(सी)	उप निदेशक/प्राचार्य स्नातक स्तर	उपाचार्य/व्याख्याता के पद से पदौन्नति
(डी)	संयुक्त निदेशक/प्राचार्य स्नातकोत्तर स्तर	उप निदेशक/प्राचार्य स्नातक स्तर के पद से पदौन्नति
(ई)	निदेशक (अकादमी)	संयुक्त निदेशक/प्राचार्य स्नातकोत्तर स्तर के पद से पदौन्नति
(एफ)	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (डाईंग केडर घोषित)	सीधी भर्ती द्वारा
(जी)	पुस्तकालयाध्यक्ष (स्नातक)	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष से पदौन्नति द्वारा
(एच)	पुस्तकालयाध्यक्ष स्नातकोत्तर स्तर	पुस्तकालयाध्यक्ष (स्नातक) पदौन्नति द्वारा
(आई)	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (अधिनस्थ सेवा)	सीधी भर्ती द्वारा

(जे)	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक कालेज शिक्षा	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (अधिनस्थ सेवा) पदोन्नति द्वारा
(के)	आयुक्तालय कालेज शिक्षा में लेखा संवर्ग, विधि संवर्ग के अधिकारी	पदोन्नति का कार्य उक्त संवर्ग के पैतृक विभाग द्वारा किया जाता है

लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन

406. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों के पुनर्सीमांकन के मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या सरकार उक्त मानदण्डों में कोई संशोधन/परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं संशोधन/परिवर्तन कब तक किये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला सीकर के विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायतों का तथा कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायतों का पुनर्गठन पंचायती राज अधिनियम की धारा-101 के तहत राज्य सरकार के विवेकाधीन है।

(2) जी नहीं। पंचायती राज अधिनियम, 1994 में यह प्रावधान है कि किसी भी पंचायत का पुनर्गठन करने पर पुनर्गठित पंचायत भंग हो जाती है और 6 माह में उनके नये चुनाव करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2010 में सम्पन्न हुए है। अत: फिलहाल कोई नई पंचायत बनाने का विचार नहीं है।

ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी खारची (पाली) के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की जांच

407. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खारची को

(श्री केसाराम चौधरी)

सेवाभिलेख कम्प्यूटरीकरण हेतु राशि का त्रुटिपूर्ण तरीके से समायोजन करने के कारण दोषी मानते हुये, इनके विरुद्ध सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु सहायक लेखाधिकारी, पाली को निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो सहायक लेखाधिकारी को जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यवाही सहायक लेखाधिकारी को कितने दिवसों में पूर्ण करनी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त कार्यवाही में विलम्ब किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त संबंध में सहायक लेखाधिकारी, पाली द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? जारी आदेशों/निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त कार्यवाही हेतु आदेश में दिवस निर्धारित नहीं कर अविलम्ब प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(3) तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव समय पर नहीं भिजवाने के कारण कार्यवाही में विलम्ब हुआ है।

(4) जी हां। 1. अनियमितता करने वाले अधिकारी ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खारची के विरूद्ध आरोप पत्रादि दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. विलम्ब के लिए दोषी तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(5) सहायक लेखाधिकारी के द्वारा दिनांक 25.8.2009 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

क्रमांक : सतर्कता जांच/खारची/2009/4817-18 दिनांक 26.5.2009

श्री रत्नाराम चौधरी,

सहायक लेखाधिकारी, इस कार्यालय।

विषय :- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची की व्यवस्था सुधारने बाबत शिकायत द्वारा श्री गणपत लाल।

संदर्भ :- जांच दल के प्रतिवेदन दिनांक 22.5.2009

उपरोक्त विषयक जांच में जांच के बिन्दु संख्या 8 में बी.सी.एम.ओ. खारची (मारवाड़ जंक्शन) के अधीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर संधारित रोकड़ बही के संधारण में एवं कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु आहरित अग्रिम राशि एवं समायोजन त्रुटिपूर्ण तरीके से होना प्रतिवेदित है, के क्रम में दोषी कार्मिकों द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का संदर्भ देते हुये नियमानुसार कार्यवाही के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का श्रम करें।

कृपया अपेक्षित प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करावें ताकि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सतर्कता समिति को पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके।

ह.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

परिशिष्ट "ब"

खारची क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर आबंटित अनटाइड फण्ड में अनियमितता बाबत्

सर,

खारची क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर आबंटित अनटाइड फण्ड में से सेवा पुस्तिकाओं का कम्प्यूटराइजेशन कार्य करवाया गया जबकि निर्देशानुसार यह कार्य ब्लाक एवं उनके अधीन कार्यरत डाटा एन्ट्री आपरेटर द्वारा करवाया जाना था। एन.आर.एच.एम. की गाइड लाइन अनुसार भी अनटाइड फण्ड से यह कार्य करवाना अनियमित है।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों के रिकार्ड का अवलोकन करने तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के बयानों से यह बात स्पष्ट हुई है कि उक्त कार्य हेतु ब्लाक स्तर से निर्देशित किया गया था तथा कार्य ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार प्राइवेट फर्म/व्यक्ति से करवाया गया है। कार्य करवाने हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्रों से राशि अग्रिम देने तथा उसके समायोजन की प्रविष्टियां भी त्रुटिपूर्ण हैं।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों का स्टाफ रोकड पुस्तिकाओं को सही रूप में संशोधन नहीं कर पा रहे हैं। अत: इस बाबत ए.एन.एम./जी.एन.एम. को ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है। ब्लाक में अनुबन्ध आधार पर जो लेखाकार लगे हुए हैं उनके द्वारा भी लेखों के संधारण हेतु सही मार्गदर्शन नहीं किया जा रहा है। अत: उन्हें इस कार्यालय में कार्यरत डी.ए.एम. द्वारा मार्गदर्शन/प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

खारची ब्लाक में सेवा पुस्तिकाओं के कम्प्यूटरीकरण तथा व्यय एवं रोकड, पुस्तिकाओं के उचित संधारण करवाने हेतु ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी खारची प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है।

ह.
सहायक लेखाधिकारी
25.08.2009

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शेरगढ़ के सैनिक कल्याण कार्यालय हेतु भवन निर्माण

670. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ में दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक शेरगढ़ सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा भूतपूर्व सैनिक, शहीद विधवा, सैनिकों के लिये कोई कार्य किये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेरगढ़ सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सैनिक कल्याण कार्यालय, शेरगढ़ द्वारा दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक भूतपूर्व सैनिक, शहीद विधवा, सैनिकों के लिए किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ए" में संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

परिशिष्ट "ए"

दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक सैनिक कल्याण कार्यालय, शेरगढ़ द्वारा पूर्व सैनिक, शहीद विधवा एवं सैनिकों के लिए किये गये कार्यों का विवरण

क्रम सं.	भुगतान की गई सुविधा का विवरण	संख्या/विशेष विवरण
1	**2**	**3**
1.	भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र	176
2.	भूतपूर्व सैनिक विधवा पहचान पत्र	74
3.	पारिवारिक पेंशन	45
4.	पेंशन रिवीजन एवं नोमिनेशन	05
5.	आर्मी ग्रुप इन्श्योरेन्स	04

1	2	3
6.	पार्ट टू आर्डर	60
7.	पुलिस प्रकरणों का निस्तारण	05
8.	पुन: नियोजन हेतु पंजीकरण	52
9.	पुन: नियोजन राज्य सरकार	50 पूर्व सैनिकों की सूची आबकारी विभाग को प्रेषित की गई।
10.	राज्य सरकार में शहीद आश्रितों को नियोजन	2 आवेदन पत्र प्रेषित किये गये।
11.	पूर्व सैनिकों के आश्रितों को अमलगमेटेड फण्ड से छात्रवृत्ति	04
12.	रिकार्डस कार्यालयों से डिमाइज ग्रान्ट	10
13.	ए.सी.डब्ल्यू. फंड से सहायता	22
14.	मेडिकल बेनेफिट कार्ड की राशि का भुगतान	95
15.	अभिलेख कार्यालयों से आर्थिक सहायता	02
16.	सैन्य कार्यालयों से डी.डी. 40 कल्याण निधि से सहायता	02
17.	सेवारत सैनिकों के वर्तमान पते की जांच प्रकरण	04
18.	सेवारत सैनिकों के सेवानिवृत्ति जांच प्रकरण	01
19.	डुप्लीकेट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट	19
20.	आश्रित प्रमाण पत्र	05
21.	विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता देने हेतु पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र	464
22.	कोचिंग हेतु अनुदान अमलगमेटेड फंड से सहायता	02 आवेदन प्रेषित।
23.	पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान	10
24.	कैंटीन सुविधा	सुविधा प्रदान की जा रही है।

1	2	3
25.	पूर्व सैनिक/विधवाओं की विभिन्न समस्याओं के प्रकरण	05
26.	ई.सी.एच.एस. कार्ड बनवाने हेतु सहायता	20
27.	द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन का भुगतान	326 पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को 800/- प्रतिमाह सहायता/पेंशन
28.	सम्मान भत्ता का भुगतान	28 युद्ध वीरांगनाओं को 300+450=750/- प्रतिमाह प्रत्येक विरांगना को भुगतान।
29.	ध्वज दिवस की राशि प्राप्त की गई	30,000/- रुपये

देवगढ़ उपखण्ड कार्यालय हेतु भवन निर्माण

671. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार उपखण्ड भीम के नवनिर्मित भवन को अन्य मंत्रालयिक एवं रिकार्ड रूम हेतु और राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार नवीन स्वीकृत उपखण्ड कार्यालय देवगढ़ हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। उपखण्ड अधिकारी भीम के कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 06.10.2008 में मंत्रालयिक/रिकार्ड रूम का निर्माण करवाया जाना सम्मिलित है।

(2) जी हां। उपखण्ड कार्यालय, देवगढ़ के भवन निर्माण हेतु दिनांक 29.01.2010 को स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

बीकानेर जिले के चकगर्बी ग्राम की भूमि पर उत्तर रेलवे द्वारा अतिक्रमण

672. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) सरकार द्वारा तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर के ग्राम चकगर्बी में उत्तर रेलवे बीकानेर को कितनी भूमि का आबंटन किन-किन खसरा नम्बरों में कितनी बीघा किस आदेश से किया गया? आदेश की प्रति सहित व विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उत्तर रेलवे बीकानेर को जितनी भूमि का आबंटन किया गया, उससे कहीं अधिक उत्तर रेलवे बीकानेर ने काश्तकारों की भूमि पर कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों की भूमि पर सूची, नाम, पता, खसरा नम्बर व बीघा सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम चकगर्बी के ख. नं. 160 रकबा 53.18, ख. नं. 242 रकबा 78.15; ख. नं. 351 रकबा 562.14 ख. नं. 411 रकबा 4.05, ख. नं. 412 रकबा 22.17, ख. नं. 268 रकबा 2.15, ख. नं. 269 रकबा 4.16, ख. नं. 270 रकबा 3.16 बीघा, ख. नं. 271 रकबा 5.17 एवं ख. नं. 272 रकबा 3.03 कुल 742.16 बीघा खाम रेलवे के नाम दर्ज है। रिकार्ड में उक्त इन्द्राज 45-50 वर्ष पुराना है। कलक्टर बीकानेर ने आबंटन आदेश उपलब्ध नहीं होना सूचित किया है।

(2) उक्त भूमि के अलावा काश्तकारों की भूमि पर कब्जे का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं होना कलक्टर बीकानेर ने सूचित किया है।

ब्यावर को जिले का दर्जा

673. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ब्यावर शहर जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रान्त का 11वां बड़ा शहर है? क्या सरकार ब्यावर को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में जनगणना-2011 का कार्य प्रक्रियाधीन होने से प्रशासनिक इकाइयों (जिला, तहसील एवं ग्राम) के पुर्नगठन/सीमा परिवर्तन पर 31 मार्च, 2011 तक जनगणना निदेशालय, भारत सरकार का प्रतिबन्ध है। अगर राज्य सरकार को ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होता है तो 31 मार्च, 2011 के बाद उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

सीकर व जयपुर जिले में राजस्व भूमि पर संचालित ईंट भट्टे

674. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर एवं जयपुर में राजस्व भूमि पर ईंट भट्टे कहां-कहां पर संचालित हैं तथा इनकी स्वीकृति किस स्तर पर दी गई? क्या इन भट्टों की राजस्व भूमि व्यावसायिक भूमि में परिवर्तित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या भू-उपयोग परिवर्तन कराये बगैर ईंट भट्टों का व्यावसायिक उपयोग किये जाने पर इनके विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में राजस्व भूमि पर संचालित ईंट भट्टों का विवरण परिशिष्ट "क'' पर संलग्न है। जिला जयपुर में राजस्व भूमि पर संचालित ईंट भट्टों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराये बगैर ईंट भट्टों का व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर इनके विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। जिला सीकर के परिशिष्ट "अ" में वर्णित जिन प्रकरणों में रूपान्तरण नहीं हुआ है उनमें कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है। जिला जयपुर का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। शेष प्रकरणों में कार्यवाही हेतु निर्देश जारी कर दिए हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

खाजूवाला के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

675. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कितने मुरब्बों को गजट में शामिल किया गया? क्या उक्त मुरब्बे किसानों को आबंटित कर उनका राजस्व रिकार्ड में राज-रकबा दर्ज कर दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि काश्तकारों द्वारा रकम जमा कराने के बावजूद भी इन्हें खातेदारी नहीं दी जा रही है? क्या सरकार ऐसे काश्तकारों को उक्त भूमि गजट में निकालकर खातेदारी दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में विशेष आबंटन हेतु अधिसूचित एवं आबंटित किये गये मुरब्बों की तहसीलवार संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम तहसील	अधिसूचित मुरब्बों की संख्या	आबंटित मुरब्बों की संख्या	खातेदारी दिये गये आबंटियों की संख्या
1.	पूगल	382	62	51
2.	खाजूवाला	1117	168	76
3.	छतरगढ़	1403	452	137
4.	बीकानेर	48	10	10
5.	कोलायत नं. 1 (दो गांव अमरापुरा व अमरेवाला)	401	401	81
	योग	**3351**	**1093**	**355**

किसानों को भूमि आबंटित होने के पश्चात् रिकार्ड में नियमानुसार आबंटी किसान के नाम दर्ज किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। काश्तकारों द्वारा आबंटित भूमि की सम्पूर्ण राशि जमा करवाये जाने के बाद खातेदारी अधिकार नियमानुसार प्रदान किये जा रहे है।

किसानों को सामान्य आबंटन में आबंटित भूमि जिसे विशेष आबंटन हेतु अधिसूचित कर दिया गया है, को किसानों के प्रार्थना पर समय-समय पर डीनोटिफाई (denotify) किया जाकर नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अजमेर जिले में भू-संशोधन व भू-प्रबंधन कार्य

676. श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अजमेर में भू-संशोधन व शहर में भू-प्रबंधन के बाद जमाबंदी नहीं बनी व वर्किंग जमाबंदी तैयार कर कार्य चलाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त जमाबंदी की प्रमाणिकता पूर्ण है?

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

(2) क्या यह भी सही है कि वर्किंग जमाबंदी में बहुत सारे खातेदारों का हक रिकार्ड पर नहीं आया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार भी ऐसी गलती के सुधार के लिए कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जिला अजमेर में वर्ष 1970-71 के भू-संशोधन को मान्यता प्राप्त न होने से वर्ष 1984 (संवत् 2041) में भू-अभिलेख तैयार करवाया जाकर वर्किंग जमाबन्दियां बनाई गई हैं। इस अभिलेख को प्रचलित अभिलेख के रूप में मान्यता है।

अजमेर शहर के थोक मालियान एवं थोक तेलियान में भू-प्रबन्धन (वर्ष 1941-42) के पश्चात् थोक तेलियान में संवत् 2014-17 एवं थोक मालियान में खेचट 1365 फसली (संवत् 2014) की जमाबन्दियां प्रमाणित हैं।

(2) जी नहीं। संवत् 2014 (1984) की वर्किंग जमाबन्दी तैयार करते समय भू-संशोधन कार्यवाही के दौरान खातेदारी भूमि में हुए परिवर्तन को समावेश किया गया है, लेकिन राजकीय भूमि को भू-संशोधन के पहले की स्थिति में (चौसाला अभिलेख के अनुसार) पुन: स्थापित किया गया है।

(3) जी हां। राजस्व रिकार्ड को प्रमाणित करने में आ रही कठिनाइयों का अध्ययन करके उनके निराकरण हेतु राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 26.5.2009 द्वारा संभागीय आयुक्त, अजमेर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।

बीमित फसलों का मुआवजा अनुपात

677. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में फसली बीमा योजना के तहत किस-किस फसलों का कितनी-कितनी राशि का मुआवजा किस अनुपात में दिया जाना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

फसली बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया के तहत राजस्व मण्डल द्वारा प्रत्येक संसूचित तहसील में संसूचित फसल के न्यूनतम 16 फसल कटाई प्रयोग आयोजित कराए जाते हैं जिनसे वास्तविक औसत उपज के आंकडे प्राप्त होते हैं। गारण्टी उपज पिछले पांच वर्षों में औसत उत्पादकता को जोखिम स्तर से गुणा

(कृषि मंत्री)

कर प्राप्त की जाती है। यदि किसी तहसील की वास्तविक उपज गारण्टी उपज से कम आती है तो उस तहसील के बीमित कृषकों को मुआवजा तय करने का सूत्र है :—

(गारण्टी उपज-वास्तविक उपज)

मुआवजा राशि (रुपये)=……………………….....………………......….x बीमित राशि

गारण्टी उपज

सभी फसलों में मुआवजा उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार तय किया जाता है।

श्रीगंगानगर जिले में किन्नू के उत्पादन में वृद्धि हेतु सुविधाएं

678. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में श्रीगंगानगर में किन्नू का कितना उत्पादन हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किन्नू का बाग लगाने हेतु किसानों को सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो वर्तमान में उन्हें क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किन्नू के ज्यूस की अन्य शहरों में आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में श्रीगंगानगर में किन्नों के उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	उत्पादन (मैट्रिक टन)
2006-07	112362
2007-08	88407
2008-09	101250

(2) केप्रयो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत श्रीगंगानगर जिले में किन्नों फल बगीचों की स्थापना हेतु कुल लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 22500 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से तीन किश्तों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिये निम्नानुसार उपलब्ध कराया जाता है :-

1. प्रथम वर्ष-लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 11250 रुपये/हैक्टेयर

(कृषि मंत्री)

2. द्वितीय वर्ष-लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 4500 रुपये/हैक्टेयर

3. तृतीय वर्ष-लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 6750 रुपये/हैक्टेयर

दूसरे वर्ष की सहायता राशि पौधों के 75 प्रतिशत जीवित रहने पर एवं तीसरे वर्ष की 90 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने पर। प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये सहायता प्राप्त कर सकता है।

(3) जी नहीं। किन्नों ज्यूस के अन्य शहरों में आपूर्ति करने हेतु उद्यान विभाग के स्तर से कोई कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

आंवला, संतरा, ईसबगोल एवं अन्य बागवानी फसल आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा लागत (प्लांट व मशीनरी एवं इसके लिये आवश्यक सिविल कार्य) का 50 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रुपये तक अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

बीकानेर जिले में प्रति परिवार देय कैरोसीन के वितरण में वृद्धि

679. सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर पूर्व) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं, चीनी, केरोसीन आदि का वितरण प्रति यूनिट किया जाना था? क्या वर्तमान में यह वितरण प्रति राशन कार्ड किया जाता है?

(2) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध सामग्री का वितरण प्रति कार्ड की बजाय प्रति यूनिट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रति परिवार प्रतिमाह सिर्फ 2.50 लीटर केरोसीन का वितरण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसे बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारत सरकार के निर्देशानुसार गेहूं एवं केरोसीन प्रति राशन कार्ड तथा लेवी चीनी का वितरण प्रति यूनिट किया जाता है, तदनुसार ही राज्य में वितरण किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री एपीएल गेहूं/आटा/चावल प्रति परिवारों को दिये जाने एवं चीनी बीपीएल/अन्त्योदय परिवारों को प्रति यूनिट दिये जाने के आदेश हैं।

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

(3) जी हां। जिले को आबंटित मात्रा में से जिला प्रशासन द्वारा समानुपातिक मात्रा में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह 2.50 लीटर केरोसीन का वितरण किया जा रहा है। राज्य को भारत सरकार से आबंटित होने वाले केरोसीन की मात्रा में वृद्धि होने पर ही जिला बीकानेर को होने वाले आबंटन में तदनुसार मात्रा में बढ़ोतरी किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

फुलेरा तहसील में उचित मूल्य की दुकानों को आबंटित सामग्री

680. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

तहसील फुलेरा में उचित मूल्य की दुकानों पर बीपीएल एवं एपीएल परिवारों को वितरण करने हेतु कितनी-कितनी मात्रा में वस्तुएं आबंटित की जा रही हैं? दुकानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तहसील फुलेरा के उचित मूल्य के दुकानदारों को बीपीएल एवं एपीएल परिवारों को वितरण करने हेतु आबंटित मात्रा का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोल्ड स्टोरेज कोटा में बरामद नकली मावा प्रकरण

681. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दीपावली के अवसर पर कोटा के एक कोल्ड स्टोरेज से भारी मात्रा में मावा पकड़ा गया था? यदि हां, तो तत्संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पकड़े गये मावे के संग्रहकर्ता व्यापारियों के नाम व संगृही मात्रा, कोल्ड स्टोरेज के मालिक का नाम तथा संग्रह की माहवार तिथियां क्या-क्या रहीं?

(3) राज्य में वर्ष 2009-10 में नकली मावा, नकली घी और मिलावटी वस्तुओं के कितने मामले सामने आये और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अशुद्धता की सामान्य जांच हेतु प्रयोगशालाओं की प्रदेश में समुचित व्यवस्था नहीं है? क्या सरकार नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा के 2 कोल्ड स्टोरेजों से 431.35 (अनुमानित) क्विन्टल मावा दिनांक 22.10.2009 को विभागीय खाद्य निरीक्षकों द्वारा दूषित होने के संदेह में पकड़ा गया। जिसमें से पीएफए एक्ट 1954 में निहित प्रावधान अनुसार 34 नमूने जांच हेतु लिये गये, जिनमें से जांच के बाद 31 नमूने अमानक स्तर के (मिलावटी) पाये गये। अमानक स्तर के (मिलावटी) 6 नमूनों के मालिकों के विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं शेष 25 दोषी व्यापारियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही अनुसंधान में है। अनुसंधान पूर्ण होते ही चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(2) उक्त पकड़े गये मावे के संग्रहकर्ता व्यापारियों के नाम व संग्रही मात्रा, कोल्ड स्टोरेज के मालिक का नाम तथा संग्रह की माहवार तिथियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) राज्य की जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत नमूने मानकों के अनुरूप अथवा मिलावटी/मिसब्राण्ड ही घोषित किये जाते हैं। नकली शब्द का उपयोग अधिनियम में नहीं किया गया है। जनवरी 2009 से 20 फरवरी, 2010 तक विभागीय खाद्य निरीक्षकों द्वारा मिलावट का संदेह होने पर 6295 विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु लिये गये जिनमें से 1048 नमूने जांच में (मिलावटी/मिसब्राण्ड) अमानक स्तर के पाये गये। अमानक स्तर के (मिलावटी/मिसब्राण्ड) पाये गये नमूनों में से 751 प्रकरणों में दोषी मालिकों के विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं, शेष 297 दोषी व्यापारियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही अनुसंधान में हैं। अनुसंधान पूर्ण होते ही चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(4) जी नहीं। खाद्य पदार्थों में अशुद्धता की जांच हेतु 6 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाऐं क्रमश: जयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, जोधपुर एवं उदयपुर में कार्यरत हैं, जिनमें पीएफए एक्ट 1954 के अन्तर्गत जांच हेतु लिये गये राज्य के सभी नमूनों की जांच की जाकर एक्ट में निर्धारित समय सीमा 40 दिवस में रिपोर्ट जारी की जा रही है। यद्यपि पीएफए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु लिये गये नमूनों की जांच के लिये विभाग के पास उपलब्ध प्रयोगशालाऐं पर्याप्त हैं। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर एवं कोटा का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 4.50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फिर भी आवश्यकता होने पर नई प्रयोगशालाऐं स्थापित करने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले के काली सूची में दर्ज दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही

682. डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वारा साठ से अधिक राशन की दुकानों को काली सूची में डाला गया था? यदि हां, तो उक्त दुकानदारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त काली सूची में डाले गये दुकानदारों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला रसद अधिकारी, जयपुर (शहर व ग्रामीण) द्वारा किसी भी उचित मूल्य दुकान को काली सूची में नहीं डाला गया है।

(2) सूचना शून्य है।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के राशन विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

683. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में राशन की कितनी दुकानें संचालित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशन की दुकानों पर बी.पी.एल. परिवार को कौन-कौन सी वस्तुओं का कितनी-कितनी मात्रा में वितरण किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गत दो वर्षों में उक्त क्षेत्र में इन वस्तुओं की गुणवत्ता माप एवं वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस के द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायतों के आधार पर जांच कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कितनी शिकायतें सही पाई गयीं व कौन-कौन दोषी पाये गये तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. कार्डधारक हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में 112 राशन की दुकानें संचालित हैं, जिनकी पंचायतवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में उचित मूल्य दुकानों पर बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह गेहूं 30 किग्रा., चीनी 500 ग्राम चीनी मिलों से उपलब्ध मात्रा के अनुसार प्रति यूनिट तथा केरोसीन 3 लीटर प्रति राशन कार्ड उपलब्धता के आधार पर समानुपातिक मात्रा में वितरण किया जा रहा है। डीबीसी गैस कनेक्शन वालों को केरोसीन नहीं दिया जाता है।

(3) जी हां। प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। शिकायतों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 के अनुसार है।

(5) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में बीपीएल 9333 एवं एपीएल 61309 राशनकार्डधारी हैं।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में खाद्य सामग्री में मिलावट के दर्ज मुकदमे

684. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर में खाद्यान्न सामग्री में मिलावट के मामले में कितने होलसेल व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कितने होलसेल एवं रिटेल व्यापारियों के विरुद्ध दर्ज मामलों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त प्रकरणों में दोषियों को कब तक दण्डित करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में खाद्य पदार्थ होलसेल व्यापारियों के यहां से मिलावट का संदेह होने पर विभागीय खाद्य निरीक्षकों द्वारा जनवरी 2009 से फरवरी 2010 तक विभिन्न खाद्य पदार्थों के 15 नमूने जांच हेतु लिये गये, जिनमें से 2 नमूने मिलावटी पाये गये। मिलावट के लिये दोषी दोनों ही व्यापारियों के विरुद्ध पीएफए एक्ट की धारा 7/16 के अन्तर्गत प्रकरण माननीय न्यायालय में दर्ज करवा दिये गये हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जिला बाड़मेर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के खाद्य पदार्थ होलसेल एवं रिटेल व्यापारियों के यहां से मिलावट का संदेह होने पर विभागीय खाद्य निरीक्षकों द्वारा जनवरी 2009 से फरवरी 2010 तक विभिन्न खाद्य पदार्थो के 66 नमूने जांच हेतु लिये गये, जिनमें से 14 नमूने मिलावटी पाये गये। मिलावट के लिये दोषी 8 व्यापारियों के विरुद्ध पीएफए एक्ट की धारा 7/16 के अन्तर्गत प्रकरण माननीय न्यायालय में दर्ज करवा दिये गये हैं। शेष 6 मिलावट के लिये दोषी व्यापारियों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही अनुसंधान में है। अनुसंधान पूर्ण होते ही चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(3) माननीय न्यायालय में प्रस्तुत चालान प्रकरणों में दण्डित करने की कार्यवाही माननीय न्यायालय के अधीन है। विभाग के पास चालान प्रस्तुत करने से 6 प्रकरण शेष हैं, जिनमें मिलावट के लिये दोषी व्यापारियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही अनुसंधान में है। अनुसंधान पूर्ण होते ही चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

राजकीय बेगराज सोमानी नेत्र चिकित्सालय श्रीडूंगरगढ़ में रिक्त पद

685. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बेगराज सोमानी नेत्र चिकित्सालय, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) में नेत्र रोग विशेषज्ञ का पद गत एक वर्ष से रिक्त है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त पद को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त चिकित्सालय में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय बेगराज सोमानी नेत्र चिकित्सालय, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) में ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी (नेत्ररोग) का एक पद स्वीकृत है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा डा. घनश्याम पंवार, चिकित्सा अधिकारी (पीजी नेत्ररोग) को दिनांक 08.01.2008 को वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत नेत्र चिकित्सालय डूंगरगढ़ बीकानेर में लगाया गया था। दिनांक 16.12.2008 को डा. घनश्याम पंवार का कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्ररोग) के पद पर पदोन्नति होने से वर्तमान में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
नेत्र चिकित्सालय डूंगरगढ़ बीकानेर में ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी (नेत्ररोग) का एक पद रिक्त है। उक्त रिक्त पद को पीजी चिकित्सक उपलब्ध होने पर अथवा स्थानान्तरण से भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) राजकीय बेगराज सोमानी नेत्र चिकित्सालय, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी (नेत्ररोग)	1	1
नर्स श्रेणी द्वितीय	4	3
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	—

राजकीय बेगराज सोमानी नेत्र चिकित्सालय, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) में ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी (नेत्ररोग) का एक पद रिक्त है। उक्त रिक्त पद को पीजी चिकित्सक उपलब्ध होने पर अथवा स्थानान्तरण से भरने के प्रयास किये जायेंगे। नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरने हेतु संशोधित अर्थना भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

डीडवाना के स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

686. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोषिणा, उप स्वास्थ्य केन्द्र निमोद, छापरी खुर्द, ललासरी, दाऊसर तथा राजकीय चिकित्सालय डीडवाना जिला नागौर को क्रमोन्नत किये जाने हेतु सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों की प्रति एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्राथमिकता से वित्तीय प्रावधान कर उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा डीडवाना चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) गत 1 वर्ष में उप स्वास्थ्य केन्द्र, ललासरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने एवं राजकीय चिकित्सालय डीडवाना को 100 से 150 शय्याओं में क्रमोन्नत के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। प्राप्त प्रस्तावों एवं उन पर की गई कार्यवाही की छाया प्रतियां परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत हैं।

(2) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोषीणा पंचायत समिति डीडवाना के अन्तर्गत आती है। पंचायत समिति डीडवाना में में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की कमी है। आगामी वित्तीय वर्षों में पंचायत समिति डीडवाना के 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनंसख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम निमोद, छापरी खुर्द, ललासरी एवं दाऊसर पंचायत समिति डीडवाना के अन्तर्गत आते हैं। पंचायत समिति डीडवाना में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। आगामी वित्तीय वर्षों में पंचायत समिति डीडवाना के 2 ग्रामों में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

राजकीय चिकित्सालय डीडवाना में वर्तमान में 100 शैय्याएं स्वीकृत हैं। स्वीकृत शैय्याओं की वर्ष 2008 में 55.20 प्रतिशत उपयोगिता रही है। इसलिए उक्त चिकित्सालय को 100 से 150 शय्याओं में क्रमोन्नत करना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(छाया प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगरफोर्ट (टोंक) का भवन निर्माण

687. श्री रामनारायण मीणा (देवली उनियारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगरफोर्ट (टोंक) के स्वीकृत भवन निर्माण कार्य को प्रारम्भ नहीं करवाया गया? यदि हां, तो क्यों तथा उसे अब कब तक निर्मित करवा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(**श्री रामनारायण मीणा**)

(2) अब उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करवाया जाकर पूर्ण करवा दिया जावेगा? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरफोर्ट (टोंक) के स्वीकृत भवन का निर्माण दिनांक 20.03.2010 को प्रारम्भ किया जा चुका है। उक्त निर्माण कार्य दिसम्बर 2010 तक पूर्ण करा लिया जावेगा।

(2) उक्त निर्माण कार्य दिनांक 20.03.2010 को प्रारम्भ हो चुका है एवं दिसम्बर 2010 तक की अवधि में पूर्ण करा लिया जावेगा। स्वीकृति आदेश की छायाप्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(छाया प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव

688. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार द्वारा उक्त चिकित्सालय में रिक्त चिकित्सकों के पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

(3) जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में स्थापित सोनोग्राफी एवं एक्सरे मशीन गत एक वर्ष में कब-कब खराब रही?

(4) क्या यह सही है कि जिले में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में मरीजों को रैफर कर दिया जाता है? यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितने मरीजों को कहां-कहां जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ से रैफर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पदोन्नति के पद हैं जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से तथा ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में सोनोग्राफी मशीन 30 जून, 2009 से 26 मार्च, 2010 तक खराब रही। नई सोनोग्राफी मशीन राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ द्वारा क्रय की गई। जो दिनांक 27 मार्च, 2010 को प्राप्त हो गई है। वर्तमान दिनांक 29 मार्च, 2010 से चालू हालत में है।

एक्सरे मशीन (एलप्रो 300एम.ए.) दिनांक 23.07.2009 से 10.08.2009 तक खराब रही। दिनांक 10.08.2009 से चालू हालत में है।

500 एम.ए. की पिक्स मेडिकल सिस्टम लिमिटेड मुम्बई की हैं जो आरएचएसडीपी जयपुर से प्राप्त हुई। जो दिनांक 20.02.2010 से चालू हालत में है।

पोर्टेबल एक्सरे मशीन (100एम.ए.) की है। यह मशीन भी आरएचएसडीपी जयपुर से माह फरवरी 2010 में प्राप्त हुई। जो की चालू हालत में है।

पोर्टेबल एक्सरे मशीन (100 एम.ए.) की है। यह मशीन सांसद मद से क्रय की गयी है। जो कि एक सप्ताह पूर्व प्राप्त हुई है, जिसे कम्पनी के इन्जिनीयर द्वारा स्थापित व चालू किया जाना शेष है।

(4) जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ से जांच, निदान तथा सुपरस्पेशलिस्ट की राय हेतु कैसेज को राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर रैफर किये गये। गत वर्ष (2009) में कुल 471 केस इलाज हेतु रैफर किये गये। जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

झाड़ोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि

689. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के कोटड़ा, झाड़ोल एवं

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

फलासिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त वार्ड व शय्याओं की व्यवस्था नहीं है? क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर वार्ड व शय्याएं बढ़ाने का विचार रखती है? कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाड़ोल (फलासिया) में 50 शय्याऐं स्वीकृत हैं, परन्तु वार्ड की कमी के कारण वर्तमान में 30 शय्याओं का उपयोग हो पा रहा है। वर्तमान में 3 वार्डो का निर्माण कार्य जारी है कार्य पूर्ण होने पर 50 शय्याओं का उपयोग किया जा सकेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ा में 30 शय्याऐं स्वीकृत है, परन्तु वार्ड की कमी होने के कारण वर्तमान में 12 शय्याओं का उपयोग हो पा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रसूति वार्ड निर्माण कराने की स्वीकृति जारी की गई है। वार्ड निर्मित होने के उपरान्त 30 शय्याओं का उपयोग हो सकेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलासिया में 30 शय्याऐं स्वीकृत हैं परन्तु वार्ड की कमी के कारण वर्तमान में 10 शय्याओं का उपयोग हो पा रहा है। आगामी वित्तीय वर्षों में वार्डो का निर्माण कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाडोल में स्वीकृत शय्याओं की वर्ष 2008 में 13.92 प्रतिशत उपयोगिता रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ा में स्वीकृत शय्याओं की वर्ष 2008 में 38.26 प्रतिशत उपयोगिता रही हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलासिया में स्वीकृत शय्याओं की वर्ष 2008 में मात्र 5.67 प्रतिशत उपयोगिता रही है। इसलिये उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की शैय्याओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं।

रतनगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

690. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में कितने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कौन-कौन से गांवों में संचालित हैं? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रिणवां)

(2) उक्त केन्द्रों में कितने स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त केन्द्रों में रिक्त पदों को भरकर चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के अन्तर्गत 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 62 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनके ग्राम पंचायतवार नामों का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कर आवेदन प्राप्त कर लिये गये हैं नियुक्ति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को संशोधित अर्थना भिजवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को दिनांक 05.05.2010 को निर्धारित साक्षात्कार उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

वार्डबाय का रिक्त पद सीधी भर्ती से भरा जाना है, जिसे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद का सृजन

691. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जोधपुर शहर में चिकित्सा सेवाओं के सुचारु एवं निर्बाध संचालन के लिये जोधपुर शहर के लिये अलग से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जोधपुर शहर के लिए अलग से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद सृजित किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। क्योंकि राज्य में किसी भी जिले में शहरी क्षेत्र के लिये अलग से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है।

उपखण्ड रूपवास हेतु 108 एम्बुलेंस सुविधा

692. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उप-खण्ड रूपवास में 108 एम्बुलेंस सेवा नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उप-खण्ड रूपवास में 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में उपखण्ड रूपवास में 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं है। 108 एम्बुलेंस सेवा चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) आने वाली 150 नई अतिरिक्त 108 एम्बुलेंसों में से उपखण्ड रूपवास पर 108 एम्बुलेंस दिया जाना विचाराधीन है।

रायसिंहनगर के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के स्वीकृत पद

693. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री दौलतराज समेजा)

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कुल कितने पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र संचालित हैं तथा इनमें से कितने सरकारी भवनों में एवं कितने निजी भवनों में संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों में कितने व कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 6 पशु चिकित्सालय एवं 15 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र संचालित हैं, जिनमें से 5 पशु चिकित्सालय सरकारी भवनों में व 1 पशु चिकित्सालय किराये के भवन में तथा 12 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र सरकारी भवनों में व 2 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पंचायत भवन में संचालित हैं। 1 उपकेन्द्र संचालित नहीं है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उपकेन्द्र में निम्नानुसार पद स्वीकृत व रिक्त हैं :-

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त
1	2	3	4	5
1.	प. चि. अधिकारी	6	—	—
2.	प. चिकित्सा सहायक	3	—	—
3.	पशुधन सहायक	22	6	1 पद-5/2009 1 पद-2/2008 1 पद-7/2006 2 पद-12/2009 1 पद-10/2008
4.	पशुधन परिचर	14	8	2 पद-9/2008 1 पद-3/2008

(पशुपालन मंत्री)

1	2	3	4	5
				1 पद-2/2006 2 पद-12/2006 1 पद-10/2008 1 पद-9/1999
5.	जलधारी	2	—	—
6.	सफाईकर्ता	5	2	1 पद-6/2005 1 पद-4/2004
7.	गडरिया	2	1	12/2006

आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं।

राजसमन्द एवं उदयपुर जिलों की पंचायतों का पुनर्गठन

694. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला राजसमन्द एवं उदयपुर में नई ग्राम पंचायतों के गठन हेतु सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति की किन-किन पंचायतों का पुनर्गठन किया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त जिलों की पंचायतों का पुनर्गठन कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव समय सीमा में कराये जाने के बाध्यकारी प्रावधान हैं तथा पंचायतों के आम चुनाव से पूर्व पंचायतों के पुनर्गठन के लिये पर्याप्त समय नहीं होने के कारण इस कार्य को स्थगित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव निर्धारित समय में सम्पन्न करवा दिये गये हैं।

(2) जी नहीं। पंचायती राज अधिनियम, 1994 में यह प्रावधान है कि किसी

(पंचायती राज मंत्री)

भी पंचायत का पुनर्गठन करने पर पुनर्गठित पंचायत भंग हो जाती है और 6 माह में उनके नये चुनाव करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2010 में सम्पन्न हुए हैं। अत: फिलहाल कोई नई पंचायत बनाने का विचार नहीं है।

भोपालगढ़ की पंचायतों का पुनर्गठन

695. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में वर्ष 2009-10 में नई ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे? यदि हां, तो कब व उन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नई ग्राम पंचायतों का गठन/पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायतों के पुनर्गठन का प्रश्न पूरे राज्य के लिए समान होने के कारण राज्य के सभी जिला कलक्टरों से विभागीय पत्र दिनांक 7.8.2009 के द्वारा पंचायतों के गठन/पुनर्गठन के प्रस्ताव मांगे गये थे।

पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव समय सीमा में कराये जाने के बाध्यकारी प्रावधान हैं तथा पंचायतों के आम चुनाव से पूर्व पंचायतों के पुनर्गठन के लिये पर्याप्त समय नहीं होने के कारण इस कार्य को स्थगित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव निर्धारित समय में सम्पन्न करवा दिये गये हैं।

(2) जी नहीं। पंचायती राज अधिनियम, 1994 में यह प्रावधान है कि किसी भी पंचायत का पुनर्गठन करने पर पुर्नगठित पंचायत भंग हो जाती है और 6 माह में उनके नये चुनाव करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2010 में सम्पन्न हुए हैं। अत: फिलहाल कोई नई पंचायत बनाने का विचार नहीं है।

तारानगर पंचायत समिति की साधारण सभा में अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

696. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि सरकार के पास पंचायत समिति, तारानगर की साधारण सभा में अधिकारियों द्वारा जानबूझकर उपस्थित नहीं होने की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, तारानगर की साधारण सभा की बैठक में दिनांक 11.08.2009 तथा 07.09.2009 को अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया था? यदि हां, तो अनुपस्थित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) पंचायत समिति तारानगर की साधारण सभा की बैठक दिनांक 11.08.2009 तथा दिनांक 07.08.2009 में निम्न अधिकारियों के अनुपस्थित रहने की सूचना जिला कलक्टर, चूरू को जन प्रतिनिधियों के ज्ञापन तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति तारानगर के पत्र से प्राप्त हुई थी।

1. श्री पी सी शर्मा, अधि. अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, तारानगर।
2. श्री हरचंद नोखवाल, सहा. अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम, लि. तारानगर।

इस पर जिला कलक्टर, चूरू के पत्रांक 1392 एवं 1393 दिनांक 08.09.2009 से उक्त दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किये गये।

(2) जी हां। पंचायत समिति तारानगर की साधारण सभा की बैठक में दिनांक 11.08.2009 तथा 07.09.2009 से अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थित अधिकारियों के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस पर निम्न अधिकारियों को जिला कलक्टर, चूरू द्वारा दिनांक 08.09.2009 को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लिया गया।

1. श्री पी सी शर्मा, अधि. अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, तारानगर।
2. श्री हरचंद नोखवाल, सहा. अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम, लि. तारानगर।

स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, चूरू द्वारा उक्त अधिकारियों को पत्रांक 2091-95 दिनांक 09.03.10 से चेतावनी देते हुये भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने के निर्देश दिये हैं।

सिंगरावट ग्राम पंचायत (धोद) का भवन

697. श्री पेमाराम (धोद) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत सिंगरावट पंचायत समिति धोद में पंचायत भवन की भौतिक स्थिति क्या है?

(2) क्या उक्त पंचायत भवन किसी अन्य विभाग को किराये पर दिया हुआ है? यदि हां, तो इसका मासिक किराया कितना है तथा कहां जमा होता है? यदि नहीं, तो ग्राम पंचायत की नियमित बैठकें कहां होती हैं?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया भवन बनाने का या मौजूदा भवन को खाली करवा कर पंचायत को लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत सिंगरावट पंचायत समिति धोद के भवन की भौतिक स्थिति वर्तमान में अच्छी हालत में है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत सिंगरावट पंचायत भवन पुलिस चौकी को दिया हुआ है, जिसका मासिक किराया 45/- रुपये प्रतिमाह है। किराये की राशि ग्राम पंचायत सिंगरावट में जमा होती है। ग्राम पंचायत की नियमित बैठकें आंगनबाड़ी भवन सिंगरावट में होती हैं।

(3) जी नहीं। उक्त ग्राम पंचायत के पास स्वयं का भवन उपलब्ध है। मौजूदा पंचायत घर खाली करवाने का मामला ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में है।

नगर में निर्मित इन्दिरा आवास

698. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत पांच वर्षो में विधान सभा क्षेत्र नगर (डीग क्षेत्र सहित) में किन-किन पंचायतों में कितने-कितने इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये व उक्त में से कितने पूर्ण हो गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। बी.पी.एल. का लाभ कितनों को मिला व कितने शेष रहे?

उत्तर

गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नगर (डीग क्षेत्र सहित) 58 पंचायतों में 798 इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये व उक्त में से 720 पूर्ण हो गये हैं। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है। 798 बीपीएल परिवारों को इन्दिरा आवास का लाभ मिला व 4965 बीपीएल परिवार शेष रहे हैं।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भरतपुर

गत पांच वर्षों में स्वीकृत आईएवाई का विवरण :

विधान सभा क्षेत्र नगर डीग (पंचायत समिति डीग की 21 पंचायतों का विवरण)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	कुल बीपीएल परिवार	कुल स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	शेष प्रगतिरत आवास	शेष बीपीएल परिवार
1	2	3	4	5	6	7
1.	बन्धाचौथ	64	5	5	0	59
2.	बेढ़म	54	15	15	0	39
3.	बरई	75	3	3	0	72
4.	चुल्हैरा	113	12	12	0	101
5.	दांतलौठी	23	10	10	0	13
6.	दिदावली	155	12	12	0	143
7.	धमारी	154	8	8	0	146
8.	गुहाना	11	7	7	0	4
9.	जनूथर	92	7	7	0	85
10.	जाटौलीथून	39	11	9	2	28
11.	ककड़ा	115	18	18	0	97

1	2	3	4	5	6	7
12.	खोह	82	10	10	0	72
13.	मबई	10	8	8	0	2
14.	मोरोली	46	12	12	0	34
15.	निगोही	12	9	9	0	3
16.	परमदरा	107	11	11	0	96
17.	पान्हौरी	111	9	9	0	102
18.	पसोपा	66	9	9	0	57
19.	पास्ता	120	5	5	0	115
20.	शीशवाड़ा	61	8	7	1	53
21	टोडा	169	8	8	0	161
	योग	**1679**	**197**	**194**	**3**	**1482**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद, भरतपुर

परिशिष्ट-ब

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भरतपुर

गत पांच वर्षों में स्वीकृत आईएवाई का विवरण :

विधान सभा क्षेत्र नगर-डीग (पंचायत समिति नगर की 37 पंचायतों का विवरण)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	कुल बीपीएल परिवार	कुल स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	शेष प्रगतिरत आवास	शेष बीपीएल परिवार
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	सिरथला	77	9	8	1	68
2.	चिरावलमाली	116	16	14	2	100

1	2	3	4	5	6	7
3.	बेरू	151	47	41	6	104
4.	खेस्ती	95	14	14	0	81
5.	पालका	163	16	14	2	147
6.	गुलपाड़ा	140	17	15	2	123
7.	जयश्री	171	13	12	1	158
8.	आलमशाह	150	21	18	3	129
9.	डाबक	103	13	12	1	90
10.	ककराला	101	12	11	1	89
11.	रसिया	59	17	17	0	42
12.	मूडिया	67	11	11	0	56
13.	पडलवास	105	35	29	6	70
14.	उडकीदल्ला	136	13	13	0	123
15.	खखावली	78	7	5	2	71
16.	मानौताकलां	73	17	17	0	56
17.	सैमलाकलां	109	18	15	3	91
18.	मोराका	104	13	10	3	91
19.	सुन्दरावली	64	10	8	2	54
20.	तरोडर	60	12	10	2	48
21.	थून	56	8	8	0	48

1	2	3	4	5	6	7
22.	गंगावक	41	12	11	1	29
23.	दुंदावल	110	12	9	3	98
24.	भटपुरा	110	26	22	4	84
25.	गहनकर	54	9	8	1	45
26.	सादपुरी	40	16	14	2	24
27.	जालूकी	97	11	9	2	86
28.	सैमली	50	11	11	0	39
29.	सीकरी	358	32	24	8	326
30.	खोहरी	127	15	12	3	112
31.	झंझार	182	14	12	2	168
32.	जलालपुर	186	16	15	1	170
33.	सिंहावली	166	23	19	4	143
34.	तेस्की	114	18	17	1	96
35.	फतेहपुरकलां	61	23	21	2	38
36.	मूढौती	93	7	6	1	86
37.	पैण्डका	117	17	14	3	100
	योग	**4084**	**601**	**526**	**75**	**3483**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, भरतपुर

बहरोड़ में हरित राजस्थान कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण

699. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में हरित राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कहां-कहां, कब-कब व कितनी राशि का वृक्षारोपण कार्य स्वीकृत किया गया तथा कितने वृक्ष लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा लगाये गये पेड़-पौधों की देख-रेख की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है? यदि हां, तो किसकी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या लगाये गये पेड़-पौधों को जीवित रखने हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था है? क्या सरकार इस हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु कोई कार्य-योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में हरित राजस्थान कार्यक्रम वर्ष 2009-10 में चलाया गया।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति बहरोड़ में राशि 121.64 लाख के वृक्षारोपण कार्य स्वीकृत किये गये, जिनके पेटे 23455 रु. व्यय हुए हैं। पंचायत समिति नीमराणा में 34.07 लाख के वृक्षारोपण कार्य स्वीकृत किये गये, जिनके पेटे 159021 रु. व्यय हुये हैं। पंचायत समिति बहरोड़ में कुल 1785 व नीमराणा में 1900 वृक्ष लगाये गये। सूची परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा लगाये गये पेड़-पौधों की देख-रेख की जिम्मेदारी कार्यकारी संस्था की निर्धारित की गई है।

(4) लगाये गये पेड़ पौधों को जीवित रखने हेतु तकमीने में पानी की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट-1

नरेगा अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का ग्राम पंचायतवार विवरण
पंचायत समिति बहरोड़ वर्ष 2009-10

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	वित्तीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों में)		
						सामग्री	श्रम	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	66027	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 371	खोहरी	खोहरी	3461-71 27/08/09	1.82000	3.15000	4.97000
2.	66518	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 370, 393/715	किरतसिंहपुरा	कारोडा	3461-71 27/08/09	7.69000	10.71000	18.40000
3.	66039	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 324	जटगावड़ा	जटगावड़ा	3461-71 27/08/09	1.34000	2.43000	3.7700
4.	66048	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 900	ढुढारिया	ढुढारिया	3461-71 27/08/09	8.62000	11.87000	20.4900
5.	44047	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 202	बसई	बसई	3461-71 27/08/09	2.0500	3.46000	5.5100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	66041	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 202	बर्डोद	बर्डोद	3461-71 27/08/09	0.92000	1.74000	2.6600
7.	66035	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 1506	कोहराना	कोहराना	3461-71 27/08/09	2.09000	3.52000	5.6100
8.	66045	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 1050, 1048, 1038, 1058	हमजापुर	रिवाली	3461-71 27/08/09	2.02000	3.43000	5.4500
9.	66025	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 685, 754, 750, 850, 1637	हमीदपुर	हमीदपुर	3461-71 27/08/09	10.07000	13.66000	23.7300
10.	66037	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 188	झारोडा	रामसिंहपुरा	3461-71 27/08/09	1.08000	2.04000	3.1200
11.	66038	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 232, 68	रामसिंहपुरा	रामसिंहपुरा	3461-71 27/08/09	3.47000	5.37000	8.8400
12.	66036	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 105, 185, 69	खातनखेडा	रामसिंहपुरा	3461-71 27/08/09	1.71000	3.00000	4.7100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	66043	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 1219, 1269, 1270, 1271	मण्डाला	मण्डाला	3461-71 27/08/09	3.45000	5.36000	8.8100
14.	66033	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 1606, 1607, 1608	गूंती	गूंती	3461-71 27/08/09	1.04000	1.95000	2.9900
15.	66031	चरागाह भूमि में पौधरोपण कार्य खसरा नं. 397, 106	इस्लामपुर	गूजरवास	3461-71 27/08/09	0.89000	1.69000	2.5800
					योग	**48.26000**	**73,38000**	**121.64000**

नोट :—उक्त सभी कार्यों पर कुल 23455 राशि का व्यय हुआ है।

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पंचायत समिति नीमराना क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत स्वीकृत हुए वृक्षारोपण कार्य

क्र. सं.	पंचायत का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत दिनांक	राशि
1.	काठूवास	चरागाह भूमि में वृक्षारोपण कार्य खसरा नं. 707 हुडिया खुर्द	27.08.09	4.99
2.	हुडियाकला	चरागाह भूमि में वृक्षारोपण कार्य खसरा नं. 313	27.08.09	7.51
3.	महतावास	चरागाह भूमि में वृक्षारोपण कार्य खसरा नं. 721, 744	27.08.09	6.01
4.	परतापुर	चरागाह भूमि में वृक्षारोपण कार्य खसरा नं. 430	27.08.09	5.63
5.	खून्दरोंठ	चरागाह भूमि में वृक्षारोपण कार्य खसरा नं. 1083	27.08.09	6.26
6.	माजरीकलां	चरागाह भूमि में वृक्षारोपण कार्य खसरा नं. 1118	27.08.09	3.67
			योग	**34.07**

नोट :—उक्त सभी कार्यो पर कुल 159021 राशि का व्यय हुआ है।

किशनगढ़बास के निजी भवनों में संचालित आयुर्वेदिक औषधालय

700. श्री रामहेत सिंह (किशनगढबास) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में कितने आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या संचालित उक्त औषधालय राजकीय भवनों में चल रहे हैं? यदि नहीं, तो निजी भवनों में संचालित औषधालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निजी भवन में संचालित औषधालय, खैरथल को राजकीय भवन में स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़बास में एक आयुर्वेद चिकित्सालय तथा 13 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं, जिनकी सूची (परिशिष्ट-क) पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। आयुर्वेद चिकित्सालय, खैरथल निजी भवन में संचालित है।

(3) वित्तीय प्रावधान होने पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-क

किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र में संचालित विभागीय आयुर्वेद चिकित्सालयों/औषधालयों की सूची

क्र. सं.	स्थान चिकित्सालय/औषधालय
चिकित्सालय	
1.	खैरथल
औषधालय	
2.	इस्माइलपुर
3.	फातियाबाद
4.	राताखुर्द
5.	जाटका
6.	मूसाखेडा
7.	मांछरोली
8.	पुर
9.	हरसोली
10.	रायपुर जाटान
11.	जोडिया
12.	इकरोटिया
13.	खानपुर अहिरान
14.	किशनगढ़बास

मोबाइल टावरों पर रासायनिक लेप की अनिवार्यता

701. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि संसार के विकसित देशों के शहरों में जो मोबाइल टावर लगाये जाते हैं, उनसे निकलने वाली रेडियो विकिरण के दुष्प्रभावों से आम नागरिकों को बचाने हेतु मोबाइल टावर पर रासायनिक लेप करना अनिवार्य किया हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि मोबाइल टावर पर रासायनिक लेप एक महंगी प्रक्रिया है और इस कारण राज्य के बड़े शहरों, जैसे-जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा आदि घनी बस्तियों में बड़ी कम्पनियों द्वारा बड़ी संख्या में लगाये गये सभी टावरों पर रासायनिक लेप नहीं किया गया है?

(3) क्या सरकार लोगों को रेडियो विकिरण से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने हेतु कम्पनियों को टावर पर रासायनिक लेप लगाने हेतु निर्देश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नहीं श्रीमान्। इस क्रम में सचिव दूरसंचार विभाग भारत सरकार ने अवगत करवाया है कि उनके पास मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडियो विकिरण के दुष्प्रभावों से आम नागरिकों को बचाने हेतु मोबाइल टावर पर रासायनिक लेप किये जाने की कोई सूचना नहीं है। (परिशिष्ट-1)

(2) लागू नहीं।

(3) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं।

परिशिष्ट-1

Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
WPC Wing, SACFA Sectt.

6th floor, Sanchar Bhawan,
20, Ashoka Road,
New Delhi-110 001

File No. H-11017/09/2010-CFA

Dated : 13/04/2010

To,

Sh. Umesh Kumar

Chief Administrative Secretary,

Department of Science & Technology,

506, Fourth Floor, Mini Sachivalaya

Bani Park, Jaipur, Rajasthan.

Subject : Regarding Rajasthan Vidhan Sabha Unstarred Question No. 10, regarding "Safety coating on the Mobile Towers to protect from the III effects of the R.F. radiation".

Reference : Letter No. F 13(94) Vipro/Aayo/Vis/10/4054-55 Dated 31/03/2010.

The undersigned is directed to refer to your letter under reference and to inform you that para vise answer to the above referred Vidhan Sabha Unstarred-Question No. 10 is as follow,

(1) No Sir, Department of Telecommunications dose not have any information in this regard on chemical coating to protect ill effects of radiation from mobile towers. However DOT has inserted a clause in the Service Licence Agreement dated 4th Nov, 2008 stating "Licensee shall conduct audit and provide self certificates annually as per procedure prescribed by Telecommunication Engineering Centre (TFC)/or any other agency authorized by Licensor from time to time for conforming to limits/levels for antennae (Base Station Emissions) for general public exposure as prescribed by International Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP) from time to time."

(2) & (3) Not applicable, in view of (1) above

Hindi version will follow.

Yours faithfully,
Sd./-
(Deepa Agarwal)
Deputy Wireless Adviser

जे. के. लोन चिकित्सालय, कोटा में प्रसव सुविधा

702. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा के जे. के. लोन चिकित्सालय में अगस्त, 2009 से जनवरी, 2010 तक कुल कितने सुरक्षित प्रसव करवाये गये? सामान्य प्रसव, सिजेरियन प्रसव एवं इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी (फोरसेप डिलीवरी) का अलग-अलग माहवार संख्या विवरण क्या है और उपरोक्त अवधि में प्रसव के बाद कितनी प्रसुताओं को कितने समय बाद इंजेक्शन आक्सीटोसिन लगाये गये?

(2) उपरोक्त अवधि में उक्त चिकित्सालय में प्रसव के दौरान तथा प्रसव के बाद जच्चा की मृत्यु तथा मृत्यु का कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कोटा जिले में कुल कितना स्टाफ मिडवाईफरी, कुशल प्रसव सहायक (एसबीए) प्रशिक्षण प्राप्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट “अ” पर है।

(2) सूची परिशिष्ट “ब” पर है।

(3) जिला कोटा में कुल 53 नर्सिंग स्टाफ मिडवाईफ का प्रशिक्षण प्राप्त है जिनमें से 44 जे.के. लोन चिकित्सालय, कोटा में कार्यरत है। 74 नर्सिंग स्टाफ कुशल प्रसव सहायक (एस.बी.ए.) प्रशिक्षण प्राप्त है जिनमें से 02 जे.के. लोन चिकित्सालय, कोटा में कार्यरत है। इसके साथ ही 11 मास्टर ट्रेनर एसबीए टीआईटी ट्रेंड है जिनमें 1 चिकित्सा अधिकारी, 4 नर्स श्रेणी द्वितीय, 4 पीएचएन एवं 2 नर्सिंग ट्यूटर है।

परिशिष्ट "अ"

जिला कोटा के जे. के. लोन चिकित्सालय में माह, अगस्त 2009 से जनवरी 2010 तक हुये सामान्य प्रसव, सिजेरियन प्रसव एवं इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी (फोरसेप डिलीवरी) की सूचना निम्नानुसार है

माह	सामा. प्रसव	सिजेरियन प्रसव	फोरसेप प्रसव	आक्सीटोसिन इन्जेक्शन की संख्या
अगस्त 2009	820	178	07	190
सितम्बर 2009	726	149	01	156
अक्टूबर 2009	709	179	शून्य	187
नवम्बर 2009	656	154	01	164
दिसम्बर 2009	658	147	02	154
जनवरी 2010	592	153	शून्य	163
				उपरोक्त अवधि में प्रसव के बाद कुल 1014 प्रसूताओं को आक्सीटोसिन इन्जेक्शन प्रसव होने के उपरान्त 30 मिनट के अन्दर-अन्दर लगाए गये।

परिशिष्ट "ब"

जे. के. लोन चिकित्सालय, कोटा में प्रसव के दौरान तथा प्रसव के बाद जच्चा की मृत्यु तथा मृत्यु का कारणों का विवरण निम्नानुसार है

माह	मातृ मृत्यु की संख्या	मातृ मृत्यु का कारण
1	**2**	**3**
अगस्त 2009	02	(a) सैकेण्डरी प्रसवोपरान्त रक्तस्राव, हृदय एवं श्वसन तन्त्र फेलयर एवं रक्तस्राव जनित शोक (b) प्रसवोपरान्त सेप्टीसिमिया एवं मलेरिया

1	2	3
सितम्बर 2009	02	(a) श्वसनतन्त्र एम्बोलिसम (b) प्रसवपूर्व एक्लेम्पिसिया
अक्टूबर 2009	03	(a) अत्यधिक रक्तालप्ता एवं बिलीरूबीन की अधिकता एवं शाक (b) अत्यधिक रक्तालप्ता एवं प्रसवोपरांत रक्तस्त्राव एवं शाक (PNC के दौरान) (c) प्रसवपूर्व एक्लेम्पिसिया एवं बहु-अंगीय कार्यप्रणाली फेलयर
नवम्बर 2009	शून्य	—
दिसम्बर 2009	03	(a) गर्भाशय रेपचर एवं शाक (b) प्रसवपूर्व रक्तस्त्राव एवं मस्तिष्क रक्तस्त्राव (c) श्वसनतन्त्र एक्बोलिस्म
जनवरी 2010	शून्य	—

धौलपुर में ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण

703. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में अब तक कौन-कौनसी ग्रेवल सड़कें कहां-कहां कितनी राशि व्यय कर कितनी दूरी की निर्मित की गई? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त निर्मित ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अब तक कौन-कौन सी ग्रेवल सड़कें कहां-कहां कितनी राशि व्यय की गई है व कितनी दूरी में निर्मित की गई की ग्रामवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण करने का विचार नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)
सामग्री/श्रम मद का अनुपात 60:40 रखने का प्रावधान है व डामरीकरण के सामग्री/श्रम मद 90:10 तक होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर मय आपरेटर की व्यवस्था

704. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा नरेगा योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर मय आपरेटर उपलब्ध कराये जाने की योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो यह किस-किस जिले में कितनी-कितनी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध करा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार द्वारा शेष बची हुई पंचायतों में कब तक कम्प्यूटर मय आपरेटर उपलब्ध करा दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर मय आपरेटर उपलब्ध कराये जाने की योजना है। राज्य में जिलेवार अब तक कराये गये कम्प्यूटर मय आपरेटर की सूचना परिशिष्ट-1 पर एवं इस संदर्भ में जारी आदेश दिनांक 10.02.2010 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। शेष रही ग्राम पंचायतों जिनमें विद्युत कनेक्शन एवं सुरक्षित भवन उपलब्ध हैं, वहां माह जुलाई, 2010 तक कम्प्यूटर मय आपरेटर उपलब्ध करवा दिये जावेंगे।

(सूचना व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सिरोही जिले में नरेगा अन्तर्गत किये गये कार्यों की नियम विरुद्ध की गई वाल पैंटिंग

705. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ओटाराम देवासी)

(1) क्या यह सही है कि नरेगा में किये कार्यों की जानकारी देने हेतु वाल पेंटिंग का प्रावधान है? यदि हां, तो प्रावधान/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला सिरोही में नरेगा के तहत किये गये कार्यों की वाल पेंटिंग ग्राम पंचायत की दीवार पर नहीं कर विद्यालयों और व्यक्तिगत मकान की दीवारों पर की गई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा वाल पेंटिंग व्यक्तिगत मकान, विद्यालयों तथा अन्य स्थान पर करने की संबंधित से पूर्व लिखित अनुमति ली गई? यदि हां, तो उसका उनको क्या मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नरेगा अधिनियम-2005 की अनुसूची-1 के पैरा 13(क) (II) के Proactive Disclosure के विधिक प्रावधानुसार ग्राम पंचायत और ब्लाक कार्यक्रम कार्यालय पर बोर्डो के माध्यम से जानकारी दी जाती है।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 4(4)ग्रावि/नरेगा/सा. अंके./2008-09 दिनांक 20.04.2009 की अनुपालना में ग्राम पंचायत/सर्वोच्च राजकीय विद्यालय/ आंगनबाड़ी/सार्वजनिक स्थान आदि भवनों की सहज दृष्टया दीवारों पर वाल पेंटिंग करवायी गयी है। व्यक्तिगत भवनों की दीवारों पर भी सूचनाओं की वाल पेंटिंग भवन मालिक से पूछकर करवायी जा सकती है। करवायी गई वाल पेंटिंग का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार के आदेश पालनार्थ ग्राम पंचायतों द्वारा राजकीय संस्थाओं के भवन की सहज दृष्टया दीवारों पर वाल पेंटिंग करवायी गयी है, इसके लिये लिखित अनुमति की, राजकीय भवनों के लिये आवश्यकता नहीं है। मौखिक अनुमति प्राप्त मकानों पर भी विकास कार्यों की सूचना की वाल पेंटिंग करवाये गये प्रकरणों में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट "क"

वाल पैंटिंग विद्यालयों/आंगनबाड़ी भवनों पर की गई की ग्राम पंचायतवार सूची :-

पंचायत समिति सिरोही

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वाल पेन्टिंग की जगह
1	**2**	**3**
1.	आमलारी	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
2.	उड	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
3.	कृष्णगंज	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
4.	कालन्द्री	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
5.	खाम्बल	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
6.	गोयली	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
7.	गोल	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
8.	जैला	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
9.	जावाल	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
10.	डोडुआ	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
11.	तंवरी	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
12.	नवारा	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
13.	पाडीव	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
14.	फूंगनी	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
15.	बरलुट	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
16.	बलदा	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य

1	2	3
17.	भूतगांव	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
18.	मडिया	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
19.	मण्डवारिया	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
20.	मनोरा	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
21.	मेरमाण्डवाडा	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
22.	मांकरोडा	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
23.	मोहब्बतनगर	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
24.	रामपुरा	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
25.	वराडा	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
26.	वेलागंरी	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
27.	सनपुर	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
28.	सरतरा	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
29.	सिन्दरथ	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
30.	सिलदर	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य
31.	हालीवाडा	विद्यालय भवन व सरकारी भवन की चार दीवारी पर पेन्टिंग कार्य

पंचायत समिति शिवगंज

1.	जोगापुरा	ग्राम पंचायत भवन चार दीवारी
2.	अरठवाडा	ग्राम पंचायत भवन व रा.उ.मा.वि. चार दीवारी के बाहर
3.	पोसालियॉं	ग्राम पंचायत भवन व रा.उ.मा.वि. चार दीवारी के बाहर

1	2	3
4.	रोवाडा	ग्राम पंचायत भवन व रा.उ.मा.वि. चार दीवारी
5.	ओडा	ग्राम पंचायत
6.	अंदोर	ग्राम पंचायत भवन व रा.उ.मा.वि. चार दीवारी
7.	धुबाना	ग्राम पंचायत की चार दीवारी, आंगनबाडी केन्द्र
8.	बडगांव	ग्राम पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकान, उपस्वास्थ्य केन्द्र पर
9.	रूखाडा	ग्राम पंचायत की चार दीवारी
10.	उथमण	आंगनबाड़ी भवन, ग्राम पंचायत, महिला स्नानघर
11.	वाण	स्कूल भवन, मेघववाल वास सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत वाण की चार दीवारी
12.	आल्पा	रा.मा.वि. आल्पा, आंगनबाडी केन्द्र
13.	चुली	ग्राम पंचायत भवन चुली
14.	पालडी एम	ग्राम पंचायत की चार दीवारी, आंगनबाड़ी भवन
15.	जोयला	ग्राम पंचायत की चार दीवारी, स्कूल चार दीवारी
16.	नारादरा	ग्राम पंचायत की चार दीवारी
17.	मनादर	ग्राम पंचायत की चार दीवारी
18.	कैलाशनगर	ग्राम पंचायत भवन
19.	झाडोलवीर	ग्राम पंचायत भवन
20.	छीबागांव	ग्राम पंचायत भवन
21.	बागसीन	ग्राम पंचायत भवन
22.	केसरपुरा	ग्राम पंचायत परिसर
23.	वेराजेतपुरा	ग्राम पंचायत, उपस्वास्थ्य केन्द्र
24.	मोरली	ग्राम पंचायत, उपस्वास्थ्य केन्द्र

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वय
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, सिरोही

राजगढ़ पंचायत समिति (चूरू) में महानरेगा अन्तर्गत किये गये कार्यों का भुगतान

706. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में महानरेगा के अन्तर्गत कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों का कितना-कितना श्रम एवं सामग्री राशि का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार शेष बकाया भुगतान कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समिति में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में किन-किन कार्यों की कब-कब कार्य पूर्णता (सी.सी.) प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं? सी.सी. जारी होने के बाद किन-किन पंचायतों का भुगतान किया जाना शेष है? सूची ग्राम पंचायतवार एवं सी.सी. मुताबिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उप-खण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू) द्वारा भेदभाव युक्त नीति अपनाते हुये कुछ ग्राम पंचायतों का सी.सी. जारी होने के बावजूद भी आज तक भुगतान नहीं किया गया बार-बार भुगतान सम्बन्धी आदेश पत्रावली पर अनावश्यक आक्षेप लगाकर पत्रावली लौटा रहे है? यदि हां, तो इससे सम्बन्धित भुगतान आदेश की पत्रावली की नोटिंग सहित ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले की पंचायत समिति राजगढ़ में महानेरगा के अन्तर्गत श्रम तथा सामग्री की राशि का निम्नानुसार भुगतान बकाया है :-

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	शेष भुगतान राशि
1	2	3
1.	धानोठी बडी	224116
2.	ढाणी बडी	39380
3.	कालरी	1013727
4.	सांखू	733307
5.	नवां	45152
6.	ढाणी मौजी	23995
7.	कांजण	296257

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

1	2	3
8.	खेरू बडी	2600
9.	सुरतपुरा	392415
	योग	**2770949**

इन ग्राम पंचायतों का श्रम मद का भुगतान सूचियां अपूर्ण प्राप्त होने, इनमें कांट-छांट होने, सही प्रमाणीकरण नहीं होने, मूल्यांकन संदेहास्पद होने, मस्टररोल की प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण होने तथा कुछ मामलों में श्रमिकों के खाते नहीं होने के कारण लम्बित है। कांट-छांट तथा संदेह के मामलों के जांच एवं प्रमाणीकरण के आदेश ब्लॉक समन्वयक एवं उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़ द्वारा किये गये हैं।

ब्लाक समन्वयक (नरेगा) एवं कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार भुगतान सम्बन्धी सूचियों में जो अपूर्णता तथा आक्षेप है, उनकी जांच करा उचित भुगतान दिनांक 10.04.2010 तक किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सामग्री मद में शेष भुगतान की राशि निम्नानुसार हैं :—

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	भुगतान की शेष राशि (लाखों में)	भुगतान नहीं होने के कारण
1	2	3	4
1.	सेउआ	23.48	ब्लॉक समन्वयक नरेगा एवं उप खण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा सम्पूर्ण भुगतान से पूर्व कार्यक्रम अधिकारी तथा ब्लाक समन्वयक द्वारा कार्यो को निरीक्षण किये जाने तथा एम.बी. में दर्ज सामग्री का मौके पर सत्यापन किये जाने की टिप्पणी अंकित किये जाने के कारण।
2.	महलाना उतरादा	2.77	एम.बी. की प्रमाणित प्रतियां पेश करने तथा एम.बी. में दर्ज माप तथा मौके पर काम में ली गई सामग्री का सत्यापन कराये जाने की टिप्पणी ब्लाक समन्वयक द्वारा अंकित किये जाने के कारण।

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

1	2	3	4
3.	सिद्धमुख	3.72	ब्लाक समन्वयक (नरेगा) द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय नरेगा स्थाई समिति के अनुमोदन के बाद ही राशि हस्तानांतरित किये जाने का उल्लेख किये जाने के कारण।
4.	घणाउ	17.00	कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पत्रावली ब्लाक समन्वयक को भुगतान हेतु भिजवाई जानी है।
5.	रामपुरा	7.60	कार्यक्रम अधिकारी/ब्लाक समन्वयक द्वारा कार्यों का भौतिक सत्यापन तथा कोई कार्य अपूर्ण नहीं रहने की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान करने की टिप्पणी अंकित करने के कारण।
6.	जसवंतपुरा	9.72	ग्रेवल सड़कों का निर्माण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं किये जाने की स्थिति में जांच के उपरान्त ही भुगतान किये जाने के निर्देश ब्लाक समन्वयक द्वारा दिये जाने के कारण।
7.	चैनपुरा बडा	0.93	मुर्रम सड़क की जांच लम्बित होने के कारण।
8.	सुरतपुरा	14.29	सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता को मूल्यांकन हेतु निर्देशित करने तथा मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान हेतु पेश करने की टिप्पणी ब्लाक कार्डिनेटर द्वारा अंकित किये जाने के कारण।
9.	सुलखनिया छोटा	4.43	ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण खर्चों का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करने के कारण।
	योग	**83.94**	

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

(2) चूरू जिले की पंचायत समिति राजगढ़ में वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 में महानरेगा के कार्यों के निम्नानुसार कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो चुके है :- सूची संलग्न है। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ग्राम पंचायतों को किये गये भुगतान का विवरण उनके सामने उल्लिखित है :-

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	कार्यों की संख्या जिनकी सीसी जारी हो चुकी कुल कार्य	सीसी की सामग्री राशि का योग	भुगतान किया गया (लाखों में)	भुगतान से शेष राशि (लाखों में) सामग्री मद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	सेठवा	33	96.76	73.28	23.48
2.	गुलपुरा	15	35.53	35.53	0
3.	बेरासर छोटा	7	13.41	13.41	0
4.	न्यांगल छोटी	3	10.06	10.06	0
5.	भुवाडी	21	16.49	16.49	0
6.	बेवड	13	18.44	18.44	0
7.	ख्याली	10	10.12	10.12	0
8.	ददरेवा	15	103.72	103.72	0
9.	धानोठ बड़ी	10	11.86	11.86	0
10.	ढढाल लेखु	19	50.99	50.99	0
11.	महलाना उतरादा	69	169.15	169.15	2.77
12.	नवां	9	15.36	15.36	0

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

1	2	3	4	5	6
13.	रामसरा ताल	8	10.96	10.96	0
14.	सिद्धमुख	13	24.33	20.61	3.72
15.	घणाउ	47	88.87	71.87	17
16.	राधाबडी	5	11.64	11.64	0
17.	लम्बोर बड़ी	33	93.47	93.47	0
18.	रामपुरा	47	88.42	80.82	7.60
19.	जसवंतपुरा	27	43.2	33.48	9.72
20.	डोकवा	10	12.23	12.23	0
21.	नूहंद	15	18.87	18.87	0
22.	भगेला	25	38.37	38.37	0
23.	ढाणी मौजी	21	35.13	35.13	0
24.	भेंसली	7	9.38	9.38	0
25.	रतनपुरा	3	5.37	5.37	0
26.	भीमसाणा	12	17.1	17.1	0
27.	चैनपुरा बडा	36	71.22	70.29	0.93
28.	कांजण	20	23.02	23.02	0
29.	सुरतपुरा	37	74.24	59.95	14.29
30.	बिरमी खा	5	27.97	27.97	0
31.	धनोठ बडी	4	6.55	6.55	0

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

1	2	3	4	5	6
32.	सांखण ताल	4	7.8	7.8	0
33.	नोरंगपुरा	1	3.75	3.75	0
34.	बिझावास	10	4.9	4.9	0
35.	थिरपाली	1	1.31	1.31	0
36.	सुलखनिया छोटा	3	7.44	3.01	4.43
37.	ढिंगराला	2	12.89	12.89	0
38.	चैनपुरा छोटा	25	17.01	17.01	0
39.	नेशल	34	61.1	61.1	0
40.	नीमा	25	49.49	49.49	0
41.	ढाणी बडी	20	23.45	23.45	0
42.	कालाणा ताल	14	37.15	37.15	0
	योग	**738**	**1748.49**	**1394.59**	**83.94**

पंचायतवार सूची संलग्न है।

(3) उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़ नरेगा में ब्लाक समन्वयक के रूप में नियुक्त हैं। कार्यों के विरुद्ध व्यय राशि के भुगतान हेतु अधिकृत होने के कारण भुगतान सम्बन्धी पत्रावलियां स्वीकृति के लिये उनके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। पंचायत समिति राजगढ़ की जिन ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भुगतान शेष है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्यों की कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी बकाया भुगतान ही ग्राम पंचायतवार सूची निम्नानुसार है :-

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	शेष भुगतान राशि (लाखों में)
1.	सेठवा	23.48
2.	मदलाना उतरादा	2.77
3.	सिद्धमुख	3.72
4.	घणाउ	17.00
5.	रामपुरा	7.60
6.	जसवंतपुरा	9.72
7.	चैनपुरा बडा	0.93
8.	सुरतपुरा	14.29
9.	सुलखानिया छोटा	4.43
	योग	**83.94**

भरतपुर जिले में नरेगा योजना में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतें

707. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है गत दो वर्षो में जिला भरतपुर में नरेगा योजना में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायतों की जांच करवाई गई? यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उनमें कौन-कौन दोषी पाया गया एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिले में मस्टररोल में कांट-छांट, फर्जी मस्टररोल भरना, मस्टररोल में फर्जी उपस्थिति दर्ज करना, फर्जी जॉबकार्ड, भुगतान में देरी, निर्माण कार्यों पर अतिक्रमण इत्यादि की कुल 786 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। कुल 786 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 139 शिकायतें सही पाई गईं व 647 शिकायतें असत्य पाई गई (विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है) !

सही पाई गई शिकायतें एवं जिन प्रकरणों में अनियमितता पाई गई उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम	कुल प्राप्त शिकायतें	शिकायतें जो सही पाई गयीं
1.	सेवर	52	01
2.	कुम्हेर	157	98
3.	डीग	122	02
4.	नगर	65	27
5.	कामां	89	00
6.	नदबई	104	05
7.	वैर	102	04
8.	बयाना	80	01
9.	रूपवास	15	01
	योग	**786**	**139**

परिशिष्ट-2

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	जिन प्रकरणों में अनियमितता पाई गई उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	**2**	**3**
1.	सेवर	1. ग्राम पंचायत झारोली में प्राप्त शिकायत की जांच करवाई गई उसमें झारोली मैट, सचिव, सरपंच को दोषी पाया गया, उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई
2.	कुम्हेर	1. ग्राम पंचायत अस्तावन में मस्ट्रोल में जांच उपरान्त कार्यक्रम अधिकारी, सचिव एवं रोजगार सहायक के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।
3.	डीग	1. ग्राम रोजगार सहायक (पासोपा) द्वारा फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई जांच करवाई गई तथा जांच कर 10413/ रु. वसूल कर, अनुबन्ध समाप्त कर सेवा से हटाया गया। 2. ग्राम रोजगार सहायक द्वारा फर्जी जॉब कार्ड के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई जांच उपरान्त ग्राम रोजगार सहायक जनूथर से 7008/- रु. वसूल किये गये। अनुबंध समाप्त कर सेवा से हटा दिया गया।

1	2	3
4.	नगर	1. ग्राम पंचायत सादपुरी में मैटो द्वारा फर्जी मस्ट्रोल भरे जाने की शिकायत प्राप्त हुई जांच उपरान्त ग्राम पंचायत सादपुरी में मैटो द्वारा फर्जी मस्ट्रोल भरे जाने पर उनको ब्लैक लिस्ट कर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। 2. ग्राम पंचायत वेरू में मस्ट्रोल में दौहरा भुगतान करने शिकायत प्राप्त हुई जांच उपरान्त ग्राम पंचायत वैरू में दौहरा भुगतान के कारण रोजगार सहायक का अनुबंध समाप्त किया गया है। मैट को ब्लैक लिस्ट कर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। 3. ग्राम पंचायत पीपल खेडा में मैटो द्वारा फर्जी उपस्थिति की शिकायत प्राप्त हुई जांच उपरान्त ग्राम पंचायत पीपल खेडा में मैटो द्वारा फर्जी उपस्थिति दर्शाने कारण उनको ब्लैक लिस्ट कर मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश जारी हुये।
5.	कामां	शून्य
6.	नदबई	शून्य
7.	वैर	1. सचिव व कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा फर्जीवाड़ा करने की शिकायत प्राप्त हुई जांच उपरान्त ग्राम पंचायत नैवाडा में सचिव व कनिष्ठ तकनीकी सहायक के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।
8.	बयाना	1. ग्राम पंचायत समोगर में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व मैट के विरूद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई जांच उपरान्त शिकायत सही पाई गई ग्राम पंचायत समोगर के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, मैट के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।
9.	रूपवास	1. ग्राम पंचायत बहरारेखपुर में मस्ट्रोल में कांट-छांट के क्रम में। शिकायत प्राप्त हुई प्रकरण की जांच करवाई गई। सरपंच के विरूद्ध पंचायती राज की धारा 38 के तहत सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही कर निलम्बित कर दिया गया।

अनूपगढ़ व घड़साना में नरेगा योजनान्तर्गत उपलब्ध रोजगार

708. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील अनूपगढ़ व घडसाना में वर्ष 2008-09 के दौरान गाइड-लाइन के अनुसार श्रमिकों को 6 नंबर फार्म भरने के पश्चात् ही रोजगार उपलब्ध करवाया गया है? यदि हां, तो ग्राम पंचायत 6 पी एवं 11 पी (पतरोडा) में कुल रोजगार दिए श्रमिकों की संख्या एवं समस्त के 6 नम्बर फार्म की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत तहसील अनूपगढ़ व घडसाना में वर्ष 2008-09 के दौरान दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रमिकों को 6 नम्बर फार्म भरने तथा मौखिक कार्य मांगने के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया गया। ग्राम पंचायत 6 पी में कुल 2444 व ग्राम पंचायत 11 पी में 2160 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। प्रपत्र-6 की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

महानरेगा में जॉब कार्ड बनाने के नियम

709. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) महानरेगा में 100 दिन का रोजगार देने के लिए जॉब कार्ड बनाने के क्या क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सरपंच परिवार (पुत्र/पुत्रवधू/पौत्र) के पास जॉब कार्ड होने पर यदि नहीं, तो क्यों? भी 100 दिन की मजदूरी का कार्य कर सकता है। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) महानरेगा योजनान्तर्गत सरपंच परिवार जॉब कार्ड/राशन कार्ड अलग अलग होने पर किस-किस कार्य में 100 दिन की मजदूरी पर कार्य कर सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पूर्व में जारी जॉब कार्ड में अंकित सदस्यों में कोई सदस्य अलग होने पर नया जॉब कार्ड बनाया जा सकता है? यदि हां, तो किन नियमों में? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नरेगा में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिये जॉब कार्ड बनवाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रार्थी/परिवार ग्राम पंचायत की निवासी हो तथा अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिये तैयार हो।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश 2008 के अध्याय 5 के बिन्दु संख्या 5.1 की प्रति एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्कीम की प्रति (बिन्दु संख्या 13-14) संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सरपंच परिवार (पुत्र/पुत्रवधू/पौत्र) के पास जॉब कार्ड होने पर वह परिवार भी 100 दिन की मजदूरी का कार्य कर सकता है।

(3) नरेगा योजनान्तर्गत जॉब कार्ड धारी परिवार जो कि कोई भी हो सकता है, योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों पर 100 दिन की मजदूरी हेतु कार्य कर सकता है।

(4) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश 2008 के बिन्दु संख्या 5:1:3 में परिवार की परिभाषा दी गई है जिसके तहत परिवार के अलग होने पर अलग जॉब कार्ड बनाया जा सकता है। दिशा-निर्देश के सम्बन्धित पृष्ठ की प्रति संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-392 की प्रतिलिपि)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

(Gr.-3)

F. No. 4(36)/RD/RE/NREGS/Cat-IV(II)/O8　　Jaipur, Dated 20.08.2008

To,

Collector and District Programme Coordinator
National Rural Employment Guarantee Scheme, Rajasthan
All Rajasthan

Sub :- Digging/Deepening of wells in category IV works under NREGA.

Sir/Madam,

Digging/Deepening of well may be taken up under category (iv) of permissible works under NREGA, Except in the blocks notified by the Central Ground Water Authority. The blocks are as under :-

S. No.	Block/Area	District
1.	Pushkar Valley	Ajmer
2.	Chirawa	Jhunjunu
3.	Buhana	Jhunjunu
4.	Surajgarh	Jhunjunu
5.	Raniwara	Jalore
6.	Jalore	Jalore
7.	Bhinmal	Jalore
8.	Mundawa	Nagaaur
9.	Behror	Alwar
10.	Dhod	Sikar
11.	Sri Madhopur	Sikar
12.	Jhotwara	Jaipur

In these blocks as per the policy guidelines of CGWA, permission for drinking-domestic water usage is to be obtained from the concerned District Collector of the notified block/area under whom the District Advisory Committee is constituted. As per the direction of CGWA directions of Authority are applicable to new abstraction structures in the notified over-exploited area can tap ground water only from the existing water abstraction structures and construction of new structures or deepening of existing structures can not be permitted for purposes other than drinking and domestic use. In the guidance of CGWA it has been clearly mentioned that permission is being accorded for construction of new tube-wells/Replacement of existing defunct wells for drinking and domestic purposes to Government Department and Government Organizations entrusted with the water supply. It these guideline pre conditions for according permission have also been mentioned that permission not be accorded for construction for tube-wells of agriculture, industrial, commercial, horticulture, purposes.

Since the works related to digging/deepening of wells are of technical in nature and should be undertaken on the basis of technical feasibilities. GWD can provided technical assistance on the basis of geomorphologic conditions of the area to asses whether water will come after deepening/digging or not.

The works of deepening/digging also involves blasting at a level, which needs regular monitoring by technical experts. As the contractor system is not allowed under NREGA provisions, you are directed to implement such works through GWD, provided works are included in Approved Action Plat & undertaken as per priority of the plan.

Yours Sincerely,

(Manju Rajpal)

Director, EGS

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-394 का विवरण)

परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर के भवन में गत 2 वर्षों में आयोजित किये गये प्रशिक्षण/कार्यक्रम एवं उनकी अवधि का विवरण निम्न प्रकार है

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम की अवधि	प्रशिक्षण कार्यक्रम के वर्षवार बेचेज एवं कार्यदिवस की संख्या			
		2008-09		2009-10	
		बेचेज	कार्यदिवस	बेचेज	कार्यदिवस
1	2	3	4	5	6
नवजात शिशु एवं बाल्यकाल की बीमारियों की समेकित देखभाल कार्यक्रम के सुपरवाईजर का प्रशिक्षण	3 दिवस	10	30	16	48
नवजात शिशु एवं बाल्यकाल की बीमारियों की समेकित देखभाल कार्यक्रम के फ्रन्टलाइन कार्यकर्ता का प्रशिक्षण	8 दिवस	—	—	8	64
कुष्ठरोग	4 दिवस	6	24	3	12
	3 दिवस	6	18	4	12
	5 दिवस	—	—	3	15
किशोर मित्र स्वास्थ्य सेवा	3 दिवस	5	15	4	12
कुष्ठरोग	3 दिवस	1	3	—	—
समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी)	3 दिवस	4	12	—	—

1	2	3	4	5	6
राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)	5 दिवस	1	5	—	—
चिकनगुनिया	1 दिवस	1	1	—	—
डेंगू	1 दिवस	1	1	—	—
टीकाकरण	3 दिवस	6	18	3	9
	2 दिवस	—	—	5	10
नवजात शिशु एवं बाल्यकाल की बीमारियों की समेकित देखभाल कार्यक्रम के फ्रन्टलाइन कार्यकर्ता का प्रशिक्षण	8 दिवस	—	—	9	72

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-396 की सूची)

श्रमिकों/मजदूरों के ग्राम सेवा सहकारी समितियों में शून्य जमा पर खाते खोलने की सूचना

क्र. सं.	नाम जिला	खोले गये खातों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	110135
2.	अलवर	22900
3.	बांसवाड़ा	234066
4.	बारां	60536
5.	बाड़मेर	243926
6.	भरतपुर	15570
7.	भीलवाड़ा	91257
8.	बीकानेर	38138
9.	बून्दी	57039
10.	चित्तौड़गढ़	103245
11.	चूरू	102845
12.	दौसा	87386
13.	धौलपुर	950
14.	डूंगरपुर	145000
15.	गंगानगर	235276
16.	हनुमानगढ़	70974
17.	जयपुर	84387
18.	जैसलमेर	19210

1	2	3
19.	झालावाड़	21708
20.	जालोर	138566
21.	झुन्झुनूं	5988
22.	जोधपुर	69229
23.	करौली	40010
24.	कोटा	46785
25.	नागौर	157075
26.	पाली	83749
27.	प्रतापगढ़	83674
28.	राजसमन्द	63786
29.	स. माधोपुर	7042
30.	सीकर	22827
31.	सिरोही	20417
32.	टोंक	50556
33.	उदयपुर	219904
	योग	**2754156**

परिशिष्ट-4

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

जो पढ़ी हुई मानी गयीं

शेरगढ़ के स्वीकृत हैण्डपम्पों व नलकूपों आदि की स्वीकृति

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर के अभावग्रस्त व पानी की भीषण समस्याग्रस्त ढाणियों व ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु पिछले समय में 200 से अधिक हैण्डपम्प जिसमें अधिकांश: SC, ST, OBC वर्ग के क्षेत्र में तथा वर्ष 2008-09 में 11 नलकूप स्वीकृत किये गये। इन स्वीकृत कार्यों की विभाग द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर निविदा व कार्यादेश भी जारी हो चुके हैं, परन्तु सरकार द्वारा इन्हें खुदवाने पर रोक लगा रखी है, इसे तुरन्त हटवाकर स्वीकृत हैण्डपम्प व नलकूप खुदवाने की कार्यवाही करावें।

साथ ही विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अधिकांश गांवों में खारा पानी होने के कारण पेयजल की विकट समस्या बनी हुई है। इस क्षेत्र में दो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना (1) 54 मील-शेरगढ़-चाबा व (2) सोमेसर-सुवालिया है। उक्त दोनों योजना में दिनांक 31.03.1977 को प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई तथा इसमें अगमेन्टेशन कर वर्ष 1996 में पुन: स्वीकृत की गई, इन दोनों योजना की समय सीमा वर्ष 2001 थी, जो कि समाप्त हो चुकी है। योजना में 54 मील-चाबा के आधे क्षेत्र में लाल भाखरी तक अगमेन्टेशन स्कीम के लिये वर्ष 2008 में 97.20 लाख की राशि स्वीकृत कर कार्य पूर्ण हो चुका है। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना 54 मील-शेरगढ़-चाबा अगमेन्टेशन स्कीम हेतु राशि 4.54 करोड़ के प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाया गया है तथा सोमेसर सुवालिया योजना में दिनांक 23.08.2007 को राशि 74.14 लाख रुपये की अगमेन्टेशन स्कीम बनाकर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजी गई। उक्त अगमेन्टेशन स्कीम में वित्तीय समिति के यहां लम्बे समय से लम्बित है। जिन गांवों में बिलकुल पानी नहीं जा रहा है, उनमें वृहद जल प्रदाय योजना चालू होने से पहले पानी शुरू करने तथा जनता को त्वरित राहत देने हेतु उक्त दोनों अगमेन्टेशन प्रस्ताव बनवाये गये थे। जिससे योजना के अन्तिम छोर पर स्थित पेयजल से समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल संकट का समाधान हो सके।

तहसील शेरगढ़ के अभावग्रस्त क्षेत्र में कंटीजेंसी योजना में पाइप लाइन शेरगढ़ से गुमानसिंहपुरा 5.00 किमी. चुतरपुरा में डायरेक्ट फीडर बूस्टर से भोमसागर मुख्यालय तक 8.00 किमी, चुतरपुरा खरता फांटा से पंवारो, इन्दो व जांवतसिंह की

ढाणी तक 7.00 किमी, सेखाला डायरेक्ट फीडर व नलकूप के पास अतिरिक्त नलकूप खुदवाकर सालकिया तलां मुख्यालय तक पाइप लाइन व इसी स्थान से सेखाला बावड़ी गांव में बावड़ी का पानी सुख जाने के कारण पानी पहुंचाने, दासानिया बूस्टर से भीलो की ढाणी में 2.00 किमी, आडा गाला भीलो की ढाणी साई 3.00 किमी, हनवंतनगर नलकूप से देवीगढ़ तक 2.00 किमी, साबरसर नलकूप सिंगल फेस से थ्री फेस, खिरजा आशा-तिबना-जुडिया-लोड़ता हरिदाससोता-कालाणीनगर-लवारन-मगरा नलकूप-चन्द्रभान की ढाणीया कनोडिया पुरोहितान-कुई इन्दा में डायरेक्ट पावर फीडर, तईयब खां की ढाणी बिरमपुरा, सुरताराम भीलो की ढाणी प्रेमसागर, राईधन खां की ढाणी मीरपुरा, करमाणियों की ढाणी धूमसागर, भूंगरा में खुला चालू करना, 20 नये नलकूप स्वीकृत करने, विधायक द्वारा जल वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु की गई अनुशंषा के अनुसार राशि 30.00 लाख लागत की पाइप लाइन कार्य करवाने, विभिन्न योजनाओं में पम्प सैट बदलना, हैण्डपम्प मरम्मत अभियान चलाने, 100 नकारा हैण्डपम्प के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प, सिंगल फेस पम्प सेट 200 हैण्डपम्प पर स्वीकृत करावें जो कि मिनी नलकूप के रूप में कार्य करते हैं।

अत: विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उक्त वर्णित कार्य करवाने हेतु तुरन्त प्रभाव से स्वीकृति जारी करवाने की कार्यवाही करावें, जिससे क्षेत्र की जनता को पेयजल समस्या का समाधान होकर निजात मिल सके।

बाबूसिंह राठौड़

(शेरगढ़)

जोधपुर शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था की कमियां

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर के तीनों बड़े अस्पताल (मथुरादास माथुर, महात्मा गांधी एवं उम्मेद अस्पताल) में समुचित नर्सिंग स्टाफ की कमी, चिकित्सकीय उपकरण की कमी, एवं पुरानी एक्सरे मशीन, सिटी स्केन मशीन एवं डायलेसिस मशीन इत्यादि का समय पर दुरूस्त नहीं करवाने के कारण मरीजों को चिकित्सा सुविधाओं का पूरा फायदा नहीं मिलने से आम मरीज प्राइवेट अस्पताल, जयपुर, अहमदाबाद या बड़े शहर की ओर रूख करने पर मजबूर हो जाता है।

वर्तमान में महात्मा गांधी अस्पताल स्थित ट्रोमा सेन्टर में एक्स-रे मशीन रखी है परन्तु समुचित स्टाफ न होने से मरीजों को मथुरादास माथुर अस्पताल में एक्स-रे विभाग में भेजा जाता है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि रेडियोलोजी विभाग, जोधपुर में तुरन्त चार रेडियोग्राफर की नियुक्ति की जावे। या मेडिकेयर

सोसायटी के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर रेडियोग्राफर उपलब्ध कराएं और ट्रोमा सेन्टर स्थित एक्स-रे मशीन तुरन्त आरम्भ करें। इसी के साथ कैन्सर के उपचार हेतु आइकोलाजी विभाग की बिल्डिंग तैयार हो गयी है समस्त उपकरण भी आ चुके हैं परन्तु इसे अभी तक प्रारम्भ नहीं करने से केन्सर पीडितों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मथुरादास माथुर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन पिछले कई साल से रूक-रूक कर चलने के बाद करीब एक माह से पूरी तरह बंद पड़ी है अस्पताल प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को नई सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए करीब 8 माह से कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। कैथ लैब के भवन निर्माण एवं उपकरणों को उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 3.5 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है केवल 50 लाख रुपयों के और उपकरण एवं प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस राशि एवं प्रशिक्षित स्टाफ की तुरन्त व्यवस्था करवाऐं। कैथ लैब प्रारम्भ होने से समस्त पश्चिमी राजस्थान के मरीजों को इसका फायदा मिलेगा।

उम्मेद अस्पताल में बैड की व्यवस्था कम होने से गर्भवती महिलाओं को नीचे जमीन पर सुलाया जा रहा है जो उनके स्वास्थ्य के लिए उस वक्त अनुकूल नहीं होता है। राज्य सरकार द्वारा चिल्ड्रन कक्ष अलग से स्थापित करने की घोषणा की है। परन्तु जब तक होने वाली डिलेवरी के लिए अतिशीघ्र 50 बैडों की और व्यवस्था करवायी जाने के साथ सफाई व्यवस्था भी दुरूस्त की जावे।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को देखते हुए इस विषय पर चर्चा कराने का श्रम करें।

कैलाश चन्द भंसाली

(जोधपुर)

माण्डलगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ से एन.एच.-76 गुजरता है जिसके निर्माण के दौरान पूर्व में निर्मित निम्नलिखित गांवों में बनी हुई सड़कों को एन.एच.ए.आई. के ठेकेदारों यानि बड़ी कम्पनियों ने भारी वाहनों द्वारा तथा भारी मशीनों द्वारा परिवहन कर सड़कों को तोड़ दिया गया है। निर्माण के दौरान ग्रामीणों द्वारा बार-बार विरोध करने पर उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा है कि फोरलेन सड़क के निर्माण के बाद आपकी सड़कों को पुन: बना दिया जावेगा लेकिन फोरलेन के पूर्ण होने पर एन.एच.ए.आई. के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और निम्न सड़कों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है जिससे उन गांवों में बसों का आवागमन बन्द हो गया है और गड्ढे हो गये हैं तथा दिन भर धूल मिट्टी के गुबार उडते रहते हैं जिससे वहां नागरिकों व व्यापारियों का जीना दुभर हो गया है, आये दिन लोग कई बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं।

1. रसदपुरा सलावदिया सड़क रसदपुरा गांव में ग्राम पंचायत आरोली।
2. देवनगर से सदाराम जी का खेडा।
3. उदयपुरिया से सदाराम जी का खेडा।
4. लाडपुरा से बिहारीजी देवनारायण मंदिर।

साथ ही अमरतिया तथा चितौड़िया गांव के रास्ते तथा गांवों के खेतों तथा स्कूलों में जाने के रास्ते बंद कर दिये और नये रास्तों का निर्माण भी नहीं कराया गया है जिसके दुष्परिणाम ग्रामवासियों को भुगतने पड़ रहे है। आये दिन गम्भीर दुर्घटनायें हो रही हैं। एकाधिकार एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों से लिखित में व्यक्तिगत रूप से मिलकर तथा दूरभाष पर कहा गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सदन के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही चाहता हूं।

प्रदीप कुमार सिंह

(माण्डलगढ़)

धौलपुर में नकली दवाओं के कारोबार पर रोक

धौलपुर जिला अत्यन्त पिछड़ा डॉग प्रभावित क्षेत्र है। श्रीमान् इस जिले में चिकित्सा सुविधाएं मरीजों को मिल नहीं पाती हैं। इस जिले की दो सीमाएं उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं। जहां से इस जिले में नकली दवाओं की सप्लाइ की जाती है। महोदय इस जिले की कुल आबादी 10 लाख 80 हजार है, जिसमें 1 लाख 60 हजार बच्चे तथा 2 लाख 10 हजार महिलाऐ है। जो समय-समय पर गम्भीर बीमारियों के शिकार होते रहते हैं। मौसमी बीमारियां भी समय-समय पर अपना शिकार बनाती रहती हैं। धौलपुर जिले में मात्र एक चिकित्सालय, तीन डिस्पेंसरी, छह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिनमें मरीज अपना इलाज करवाते हैं परन्तु यहां पर भी उसके स्वस्थ होने की कोई गारन्टी नहीं। क्योंकि यहां पर जो दवाएं मिलती हैं उनकी यह गारन्टी नहीं रहती है कि वे दवाएं असली हैं या नकली। महोदय आगरा, खेरागढ़ तथा जगनेर, यू.पी. ऐसे शहर तथा कस्बे हैं जहां पर नकली दवाओं का करोबार जोर-शोर से चल रहा है। जहां से अपराधी प्रवृति वाले कारोबारी नकली दवाऐ लाकर बाडी-बसेडी-धौलपुर, राजाखेडा-सैपऊ-सरमथुरा आदि जगहों पर लाकर सप्लाइ करते हैं।

महोदय आज तक इन मानवता के दुश्मनों को किसी ने नहीं पकड़ा अगर एक दों पकड़े भी गए तो कार्यवाही रफा-दफा हो गई। महोदय यहां ड्रग इंस्पेक्टर नाम मात्र का पद है। ये महोदय कहां बैठते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं। अगर कोई सैम्पल लिया

भी तो धौलपुर में कोई प्रयोगशाला नहीं है। इस खेल में आला-अफसर भी मिले हुए हैं। अगर सरकार चाहे तो उन दुकानों तथा अफसरों की लिस्ट भी दे सकता हूं। जो इस नकली दवाओं के खेल में शामिल हैं। महोदय निवेदन है कि इन दोषी अधिकारियों तथा नकली दवाओं का कारोबार करने वाले व्यापारियों की जांच कमेटी बनाकर जांच कराई जाऐं। तथा दोषियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। महोदय कार्यरत डाक्टर भी इसमें लिप्त हैं। उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएं।

सुखराम कोली

(बसेड़ी)

मकराना में बी.ओ.टी. सड़क का संवेदक द्वारा रखरखाव का अभाव

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मंगलाना-मकराना-बोरावड बी.ओ.टी. रोड़ 15 किलोमीटर व मकराना-बिदयाद 6 किलोमीटर है जिसे मैसर्स रूप रजत कन्सट्रक्शन लिमिटेड जोधपुर द्वारा बनाया गया है और ये ही टोल टैक्स वसूली कर रहे हैं यह 27.04.2002 से 27.09.2011 तक टोल टैक्स वसूल करेंगे।

इस रोड को IRC/मोर्थ स्पेशिकेशन के स्टैण्डर्ड पर बनाना था और रख-रखाव भी करना था। परन्तु यह बी.ओ.टी. रोड़ प्रारम्भ से ही विवादित रहा है। कुल कार्य 654 लाख रुपये का हुआ परन्तु ड्रेनेज 1692300 (लगभग 17 लाख) व बस लेबाई 5 लाख का कार्य अभी तक नहीं हुआ और रख-रखाव भी संविदानुसार नहीं हो रहा है तथा अग्रवाल पेट्रोल पम्प के सामने सरकारी सड़क बनी हुई है और खनन क्षेत्र में खनन विभाग द्वारा सड़कें बनायी गयी थीं उस पर भी टोल टोक्स बराबर वसूला जा रहा है जो कि जनता के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

कार्य संतोषजनक नहीं करने के कारण सार्वजनिक विभाग, जयपुर के मुख्य अभियन्ता रोड-1, ने पत्र संख्या डी-359 दिनांक 07.11.07 को संवेदक को कारण बताओ नोटिस दिया, डी-403, दिनांक 10.12.07 को टोल टैक्स वसूली बन्द करने आदेश दिये और डी-416, दिनांक 12.12.07 में दो दिन बाद टोल टैक्स पुन: वसूली करने के आदेश दिये इन दो दिनों के अवैध टोल टैक्स वसूली का क्या हुआ, क्या इसे राजकोष में जमा कराया गया?

चूंकि समय मात्र डेढ़ वर्ष का शेष रहा है और कार्य व रख-रखाव उपरोक्त बी.ओ.टी. रोड का संवेदक द्वारा संविदानुसार नहीं किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार शीघ्र करावें और यदि नहीं हो तो टोल टैक्स वसूली नहीं करने के आदेश फरमाकर जनता को न्याय प्रदान करावें।

जाकिर हुसैन गैसावत

(मकराना)

भुसावर में रिक्त पदों पर चिकित्सकों का पदस्थापन

उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि कस्बा भुसावर के चिकित्सालय में काफी लम्बे समय से महिला चिकित्सक, शल्य चिकित्सक एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को बहुत परेशानी हो रही है। भुसावर कस्बा से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर भरतपुर मरीजों को अपने उपचार के लिए जाना पड़ता है। आवागमन के सही साधन नहीं होने के कारण भरतपुर तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगता है, जिसके कारण कई बार सही समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। भुसावर चिकित्सालय 30 बैड का चिकित्सालय है लेकिन चिकित्सकों के अभाव में क्षेत्रीय जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर खाली पदों पर चिकित्सकों को लगा दिया जाता है तो आम जनता की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायेगा।

बहादुर सिंह

(वैर)

हिण्डौन के रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण

मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान जिला करौली में हिण्डौन के रेल्वे फाटक पर ओवरब्रिज नहीं होने के कारण उत्पन्न हो रही समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। हिण्डौन के रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण आवागमन में भारी असुविधा केवल हिण्डौन वासियों को ही नहीं है अपितु करौली, कैलादेवी तथा महावीर जी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थानों को जाने वाले लाखों यात्रियों के साथ जयपुर, अलवर, महवा, गंगापुर आदि स्थानों पर आने-जाने वाले यात्रियों को भी होती है। ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण रेलवे फाटक के दोनों ओर काफी दूर तक वाहनों की लम्बी कतारें लग जाती हैं एवं ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गम्भीर रूप से बीमार मरीजों एवं दुर्घटना हो जाने पर गम्भीर स्थिति की हालत में घायलों को तथा गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल पहुंचाने हेतु इस फाटक के खुलने का इन्तजार करना पड़ता है एवं ट्रैफिक अधिक होने से और भी अधिक समय खर्च हो जाता है, तब तक गम्भीर रूप से घायल एवं मरीज दम तोड़ देता है और गर्भवती महिला का प्रसव रास्ते में ही हो जाता है। वर्ष 1995 में हिण्डौन में बाइपास एवं ओवर ब्रिज निर्माण स्वीकृत हुआ था परन्तु कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अब तक इसके निर्माण हेतु जो राशि व्यय की गई उसका भी दुरूपयोग हुआ है। सही मायने में सरकारी खजाने को चपत लगी तथा समस्या का कोई हल भी नहीं हुआ।

रेलवे विभाग के सर्वे के अनुसार हिण्डौन रेलवे फाटक पर आज से 20 वर्ष पूर्व

ही 1 लाख ट्रेन व्हीकल यूनिट हो चुकी है। आज दिनांक तक हिण्डौन रेलवे फाटक 10 लाख 11 हजार ट्रेन व्हीकल यूनिट पार कर चुका है, जबकि 10 लाख ट्रेन व्हीकल यूनिट होने पर ऐसे 10 ओवर ब्रिज बनाये जा सकते हैं। रेल्वे विभाग गत कई वर्षों से ट्रांसपोर्ट सेक्रेट्री को पत्र लिखता रहा है। हिण्डौन रेलवे फाटक अधिकांश समय बन्द रहता है तथा फाटक नहीं खुलने की स्थिति में ट्रेफिक जाम हो जाता है।

अत: मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि ऐसी गम्भीर स्थिति में हिण्डौन रेल्वे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की मंशा सरकार रखती है। यदि हां, तो कब तक?

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से आग्रह करती हूं कि हिण्डौन रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र करवाया जायें। जिससे आपातकालीन चिकित्सा एवं गर्भवती महिलाओं का प्रसव सही समय पर हो सके व जन समस्या का निराकरण हो सके।

रोहिणी कुमारी

(करौली)

सिवाना की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण व डामरीकरण

मैं राज्य सरकार एवं माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में एक राजस्व गांव से दूसरे राजस्व गांव में आवागमन मिसिंग लिंक (डामर सड़क) से नहीं जुड़ने के कारण इन मार्गों पर आवागमन मुश्किल हो रहा है। कई बार तो इन मार्गों पर आकस्मिक दुर्घटनाएं भी हुई हैं। यदि इन सड़कों को मिसिंग लिंक (डामर सड़क) के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो इस क्षेत्र में प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु मरीजों व अन्य यात्रियों को सुविधा होगी एवं समय भी कम लगेगा। यह मिसिंग लिंक सड़कें डामर नहीं होने के कारण आम जनता को काफी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए :-

01.	राखी से सावरडा गांव तक	7 किमी
02.	खण्डप से छियाली	5 किमी
03.	रातडी से मजल	9 किमी
04.	कोटडी कमों का बाडा से बुरड	1 किमी
05.	करमावास से बामसीन	6 किमी
06.	बिजलीया से देवडा	7 किमी

07.	मवडी से देवन्दी	2 किमी
08.	पादरू गांव से वेरीनाडी	6 किमी
09.	खेजडीयाली से चिरडियां	7 किमी
10.	भूका से करना	1 किमी
11.	भूका से दाखा	7 किमी
12.	खारा महेचा से चाडो की ढाणी	3 किमी
13.	दाखा से बामणी	2.5 किमी
14.	टाकूबेरी से डंडाली	500 मीटर
15.	डंडाली से करना	5 किमी
16.	धनवा से मीठा	1 किमी

उपरोक्त राजस्व गांव को मिसिंग लिंक (डामर सड़क) से जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान करवाकर जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

कानसिंह कोटड़ी

(सिवाना)

जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में आवासीय इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियों से उत्पन्न पार्किंग की समस्या

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में आवासीय अनुमति के भवनों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों एवं व्यवसायिक परिसरों में पार्किंग स्थल के अभाव से बिगड़ती व्यवस्थाएं एवं राजस्व हानि आकृष्ट करना चाहती हूं।

जोधपुर में बहुत बड़ी संख्या में रहवासीय परिसरों के व्यवसायिक उपयोग करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। रहवासीय उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने पर शुल्क कम लगता है। इस कारण नक्शे में रहवासीय उपयोग अनुसार दर्शा दिया जाता है, फिर क्षेत्रीय निरीक्षकों और अभियन्ताओं के साथ मिलीभगत से उसे पास करवा कर उसी परिसर में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जाती है।

इससे प्रथम तो सरकार को राजस्व हानि होती है। दूसरा रहवासीय परिसर में पार्किंग की अनिवार्यता नहीं होने से नक्शे में पार्किंग का स्थान नहीं छोड़ा जाता है

परन्तु व्यवसायिक उपयोग करते समय सारे वाहन मुख्य सड़कों पर खड़े रहते हैं। जोधपुर में पहले से ही सड़कों की चौड़ाई बहुत कम है, ऐसे में इस तरह वाहनों के खड़े रहने से सड़कों पर स्थान ही नहीं बचता है। बहुत बड़े-बड़े काम्प्लेक्सेज में भी ऐसी ही स्थिति है। वे सभी आम सड़क का उपयोग अपने यहां आने वाले ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग के लिए करते हैं1

अभी जोधपुर में बहुत बड़े अग्निकाण्ड हुए। कई व्यवसायिक परिसर तो पूरी तरह से मिट गये। उस समय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं यह आवश्यकता जताई कि अब व्यवसायिक परिसर जनसंख्या क्षेत्र से दूर ही बसाये जायें। अग्निकाण्ड के दूसरे हादसों में कई भवन आवासीय अनुमति से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करते पाये गये। इस कारण उनकी बनावट इस प्रकार की थी कि वे थोड़े से आग से उत्पन्न ताप एवं दाब में पूरी तरह से उखड़ गये।

इन सबका हर्जाना भुगतती है आम जनता :—सड़कों पर चलने को जगह नहीं, कभी-कभार जागे तो दुकान, मॉल वालों को कुछ नहीं कहेगी वरन् आम जनता के चालान काटेगी। अग्निकाण्ड होंगे तो परेशान पड़ौसी। बहुत थोड़े से अधिकारियों की जेब भराई में सरकार को बहुत बड़े राजस्व हानि के साथ ही नगरीय विकास व्यवस्था बिगड़ रही है। योजनाएं बनाते समय तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार आवासीय क्षेत्र दिखता है परन्तु वास्तव में वहां संचालित होती है व्यवसायिक गतिविधियां।

अत: मेरा अनुरोध है कि इस हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही की जावें। जानकारी में होने के बावजूद जिन जिम्मेदार अधिकारियों ने निजी स्वार्थों के चलते ऐसे रहवासीय उपयोग के परिसरों में बिजनेस संचालित होने की सूचना विभाग को नहीं दी। उन्हें तुरन्त निलम्बित किया जावे। बिना पार्किंग सुविधा के व्यवसायिक उपयोग के भवनों को समय सीमा में पार्किंग स्थल उपलब्ध कराने हेतु पाबन्द किया जावें। अन्यथा उन्हें सील किया जावें। अभियान के बाद इस प्रक्रिया को नियमित किया जावे और इसके लिए क्षेत्रीय निरीक्षक से लेकर उच्चतम स्तर के अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जावें।

सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

पाली शहर की बस्ती जोगमाया की ढाणी का नियमितीकरण व पट्टा प्रदायगी

मैं नियम 295 के तहत माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि पाली शहर की नया गांव के पास बसी बस्ती जोगमाया की ढाणी (जगदम्बा

कालोनी) में अनेकों परिवार जो पिछले तीस वर्षों से वहां बसे हुये हैं। कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु बनाई गई सर्वे सूची में इन परिवारों का नाम भी दर्ज है फिर भी इनका नियमन इसलिये नहीं हो पाया है कि सन् 1987 में नगर परिषद् पाली द्वारा बस्ती बसी होने के बावजूद इस जमीन पर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े आय वर्ग के परिवारों के लिये भू खण्ड काट कर उनके आबंटन पत्र दे दिये।

पाली नगर परिषद् ने एक तरफ तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों के साथ धोखा किया कि जमीन खाली नहीं होने के बाद भी उसके ऊपर भू-खण्ड काट आबंटन पत्र दे दिये जिसके कारण 23 वर्ष बाद भी इन परिवारों को भू खण्ड का कब्जा नहीं मिल पाया और ना ही इन्हें अन्यत्र स्थान पर भू खण्ड दिये गये। दूसरी तरफ इस भूमि पर करीब 30 वर्ष से बसे परिवारों का नियमन इसलिये नहीं हो पा रहा है कि इस भूमि पर नगर परिषद् की स्कीम बनी हुई है।

जोगमाया की ढाणी के लोग वर्षों से अपने कब्जा शुदा मकान का नियमन कराने एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े आय वर्ग के परिवार उनको आबंटन शुदा भू खण्ड का कब्जा दिलाने हेतु सैंकड़ों चक्कर पिछले कई वर्षों में नगर परिषद् में लगा चुके हैं। परन्तु इन्हें हमेशा निराश ही लौटना पड़ा है।

मेरा माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन है कि 30 वर्ष पूर्व बसे इस बस्ती के परिवारों को नियमन कर पट्टा देने का श्रम करें एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े आय वर्ग के उन परिवारों को जिनको इस भूमि का आबंटन पत्र सन् 1987 में दिया गया था उन्हें अन्यत्र भू खण्ड दिये जाने का श्रम करें।

अत: नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं सरकार का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं।

ज्ञानचन्द पारख

(पाली)

जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का अभाव

राजस्थान विधानसभा के कार्य प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं माननीय मंत्री जलसंसाधन विभाग का ध्यान आकर्षित कर यह कहना चाहता हूं कि जैसलमेर में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।

सीमावर्ती किसानों को रोजगार प्रदान करने एवं उनकी समृद्धि हेतु मरू गंगा

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पास की सरकारी जमीन को मुरब्बों के रूप में प्रदेश के किसानों को आबंटन किये गये। गरीब किसानों ने महंगी दर से जमीन इसलिये ली थी। राज्य सरकार द्वारा इन किसानों को यह कहा गया था कि इन इलाकों में उनको आधारभूत सुविधाऐं जैसे सिंचाई हेतु पर्याप्त जल एवं शुद्ध पेयजल, विद्युत, रोजगार, शिक्षा एवं चिकित्सा के समस्त संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे। लेकिन इन सुविधाओं के अभाव में लोग इस क्षेत्र से पलायन करने लग गये हैं।

इस क्षेत्र में प्रत्येक चक आबादी एवं मुख्य जगहों पर पेयजल के लिये टंकियां, होदी आदि का निर्माण करवाये जाने के साथ ही नहरी क्षेत्र में हैण्डपम्प भी लगाये जाने चाहिये। क्षेत्र का विद्युतीकरण भी होना चाहिये। शिक्षा की स्थिति तो यह है कि यहां बच्चों को पढ़ने के लिये 12 से 16 किमी जाना पड़ता है। नहरी क्षेत्र में शिक्षा केन्द्रों का नितान्त अभाव है। कई जगहों पर तो किसानों ने प्राइवेट स्कूलें किसानों अपनी व्यवस्था पर चन्दा कर खोल रहे हैं। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का सृजन कर उनमें अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिये, अध्यापकों के अभाव में विद्यार्थी मित्रों की नियुक्त किया जाना चाहिये। इन दुरस्थ स्थानों पर चिकित्सा सुविधाऐं तो नाम मात्र की है इन क्षेत्रों में नर्सेज की नियुक्ति के साथ ही यहां मोबाइल चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाया जाना चाहिये क्योंकि इस मरूक्षेत्र में आवागमनों का साधन कम होने के कारण आमजन का चिकित्सा केन्द्रों पर पहुंचना सम्भव नहीं हो पाता है। आवागमनों के साधनों के बार में तो भगवान ही मालिक है। व्यवस्था नहीं के बराबर है। जो सड़कें बनी हुई है वे इतनी खराब हो चुकी हैं कि वहां से गुजरना नामुमकिन हो गया है कहीं-कहीं तो समाप्त हो गई है। यहां मुख्य रूप से 72 एसएलडी से मुन्ना टीबा होते हुए एसएलटी के अन्तिम छौर 180 आरडी तक, एसबीएस 192 आरडी से बाहला तक एवं 11 बीएलएम से चक आबादी तक नई सड़क बनानी है। इसके अलावा सर्वे करवा कर आवश्यकता अनुसार समूचे क्षेत्र में आवागमन हेतु सड़कों का निर्माण आवश्यक है।

यहां लोग कृषि करने के लिये अपने परिवारों के साथ निवास कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा न तो इन परिवारों को राशनकार्ड उपलब्ध करवाये हैं एवं न ही चुनाव पहचान पत्र जारी किये गये हैं। जिनके अभाव में इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में इन लोगों के सौतला व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनको राजनैतिक द्वेष भावना के कारण यह सुविधायें उपलब्ध नहीं करवायी जा रही हैं जो अनुसूचित है। एक भारतीय नागरिक को संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में लोग आज भी आदिवासियों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। जो इस प्रगतिशील देश में उनके साथ अन्याय है। प्रशासन इस सम्बन्ध में मूकदर्शक बना हुआ है।

अत: किसानों एवं स्थानीय जनता की भावनाओं के अनुरूप इस क्षेत्र में एक नागरिक के मिलने वाली आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को, नागरिकों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु पाबन्द करने का निर्णय लेकर जनता को राहत प्रदान करनी चाहिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी

(बायतू)

जहाजपुर में दूरदराज स्थित गांवों को पृथक कर नई ग्राम पंचायतों का गठन

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यन्त लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 मई, 1969 द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जहाजपुर को नगरपालिका घोषित किया गया था तथा इसकी पालना में दिनांक 29 अगस्त, 1970 को विधिवत नगरपालिका जहाजपुर का गठन किया गया था। नगरपालिका गठन के समय नगरपालिका में केवल एक ही राजस्व ग्राम जहाजपुर सम्मिलित था। नगरपालिका गठन के समय ग्राम जहाजपुर में सम्मिलित मजरों क्रमश: बिन्ध्याभाटा, बोराणीकाबाड़ा, पांचाकाबाड़ा, सेहलादांता, भगतों की झोंपडियां एवं लालाकाबाड़ा को वर्ष 1989 में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर स्वतन्त्र राजस्व ग्राम घोषित किया गया था। ये सभी स्वतन्त्र राजस्व ग्राम जहाजपुर से 3 से 7 किमी दूरी पर स्थित है इसके अलावा इनके मजरे घाटीकाबाड़ा, राधीकाबाड़ा, मुण्डीभट्टा, कल्याणपुरा, मातोलाई, भगतांकाबाड़ा इत्यादि भी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित है। वर्ष 1970 में नगरपालिका गठन होने के 40 वर्षों में निजी आय के पर्याप्त स्रोत नहीं होने से इन गांवों में किसी प्रकार की आधारभूत सुविधाओं नाली निर्माण, सड़क, नल तथा बिजली इत्यादि की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है।

इन ग्रामों एवं मजरों में 90 प्रतिशत से अधिक जनजाति के लोग निवास करते हैं। चूंकि इन गांवों की जनता पूर्णत: कृषि पर निर्भर है तथा रोजी-रोटी का संकट होने के बावजूद शहरी क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण इन्हें नरेगा योजना में भी रोजगार नहीं मिलता है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इन गांवों व मजरों की जनसंख्या 3985

थी तथा इनकी अलग पंचायत बनाने के बाद भी नगरपालिका की जनसंख्या 14383 रहेगी। इसलिए क्षेत्रवासी इन स्वतन्त्र राजस्व ग्रामों को नगरपालिका के शहरी क्षेत्र से हटवाकर अलग ग्राम पंचायत सृजित करवाना चाहते हैं। इन गांवों एवं मजरों की नवीन ग्राम पंचायत गठित करने के सम्बन्ध में नगरपालिका जहाजपुर की साधारण सभा की बैठक दिनांक 12 जून, 2009 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 10 पारित किया गया था किन्तु सरकार द्वारा इस ओर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने से जनता में अशांति एवं भारी आक्रोश है। यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने भी अपने पत्र क्रमांक पंचायत/2010/44278 दिनांक 11 मार्च, 2010 द्वारा नवीन पंचायत बिन्ध्याभाटा के गठन के लिए अभिशंषा के साथ प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को भिजवाया गया है। अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत करवा कर ग्रामीण जनता को शीघ्र राहत प्रदान कराने का कष्ट करें।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)